खण्ड-390, अंक-10
शुक्रवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(10 मार्च, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 390 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1—2
प्रश्नोत्तर ..	3—58
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से संबंधित संघ के पदाधिकारियों को अधिकारियों द्वारा आतंकित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	59
थाना जंदपुर, जिला बाराबंकी के थानाध्यक्ष द्वारा की गयी उत्पीड़न की कार्यवाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	59—60
जनपद बलिया के रसड़ा ब्लाक के मुडेरा ग्राम में स्थित पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	60
प्रदेश में धर्म परिवर्तन की घटनाओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	60—61
जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र के बिलथरारोड नगर में सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
किसान सहकारी चीनी मिल लि0, बदायूं के अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	61
जनपद बांदा की सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को अन्य जिलों में बेचे जाने तथा इस कार्य में विभागीय कर्मचारियों की सांठ-गांठ के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	61—62
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	62
सदन के सेवकों को मिलने वाले मानदेय को निरस्त किये जाने संबंधी औचित्य के प्रश्न की सूचना ..	62—64
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1985 में गठित टी0 एन0 धर आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे बिना ही उसे लागू किये जाने के संबंध में औचित्य के प्रश्न की सूचना ..	64—68
श्री बसन्त लाल, परगनाधिकारी, माठ, मथुरा के खिलाफ माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	68—70
भूतपूर्व विधायक श्री कैलाश सिंह के निधन का सदन में शोक प्रस्ताव न आने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	70
सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर श्री के0 एम0 राय के स्थानान्तरण के संबंध में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन की पूर्ति न करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	71

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 ... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	71
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 ... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	71
जनपद सिद्धार्थनगर में बढ़नी तथा नौगढ़ के बीच चीनी मिल स्थापित किये जाने विधयक हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थित की गई) ..	72
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	72—88
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 23—खेल विभाग, अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (जारी) ..	88—112
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	112—113
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 23—खेल विभाग, अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत) ..	113—150
संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 के अनुसमर्थन का संकल्प .... (स्वीकृत) ..	150—157
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं ..	157
उत्तर प्रदेश विधान सभा की समितियों के सदस्यों के नाम-निर्देशन कराने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव .... (स्वीकृत) ..	157—158
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के नाम-निर्देशन कराने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव .... (स्वीकृत) ..	158
उन्नाव में औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्धारित शक्ति से अधिक पावर के इस्तेमाल से विद्युत् परिषद् को करोड़ों की क्षति, किसानों को विद्युत् सामग्री के अभाव में कनेक्शन न मिलने तथा फिरोजाबाद विद्युत् वितरण खण्ड द्वारा निजी नलकूप वाले काश्तकारों को समय से विद्युत् कनेक्शन आदि न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का स्थगन ..	158
नीत्थयां ..	159—163

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 2 मिनट पर अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री — नैनीताल
अचल सिंह, श्री — फतेहपुर
अमीर आलम खां, श्री — मुजफ्फरनगर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री — बुलन्दशहर
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0 — आगरा
कोकब हमीद, श्री — मेरठ
गजराज सिंह, श्री — गाजियाबाद
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
जयदीप सिंह बरार, श्री — बरेली
जय नारायण शर्मा, श्री — मेरठ
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
नारायण हरि शर्मा, श्री — अलीगढ़
निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
फागू चौहान, श्री — आजमगढ़
बलदेव सिंह, कैप्टेन — अलीगढ़
बाबू सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले" श्री — बुलन्दशहर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
भगवती प्रसाद, चौधरी — मिर्जापुर
मनोहर लाल, श्री — उन्नाव
महाबीर सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
महेन्द्र भाटी, श्री — गाजियाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
मैनेजर सिंह, श्री — बलिया
मोहम्मद असलम खां, श्री — सहारनपुर
राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
राजेन्द्र शर्मा, श्री — मेरठ
राजेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री — बाराबंकी
राम सजीवन, श्री — बांदा
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री — कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री — गोरखपुर
शतरुद्र प्रकाश, श्री — वाराणसी
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर — कानपुर
शिव बालक पासी, श्री — रायबरेली
शैलेन्द्र कुमार, श्री — इलाहाबाद
संजय सिंह, डाक्टर — सुल्तानपुर
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सतीश चन्द्र, श्री — आगरा
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्तन बड़थ्वाल, श्री — चमोली
समरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
गीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री — अलीगढ़
सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री — गोरखपुर
सैयद सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
हर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
हितेश कुमारी, श्रीमती — बुलन्दशहर
हीरा सिंह विष्ट, श्री — देहरादून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली में संशोधन

**1—श्री दीप चन्द्र सोनकर एवं श्री पुरुषोत्तम लाल—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 1970 में नियमों के अन्त में शासनादेश संख्या 15/25/73-एकी, दिनांक 10-5-76 का अनुपालन करके विशेष नियम "अपवाद" अब तक नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक उक्त नियमावली में शामिल कर दिया जायेगा ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी हां । नहीं जोड़ा गया ।

शासनादेश दिनांक 10-5-76 में इंगित अपवाद को उक्त नियमावली में जोड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उक्त नियमावली में केवल प्रक्रियात्मक उपबन्ध ही किये गये हैं, भर्ती सम्बन्धित मौलिक उपबन्ध नहीं ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 1970 के तहत नियम 8 में क्या संशोधन किया जाना सुनिश्चित है, आरक्षण के तहत ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, अभी स्पष्ट किया कि चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली में प्रक्रिया संदर्भित के जितने विषय हैं वह लिये जाते हैं । माननीय सदस्य कदाचित उस संदर्भ में पूछ रहे हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से सम्बन्धित नियमावली का प्रश्न है । यह शासनादेश समय-समय पर जारी होते रहते हैं और सम्बन्धित नियमावलियों में उनका समावेश होता रहता है । जहां तक प्रश्न है संदर्भित चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली में, इसकी कड़ाई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि जो शासनादेश जारी किये गये हैं उनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है, उनमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं आ रही है कि पालन नहीं किया जा रहा है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां नियमावली की बात होगी, शासनादेश की बात होगी, शासनादेश और नियमावली पहले से चले आ रहे हैं, उन पर स्थान लेंगे, सुनिश्चित किया जायेगा जो शासनादेश होंगे, इसी प्रकार यह भी किया जायेगा ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

1976 में शासनादेश के द्वारा संशोधन किया गया है आरक्षण कोटे के बारे में, अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शासनादेश के संशोधन के बावजूद भी उनको प्रमोशन नहीं मिले हैं तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नियम 8 के अन्तर्गत जब तक संशोधन नहीं करेंगे तब तक माननीय मुख्य मंत्री की जो मंशा है शासन की मंशा है, उसको कैसे फलीभूत कर सकेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य पुरुषोत्तम लाल जी की भावना से सहमत हूं । यह है कि अभी आरक्षण के लिये जितनी आवश्यकता थी वह पूर्ण नहीं हो पायी है । लेकिन नियम 8 में शामिल कर लेने से पूरा नहीं होगा, जब तक पात्र और अर्हता वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो जायेंगे । इसका पालन हो रहा है, नियम 8 और शासनादेश का पालन हो रहा है । अगर कहीं के बारे में माननीय सदस्य बतायेंगे कि शासनादेश जो है इसका पालन नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से पालन कराया जायेगा । जब तक पात्र और अर्हता वाले व्यक्ति उपबन्ध नहीं होंगे तब तक वह बात पूरी नहीं हो पायेगी ।

श्री राम सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, 8 मार्च, 1973 को राजाज्ञा हुई उसमें अपात्र को छोड़कर ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण अनुमन्य है अनुसूचित जाति का 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 2 प्रतिशत । यह जो शासनादेश 8 मार्च, 1973 का है उसके अनुरूप अपात्र को छोड़कर ज्येष्ठता और श्रेष्ठता दोनों में ही, मैं दोनों की बात कह रहा हूं, जैसी कि उस शासनादेश की मंशा है क्या आरक्षण प्रमोशन में दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, शासन की जो मंशा है वह पूरी की जा रही है । जो अपवाद है उसे आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहता हूं । अपवाद समय-समय पर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर इन नियमों द्वारा किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा । "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि शासनादेश—जो संबंधित नियमावली है उसमें शामिल कराये जाते हैं । जो सन्दर्भित नियमावली की बात चल रही है, यह प्रोसीजरल है इसमें मौलिक नहीं शामिल किये जाते हैं, मौलिक आदेश हैं, उसका पालन हो रहा है, बिना शामिल किये उनका पालन किया जा रहा है ।"

श्री मूलचन्द्र—

मैं आरक्षण के संबंध में जानना चाहता हूं पूर्णाति कब तक हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

जब आपकी सरकार बनेगी मूलचन्द्र जी ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह प्रश्न तो मेरे ऊपर से निकल गया, फिर से कहलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

प्रदेश के जनपदों में सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र में विभागीय सामान्य प्रबन्धक को प्रोन्नति न किये जाने का कारण

*2—श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री कौशिक रमाशंकर, श्री हृदय नरायन दीक्षित एवं श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपदों में सामान्य प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के पद पर, विभागीय सामान्य प्रबंधक सेवारत हैं ? विभागीय श्रेणी द्वितीय के चयनित व तदर्थ रूप से नियुक्त अधिकारियों को विनियमित करके सामान्य प्रबंधकों के पदों पर प्रोन्नत न करने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि विनियमितीकरण के संदर्भ में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के बाद भी अब तक सामान्य प्रबन्धकों/ उप-निदेशकों के पदों पर विभागीय प्रोन्नति करने में जान-बूझकर विलम्ब किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों?

लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

प्रदेश के 25 जनपदों में जिला उद्योग केन्द्र पर विभागीय सामान्य प्रबन्धक सेवारत हैं ।

विनियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत विनियमितीकरण हेतु अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति के विवरण सेवा अभिलेख एवं उनके कार्य आचरण की गोपनीय प्रविष्टियां आदि एकत्र करने की सक्रिय कार्यवाही की जा रही है । विनियमितीकरण हो जाने पर इन अधिकारियों की सामान्य प्रबंधक पद पर प्रोन्नति के लिए चयन हो सकेगा । विनियमितीकरण की कार्यवाही आशा है शीघ्र ही पूरी कर ली जायगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीया मंत्री जी की जानकारी में यह है कि एक राजाज्ञा 21 अक्टूबर, 1978 को जारी हुई थी जिसमें यह था कि जिला उद्योग केन्द्रों पर सामान्य प्रबन्धकों के पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति की जायेगी जिनको 6 साल काम करने का अनुभव होगा । क्या सरकार ने इस राजाज्ञा के तहत जिला उद्योग केन्द्रों पर सामान्य प्रबन्धकों के पद पर ऐसे अनुभव प्राप्त लोगों को प्रोन्नत किया है अथवा उनकी नियुक्ति की है, या नहीं ? मेरी जानकारी यह है कि आपने ऐसे लोगों को प्रोन्नत न करके अन्य पी0 सी0 एस0 आदि अधिकारियों को रख दिया है, क्या यह सही ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, 16 पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं जिसमें से 3 अधिकारियों की नियुक्ति जब यह जिला उद्योग केन्द्र बने हैं तभी इनकी नियुक्ति की गयी थी । विलम्ब का कारण यह है कि जिलों से अधिकारियों की चरित्र प्रविष्टियां मांगी गयी थीं जिनके आने में काफी समय लग गया । 16 फरवरी, तक यह चरित्र प्रविष्टियां प्राप्त हो गयी हैं और उनके आने के बाद अब विनियमितीकरण की कार्यवाही करके शीघ्र ही पात्र व्यक्तियों को प्रोन्नत किया जा रहा है ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन पदों पर ऐसे लोगों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए जिनको उद्योगों के बारे में कुछ अनुभव हो, लेकिन प्रायः देखा यह गया है कि प्रशासकीय सेवाओं के अधिकारियों को ही सामान्य प्रबन्धक के पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है जिनका न तो उद्योग के बारे में कोई अनुभव होता है, न ही उन्हें संबंधित क्षेत्र के विषय में कोई जानकारी होती है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या, माननीया मंत्री जी के पास कोई ऐसी योजना विचाराधीन है जिसमें सामान्य प्रबन्धकों के पदों पर आवश्यक तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग ही नियुक्त किये जा सकें ? क्या ऐसे तकनीकी लोगों का एक अलग कैडर भी स्थापित करने पर विचार करेंगी जिससे औद्योगिक विकास की गति तीव्र हो सके ।

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, इन पदों पर वरिष्ठ और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और निश्चित ही इसी विभाग में से लिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए पात्रता देखनी पड़ती है । इसमें 7 साल का एक्सपीरियेन्स और मौलिक रूप से उनकी नियुक्ति हुई हो ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो गया कि सामान्य प्रबन्धक के पद पर 17 पी0 सी0 एस0 अधिकारी नियुक्त हैं, इसका क्या औचित्य है, जबकि पी0 सी0 एस0 एक्जीक्यूटिव कार्य करते हैं । सामान्य प्रबन्धक के पद पर जो औद्योगिक क्षेत्र में लोग नियुक्त किये जाते हैं उनको तकनीकी जानकारी होनी चाहिए । तो पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त करने का क्या औचित्य है, क्या मंत्री जी पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को सामान्य प्रबन्धक के पद से हटाने पर विचार करेंगी और रघुवर दयाल वर्मा जी के प्रश्न से सम्बन्धित उत्तर के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या 6 साल का जो लोग उद्योग विभाग में योगदान रखते हों, उनकी प्रोन्नति पर विचार करेंगी ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, अस्थायी तौर से कार्य चलाने के लिए अस्थायी नियुक्तियां पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की की गयी थीं जैसे ही पात्रता के आधार पर नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी और पूर्ण कर ली जायगी तो उनको वापस कर दिया जायगा और विभाग के श्रेणी-2 के जो अधिकारी श्रेणी-1 में जायेंगे, उनकी नियुक्ति कर दी जायगी ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना जिस मकसद से की गयी थी, वह पूरी नहीं हुई । मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस मकसद की पूर्ति में बाधा यही रही है कि विभागीय स्तर के प्रबन्धक वहां पर नहीं हैं, मैं मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, 12 वर्ष हो गये, उस राजाज्ञा को पारित हुये लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है । मैं उनके उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जब सारी चीजें मौजूद हैं, विभाग में अधिकारियों की पंजिका में प्रविष्टि होती है, वह उपलब्ध है और सारी चीजें उपलब्ध हैं, फिर भी 17 ऐसे केन्द्रों पर पी0 सी0 एस0 अधिकारी नियुक्त करके उद्योग के काम को पीछे ढकेलने की कार्यवाही कब तक रोक दी जायगी और कब तक विभागीय अधिकारियों का विनियमितीकरण करके सामान्य प्रबन्धक के रूप में उनको उद्योग केन्द्रों में रखा जायगा ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, मार्च के अन्त तक विनियमितीकरण हो जायेगा और संभवत: अप्रैल के अंत तक प्रोन्नति उनको दे दी जायेगी और इसके लिये प्रयास करेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, दो जगह ऐसे विनियमितीकरण और प्रोन्नति के मामले विचाराधीन हैं । दो स्थानों पर हैं । रु0 625 के स्केल से 1425 तक निदेशालय स्तर पर और 1420 से 1720 के स्केल में शासन स्तर पर, तो इन दोनों स्तरों पर निदेशालय स्तर पर तो देर लग सकती है, लेकिन शासन स्तर पर जो 17-18 लोगों की प्रोन्नति ड्यू है, कब तक उनको सामान्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति सुनिश्चित कर देंगे ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, यथासम्भव शीघ्र करने का प्रयास करेंगे । मार्च तक बता चुकी हूं । मार्च के अन्त तक विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी और प्रयास करेंगे कि अप्रैल के अन्त तक प्रोन्नति दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

पुरुषोत्तम लाल जी आपका पहला प्रश्न था, आपको मौजूद रहना चाहिये था ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में चल रहे हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के आवर्तक अनुदान का प्रस्ताव

*' —श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हरिजन विभाग द्वारा चलने वाली हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को जो वर्ष 1985 के पूर्व अनावर्तक अनुदान पर चल रही थी, को आवर्तक अनुदान में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब से प्रभावी होगा और ऐसे कितने विद्यालयों का चयन आवर्तक अनुदान के लिये किया गया है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)—

प्रदेश में चलने वाले हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को, जो वर्ष 1985 के पूर्व अनावर्तक अनुदान में सम्मिलित थीं, के पात्र हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को आवर्तक अनुदान में सम्मिलित किये जाने का प्रकरण अभी शासन के परीक्षणाधीन है ।

इस संबंध में सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से परीक्षण करके ही स्थिति स्पष्ट करना नियमानुसार संम्भव हो सकेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों की तादाद में हरिजन प्राइमरी पाठशालायें चल रही हैं, जिन्हें न तो शासन से अनुदान मिल रहा है और न वह आवर्तक सूची में है । वर्ष 1985 के पहले उन्हें अनावर्तक अनुदान मिल रहा था, उसे भी बन्द कर दिया गया । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे अनावर्तक विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा कितनी प्राइमरी पाठशालायें ऐसी हैं, जिनके बारे में विचार चल रहा है

और जिनका परीक्षण आप करवा रही हैं । साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि परीक्षण वर्ष 1985 से चल रहा है, उस परीक्षण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, 1985 से पहले हमारे करीबन 850 ऐसी संस्थायें थीं, जिनको अनावर्तक अनुदान मिला करता था, उसके बाद यह बन्द हो गया । खासतौर से उसमें सीमित संसाधनों की दिक्कत थी । उसके बाद लगातार यह प्रयास हुआ कि उनको यह मद दे दिया जाय । पिछले वर्ष से बराबर प्रक्रिया चल रही है और हमारे सीमित संसाधनों को देखते हुये पात्रता क्षेत्र में जितनी संस्थायें हैं, उनको आवर्तक अनुदान देने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हरिजन उत्थान के नाम पर सरकार द्वारा केवल ढिढोरा पीटा जा रहा है, इस बात का परिचय मंत्री जी के उत्तर से मिला । लगभग 800-900 हरिजन प्राइमरी पाठशालायें चल रही हैं, जिनके अध्यापकों को न तो वेतन मिलता है, न उन विद्यालयों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन आंकड़ों में यह पाठशालायें चल रही हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और जैसा कि उन्होंने उत्तर में बताया है कि पात्र हरिजन विद्यालयों को आवर्तक अनुदान देने की प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है । तो इन साढ़े 800 पाठशालाओं में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिन्हें अनावर्तक अनुदान पर लाने का मामला विचाराधीन है ? क्या सरकार इस बात पर सिद्धान्तः सहमत है कि इन सबको अनावर्तक अनुदान मिलना चाहिये, यदि हां तो यह निर्णय कब तक सरकार द्वारा कर लिया जायेगा ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से इतना ही कहना चाहूंगी कि जो विद्यालय पहले अनावर्तक अनुदान पा रहे थे, उनको कभी यह मिलता था, कभी नहीं मिलता था । यह अनुदान उन्हें नियमित रूप से मिल जाए, इसकी कोशिश की जा रही है । उस समय विद्यालयों को भी यह मालूम नहीं होता था कि उनको अनुदान मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा । इससे उनको बहुत कठिनाई होती थी, इसी बात पर विचार करते हुए कि उनकी पात्रता को देखते हुए तथा उनकी रूपरेखा को देखकर, सीमित संसाधनों के अन्तर्गत उन्हें अनुदान दिया जाए । मान्यवर, माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है और मैं बताना चाहूंगी कि पात्रता क्या है ? पहली बात तो 10 साल से चल रहे हों, दूसरी बात 50 फीसदी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हों, तीसरी बात वह मान्यता प्राप्त हों, चौथी बात प्रत्येक 40 छात्र पर एक अध्यापक लगा हो । इसके अलावा सीमित संसाधनों को देखते हुए यह पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें इस वित्तीय वर्ष में दे दिया जाय ।

प्रधान प्रभूदयाल—

मान्यवर, जितनी पाठशालायें कागजों पर हैं, उनमें सही संख्या कितनी है, क्या यह जानने की कोशिश सरकार ने की है या वह सिर्फ फर्जी कागजों पर अनुदान ले रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न साफ नहीं है ।

श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा की एक-रूपता बनाये रखने के लिये क्या माननीय मंत्री जी इन हरिजन पाठशालाओं को बेसिक शिक्षा परिषद् की तरह समान स्तर देने के लिये वह इन हरिजन स्कूलों को बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत अधिग्रहीत करने के लिये तत्पर हैं ताकि उन स्कूलों के अध्यापकों को भी वेतन व भवन मिल सके ?

श्री अध्यक्ष—

बहुत से बेसिक स्कूलों की हालत तो बहुत बुरी है ।

श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, हम तो सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं ।

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, आपने तो मेरी तरफ से जवाब दे ही दिया है । शिक्षा विभाग इस समय यह देख रहा है कि जो इस प्रकार के स्कूलों को नियमित रूप से अनुदान नहीं मिल पाता था, उन्हें नियमित सूची में रख दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र शर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि मेरठ जनपद में जो हरिजन विभाग द्वारा पाठशालायें चलाई जा रही हैं, वहां पर कितने महीनों से अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है ।

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, इस समय इसकी जानकारी नहीं है, किन्तु हम यह जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा देंगे ।

श्री बाबू राम यादव—

बेसिक शिक्षा परिषद् की जो पाठशालायें कार्यरत हैं तो हरिजनों को उनकी शिक्षा का पूरा-पूरा लाभ मिलना चाहिये, इसलिये इसे पूरा करने के लिये अनुदान की क्या आवश्यकता है । इन हरिजनों के स्कूलों को बेसिक शिक्षा परिषद् की भांति कब तक परिवर्तित कर देंगे ताकि उनके अध्यापकों को भी समान सुविधा मिल सकें ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, आपने तो जवाब दे ही दिया है । अब आपके सामने मेरी क्या हस्ती है ।

श्री हरदेव—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस मद में हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के लिए 86 लाख रुपए स्वीकृत होने के लिए शासन के विचाराधीन है । यदि हां, तो कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि नहीं, तो इस तरह का प्राविधान मंत्री जी करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, 1-2 दिन में इसका बजट आयेगा, तब तक के लिए वह इन्तजार करें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी नवोदित विद्यालयों तें प्रवेश हेतु इन हरिजन पाठशालाओं से कोई निश्चित कोटा आरक्षित करेंगी ?

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हमने 277 विकास खण्ड में 18924 प्राइमरी पाठशालाओं को लिया है । हम सभी विद्यालयों को सुसज्जित करेंगे । माननीय सदस्य चिन्तित न हों ।

अगले साल तक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं रह जायगा जिसमें भवन न बन जाय, टाट-पट्टी, मेज और कुर्सी सब आ जायेंगी ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मैं कह रहा था कि हरिजन पाठशाला की हालत दयनीय है क्या आप ऐसा प्रयास करेंगे कि हरिजन छात्र भी नवोदय विद्यालय में जा सकें ? क्या आप हरिजन पाठशाला को नवोदय में लेने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल—

नवोदय विद्यालय प्रदेश के कई जिलों में खोल दिये हैं, बाकी में भी शीघ्र खुल रहे हैं । इसमें प्रवेश के लिए हरिजन और दूसरी बिरादरी के लिए कोई "बार" नहीं है । जो भी प्रवेश के अनुकूल विद्यार्थी हैं, उनको नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिलेगा, मानक के आधार पर ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यह प्रश्न प्रदेश की 850 हरिजन पाठशालाओं से संबंधित है । इन्होंने स्वीकार किया है कि 1985 से पूर्व, जिनको अनावर्तक अनुदान मिलता था, वह बन्द है, न जाने कैसे वे काम कर रही हैं । इनकी समस्याओं को माननीया मंत्री जी मस्करा कर टाल देती हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

इन्होंने कहा कि 850 हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को आवर्तक अनुदान में सम्मिलित किये जाने का प्रश्न शासन के परीक्षणाधीन है, मैं जानना चाहता हूं कि यह कितने विद्यालयों का परीक्षण करा रही हैं ? कितनी सफलता प्राप्त कर ली है और कब तक उनको आवर्तक अनुदान की सूची में रख लेंगी ?

श्रीमती दापा—

मान्यवर, मैं इससे पहले कि कुछ कहूं, हमारे जो माननीय सदस्य हैं इनका नाम ही शाहों के साथ जुड़ा हुआ है । इसके साथ ही यह सूर्य के प्रताप है, सूर्य की राशनी जहां-जहां फैलती है, मुस्कराहट ही फैलती है । जहां तक मेरा सवाल है मैं बिना मुस्कुराये रह ही नहीं सकती । मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जिस दिन आप नहीं मुस्करायेंगी हम समझेंगे कि आप वह हैं ही नहीं । तो इसमें आपको आपत्ति है तो मैं क्षमा मांगती हूं आपसे, मैं अपनी आदत से लाचार हूं, मैं क्या करूं ? मान्यवर, इसके अलावा मैं दोहराना चाहूंगी कि हम इसके लिये प्रतिबध्द हैं कि जितनी हमारी पाठशालायें हैं उनको हम पात्रता के आधार पर अपने सीमित संसाधन के अन्तर्गत उनका अनुदान सूची में लायें । मैं इतना और अनुरोध करूंगी कि हमारे जिन माननीय सदस्यों ने इस समय जो बात रखी है, उसका जवाब तो मैं दे रही हूं किन्तु आज ही शिक्षा का बजट आ रहा है तो जो आपके सुझाव हैं, आपकी भावनायें इस सम्बन्ध में हैं, उनको आप उसमें रखें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

सहकारी कताई मिल बड़ौरा (गाजीपुर) की अवैधानिक तालाबन्दी को समाप्त करने की मांग

*2—श्री राम चन्द्र बक्सा सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी कताई मिल बड़ौरा (गाजीपुर) के प्रबंधकों द्वारा जिला अधिकारी एवं श्रम विभाग को बिना अनुमति के दिनांक 27 जनवरी, 1988 से अवैधानिक रूप से तालाबन्दी कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैधानिक तालाबन्दी को समाप्त कराने हेतु कोई उपाय कर रही है ?

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सईदुल हसन)—

पूर्वांचल सहकारी कताई मिल लि0, बहादुरगंज, गाजीपुर में दिनांक 24-1-1989 की रात को पाली से श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल के कारण सेवायोजकों ने दिनांक 27-1-89 से तालाबन्दी कर दी थी जो उभय पक्षों के मध्य दिनांक 15-2-89 को हुए आपसी समझौता के फलस्वरूप उसी दिन की रात की पाली से समाप्त हो गई ।

सचिवालय कालोनी, महानगर की सड़कों की मरम्मत एवं 'बी' टाइप के आवासों के फ्लैट रेन्ट के सम्बन्ध में सेक्रेटेरिएट एवेन्यू वेलफेयर एसोसियेशन, महानगर, लखनऊ के पत्र पर कृत कार्यवाही

*3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हर्षवर्धन, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्रीमती विजय लक्ष्मी तथा श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेक्रेटेरियेट एवेन्यू वेलफेयर एसोसियेशन, महानगर, लखनऊ का 19 जनवरी, 1989 का मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रतिवेदन जिसमें सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ की आंतरिक सड़कों की खस्ता हाल "बी" टाइप के आवास जो श्रेणी-3 के आवासों की श्रेणी में आते हैं, का फ्लैट रेन्ट श्रेणी-4 के आवासों से अधिक निर्धारित करने तथा इन आवासों के लिए अनुमन्य विशिष्टियों को लागू न करने की शिकायत की गयी है, मिल गया है ? यदि हां, तो सही तथ्य क्या है और प्रतिवेदन में उल्लिखित शिकायतों को अविलम्ब दूर करने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी हां ।

प्रतिवेदन में उल्लिखित शिकायतों में जहां तक कालोनी के आंतरिक सड़कों की मरम्मत तथा "बी" टाइप के आवासों में श्रेणी-3 के आवासों की अनुमन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने की बात है, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । आवासों का फ्लैट रेन्ट उनके लिविंग एरिया को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जो फ्लैट का रेन्ट निर्धारित किया गया है, राज्य सरकार ने उसे भारत सरकार की चतुर्थ वेतन समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया है । जबकि केन्द्र सरकार ने श्रेणी-3 के आवासों का रेन्ट केवल 105 रु0 निर्धारित किया है, जबकि प्रश्नगत जितने आवास यहां पर हैं उनका किराया सरकार ने 145 रु0 निर्धारित किया है । यह प्रश्नगत फ्लैट श्रेणी-3 में आते हैं जबकि आपने श्रेणी-4 के फ्लैटों का किराया केवल 115 रु0 ही निर्धारित किया है । ऐसी स्थिति को देखते हुए क्या आप केन्द्र सरकार की ही भांति यहां पर भी श्रेणी-3 के आवासों का किराया 105 रु0 निर्धारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो बातें कहीं हैं उसको मैं कंट्राडिक्ट तो नहीं करता क्योंकि उनकी बात सही है । यह सत्य है कि यह जो मकान है यह 1994 मकान हैं और ये 1952 में बने थे । इनका जो लिविंग एरिया था, भारत सरकार ने लिविंग एरिया के आधार पर ही रेन्ट का निर्धारण किया है । इनका लिविंग एरिया 77.5 है जिस पर भारत सरकार ने 145 रु0 रेन्ट फिक्स किया है । माननीय तिवारी जी जिन आवासों का जिक्र कर रहे हैं उनका लिविंग एरिया 56 से 65 तक दिया गया है जिसका कि रेन्ट केवल 105 रु0 है । तो लिविंग एरिया को देखते हुए इनका रेन्ट 145 रु0 निर्धारित किया गया है । दूसरी बात जहां तक पे-स्केल की है कि जो रिवाइज्ड स्केल है उसमें अध्यासियों का वेतन 1400 रु0 तक आ जाता है जो कि दस प्रतिशत के हिसाब से भी इसका 140 रु0 बनता है । माननीय तिवारी जी की बात सही है लेकिन समस्या यह है कि लिविंग एरिया पर आवास का किराया हम निर्धारित करते हैं । सन् 1952 के बने मकान जो हैं वह काफी स्पेशियस हैं, इस हिसाब से उनको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि शायद मैं माननीय मंत्री जी को समझा नहीं पाया हूं । माननीय मंत्री जी ही ने और सरकार ने जो श्रेणी-4 के आवास डालीबाग, राम सागर मिश्र नगर कालोनी तथा अलीगंज आदि में किराया 115 रु0 रखा है और जो क्वार्टर श्रेणी नं0 3 में आते हैं, उनका किराया 145 रु0 रखा गया है लिविंग एरिया के नाम पर यह कहां तक उचित है, इस बात को लेकर इस कालोनी के निवासियों में काफी असंतोष है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या वह इस अन्तर को देखते हुए सरकार पुनर्विचार करने की कृपा करेगी ताकि उनमें जो असन्तोष व्याप्त है किराये के माप-दण्ड को लेकर वह दूर हो सके ?

श्री अम्मार रिज़वी—

मान्यवर, जो बात माननीय तिवारी जी कह रहे हैं और जो बात मैंने कही है, उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है, जिस माप-दण्ड के तहत यह किराया निर्धारित किया गया है, वह लिविंग एरिया के हिसाब से किया गया है क्योंकि उसमें एक्मोडेशन अधिक है । वैसे वहां के लोग एक प्रतिवेदन के साथ हम लोगों से मिले थे, इस मामले को देखा जा रहा है कि क्या होना चाहिए ताकि वहां के इम्प्लाइज को जो असन्तोष हो रहा है, वह किसी हद तक दूर किया जा सके ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि टाइप "बी" में जिन अभ्यर्थियों ने खिड़कियां व रोशनदान बनवा लिये हैं तो क्या उन पर इन चीजों का अलग से कोई किराया लगा दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसके लिए मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

[शुक्रवार दि0 10 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हरदोई जनपद में साबुन के कारखाने का शिलान्यास तथा अब तक की प्रगति रिपोर्ट

*1—श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85-86 में तत्कालीन उद्योग मंत्री ने हरदोई नगर में साबुन उद्योग के कारखाने का शिलान्यास किया था जिसका निर्माण खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को करना था ? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई ? उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्रीमती बेनीबाई—

वर्ष 85-86 में तत्कालीन उद्योग मंत्री जी द्वारा हरदोई नगर में साबुन कारखाने का शिलान्यास नहीं किया गया था बल्कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड अहिरौरी के नया गांव मुबारकपुर में उनके द्वारा वर्ष 85-86 में साबुन उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र का शिलान्यास किया गया था, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाना था । विधिक रूप से भूमि खादी बोर्ड के नाम न हो पाने के कारण यह योजना प्रारम्भ न हो सकी तथा उसी बीच वर्ष 86-87 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र योजना को स्वीकृति दी गई जिसके अन्तर्गत लखनऊ में एक मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया । अतः ग्राम मुबारकपुर में प्रस्तावित केन्द्र को इस योजना में सम्मिलित करते हुए केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

उक्त केन्द्र उत्पादन केन्द्र न होकर प्रशिक्षण केन्द्र है जिसमें प्रशिक्षण के दौरान उत्पादन निहित होगा ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी वैसे तो बहुत बुद्धिमान और अनुभवी हैं, लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व माननीय मंत्री जी ने इसे देखा नहीं,

बढ़ा नहीं और जैसा विभागीय अधिकारियों ने दे दिया, वैसा का वैसा ही यहां पर भेज दिया । एक तरफ तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि साबुन उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र का शिलान्यास किया गया था जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाना था परन्तु वैधिक रूप से भूमि खादी बोर्ड के नाम न हो पाने के कारण यह योजना प्रारम्भ न हो सकी और वहीं पर दूसरी तरफ इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र योजना को स्वीकृति शासन की ओर से दे दी गयी है, जिसके अन्तर्गत लखनऊ में एक मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है । तो मान्यवर, आप स्वयं देखें कि इन उत्तरों में कितना विरोधाभास है ।

दूसरी तरफ मान्यवर, हरदोई जैसे उद्योग शून्य क्षेत्र में इस उद्योग के लगाने के लिए शिलान्यास किया गया लेकिन खादी बोर्ड के नाम भूमि विधिक रूप में न होने के कारण यह उद्योग वहां पर स्थापित न हो सका, जिसके लिए वहां के निवासीगण काफी खुश थे और हजारों आदमी इस शिलान्यास के अवसर पर मौजूद था कि यहां के लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा.....

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न करें.....

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीया मंत्री जी इस प्रश्न को दृष्टिगत करते हुए यह बताने की कृपा करेंगी कि हरदोई जैसे उद्योग शून्य जनपद में प्रस्तावित साबुन उद्योग को स्थापित करने पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, यह बात जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा वह सत्य नहीं है । दूसरे विभाग से भूमि लेने की प्रक्रिया बहुत लम्बी है । यह जमीन गांव समाज की है, वह उस जमीन की कीमत ले रहे हैं कोई मुफ्त में नहीं मिल रही है । 6 बीघा 8 बिसुआ जमीन का लगभग 33 हजार रुपये है, लेकिन मान्यवर, यह निश्चित है कि वहां पर प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायगा और उसमें साबुन का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायगा और साबुन का उत्पादन उसी में निहित होगा ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वहां पर शिलान्यास हुआ था तब वह मंत्री नहीं थीं लेकिन सरकार उनकी ही थी । यह सम्मान तो होना ही चाहिये कि अगर किसी मंत्री ने कहीं पर कोई शिलान्यास किया है तो वहां पर उस चीज को स्थापना होनी चाहिये लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो वहां पर साबुन के उद्योग का शिलान्यास किया था उसका मजाक बना दिया है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय को देखते हुये, उसकी गम्भीरता को देखते हुये क्या हरदोई में साबुन उद्योग लगाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, तत्कालीन उद्योग मंत्री जी ने जो शिलान्यास किया है उसी का सम्मान करते हुये साबुन का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा रहा है और साबुन बनाने का कार्य उसी में निहित है । इसे जल्दी से जल्दी बना दिया जायेगा ।

समथर-पीपरी कलां मार्ग, झांसी को पक्का करने की मांग

*2—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में समथर कस्बे को सीधे जालौन जिले से जोड़ने वाली समथर-पीपरी कलां सड़क का कितना हिस्सा कितने वर्षों से कच्चा पड़ा है तथा इसे पक्का न कराये जाने के क्या कारण है ? क्या मुख्य मंत्री इसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण पक्का कराये जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

समथर-पीपरी कलां मार्ग का 4 कि0 मी0 11·500 से 15·500 भाग वर्ष 71-72 में मिट्टी स्तर का कच्चा मार्ग है ।

धनाभाव के कारण ।

इस मार्ग को मध्य स्तर तक पक्का कराने की स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह एक ऐसी सड़क है जो समथर कस्बे को सीधे जालौन जिले से जोड़ती है । इस सड़क के बीच का चार कि0 मी0 का हिस्सा छोड़ दिया गया, उस पर केवल मिट्टी का काम हुआ । बाकी सड़क को पक्का कर दिया गया, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसको भी पक्का करा देंगे ? मध्य स्तर तक पक्का कराने के लिये हम लोगों ने जिला प्लान में प्रयास किया लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस सड़क के महत्व को देखते हुये मध्य स्तर से लेपन स्तर तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा करा देंगे ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं तो यह सोचता था कि मेरे इस उत्तर के बाद माननीय सदस्य कोई दूसरा प्रश्न नहीं करेंगे । मान्यवर, मध्य स्तर के बाद जो स्थिति आती है, तो जब वह आयेगी, तो उस पर अवश्य ही विचार किया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद में तिवारीपुर मिझौड़ी नन्सा बाजार सड़क पर मिझौड़ा ग्राम में मड़हा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कार्यवाही

*3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में तिवारीपुर मिझौड़ी-नन्सा बाजार सड़क पर मिझौड़ा ग्राम में मड़हा नदी पर एक पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बन्धित और जिलाधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता के 2 सितम्बर, 1987 तथा 14 जनवरी, 1988 के पत्र शासन को मिल गये हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों ही पत्रों में विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के साथ विकास कार्यों में सौतेला व्यवहार करने की शिकायत की गई है और इसके समर्थन में कई उदाहरण दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों और उन पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, हां ।

जी, हां ।

सन्दर्भित दोनों पत्रों पर की गयी कार्यवाही संलग्नक 1 एवं संलग्नक 2 में उल्लिखित है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से उनसे स्वयं चाहूंगा कि वे न्याय करें और देखें कि उनका विभाग किस तरह का उत्तर दे रहा है । मेरे पहले और दूसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्नों के उत्तरों में माननीय मंत्री जी कह चुके हैं कि बिकवा जीतपुर नारायनपुर महरुवा मार्ग को स्टेट सेक्टर से पक्का करा देंगे और नारायनपुर बिसवी नदी पर जो पुल बन रहा है उसका सर्वे करा रहे हैं और जिला योजना में हम उसको ले लेंगे । मान्यवर, जिला योजना में छोटे-छोटे पुल आते हैं । उसके लिये जिला योजना में प्रस्ताव के लिये कहा गया था । वहां पर सर्वसम्मति से रिकमेन्डेशन आयी है कि यह स्टेट सेक्टर का कार्य है इसलिये उसमें इसको ले लिया जाय । इस बात को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी ने सदन में जो आश्वासन दिया है, मैं चाहूंगा कि बिकवा जीतपुर-नारायणपुर महरुआ मार्ग को स्टेट सेक्टर में लेकर उसे पक्का कर देंगे और उक्त सड़क पर जो नारायणपुर बिसवी नदी पर पक्का पुल बन रहा है उसके लिये राजाज्ञा कब तक जारी हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो पिछले शुक्रवार को और उससे पहले के शुक्रवार को माननीय तिवारी जी ने प्रश्न किया था उसकी कार्यवाही मेरे पास है । उसमें मैंने कहा था कि इस मार्ग को स्टेट सेक्टर में करा दिया जायेगा । श्रीमन्, जो बात आपके माध्यम से सदन के समक्ष मैंने कही थी उसे पूरा न करने का कोई प्रश्न नहीं है । दूसरे माननीय तिवारी जी ने कहा कि इसके लिये राजाज्ञा कब तक जारी की जायेगी । मान्यवर, राजाज्ञायें अप्रैल के महीने में नॉरमली जारी होती हैं । उसी में इसको भी करा देंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, संलग्नक संख्या 2 के बारे में भी एक सवाल पूछना चाहता हूं । एक पुल हमारे इलाके में काफी दिनों से स्वीकृत है जिसमें उन्होंने शासनादेश का भी हवाला दिया है । पिछले साल माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि इस मार्च तक उसमें काम शुरू कर दिया जायेगा किन्तु अभी तक उसका शिलान्यास भी नहीं कराया गया है । मैं चाहूंगा कि उसका शिलान्यास कराकर काम कब तक शुरू करा देंगे । दूसरी बात यह है कि महरुआ भीटी मार्ग जो है वह 87-88 में जिला योजना में सर्वसम्मति से आया था किन्तु उसमें कुछ तकनीकी कमी के कारण उसे वापस कर दिया गया था और पैसा भी रोक लिया गया है । इसलिये मैं चाहूंगा कि भीटी महरुआ मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में जो जिला योजना से प्रस्ताव आया था उसमें 3 किलोमीटर छोड़ दिया गया था, उसे भी इसमें लेकर पूरे मार्ग को पक्का करने का आश्वासन आप देंगे ?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 159 पर ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, लगता है माननीय तिवारी जी कोई सड़क अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे । जो कोई सड़क सिर्फ तीन किलोमीटर छूट गई है और सिर्फ उसकी दूम ही बाकी रह गई है तो उसको भी बनवा दिया जायेगा ।

उ0 प्र0 सचिवालय के अन्तर्गत विधायक आवासों की संख्या तथा अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*4—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0 प्र0 सचिवालय के अन्तर्गत कितने विधायक आवास है ? उनके नाम क्या है और प्रत्येक विधायक आवासों में कितने-कितने आवास हैं और किस-किस मेम्बर के कक्ष किन-किन मा0 सदस्यों/अधिकारियों/पत्रकारों को किस आधार पर आवंटित है और कितने कक्षों पर अवैध कब्जा है ? उक्त विषयक सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखते हुए अवैधानिक कब्जा करने वाले व्यक्तियों को बेदखल करने की कोई कार्यवाही सरकार सख्ती के साथ लागू करेगी ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत 8 विधायक निवास है । इनके नाम व कुल आवासों का विवरण संलग्न सूची में अंकित है ।

विधायक निवासों में मा0 विधायकों को उनकी सदस्यता अवधि तक के लिये तथा अधिकारियों एवं पत्रकारों को अस्थायी रूप से रिक्त कक्ष उपलब्ध होने पर आवंटित किये जाते है । प्रत्येक कक्ष की संख्या व उनके अध्यासियों के विवरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

वर्तमान समय में विधायक निवासों में कुल 58 कक्ष अनधिकृत कब्जे में है ।

सभी अनधिकृत अध्यासियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो यह आपकी दी हुई सूचना के अनुसार 58 लोग अनधिकृत तौर पर कब्जा किये हुये हैं जिसमें 7 मंत्री-गण है और 51 अन्य लोग है उनके ऊपर अब तक 18 लाख रुपया बकाया है । यह मंत्री लोगों को और अन्य लोगों को मिलाकर है । वे अभी तक काबिज हैं और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या नियम हैं जिनके तहत कार्यवाही की जा रही है और अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है उनसे बकाया धन की वसूली और उन कक्षों से निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है स्पष्ट रूप से बतायें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, पहले तो खाली करने के लिये आग्रह किया जाता है विभाग की तरफ से, उसके बाद नोटिस दी जाती है, फिर प्रिस्क्राइब्ड अथारिटी के पास केस दायर किया जाता

---

†छापा नहीं गया ।

है । हर केस की अलग-अलग स्थिति है । लेकिन जो लोग अनधिकृत रूप से रह रहे हैं उनको वहां से हटाने की पूरी कार्यवाही की जा रही है । इस प्रोसेस में कुछ लोग स्टे ले लेते हैं कोर्ट से जिसे आप स्वयं जानते हैं । कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है जब सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है लेकिन मानवता के आधार पर अक्सर कुछ समय देना पड़ता है किसी की स्थिति को देखकर । तो यह सारी चीजें हैं जिनको देखकर सारी कार्यवाही करनी पड़ती है । लेकिन पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग अनअथराइज्ड रह रहे हैं उनके कमरे खाली हो सके इसके लिये विभाग प्रयास कर रहा है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मानवता के आधार पर छोड़ा गया है तो उनकी सूची बता दें वह कौन-कौन हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

बड़ी खुशी की बात है कि मानवता के नाम पर आप खड़े हुये, मैंने एक बात कही उसमें कोई भी कुछ कह सकता है । अक्सर ऐसा होता है कि हम ही लोग सिफारिश करते है कि अभी रहने दिया जाय । मैं नहीं समझता कि सारी स्थिति बताना उचित होगा । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मैंने सूची पूछी है जिनको मानवता के नाम पर छोड़ा गया है ।

श्री अम्मार रिजवी—

कोई बीमार है या किसी के घर में कोई दूसरा बीमार है । जब नोटिस सर्व होता है तो मानवता के नाते कुछ समय देना पड़ता है । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मानवता के आधार पर जिनको छोड़ा गया है उसकी सूची बता दें । (कोई उत्तर न आने पर) मान्यवर, क्या हुआ मेरा जो प्रश्न है क्या उससे आप सन्तुष्ट नहीं है ? मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि मानवता के नाम पर छोड़ा गया है उस पर मैंने पूछा कि मानवता के नाम पर जिनको छोड़ा गया है उनकी सूची बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष जी, जो लोग वहां रह रहे हैं बीमारी की वजह से रह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

सूची बता दें मैं कारण नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी—

आप भी राणा जी अध्यापक हैं मैं भी अध्यापक हूं तो कुछ तो उसका ख्याल रखें, मैं आपकी अक्लमंदी की बात सुनता हूं आप मेरी बेवकूफी की बात तो सुन लीजिए । जो यह स्थिति है मैं नहीं समझता यहां पर माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसका मैं

पूरा आदर करता हूं, उत्तर देना चाहिये । वह मेरे कक्ष में आ जायेंगे तो मैं सूचना मंगाकर दे दूंगा कि कौन-कौन से लोग हैं और किस आधार पर निकाला नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मानवता के आधार पर एक बात मेरी तो सुनें । मानवता के आधार पर आपका कुछ दृष्टिकोण हो सकता है उनका कुछ और दृष्टिकोण हो सकता है, हो सकता है सूची न मिले ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बड़े प्रवीण हैं इधर-उधर की बात कहने में । कुछ को रियायत देना चाहते हैं और कुछ को तकाजा दे देते हैं । मानवता के आधार पर यह कौन सी बात है कि यहां लखनऊ में जिनके पास दो दो मकान हैं उनके लिये कौन सी मानवता का आधार बनता है कि वह एक मकान को नहीं छोड़ सकते हैं । निश्चितरूप से बात यह है कि उनका किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है इसीलिए मानवता की बात कह रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास दो-दो मकान हैं दारुलसफा, कालीदास मार्ग या अन्य जगहों पर उनके मकान खाली न कराना केवल पक्षपातपूर्ण रवैया है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न ठीक है और उत्तर में भी कोई समस्या नहीं है कि कोई भी सदस्य, कोई भी मंत्रीगण एक मकान से ज्यादा दो में रहने का अधिकारी नहीं है आफीशियली जो मिलना चाहिये और जिनके पास दो है उनसे खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि विधायक निवास में कुछ लोग अनधिकृत कब्जा किये हैं लेकिन मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कक्ष ही नहीं बल्कि लान, बरामदे जो है वह भी अनधिकृत रूप से कब्जे में किये है, पुलिस या अन्य लोगों द्वारा तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या मंत्री जी उनको खाली कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और इसके लिये हम सब प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सभी का सहयोग भी इसमें चाहते हैं । आज हम स्वीकार करते हैं सरकार की ओर से कि विधायक निवासों में स्थिति यह आ गयी है कि उनको सुविधायें नहीं पहुंच पा रही हैं और दूसरे लोग वहां पहुंच गये हैं, इसका कारण है कि हम किसी को हटाने की बात करते हैं तो रोड़ा डाला जाता है, गुस्से में लोग आकर उसको रुकवाने का प्रयत्न करते हैं । मैं माहरा जी की बात से सहमत हूं कि वह जगह खाली कराना चाहिए । मैं सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि तीन दिनों के अन्दर खाली कर दें लेकिन किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप न हो ।

डा0 बंगाली सिंह—

मान्यवर, विधायक निवासों मे जो अधिकारीगण कब्जा किये हैं तो दूर से जब लोग विधायक से मिलने आते हैं और यदि भूल से अधिकारी के आवास में पहुंच जाता है तो वह लोग आने वाले को बेइज्जत करते हैं, इसलिये क्या मंत्री जी अधिकारियों को वहां से निकालने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विधायक निवासों में अधिकारी क्यों रह रहे हैं । हुआ यह कि जब अधिकारी निवासों में विधायकों ने रहना शुरू कर दिया तो अधिकारियों को भी दारुलशफा में जो कक्ष खाली थे उनको अस्थायी रूप से अधिकारियों को आबंटित कर दिये गये लेकिन अधिकारी निवासों से विधायक हट जायेंगे तो विधायक निवासों से उनको भी हटा देंगे ।

श्री राजकिशोर सिंह—

मान्यवर, किसानों पर लगान एक या दो हजार रुपये बाकी रह जाता है तो उसको जेल में बन्द कर दिया जाता है लेकिन यह लोग जो लाखों रुपये खा रहे हैं, बाकी है, तो क्या इन महानुभावों के ऊपर कोई कड़ी कार्यवाही की जायेगी ताकि वह अवैध कब्जे छोड़ दें ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सरकार का पैसा वसूल किया जायेगा, उसमें रियायत नहीं की जायेगी ।

*5—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

श्री नरेश चन्द्र सक्सेना, प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम की प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद प्रोन्नति करने का औचित्य

*6—श्री अचल सिंह—(अनुपस्थित)

क्या सा0 नि0 मंत्री को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक श्री नरेश चन्द्र सक्सेना की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं में प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के बावजूद भी उन्हें सा0 नि0 वि0 में मख्य अभियन्ता स्तर पर पदोन्नति तथा प्रबन्ध निदेशक सेतु निगम के पद पर स्थापित कर दिया गया है ? यदि हां, तो पूर्व प्रबन्ध निदेशक द्वारा सत्यनिष्ठा सत्यापित न करने के क्या कारण थे और पदोन्नति करने के पूर्व उपरोक्त कारणों की क्या विस्तृत जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, श्री नरेश चन्द्र सक्सेना, वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के मख्य अभियन्ता स्तर-एक के पद पर चयन के दिनांक 28-3-88 को उनकी पिछले तीन वर्षों (वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1986-87) की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां प्रतिकूल नहीं थीं ।

श्री नरेश चन्द्र सक्सेना की वर्ष 1984-85 की सत्यनिष्ठा तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रमाणित की गयी थी । उनकी वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 की सत्यनिष्ठा प्रतिवेदक अधिकारी तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा कुछ मामलों की जांच का उल्लेख करते हुए प्रमाणित नहीं की गयी थी जिससे प्रविष्टि के समीक्षक प्राधिकारी एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा सहमति अंकित नहीं की गयी थी । सत्यनिष्ठा प्रमाणित न करने सम्बन्धी कारणों की जांच कराये जाने का दायित्व प्रतिवेदक अधिकारी, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम का था । वर्ष 1985-86 की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न करने सम्बन्धी कारणों की कोई जांच उनके द्वारा नहीं कराई गयी । वर्ष 1986-87 की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न करने सम्बन्धी कतिपय कारणों की जांच उनके द्वारा कराई गयी थी परन्तु उसमें श्री सक्सेना के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ ।

श्री शारदा नन्द अंचल—

इसमें मेरी रुचि है ।

छिबरामऊ पश्चिम की ओर से हो रहे कटान से हरदोई जनपद में गंगा नदी पर पुल निर्माणाधीन पक्के मार्ग के कटान को रोकने की व्यवस्था

*7—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में गंगा नदी पर पुल एवं निर्माणाधीन 14 किलोमीटर का पक्का मार्ग गंगा नदी में छिबरामऊ पश्चिम की ओर हो रहे कटान से खतरे में पड़ गये हैं ? यदि नहीं, तो तत्काल जांच कराकर होने वाले कटान को रोकने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

छिबरामऊ पश्चिम की ओर हो रहे कटान से जनपद हरदोई में गंगा नदी पर पुल एवं निर्माणाधीन 14 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 13 किमी0) मार्ग खतरे में नहीं पड़े हैं ।

वांछित जांच प्रभारी अधिशासी अभियन्ता द्वारा करा ली गई है । मार्ग में हुए कटान को भराने का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भिस्ती जाति के सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर उन्हें पिछड़े वर्ग में रखने की मांग

*8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि भिस्ती जाति किस वर्ग में है ? उनके सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर क्या इन्हें पिछड़े वर्ग में रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती दीपा—

भिस्ती जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति एवं पिछड़ी जाति के वर्ग में नहीं है ।

इस सम्बन्ध में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण से विस्तृत जानकारी एवं आख्या प्राप्त की जा रही है ।

*9—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[12वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निराश्रित बालक-बालिकाओं के भरण-पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा की नि:शुल्क व्यवस्था

*10—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार उन निराश्रित बालक-बालिकाओं जिनके माता-पिता अपने आश्रितों के लिये बिना कोई सम्पत्ति छोड़े मर गये हैं, की उनके वयस्क होने तक पूर्ण भरण पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा करने की नि:शुल्क व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दोषा—

जी हां ।

अपेक्षित व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है ।

मेरठ के हापुड़ मार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव

*11—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ–हापुड़ मार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही शुरू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

श्री राजेन्द्र शर्मा—

अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरठ–हापुड़ मार्ग बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और वाहनों के आवागमन के कारण इस पर बड़ा दबाव रहता है, जिससे अनेकों दुर्घटनाएं, प्रतिदिन और प्रति सप्ताह इस पर घटती हैं, तो क्या इस पर पुनर्विचार करके इस मार्ग को चौड़ा कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस मार्ग का कार्य वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है । इसमें यह दो लेन 6 किलोमीटर और दो लेन 8 किलोमीटर की है, और डेढ़ इसकी लेन 20.20 किलोमीटर की है । यह बात सच है कि यहां पर बहुत काफी ट्राफिक है । मान्यवर, सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी कि सड़कों को चौड़ा कराया जाए ।

श्री विजय सिंह राणा—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि वह इस मंत्रिमंडल के योग्यतम सदस्यों में से हैं । इस तरह का जब कोई सवाल इनके सामने आता है तो यह या तो उसके जिला नियोजन में होने का बहाना कर देते हैं या संसाधनों की कमी का बहाना लिया जाता है, किन्तु जहां आप कार्य कराना चाहते हैं, वहां पर वह दोनों बहाने की बातें बाधक नहीं होती हैं आपकी तरफ से, उसे आप तुरन्त करा देते हैं, तो क्या आप यह सोचेंगे कि जो उत्तर आप देते हैं, उनमें से कितने प्रश्न ऐसे हैं, जिनको आप वास्तव में नहीं कराना चाहते हैं और उनके सम्बन्ध में यह बहाने ले लिये जाते हैं, इसको देखते हुए क्या आप कोई न्यायपूर्ण नीति निर्धारित करेंगे जिससे किसी के हृदय को आघात न लगे, ऐसी कोई सर्वमान्य नीति निर्धारित करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो वस्तुस्थिति होती है, उसे बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, आपके सामने कहना आवश्यक होता है, लेकिन जो उस जगह की जरूरत है, जो वहां की प्रायोरिटी है, उनको मद्देनजर रखकर बहुत सी चीजें मंजूर की जाती हैं । जैसे कि यह सड़क ही ले लीजिये हापुड़ की । संसाधनों की रुकावट है इसमें, यह स्टेट हाईवे है । लेकिन इसमें कुछ आवश्यकता सामने आई, इस पर विचार करेंगे । राणा जी ने भी विभिन्न सड़कों और पुलों के लिये दिया है, उसके लिये भी विचार करेंगे । किन्तु यदि कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स इस सम्बन्ध में बना दिये जायेंगे तो बहुत से कार्य जो हम करना चाहते हैं, वह भी नहीं कर पायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा—

मंत्री जी जहां चाहते हैं वहां सड़कें बना दी जाती हैं और दूसरे भी काम हो जाते हैं, वहां पर जिला नियोजन की और संसाधनों की कमी की कोई रुकावट नहीं होती है, जबकि जहां नहीं चाहते हैं, इन्हीं में से एक बात का बहाना कर दिया जाता है । अमेठी में किसी भी निर्माण कार्य के लिये कोई किसी किस्म की बाधा कभी नहीं आती है, जहां ऊपर से लिखकर आ जाएगा, आंख बन्द करके करा देंगे । तो यह एकरूपता सबके साथ क्यों नहीं बरती जाती है ?

श्री अध्यक्ष—

आपके यहां तो पर्यटन विभाग से बहुत सी सड़कें बन जाती हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

राणा जी ने जिन जगहों के लिए कहा, स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए किया जाता है । किसी स्थान के लिए किसी को प्रिफरेंश नहीं दिया जाता है । इनके जनपद के साथ तो हम विशेष किस्म का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारे प्रदेश क्या पूरे देश के ही लोग उस ओर जाते हैं, ताकि तेजी से उस ओर पहुंच सकें, जिस क्षेत्र में राणा जी बहुत पहले पहुंच चुके हैं ।

*12—श्री मुखपाल पाण्डे—

[दि0 24-2-89 को अता0 प्र0 सं0 54 द्वारा उत्तरित]

देवरिया जनपद के पकड़ी–फतेहपर मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितता विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

*13—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के सा0 नि0 विभाग की पकड़ी–फतेहपुर मार्ग के निर्माण में अभियंताओं द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके धन का दुरुपयोग कर गबन करने के सम्बन्ध में शिकायत प्रश्नकर्ता ने दिनांक 12-11-86 को शासन व प्रमुख अभियंता सा0 नि0 विभाग, लखनऊ को की थी ? यदि हां, तो विभाग ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

मुख्य अभियंता (गोरखपुर) से जांच करवाई गयी । प्राप्त आख्या शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती शारदा देवी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि दो साल चार महीने हो गये हैं और इसकी जांच अभी तक नहीं हुई, तो इसके विलम्ब का क्या कारण है ? इसमें कितनी देर और लगेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जांच पूरी हो चुकी है शासन में यह जांच 3-2-89 को मिल चुकी है, परीक्षण हो रहा है, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

(इस समय 12 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि हर विधायक को अपने क्षेत्र में बनने वाली सड़कों से शिकायत रही है तो हम चाहेंगे कि आप ऐसी नीति निर्धारण करें कि किसी सड़क का अन्तिम पेमेन्ट तब तक न हो जब तक कि उस क्षेत्र के विधायक अपनी संस्तुति न दे दें कि मार्ग ठीक हो गया है । मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का ऐसा ही मामला है एक किलोमीटर की सड़क की लम्बाई कागजों में दिखा दी गई है जबकि वह बनी सिर्फ 700 मीटर ही है, तो तब तक अन्तिम पेमेन्ट न किया जाए जब तक कि विधायक उसकी संस्तुति न कर दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय राणा साहब ने जो प्रश्न उठाया है उसमें मैं समझता हूं कि यह सदन स्वयं निर्णय करे कि क्या फिटनेस सर्टिफिकेट देना विधायकों की गरिमा और प्रतिष्ठा के लिये उचित होगा ? वह सड़क का फिटनेस दें और बाद में अगर सड़क में बुराइयां आती हैं तो वह माननीय विधायकों के सिर आएंगी, इसमें यह उचित होगा कि जनप्रतिनिधियों से परामर्श लें और उनके मार्ग-दर्शन में कार्य करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

श्रीमन्, जो इंजीनियर हैं, उन्होंने दिल्ली दरबार में बहुतों की स्थिति को सुदृढ़ बना दिया । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी कोई इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि जो भी सड़क बने तो टांक्निकल सेल से उसकी स्वतः जांच हो जाये ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, एक तो दिल्ली में दरबार बहुत है दरबारे-आम है, दरबारे-खास है, पुराना किला है, किले में पता नहीं यह कौन से दरबार की बात कर रहे है । हर सड़क की जांच टैक्निकल जांच की जाती है जहां शिकायत आती है उसकी जांच टी0 ए0 सी0 के द्वारा कराई जाती है । हर सड़क की टी0 ए0 सी0 से जांच कराना उचित नहीं है उसमें खर्चा भी बहुत बढ़ जायेगा ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा उन्होंने पाण्डेय जी के सवाल के उत्तर में कहा कि हर सड़क की तकनीकी सेल से जांच कराना कठिन है, तो मैं कहना चाहता हूं क्या मंत्री जी इन सड़कों के लिए कोई एसा मानक निर्धारित करेंगे कि जैसे इन सड़कों की लाइफ अगर पांच वर्ष की है तो अगर पांच वर्ष के पूर्व, बीच में ही कोई सड़क टूटती है तो जो बनाने वाले अधिकारी, इंजीनियर आदि है, उनके उत्पीड़न की कार्यवाही निर्धारित करेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय अशोक बाजपेयी हरदोई के माननीय सदस्य है, सीतापुर के करीब होने के नाते उन्होंने इतना अच्छा प्रश्न किया है । जैसा कि उन्होंने कहा यदि कोई सड़क बनायी जाती है और 4-5 साल में सड़क टूट जाती है, तो उसकी टी0 ए0 सी0 से अवश्य जांच करवायी जाएगी और साथ ही साथ जो अभियंता है, जिन लोगों ने उसका निर्माण कराया है, अगर सड़क, जो उसकी लाइफ होती है, उससे पहले टूट गयी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, वास्तविकता यह है कि न यह सम्भव है और न वह सम्भव है । मेरा प्रश्न यह है कि यह आप कैसे तय करेंगे कि किसकी जिम्मेदारी है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आगरे में एक जवाहर पुल है जिसका उद्घाटन सन् 1972 में इंदिरा जी ने किया था लेकिन सन् 1978 से वह टूटना शुरू हो गया जबकि वहां के पुराने पुल ठीक है और उन पर ट्रैफिक चल रहा है । आज यह पुल टूट गया है उसकी लायबिलटी किस पर फिक्स करेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह बिल्कुल संभव है । हर सड़क की एक लाइफ होती है अगर अपनी जिंदगी से पहले वह सड़क टूट जाती है या खराब हो जाती है तो उसके बनाने वालों को इंगित किया जा सकता है, आइडेंटीफाइ किया जा सकता है कि यह सड़क शर्मा जी ने बनायी है या रिजवी ने बनायी थी । राणा साहब ने जवाहर पुल के बारे में कहा है । तो सड़क से फारेन पुल तक पहुंच जाना इन्हीं का काम है । यह जो पुल है वह सन् 1963 में बना था और इसको एक प्राइवेट एजेंसी के जरिये बनवाया गया था । 1978 से इसमें स्लेब्स गिरना शुरू हुयी तो उसकी जांच करायी गयी और उसको रिपेयर करा दिया गया है । जहां तक माननीय सदस्य ने यह जो कहा कि यह कैसे पता लगाना सम्भव होगा कि किसने बनवाया है तो जो इमारत बन्नी है या सड़क बनायी जाती है उसके रिकार्ड्स यहां पर रहते हैं जो लोग बनाते हैं, उनका रिकार्ड यहां पर रहता है । तो यदि सड़क टूट जाती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और की जायगी ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय सदस्य हरदोई मंत्री जी के निकट पड़ते हैं और उनके उनसे अंतरंग संबंध है लेकिन मंत्री जी जहां के मूल निवासी है, सीतापुर के वहां के लोग मुझसे मिले थे, उनका कहना था कि पुलिया टूटी हुई है । पुलियों की जानकारी भी माननीय मंत्री जी को है । लोगों ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं इसकी माननीय मंत्री जी को जानकारी करा दूं और माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रुचि लेकर उनको रिपेयर कराने की कोशिश करें या जो उचित कदम हैं, वह उठाने का कष्ट करें ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्याय जी स्वयं पुलियों के विशेषज्ञ है और आप स्वयं जानते है कि किन-किन पुलियों के ऊपर ये चलते रहे हैं । यह पुलियों का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं हैं, मैं तो पुल बनवाता हूं । पुलियों का काम माननीय उपाध्यक्ष जी कराते हैं ।

*14—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दि0 7-10-88 को ता0 प्र0 सं0 16 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 प्राइवेट आई0 टी0 आई0 संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु अधिक धनराशि की मांग

*15—श्री राम शरण दास—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में प्राइवेट आई0 टी आई0 संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुये 10 करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में नये बजट सत्र वर्ष 1989-90 में रखने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा एवं वन राज्य मंत्री (श्री जगदम्बिका पाल)—

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए तथा वर्ष 1989-90 सातवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होने के कारण उत्तर प्रदेश में प्राइवेट आई0 टी0 आई0 को अनुदान दिया जाना विचाराधीन नहीं है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जो प्राइवेट आई0 टी0 आई0 है, उनके पास जितने साधन हैं, उन्हीं से उनको चला रहे हैं, वहां पर कोई ठीक व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं । जब आप आई0 टी0 आई0 इतनी संख्या में खोलवाते है, तो उसके लिए धन की व्यवस्था आपको करनी ही होगी ।

श्री जगदम्बिका पाल—

यह जो प्राइवेट आई0 टी0 आई0 खोलते हैं, इन्हें जब हम अनुमति देते हैं, तो उसके साथ कुछ शर्तें होती हैं—(1) प्रशिक्षण देने के लिये कार्यशाला भवन शिक्षण संस्थान को स्वयं बनाना होगा । उसके लिये भूमि तथा भविष्य में विस्तार के लिये भूमि की व्यवस्था शिक्षा संस्थान द्वारा की जायगी, (2) प्रत्येक संस्थान रु0 50,000 इन्डाउमेंट फण्ड

फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश के नाम ''प्लेज'' करके रखेगा, (3) एन0 सी0 बी0 टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक मशीनरी क्रय करने हेतु 50 प्रतिशत व्यय शिक्षा संस्थान द्वारा किया जायगा । अवशेष 50 प्रतिशत शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा । तो मान्यवर, इस हिसाब से इन शर्तों पर हम उन्हें अनुमति देते हैं और वे उन्हें चलाते हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जो प्राइवेट आई0 टी0 आई0 इन्होंने खोल रखे हैं, उनमें न तो योग्य और न प्रशिक्षित ट्रेनीज हैं । ये आई0 टी0 आई0 संस्थायें मानक के अनुरूप नहीं हैं । तो जो वे डिप्लोमा और डिग्री दे रहे हैं, वे उन ऐसे लड़कों को दे रहे हैं, जो उनके यहां पढ़ने भी नहीं आते हैं । वे केवल अपने धंधे चलाने के लिए ऐसा करते हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी उन्हें बन्द करवायेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, ऐसी कहीं की सूचना देंगे, तो हम उसको दिखवा लेंगे और कार्यवाही करेंगे ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, 87-88 में प्रदेश में जो नये आई0 टी0 आई0 संस्थान खोल रखे हैं और 89-90 में उन संस्थाओं को चलाने के लिए कोई नया बजट नहीं दिया गया है, तो 87-88 में जो आई0 टी0 आई0 संस्थान खुले हैं, उनका प्रशिक्षण चलाने के लिए, ये धनराशि कहां से देंगे और नहीं देंगे, तो वे विद्यालय कैसे चलेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल—

आई0 टी0 आई0 जो हम खोलते हैं, उनको हम पूरी वित्तीय सहायता देते हैं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

87-88 में टाण्डा आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण केन्द्र आपने खोल रखा है, वहां पर 150 लड़कों का एडमिशन हुआ है, परन्तु न तो वहां पर भवन है, न कोई धन है और न टाट-पट्टी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि टाण्डा में जो आपने 87-88 में आई0 टी0 आई0 खोल रखा है, उसको चलाने के लिये धन देंगे या नहीं देंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल—

जो 74 आई0 टी0 आई0 हैं, उनको हम धन देते हैं और उनको वित्तीय सहायता देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

निराश्रित महिलाओं एवं अन्य को पेन्शन बन्द करने का कारण

*16—श्री विष्णु देव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 1986 से प्रदेश भर में निराश्रित महिलाओं एवं अन्य को पेंशन देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो इन्हें फिर कब से पेन्शन देने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती दीपा—

प्रदेश भर में निराश्रित महिलाओं एवं अन्य को पेन्शन देने की कोई योजना नहीं है । निराश्रित विधवाओं तथा निराश्रित विकलांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान देने की योजना है, जो इस समय भी चल रही है ।

सुभाष हरिजन छात्रावास, प्रेमनगर, जनपद बरेली को खाली कराने के प्रकरण की जांच

*17—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर के प्रेमनगर क्षेत्र में स्थित सुभाष हरिजन छात्रावास 4 अगस्त, 1988 को छात्रों से खाली कराकर गिरा दिया गया ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

सुभाष छात्रावास जो कि श्री गिरवर सिंह, विजय समाज कल्याण समिति, केशव आश्रम, प्रेमनगर के प्रबन्धाधीन था, का भवन अगस्त, 1988 में अन्तिम दिनों में गिरा दिया गया ।

जी हां ।

जांच से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :—

1—संबंधित छात्रावास विभागीय छात्रावास नहीं था । अनुदानित स्वैच्छिक संस्था द्वारा संचालित था ।

2—प्रबंधक तथा मालिकान के प्रतिनिधि एवं कतिपय अराजक तत्वों/छात्रों की साजिश से उक्त संस्था का पूर्व जर्जर भवन 29—31 अगस्त, 1988 के बीच गिरा दिया गया ।

3—गिरा देने के पूर्व कतिपय वास्तविक तथा भोले-भाले छात्रों को भवन मरम्मत के बहाने घर भेज दिया गया । शेष की साजिश अथवा मिली भगत रही ।

4—31-8-1988 को पुलिस में रिपोर्ट जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, श्री अरविन्द कुमार द्वारा लिखा दी गयी ।

5—भवन के गिराने/गिरवाने में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी का हाथ नहीं पाया गया ।

6—कतिपय व्यक्ति छात्र हितों की आड़ लेकर सम्बन्धित परिसर, जो कि बहुमूल्य है और वर्तमान में जिला प्रशासन के नियंत्रण में है, का कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं ।

7—उक्त परिसर को अधिग्रहीत कर उस पर विभागीय छात्रावास बनाये जाने की मांग है ।

8—बरेली में विश्वविद्यालय परिसर में विभागीय छात्रावास का निर्माण पूर्व से ही हो रहा है और जो शीघ्र पूरा हो जायेगा ।

बाईपास रोड फिरोजाबाद, जनपद आगरा के दोनों तरफ नाला बनाने की मांग एवं क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत

*18—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग नं0 2 किलो-मीटर 238 से 242 तक बाईपास रोड फिरोजाबाद, जनपद आगरा के नाम से जाना जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस मार्ग की कुल चौड़ाई नक्शों के अनुसार 100 फुट है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस मार्ग के सहारे घनी आबादी बसी है जिसका गन्दा पानी और वर्षा के पानी ने इस राष्ट्रीय मार्ग के इस भाग को नाला बना दिया है जिससे सड़क पर हर समय पानी भरा रहता है और सड़क टूट चुकी है ? यदि हां, तो क्या शासन को 5 मई, 88 को कोई प्रस्ताव इस मार्ग को चौड़ा करने और दोनों तरफ नाला बनाने का मिला जो अधिशासी अभियन्ता, आगरा ने भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

मार्ग के प्रश्नगत भाग में सा0 नि0 वि0 की कुल स्थायी भूमि की चौड़ाई 100 फुट है जिसमें 7 मीटर चौड़ा डामर रोड है तथा मार्ग के किनारे 2.5, 2.5 मीटर चौड़ी पट-रियां हैं । इस मार्ग के सहारे आबादी हो गयी है । वर्षा में कहीं-कहीं मार्ग पर पानी कुछ समय के लिए आ जाता है । क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करा दी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहर पुल, आगरा के समीप एक नया प्रस्तावित पुल के शीघ्र निर्माण का लक्ष्य

*19—श्री बदन सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि आगरा नगर में जवाहर पुल के कमजोर होने के कारण उस पुल के पास दूसरा नवीन पुल का निर्माण स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो आगरा में यातायात की भारी कठिनाई के निवारणार्थ यह पुल कब तक बनवाकर पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

नवीन पुल 12/91 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ।

*20—डाक्टर बंगाली सिंह—

[दि0 15-2-89 को अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

विकास खण्ड सीयर और नगरा बलिया में निर्माण हेतु प्रस्तावित मार्गों की संख्या

1—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर और नगरा में कितनी सड़कें विभाग द्वारा निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये विशेष धन प्रदान कर सड़क निर्माण कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

पूर्व वर्षों में स्वीकृत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में निर्माणाधीन मार्गों की संख्या क्रमशः 9 तथा 13 विकास खण्ड सीयर और नगरा क्षेत्र के लिये है । वर्ष 1988-89 में सीयर एवं नगरा विकास खण्डों हेतु क्रमशः 10 तथा 8 मार्ग स्वीकृत किये गये हैं । प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण उक्त क्षेत्रों हेतु फिलहाल कोई विशेष धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है ।

पिपराइच विधान सभा क्षेत्र, गोरखपुर में वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में शिक्षित बेरोजगारों को दिये गये ऋण का विवरण

2—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में 1986-87, 1987-88 में कितने शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिया गया ? विकास खण्ड वाईज नाम पता देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

वर्ष 1986-87 में 44 एवं वर्ष 1987-88 में 16 शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिया गया ।

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 160 पर)

श्री सुरजन पुत्र सुखराज, ग्राम पोबरीशन्डा, जनपद गोरखपुर को विकलांग पेंशन के भुगतान की मांग

3—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड भटहट के ग्राम पोबरशिन्डा के श्री सुरजन पुत्र श्री सुखराज जो दोनों आंखों के अन्धे हैं, को विकलांग पेंशन मंजूर है ? यदि हां, तो क्या उनको पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता ने इस सम्बन्ध में दिनांक 24-12-87 को जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, गोरखपुर को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नये अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही स्थगित है ।

संदर्भित पत्र दिनांक 24-12-1987 जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त नहीं हुआ अतएव उस पर किसी कार्यवाही को किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ जनपद में कतिपय गांवों के सम्पर्क मार्ग निर्माण में धांधली विषयक श्री रिछपाल सिंह बंसल, सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

4—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड खेकड़ा में 1987-88 में सूखा राहत के तहत गांव कांठा से खेकड़ा व खेकड़ा से बड़ा गांव सम्पर्क मार्ग पर धन के गबन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने जिलाधिकारी, मेरठ को 16-11-1988 व 19-11-1988 को विकास सम्बन्धी मीटिंग में शिकायत की व 28-12-1988 को प्रभारी मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह के समक्ष भी यह मामला उठाया गया था ? यदि हां, तो इसमें कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार उन्हें दण्डित करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं स्थानिक अभियन्ता दोषी प्रतीत होते हैं । जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जनपद में सड़क निर्माण हेतु धन आवंटन विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

5—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 4-10-1988 को मथुरा जनपद के मार्गों की दुर्दशा तथा वर्ष 1988-89 के लिये आगरा मण्डल में सबसे कम मथुरा जनपद को सड़क निर्माण हेतु धन आवंटित करने के बारे में दिया था ? यदि हां, तो क्या शासन एक धार्मिक स्थली के महत्व को देखते हुये सड़कों की मरम्मत, लेपन व नव-निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि देने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग, फैजाबाद द्वारा अनधिकृत सप्लाई आर्डर बनाने एवं भुगतान के विरुद्ध कार्यवाही

6—श्री मित्रसेन—

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 में सहायक अभियन्ता को सप्लाई आर्डर बनाने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या वर्ष 1977 में श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सा0 नि0 वि0, फैजाबाद द्वारा मेसर्स मोदो रबर लि0 342, राजेन्द्रनगर, लखनऊ के नाम 45 हजार रुपये का सप्लाई आर्डर बनाया गया था जिसका अग्रिम भुगतान 14-9-1977 को हुआ था ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध इस कार्य पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को दिये गये अनुदान का विवरण एवं औचित्य

7—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान हेतु वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में कितना बजट शासन द्वारा स्वीकृत किया गया ? कितना-कितना अनुदान किन-किन संस्थाओं को उपरोक्त वर्षों में दिया गया तथा अनुदान दिये जाने का आधार क्या है ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति की थारू व भोटिया जाति द्वारा संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को नजरअंदाज करते हुये अन्य संस्थाओं से कम अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तदैव ।

तदैव ।

तदैव ।

हिलौली-लउवा मार्ग उन्नाव के क्षतिग्रस्त होने का कारण तथा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

8—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) में हिलौली-लउवा मार्ग का निर्माण खरंजा स्तर तक किस वर्ष पूरा हुआ ? इस मार्ग में कुल कितनी पुलिया बनीं और इस समय कितनी पुलियों में ह्यूम पाइप टूट गये है कितनी के पैरा पिट उखड़ गये है ? इतनी कम अवधि में मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण है ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

विषयगत मार्ग खड़ंजा स्तर तक वर्ष 1987 में पूर्ण किया गया है ।

इस मार्ग में कुल 10 पुलियां बनीं ।

इस समय कोई ह्यूम पाइप टूटा नहीं है ।

तीन पुलियों के पैरापेट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये थे जिन्हें ठीक करा दिया गया है ।

वाटर वाउंड मार्ग एवं पुलियों में छोटी क्षति चालू यातायात अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण सामान्य व स्वाभाविक रूप में जो होती है वही हुई है । इसके लिये किसी जांच अथवा कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली–लखनऊ राष्ट्रीय बाईपास मार्ग हेतु अध्यापित भूमि के मुआवजा का भुगतान

9—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग सं0—24 के बाई पास के निर्माण हेतु अध्यापित की गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग संख्या—24 पर शाहजहांपुर तथा सीतापुर में बाईपास निर्माण हेतु भूमि ली गयी है । सीतापुर बाईपास हेतु ली गयी भूमि से प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है । शाहजहांपुर बाईपास हेतु ली गयी भूमि से सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन मामलों को छोड़ कर उन सभी व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान किया जा चका है जां भुगतान लेने के लिये अब तक उपस्थित हुये ।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद के निर्माण में अनियमितता की जांच रिपोर्ट

10—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित मौजा कुरावन, विकास क्षेत्र मिल्कीपुर में हरिजन एवं वित्त निगम द्वारा निर्मित मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की जो बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही जर्जर हालत में है और किसी समय उसमें दुर्घटना हो सकती है ? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस सम्बन्ध में जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी ने प्रश्नकर्ता की शिकायत पर जांच की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती दीपा—

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के भवन का निर्माण नहीं किया गया है ।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

कुमारी शशिबाला गोयल, आशुलिपिक, अधीक्षण अभियन्ता सा0 नि0 वि0 कार्यालय फैजाबाद को अवैध नियुक्ति विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

11—श्री मित्रसेन—

क्या सा0 निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमुना सिंह सह-सचिव भा0 क0 पा0, फैजाबाद का पत्र दिनांक 26-9-1988 "एक आशुलिपिक की फर्जी नियुक्ति के सम्बन्ध में" मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद को प्राप्त हुआ था ? क्या फर्जी नियुक्ति से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता 23वां वृत्त सा0 नि0 वि0 फैजाबाद द्वारा एक आशुलिपिक को नियुक्ति (उसी पद पर और उसी स्थान हेतु जिस पर नियुक्ति की गयी है) हेतु अनुमोदन मांगा था जिसके उत्तर में आवश्यकता न होना बताया गया था ? क्या मामला प्रकाश में आने के बाद आशुलिपिक कुमारी शशिबाला गोयल की नियुक्ति रद्द कर पुनः उसी पद पर नियुक्ति हेतु जिला सेवायोजन कार्यालय, फैजाबाद से नाम मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या सेवायोजन अधिकारी, फैजाबाद द्वारा भेजी गयी सूची में पुनः नियुक्ति की गयी आशुलिपिक कुमारी शशिबाला गोयल का नाम था ? यदि नहीं, तो फिर उन्हीं की नियुक्ति कैसे और क्यों की गयी ? क्या इस नियुक्ति के विरोध में जिला सेवायोजन अधिकारी, फैजाबाद का पत्र सं0—X-2/128/2108-70, दिनांक 25-11-1988 मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद व अधिशासी अभियन्ता (भवन) परिकल्पना एवं मार्ग सर्वेक्षण खण्ड, सा0 नि0 वि0, फैजाबाद को मिला था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सी0 पी0 गहरवार, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट

12—श्री सरदार सिंह—

क्या सा0 नि वि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सी0 पी0 गहरवार, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा व झांसी मण्डल में झांसी आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा कितनी शिकायतों की जांच विभाग द्वारा कराई जा रही है ? क्या इसकी जांच आख्याओं की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के अघोषित जनजाति को प्रदेश के अन्य जनजातियों की भांति भूमि सम्बन्धी सुविधायें देने पर विचार

13—श्री विजय सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के 13 अघोषित जनजातियों को उ0 प्र0 सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि शासन स्तर से विशेष सचिव (चन्द्र कुमार शर्मा) द्वारा पत्र संख्या 2296/26-3-80-4(5)/80, दिनांक 29 अगस्त, 1980 द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसमें 13 अघोषित जनजातियों को प्रदेश के अन्य जनजातियों (थारू, भोक्सा,

भोटिया, जोनसार और राजी आदि) के समान सुविधायें देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसे लागू न करने का क्या कारण है ? क्या मिर्जापुर के 13 अघोषित जनजातियों को भूमि सम्बन्धी सुविधायें भी देने की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों की भांति इनको भी समान सुविधायें अनुमन्य है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

इस सम्बन्ध में निदेशक, जनजाति विकास एवं प्रबन्ध निदेशक, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

रेनूकोट वनप्रभाग, मिर्जापुर में कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी न मिलने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

14—श्री विजय सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के रेनूकोट वन प्रभाग में तेन्दू पत्ता मजदूरों का मजदूरी भुगतान तराई अनु0 ज0 जा0 वि0 निगम द्वारा न करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-11-1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में उप क्षेत्रीय प्रबन्धक/पर्यवेक्षक अधिकारी को जांच करने हेतु, जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

डुमरियागंज-चन्द्रदीप घाट मार्ग, बस्ती के निर्माण में धांधली विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

15—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज-चन्द्रदीप घाट मार्ग पर गैंग के घपले के सम्बन्ध में कार्य अधीक्षक अ0 वि0 ई0, सा0 नि0 वि0, बस्ती को कोई गोपनीय पत्र स्थानिक अभियन्ता प्रथम ने दिनांक 4-7-1988 को अपने कार्यालय के पत्रांक-169 आई0 ए0 ई0, दिनांक 4-7-1988 लिया है और उसकी प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर को भी दी है ? यदि हां, तो उस पत्र में कौन-कौन से बिन्दु हैं ? क्या यह सत्य है कि स्थानिक अभियन्ता ने अवर अभियन्ता श्री ए0 एस0 गुप्ता को निलम्बित करने और फर्जी भुगतान कराने के सम्बन्ध में आपराधिक मामला दर्ज कराने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर सरकार तत्काल परीक्षण कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

उक्त पत्र में निम्नलिखित बिन्दु हैं :—

(1) मेट द्वारा हाजिरी में अनियमितता बरतना ।

(2) श्री गया प्रसाद बेलदार को 3 वर्ष तक कार्य पर न आने पर भी फर्जी हस्ताक्षर कराकर वेतन निकालना ।

(3) श्री हरीराम बेलदार को मेट एवं अवर अभियन्ता द्वारा उसका हक न देना तथा प्रताड़ित करना ।

(4) अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति में घपला करना ।

(5) रोड़ी की आपूर्ति का अन्तिम बिल भुगतान कराये बिना उसे खर्च करना ।

(6) मार्ग उखाड़ने से प्राप्त सामग्री का विवरण प्रस्तुत न करना ।

(7) आर0 एम0 आर0 समय से प्रस्तुत न करना ।

(8) मेट तथा बेलदारों को आतंकित करना एवं बेलदारों को डरा धमका कर रेकार्ड में रद्दो बदल करना ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिपराइच विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर के विद्यालयों में अनुसूचित जाति के लिये साइकिल अनुदान

16—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों से अनुसूचित जाति के लिये साइकिल पुरस्कार के लिये सत्र 85-86, 86-87, 87-88 में कितने आवेदन-पत्र आये और किन-किन विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्रों को साइकिल के लिये अनुदान दिया गया ?

श्रीमती दीपा—

इस योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र के तीन विद्यालयों में से किसी भी विद्यालय से सत्र 85-86, 86-87 व 87-88 में कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः अनुदान दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिपराइच विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर के अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का वितरण

17—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति सत्र 85-86, 86-87, 87-88 की अब तक वितरण न होने का क्या कारण है ? क्या इसका वितरण शीघ्र कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती दीपा—

पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के 2 विद्यालयों को छोड़कर शेष विद्यालयों का, इन वर्षों की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है । जनता इण्टर कालेज, माड़ापार तथा लाल बहादुर शास्त्री पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छात्रवृत्ति वितरित न होने के कारणों की जांच उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, गोरखपुर से करायी जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

तदेव ।

शिवरामपुर नहर रोड से भैंसौंधा जनपद बांदा में रोड बनाने की स्वीकृति तथा धन उपलब्ध कराने की मांग

18—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट विकास खण्ड में शिवरामपुर नहर रोड से भैंसौंधा तक के मार्ग के निर्माण के लिये स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो उसके निर्माण हेतु धन की स्वीकृति न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सोलिंग बिछा दी गयी है और अब छोटी गिट्टी बिछाने व डामर का कार्य अवशेष है ? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधूरा कार्य पूरा न करने के क्या कारण हैं ? क्या डी0 सी0 यू0 कवीं ने उक्त सड़क के निर्माण हेतु धन आवंटित करने का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों के पास भेजा है ? यदि हां, तो धन की व्यवस्था करके सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । खड़ंजा स्तर तक मार्ग स्वीकृत है ।

वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

जी हां

कार्य जिला सेक्टर का है अतः अग्रिम स्तर तक स्वीकृति जिला नियोजन एव अनुश्रवण समिति का अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले मार्गों के मापदण्ड

19—श्री मित्रसेन—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कौन से ऐसे मार्ग हैं जिनका निर्माण कार्य राज्य सरकार (स्टेट सेक्टर) से कराया जाता है और इनका मानक एवं मापदण्ड क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण की स्वीकृति सड़कों की महत्ता को दृष्टि में रखते हुये उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है ।

सहायक निदेशक, जनजाति विकास निदेशालय, लखनऊ के रिक्त पद पर नियुक्ति करने की मांग

20—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "जनजाति विकास निदेशालय" उ0 प्र0 में रिक्त सहा0 निदेशक पद पर कब से तैनाती नहीं की गई ? तैनाती न किये जाने के क्या कारण हैं ? सहायक निदेशक पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्रीमती दीपा—

जनजाति विकास निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर दिनांक 25-1-89 को तैनाती की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उन्नाव जनपद में शिक्षित बेरोजगारों को उपलब्ध कराया गया ऋण तथा ऋण की धनराशि बढ़ाने की मांग

21—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को वर्ष 1987-88 में कितने रुपये का, कितने लोगों को ऋण दिया गया है ? क्या जिले की बेरोजगारी को देखते हुये सरकार इस धनराशि को बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

जनपद उन्नाव में स्वत: रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1987-88 में रु0 34.80 लाख का ऋण 157 व्यक्तियों को दिया गया है । जनपद के लिये निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे धनराशि स्वत: ही बढ़ जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

अनुसूचित जाति, जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के सुनिश्चित रूप से भुगतान की योजना पर विचार

22—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अनुसूचित जाति/जन. जाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान तब होता है जब छात्र सम्बन्धित कक्षा/कालेज छोड़ चुके होते हैं ? क्या यह भी सच है कि अधिकांश मामलों में छात्रवृत्ति का भुगतान सत्र की समाप्ति के बाद ही होता है ? क्या अध्ययन के दौरान प्रतिमाह नियमित रूप से छात्रवृत्ति के सुनिश्चित रूप से भुगतान की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां तो योजना क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

ऐसे पहले ही से आदेश विद्यमान हैं कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान कर दिया जाये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चतुर्थ श्रेणी सचिवालय कालोनी बन्दरियाबाग, लखनऊ में अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही

23—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी सचिवालय कालोनी बन्दरियाबाग में कुछ लोगों ने अवैध रूप से मकान व दुकान का निर्माण कराया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी वहां पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जिन व्यक्तियों ने अनधिकृत निर्माण कराये है उनमें से कुछ के विरुद्ध कार्यवाही करके अनधिकृत निर्माण हटाये गये है । शेष के विरुद्ध सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों को बेदखली) अधिनियम 22 सन् 1972 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

फर्रुखाबाद-चन्दौसी-बदायूं मार्ग को चौड़ा करने की मांग

24—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद चंदौसी-बदायूं रोड का वह भाग जो जनपद फर्रुखाबाद में धोटियाघाट से जरियनपुर तक पड़ता है बहुत कम चौड़ा व ऊंचा नीचा तथा खराब है जिसके कारण प्रायः दुर्घटनायें होती रहती है, जबकि इस मार्ग पर यातायात में अत्यधिक वृद्धि हुई है ? क्या इस मार्ग को चौड़ा व ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, नहीं । मार्ग की वर्तमान चौड़ाई राज्य मार्ग के लिये निर्धारित मानक 3.70 मीटर ही है । मार्ग ऊंचा नीचा तथा खराब भी नहीं है ।

जी, नहीं । इस मार्ग को अनुरक्षण मद से ठीक रखा जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ताओं की संख्या एवं अभियन्ताओं का विनियमितीकरण न किये जाने का कारण

25—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में प्रतिवर्ष सम्पन्न कराये जाने वाले विद्युत कार्यों की तुलना में सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ताओं की संख्या अत्यन्त कम है ? यदि हां, तो निगम में कुल कितने विद्युत सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता कार्यरत है ? इनमें से कितने अभियन्ताओं का विनियमितीकरण अभी तक किन-किन कारणों से निगम में नहीं किया जा सका ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत अभियन्ताओं की संख्या कम नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निगम के अधीन तीन (3) सहायक स्थानिक अभियन्ता (विद्युत) एवं छः (6) उप अभियन्ता (विद्युत) तदर्थ रूप से कार्यरत हैं, जिनके विनियमितीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में डिप्टी मैनेजर मेटेरियल के पद के सृजन का उद्देश्य एवं उनका निर्माण निगम में समायोजित न किये जाने का औचित्य

26—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में डिप्टी मैनेजर मेटेरियल पद का सृजन कब एवं किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था ? इस पद पर अब तक किन-किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, उनकी शैक्षिक योग्यतायें क्रमशः क्या थीं ? उपर्युक्त पद को समाप्त किये जाने के मुख्य कारण क्या थे ? इस पद पर तैनात अधिकारी को निर्माण निगम में समायोजित न किये जाने का औचित्य क्या था ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर कपूरपुर मार्ग गोण्डा में पैन्टिंग कार्य हेतु धन की मांग

27—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में डी0 सी0 यू0-2 के अन्तर्गत मिर्जापुर कपूरपुर मार्ग में पैन्टिंग स्तर तक कार्य के लिए सरकार धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

28—श्री अर्जुन सिंह यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद उन्नाव के केन्द्र पुरवा में औद्योगिक आस्थान विलम्ब से विकसित किये जाने का कारण

29—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुरवा जनपद उन्नाव के केन्द्र पुरवा में औद्योगिक आस्थान विकसित करने की योजना कब बनी थी ? इसे कब तक पूरा हो जाना चाहिए था, समय पर पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के कस्बा मौरावां में भी उक्त औद्योगिक स्थान विकसित किये जाने के प्रस्ताव हैं ? यदि हां, तो प्रस्ताव का क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती बेनी बाई—

विकास खण्ड पुरवा जनपद उन्नाव में वर्ष 1986-87 में मिनी औद्योगिक आस्थान को स्वीकृति दी गयी थी । वर्ष 1987-88 में स्थापना कार्य होना था ।

स्थापना हेतु चयनित भूखण्ड में संबंधित कृषकों के अनुरोध पर मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण स्थापना का कार्य अवरुद्ध हो गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतर्रा बांदा के मेहतर मुहल्ले में आश्रम पद्धति का विद्यालय खोलने की मांग

30—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-10-86 का जनपद बांदा के अतर्रा कस्बे में मेहतर जाति की बाहुल्यता को देखते हुए मेहतर मुहल्ले में आश्रम पद्धति का राजकीय स्कूल खोलने के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मेहतरों के उत्थान के लिये कब तक उपरोक्त स्कूल खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

इस सम्बन्ध में तत्कालीन मंत्री जी के कार्यालय से अभिलेखों के आधार पर जानकारी प्राप्त करके स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी ।

जनपद बांदा में बबेरू, मानिकपुर एवं मऊ में आश्रम पद्धति विद्यालय पहले से ही स्थापित है । अतर्रा के बच्चे भी इसमें प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ।

अतः प्रश्न नहीं उठता ।

31—श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

[दि0 22-2-89 की अता0 प्र0 सं0 25 द्वारा उत्तरित ।]

32—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दि0 8-3-89 को अता0 प्र0 सं0 68 द्वारा उत्तरित ।]

हरिजन निर्बल वर्ग आवास निगम के सहायक अभियन्ताओं की छंटनी का औचित्य

33—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन निर्बल वर्ग आवास निगम के 4 सहायक अभियन्ताओं की सेवायें निगम द्वारा समाप्त कर दी गयी हैं जबकि यह सहायक अभियन्ता गत डेढ़ वर्षों से निगम में कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या निगम में सहायक अभियन्ताओं की सेवाओं की अभी भी कमी है ? यदि हां, तो फिर इन अभियन्ताओं की सेवाओं को समाप्त किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी बेरोजगार हुए सहायक अभियन्ताओं को पुनः सेवा का अवसर प्रदान कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

34—श्री सरदार सिंह—

[6वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

जोगिया विकास खण्ड बस्ती में हरिजन कालोनी का निर्माण तथा भवनों का आवंटन

35—श्रीमती कमला साहनी—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के जोगिया विकास खण्ड के ग्राम इसमैली में गत पांच वर्षों में हरिजन कालोनी निर्बल वर्ग के लिए आवास हेतु निर्मित की गयी ? यदि हां, तो आवास किन-किन व्यक्तियों के लिए आवंटित किये गये ?

क्या आवास का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कितने आवासों को पूर्ण निर्माण के बाद आवंटित किया गया ? यदि निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 को सम्बन्धित अधिकारियों से सूचना/जानकारी प्राप्त करके स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दे दिये गए है । सूचना प्राप्त होने पर ही जानकारी दी जा सकेगी ।

मौरावां-जेरा सम्पर्क मार्ग पुरवा, उन्नाव को स्वीकृति एवं उसका निर्माण

36—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) में वर्ष 1987-88 में मौरावां-जेरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो मार्ग निर्माण में क्या प्रगति हुई है ? क्या यह सच है कि निर्माण का कार्य बिल्कुल नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

विषयगत मौरावां-जेरा सम्पर्क मार्ग पर 3 किमी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य वर्ष 1987-88 की सूखा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था ।

इस मार्ग के निर्माण में सा0 नि0 विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

यह सच है कि सा0 नि0 विभाग द्वारा इस मार्ग पर निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं कराया गया है ।

इस मार्ग पर पहले से ही मिट्टी का कार्य जगह-जगह पर किसी अन्य एजेन्सी द्वारा कराया जा चुका था । कुछ स्थानों पर गैप शेष थे जिन्हें फसल खड़ी होने के कारण मिट्टी न मिलने से पूरा नहीं किया जा सका ।

37—श्री बदन सिंह—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

देवरिया जनपद में स्वतः रोजगार योजना हेतु स्वीकृत लक्ष्य को न पूरा करने का औचित्य

38—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में जनपद देवरिया में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार देने का क्या लक्ष्य निर्धारित था और उसे पूरा न करने के कारण क्या है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत चयनित सभी अभ्यर्थियों को ऋण प्राप्त करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिये स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत जनपद देवरिया में वर्ष 1985-86 तथा वर्ष 1986-87 में क्रमशः 935 तथा 935 का लक्ष्य निर्धारित था जिसके विरुद्ध क्रमशः 521 तथा 498 अभ्यर्थियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया गया । अभ्यर्थी द्वारा समयानुसार औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई ।

जी नहीं ।

उपरोक्त इंगित कारणों से ।

नरायनपुर बसोहरी मार्ग, फैजाबाद के निर्माण में अनियमितता विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

39—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में स्थित नरायनपुर बसोहरी मार्ग पर सार्व0 निर्माण विभाग द्वारा किये गये मिट्टी पटाई के कार्य में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 16-5-88 का पत्र शासन को मिला है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किसके द्वारा करायी गयी और जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

शिकायतों की जांच परगनाधिकारी, अकबरपुर एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, फैजाबाद द्वारा की गयी । जांच रिपोर्ट के अनुसार सा0 नि0 वि0 द्वारा कराये गये कार्यों में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी ।

डा0 कंचन देवी, बाल विकास परियोजना अधिकारी का निलम्बन तथा निर्वाह भत्ता की मांग

40—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डा0 कंचन देवी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड बिजुआ (भीरा) जिला-खीरी दिनांक 23 सितम्बर, 1987 से निलम्बित है ? क्या यह सही है कि उन्होंने निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिनांक 26-9-88, 22-10-88, 24-10-88 17-11-88, 26-11-88, 28-11-88, 1-12-88, 7-12-88, 26-12-88 और 9-1-89 को अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है, जिनमें डा0 कंचन देवी ने निलंबित काल के लिए 3/4 जीवन निर्वाह भत्ता देने की मांग की है ? यदि हां, तो अभी तक उन्हें 3/4 जीवन निर्वाह भत्ता न देने के क्या कारण है और कब तक उक्त भत्ते का पूरा भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार से पत्र दिनांक 26-9-88, 28-11-88, 1-12-88, 26-12-88 एवं 9-1-89 द्वारा 3/4 जीवन निर्वाह भत्ता के लिए प्रार्थना की गयी है ।

प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने एवं डा0 कंचन देवी द्वारा बाल विकास परियोजना बिजुआ से संबंधित अभिलेखों का चार्ज निलम्बन के बाद संबंधित अधिकारी को न देने के कारण विलम्ब हुआ फिर भी 3/4 जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 3 मार्च, 1989 को निर्गत कर दिये गये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मैजापुर कपूरपुरा मार्ग, गोण्डा के मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

41—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा विकास खण्ड हथामऊ में डी0 सी0-2 के नेतृत्व में 4—1/2 कि0 मी0 लम्बी मैजापुर कपूरपुरा मार्ग पर पत्थरों से करायी गयी सोलिंग से पत्थर मार्ग से उजड़ रहे हैं ? यदि हां, तो मार्ग की सुरक्षा हेतु पेन्टिंग स्तर तक कार्य पूरा कराये जाने हेतु तत्काल सरकार द्वारा विभाग को धन उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 में अनुसूचित गोंड़ जाति के प्रमाण-पत्र

42—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में अनुसूचित गोंड़ जाति के प्रमाण पत्र धारकों के प्रमाण पत्र निरस्त न करने के शासनादेश दिये गये हैं और शासनादेश के आधार पर फैजाबाद जनपद में प्रमाण पत्र धारकों व उनके परिवारजनों को प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एयर कन्डीशन आपरेटर विधान भवन लखनऊ को कार्यभारित अधिष्ठान में लेने का प्रस्ताव

43—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत अनुरक्षण खण्डों में एयर कन्डीशन मशीनों के संचालन हेतु विधान भवन में जो एयर कन्डीशन आपरेटर कार्यरत हैं उन्हें प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 के पत्रांक 5475 डब्लू/सी0/165 सी0/डब्लू सी0 80 दिनांक 4-8-80 के अन्तर्गत विधान भवन में अस्थायी मस्टर रोल पर कार्यरत सभी एयर कन्डीशन आपरेटर को वर्ष 1987-88 में कार्यभारित अधिष्ठान में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक ले लिये जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

संसाधनों की कमी के कारण ।

यह संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

44—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

राठ नगर हमीरपुर में बाइपास मार्ग निर्माण की योजना

45—श्री राम सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के राठ नगर में बाईपास के निर्माण का कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूर्ण होगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

46—श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री विष्णु देव—

[दि0 24-2-89 को अता0 प्र0 सं0 117 द्वारा उत्तरित]

गंगा नदी वाराणसी पर पुल निर्माण की योजना

47—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर स्थित गंगा नदी पर कुल कितने पुलों के निर्माण की योजना बनाई गयी है और उनमें से किसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया गया है तथा इस कार्य के विलम्ब का क्या कारण है और यह कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

वाराणसी नगर के अन्तर्गत गंगा नदी पर केवल एक पुल के निर्माण की योजना शासन द्वारा बनाई गयी है । भूपरीक्षण आदि की उक्त सेतु के निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही दिनांक 30-12-88 से प्रारम्भ कर दी गयी है । सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 12/92 है ।

जनपद झांसी में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में जानकारी

48—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री प्रश्नकर्ता के द्वितीय सत्र 88 के पहले शुक्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली गयी है ? यदि हां, तो पूर्ण जानकारी का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

वांछित सूचना/विवरण विस्तृत है । इसे माननीय सदस्य महोदय को अलग से उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कूड़ा नदी आनन्द नगर, गोरखपुर पर पुल निर्माण की मांग

49—श्री धनराज यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से आनन्द नगर (फरेन्दा) नौगढ़ होकर पिपरहंसा तक मार्ग को उच्चीकृत एवं चौड़ीकरण करके बाँध परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रश्नगत सड़क के मध्य में कूरा (कूड़ा) नदी पर अभी तक सा0 नि0 वि0 का कोई सेतु न होकर रेलवे पुल से ही मोटर इत्यादि का आवागमन होता है, जिसकी व्यवस्था हेतु सा0 नि0 वि0 को धन देना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मार्ग के उच्चीकृत हेतु स्वीकृत धनराशि के अवशेष धन से उसका बाजार के पास कूड़ा नदी पर सेतु बनाना स्वीकार करेंगे ? यदि नहीं, तो ऐसा न करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी हां ।

पुल के निर्माण की स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

50—श्री राम सिंह—

[दिनांक 17-2-89 को अता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित]

जनपद हमीरपुर के क्षेत्र राठ के पास धसान नदी पर पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब का कारण

51—श्री राम सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1987 में हमीरपुर जनपद के राठ क्षेत्र के मझगवां ग्राम के पास धसान नदी पर सेतु निर्माण की मुख्य मंत्री ने आधारशिला रखी थी ? यदि हां, तो उक्त निर्माण की शुरुआत कब होगी और इस सेतु का कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्नगत सेतु के पहुंच मार्ग आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरते है । आरक्षित वन भूमि का सा0 नि0 वि0 को हस्तान्तरण, जो भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है, हो जाने के पश्चात ही सेतु का निर्माण प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा और तभी इसके पूर्ण करने का लक्ष्य भी बता पाना सम्भव होगा ।

भदोही, जनपद वाराणसी में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने पर विचार

52—श्री राम चन्द्र शर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र भदोही के अन्तर्गत आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त विद्यालय खुलेगा ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में अभी प्रस्ताव का प्रशासकीय एवं वित्तीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया जा रहा है ।

हरिजन औद्योगिक संस्थान में कार्यरत सहायक प्रबन्धकों को स्थायी करने की मांग

53—श्री राम चन्द्र शर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हरिजन औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत सहायक प्रबन्धक को स्थायी किया गया है ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह सत्य है कि बहुत से प्रबन्धक जो सेवा-निवृत्ति के करीब हैं, उन्हें स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें शीघ्र स्थायी करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

मात्र एक सहायक प्रबन्धक है जो सेवानिवृत्ति के करीब है और जिनके स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है तथा शीघ्र कार्यवाही पूर्ण होने की आशा है । प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में अनुसूचित हरिजन छात्रावासों में कार्यरत रसोइयां तथा अधीक्षक के मानदेय एवं विमुक्त जाति छात्रावासों के रसोइये व अधीक्षकों के मानदेय में समानता लाने पर विचार

54—श्री राम चन्द्र शर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित हरिजन छात्रावासों में रसोइया को रु0 150 (एक सौ पचास रुपये) प्रतिमाह तथा छात्रावास अधीक्षक को रु0 50 (पचास रुपये) प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है ? क्या यह सही है कि विमुक्ति जाति छात्रावासों में रसोइयां को एक सौ रुपया तथा छात्रावास अधीक्षक को पच्चीस रुपये मानदेय दिया जाता है ? यदि हां, तो इस असमानता का क्या कारण है ? क्या सरकार दोनों छात्रावासों के रसोइयां एवं अधीक्षकों का मानदेय एक समान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

विभाग द्वारा अनुदानित स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये सम्बन्धित छात्रावासों में रसोइयां को 150 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावास अधीक्षक को 50 रु0 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है ।

जी हां ।

ऐसे विमुक्त जाति के छात्रों के छात्रावासों में रसोइयां को 100 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावास अधीक्षक को 25 रु0 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है ।

इस सम्बन्ध में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण से स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है ।

प्रस्ताव शासन के परीक्षणाधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्पादन केन्द्र डालीगंज, लखनऊ को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव

55—श्री हरेन्द्र सिंह

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि डालीगंज उत्पादन केन्द्र, लखनऊ, जो पिछले 25 वर्षों से अधिक समय स निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0 प्र0 के अधीन है, को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 को हस्तान्तरित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो 25 वर्षों के बाद अब हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने का क्या कारण है जबकि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से उक्त केन्द्र का कोई तालमेल अथवा संबंध नहीं है ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जी हां ।

चूंकि वर्तमान में इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं/संस्थान हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जाते है, अत: शून्य आधार बजट प्रणाली के अन्तर्गत प्रश्नगत केन्द्र को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण में हस्तान्तरित किये जाने का मामला विचाराधीन है ।

पचपेड़वा-उतरौला मार्ग के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

56—श्री अरुण प्रताप सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पचपेड़वा उतरौला मार्ग पर लेपन कार्य हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-7-88 को उन्हें तथा सचिव सा0 नि0 वि0 को दिनांक 21-12-88 को प्राप्त हुआ है जिस पर कार्य कराने के लिए प्रमुख अभियन्ता महोदय को लिखा गया है ? यदि हां, तो कितने धन की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा कितने कि0 मी0 पर प्रथम चरण में लेपन का कार्य कराया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

मड़हा नदी जनपद फैजाबाद पर पुल निर्माण की मांग

57—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी पर डेवढ़ी, अमौना, बन्दीदासपुर तथा अगेधुआ और भदरसा के पास कोई पुल नहीं है जिससे आवागमन में बहुत असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पुल का निर्माण शीघ्र कराया जायेगा ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री सयद सईदुल हसन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिधौली–सिहोर–सहोड़ा मार्ग, बरेली पर आवागमन हेतु कतिपय जगहों पर पुल निर्माण की मांग

58—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में सिधौली-सिहोर-सहोड़ा मार्ग विभाग द्वारा निर्माणाधीन है तथा उक्त मार्ग पर ग्राम सिधौली के निकट पीलाखार नदी पर एक पुल एवं ग्राम सिहोर के निकट भकड़ा नदी पर एक पुल की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस मार्ग का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने तथा भाकड़ा एवं पीलाखार नदी के बीच में जनपद बरेली तथा रामपुर के निवासियों की सुविधा हेतु इन दोनों पुलों का निर्माण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

निम्न वरीयता एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत दोनों पुलों की स्वीकृति फिलहाल सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समथर–पीपरीकलां मार्ग को पक्का कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

59—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 18 जनवरी, 1989 का पत्र, समथर–पीपरीकलां मार्ग के ग्राम लोहागढ़ के पास से किशुनपुरा माइनर की पटरी को पांच किलोमीटर ग्राम मडोरा तक पक्का डामरीकृत कराये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जनहित में उक्त माइनर की पटरी को सात ग्राम प्रधानों की मांग पर कब तक पक्का करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । कार्य जिला सेक्टर योजना का है । जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

कासिमाबाद, गाजीपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव

60—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0 टी0 आई0) के स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक दी जायेगी तथा इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खोले जाने का प्रस्ताव जिला योजना समिति के अनुमोदन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाते हैं । जिला योजना समिति गाजीपुर से कासिमाबाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है ।

मल्हौसी विकास खण्ड विधूना-इटावा में कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत बने दुकानों के गिर जाने की जांच रिपोर्ट

61—श्री आसान सिंह—

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा मल्हौसी विकास खण्ड विधूना (इटावा) में विगत वर्षों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सही है कि यह दुकान आवंटन होने से पूर्व ही गिर चुकी है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

जी नहीं । प्रश्नगत दुकानों का आवंटन 26-3-87 को किया गया था, उसके पश्चात् उक्त दुकानों का बरामदा 24-8-88 को गिर गया है ।

दोषपूर्ण निर्माण के संबंध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं ।

राज्य सेतु निगम में एकाउन्ट्स क्लर्क की नियुक्ति की मांग

62—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा सितम्बर, 1987 में एकाउन्ट्स क्लर्क पद हेतु कुल कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया ? साक्षात्कार के पश्चात् कुल कितने अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया ? कितने लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गई ? शेष अभ्यर्थियों की संख्या क्या है ? उन्हें नियुक्ति पत्र कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 में सितम्बर, 1987 में एकाउन्ट्स क्लर्क पद हेतु कुल 158 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था ।

साक्षात्कार के पश्चात् चयन समिति द्वारा मेरिट के आधार पर 93 अभ्यर्थियों का पैनल बनाया गया था ।

उक्त पैनल में से 36 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी ।

पैनल में शेष अभ्यर्थियों की संख्या 57 है ।

निगम की प्रस्तावित सेवा नियमावली के अनुसार पैनल नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक मान्य है । एक वर्ष का समय समाप्त हो चुका है । अतः शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास परियोजना प्रोग्राम अधिकारी, देवरिया के प्रयोगार्थ लिये गये भवन के किराये का भुगतान

63—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी देवरिया द्वारा बाल विकास परियोजना के प्रोग्राम अधिकारी के प्रयोग हेतु श्री अरविन्द कुमार मिश्रा न्यू कालोनी, देवरिया का मकान अपने पत्र सं0 605-क/ह स क/प्रो0का0/87-88, दिनांक 30-5-87 द्वारा 1 हजार रुपये मासिक किराये पर दिनांक 1-6-87 से प्राप्त किया किन्तु मकान मालिक को मात्र 4 माह का किराया अब तक भुगतान किया गया है और शेष किराये की धनराशि शासन द्वारा विभाग को न सुलभ कराये जाने के कारण बाकी है ? यदि हां, तो शासन अविलम्ब जनवरी, 89 तक के किराये के भुगतान का आदेश देगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती दीपा—

समस्त औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण शासन द्वारा उक्त भवन किराया स्वीकृत नहीं किया गया है । औपचारिकताएं पूर्ण कर लिए जाने के पश्चात ही शासन द्वारा किराया स्वीकृत किये जाने के मामले में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

वेस्टर्न डिपरेशन ड्रेन पुल किरावली, आगरा के निर्माण को स्वीकृति

64—श्री बदन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम बरन व श्री छोबलाल में स्थित वेस्टर्न डिपरेशन ड्रेन का पुल ग्राम महुवर के निकट सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1987-88 में निर्माण करना स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इस पुल को अभी तक न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सा0 नि0 वि0, फैजाबाद के कतिपय सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के बकाये धनराशि का भुगतान

65—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम बरन व श्री छविलाल व श्री महराज दीप बेलदार तथा शिव बरन मेट, अस्थायी खण्ड नं0 1, सा0 नि0 वि0, फैजाबाद माह जुलाई, 1987 में सेवा निवृत्त हो गये थे ? यदि हां, तो क्या उनके सभी देय भुगतान कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों और उनकी पेंशन भगतान के संबंध में विलम्ब के कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा पारा को जाने वाली पी0 डब्लू0 डी0 की सड़क के निर्माण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

66—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रम, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री उ0 प्र0 का पत्र संख्या 4807/वी0 आई0 पी0/88, दिनांक 22-10-88 उनको मिला है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा पारा को जाने वाली पी0 डब्लू0 डी0 की सड़क के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, परन्तु कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 कार्यालय, फैजाबाद पर धरना तथा मांगों पर कृत कार्यवाही मांगों पर कृत कार्यवाही

67—श्री मित्रसेन—

क्या सा0 निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ क्षेत्रीय समिति फैजाबाद द्वारा 18-8-88 को मुख्य अभियन्ता फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद के कार्यालय पर कोई धरना/आन्दोलन हुआ था ? यदि हां, तो क्या संघ द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो संघ की मांगें क्या थी तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरदी-भगवानपुर सम्पर्क मार्ग खलीलाबाद बस्ती के निर्माण लागत तथा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान

68—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में मेंहदावल, खलीलाबाद मार्ग पर हरदी भगवानपुर सम्पर्क मार्ग निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक पूरा हो चुका है ? उस मार्ग पर कितना धन व्यय किया गया और कितना कार्य हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर कार्यरत अवर अभियन्ता ने मजदूरों को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये दोषी कर्मचारी को दण्डित किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

रुपये 1,03,251·80 व्यय किये गये । 2·2 किमी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य हुआ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेंहदावल-बिसौवा मार्ग बस्ती के निर्माण की मांग

69—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत मेंहदावल विधान सभा में मानक ग्राम बिसौवा किसी मुख्य मार्ग से जोड़ा गया और वहां निर्माणाधीन 8 कि0 मी0 संपर्क मार्ग निर्मित कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? एम0 एन0 पी0 योजनान्तर्गत ग्राम को कब तक मुख्य मार्ग से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद बस्ती में मेंहदावल-बिसौवा मार्ग जिसकी लम्बाई 10 कि0 मी0 है, के किमी0 9 में बिसौवा ग्राम पड़ता है । मार्ग निर्माणाधीन है । सम्पूर्ण लम्बाई में भूमि उपलब्ध न होने एवं कि0 मी0 4 में पड़ने वाले स्थानीय नाले पर सेतु न होने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है । भूमि की उपलब्धता एवं पुल की स्वीकृति पर निर्भर है ।

श्रमायुक्त कार्यालय गोरखपुर में पंजीकृत समझौते की संख्या एवं उनका अनुपालन न किये जाने का कारण

70—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर परिक्षेत्र में श्रम विभाग द्वारा कितने समझौते वर्तमान उपश्रमायुक्त के कार्यालय में पंजीकृत किये गये एवं कितने का अनुपालन प्रबंधकों द्वारा किया गया? क्या यह सच है कि अधिकतर समझौता का अनुपालन नहीं किया ? यदि हां, तो क्या विभाग ने ऐसे मामलों में प्राजीक्यूशन की कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सइदुल हसन—

कुल 22 समझौते पंजीकृत किये गये । कुल 18 समझौते परिपालित हुये, 4 समझौते आंशिक परिपालित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में रंज तथा बागे नदी पर आवागमन हेतु पुल निर्माण की मांग

71—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के अन्तर्गत बह रही रंज तथा बागे नदी के मध्य करीब 20 गांवों के निवासियों के लिये बरसात के दिनों में नदियों के मध्य होने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त गांवों के निवासियों के आवागमन के लिये रंज तथा बागे नदी में रपटा तथा पुल का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर ? यदि नहीं, तो इन गांवों के आवागमन (नदियों के पार) के लिये क्या सुविधा शासन द्वारा की जा रही है और वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया में बहुआरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु पत्थर की आपूर्ति की मांग

72—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र जनपद बलिया के अन्तर्गत बहुआरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण गिट्टी के अभाव में रुका है ? यदि हां, तो अनिर्मित मार्ग के लिये गिट्टी पत्थर की आपूर्ति कराये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी—

विषयगत बहुआरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सम्पूर्ण लम्बाई में भूमि उपलब्ध न होने के कारण अधूरा है ।

भूमि के निकट भविष्य में उपलब्ध हो जाने की प्रत्याशा में पत्थर की गिट्टी का एकत्रीकरण किया गया है ।

बांदा जनपद के स्कूलों में हरिजनों व पिछड़े वर्गों के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान न किये जाने का कारण

73—श्री राम सजीवन—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में जूनियर हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, इण्टर कालेज व डिग्री कालेजों में हरिजनों व पिछड़े वर्गों के छात्रों की विभिरन कक्षाओं की पिछले दो वर्षों की छात्रवृत्ति व अन्य महायता राशि वितरित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? किन विद्यालयों की किन कक्षाओं की कितनी अवधि की छात्रवृत्ति व अन्य सहायता राशि बकाया है और वितरित नहीं की गई ? उसके क्या कारण हैं ? उसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? बकाया छात्रवृत्ति ब अन्य सहायता राशि कब तक वितरित कर दी जाएगी ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तदेव ।

तदेव ।

74—श्री राज किशोर सिंह—

[दिनांक 3-3-89 की अता0 प्र0 सं0 156 द्वारा उत्तरित]

श्री के0 जी0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, बहराइच के कार्यकाल में जीप इंजन चोरी की घटना की जांच रिपोर्ट

75—श्रीमती गेंदा देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 जी0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, प्रान्तीय खण्ड, बहराइच के कार्यकाल में विभागीय मोटर बार्ज व जीप के इंजन चोरी होने के फलस्वरूप किसके विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री अम्मार रिजवी—

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री के0 जी0 श्रीवास्तव के कार्यकाल में प्रान्तीय खंड बहराइच में मोटर बार्ज व जीप के इंजन की चोरी की कोई घटना घटित नहीं हुई । अतएव किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

वरुणा नदी, वाराणसी में पुल निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि के विरुद्ध कथित शिकायत

76—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि श्री पन्ना लाल (हरिजन) वरुणा पुल, क्लब रोड, वाराणसी कैन्ट ने 7-10-88 को आयुक्त, वाराणसी मण्डल के पास एक प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि वरुणा नदी पर प्रस्तावित नये पुल को बड़े असरदार लोगों की खाली पड़ी भूमि से न बनाकर गरीबों की भूमि का अधिग्रहण करके बनाने की योजना है ? यदि हां, तो इस संबंध में सही स्थिति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी से प्राप्त सूचनानुसार श्री पन्ना लाल (हरिजन) वरुणा पुल, क्लब रोड, वाराणसी कैन्ट का दिनांक 7-10-88 का शिकायती-पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

वाराणसी में वरुणा नदी पर एक अतिरिक्त पुल के निर्माण हेतु संरेखण के प्रथम चयन स्थल को तकनीकी कारणों से समाप्त करना पड़ा । अब उक्त पुल हेतु दो वैकल्पिक स्थलों का चुनाव किया गया है । स्थल चयन में अथवा किसी विशेष वर्ग की भूमि लेने के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है ।

अधिशासी अभियन्ता, रा0 मा0 खण्ड-2, लखनऊ द्वारा एस0 डी0 ओ0 के कार्यों पर खर्च की गई सामग्री का ब्यौरा

77—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सा नि मंत्री को ात है कि अधिशासी अभियन्ता, रा0 मा0 खण्ड नं0 2, लखनऊ ने वर्ष 10/86 से 6/87 तक बी0 एम0 के कार्यों पर 10910.00 मै0 टन तथा एस0 डी0 सी0 के कार्यों पर 7724.00 मै0 टन सामग्री खर्च की ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस अवधि में विभिन्न प्रकार की सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की गयी और किन-किन ठेकेदारों को कैश बुक के अनसार कितना-कितना भगतान किया गया ? क्रय की गयी सामग्री को किन-किन किलोमीटर में कितना-कितना प्रयोग किया गया और उसकी क्रस्ट थिकनेस क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । बी0 एम0 के कार्यों पर 10198.12 मै0 टन तथा एस0 डी0 सी0 के कार्य पर 8226.20 मै0 टन सामग्री खर्च हुई ।

इस अवधि में विभिन्न प्रकार की क्रय की गयी सामग्री का विवरण निम्नलिखित है :—

सामग्री	मात्रा
6 एम0 एम0 गेज ग्रिट	2153·28 घ0 मी0
10 ,, ,,	1026·75 ,, ,,
10 ,, डाउन	1518·18 ,, ,,
10 ,, स्क्रीनिंग	1356·54 ,, ,,
25 ,, ग्रिट	1331·529 ,,
20 ,, ,,	1429·53 ,, ,,
जलौनी लकड़ी	1797·10 कुन्टल

ठेकेदारों को कैश-बुक के अनुसार किये गये भुगतान का विवरण माननीय मंत्री जी, सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे माननीय सदस्य कार्यालय समय में किसी कार्य-दिवस को देख सकते हैं ।

सामग्रियों की खपत किमी0 436 से 441, 445, 447, 448, 452, 453, 475 से 484, 489 से 491 में किया गया । माप-पुस्तिका में मापियां किलोमीटर वार न होने के कारण किलोमीटर वार सामग्रियों की खपत देना सम्भव नहीं है ।

इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है ।

भदोही क्षेत्र, वाराणसी में सड़क निर्माण हेतु धन का आवंटन

78—श्री मूल चन्द्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी को सन् 1987-88 में कितना धन दिया गया है और इससे कितनी किलोमीटर सड़क पिच की गयी ? प्रत्येक विधान सभाई क्षेत्र में कितने-कितने किलोमीटर सड़क बनाने के लिए इस वर्ष स्वीकृति है ? क्या भदोही क्षेत्र में भी सड़क उक्त विभाग द्वारा सन् 87-88 में पिच की गई ? यदि हां, तो कुल कितना-कितना किलोमीटर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1987-88 में वाराणसी जनपद हेतु कुल 365·86 लाख रु0 की स्वीकृति जिला एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत दी गयी है तथा इससे कुल 62·50 कि0 मी0 सड़क पिच की गयी है ।

इस वर्ष 1988-89 में जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट हेतु 6·00 किमी0, चिरई गांव हेतु 21·30 किमी0, गंगापुर हेतु 20·60 किमी0, कोलसला हेतु 24·00 किमी0, सैदपुर हेतु 10·35 किमी0, औराई हेतु 17·60 किमी0, ज्ञानपुर हेतु 15·10 किमी0, भदोही हेतु 25·80 किमी0, धानापुर हेतु 3·00 किमी0, चन्दौली हेतु 11·50 किमी0, चकिया हेतु 36·20 किमी0, मुगलसराय हेतु 10·50 किमी0, स्वीकृत है तथा शहरी दक्षिणी एवं शहर उत्तरी विधान सभा क्षेत्र हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । उक्त स्वीकृतियां विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों को सड़क निर्माण की अलग-अलग योजनाओं में प्रदान की गई है ।

जी हां । वर्ष 1987-88 में भदोही क्षेत्र में कुल 11 किमी0 सड़क पिच की गयी है ।

करमैनी खण्ड—खड़िया मार्ग, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट

79—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 26-7-86 को अस्थायी खण्ड सा0 नि0 वि0, गोरखपुर के करमैनी खण्ड-खड़िया मार्ग की शिकायत शासन प्रमुख अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता को की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत पत्र मिल नहीं पा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

80—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

वस्त्र छपाई निगम, फर्रुखाबाद द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं का भुगतान

81—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 वस्त्र छपाई निगम द्वारा फर्रुखाबाद के छपाईदारों से खरीदे गये माल का भुगतान कई साल बीत जाने पर भी नहीं किया जाता है जबकि इस हेतु दिये गये आदेशों (आर्डर्स) में एक माह के अन्दर भुगतान की गारन्टी दी जाती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ऐसे सभी बकाया सदस्यों का भुगतान एक माह में करा देने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या उस अवधि के लिए जब तक बकायेदारों का भुगतान नहीं कर दिया जाता उन्हें बकाया दर पर ब्याज दिलाने की घोषणा करेंगे ?

श्रीमती बेनी बाई—

फर्रुखाबाद के छपाईदारों के वर्ष 82-83 के विवादित भुगतान लम्बित है ।

एक माह के अंदर भुगतान करने की लिखित गारंटी नहीं दी जाती है ।

भुगतान जांचोपरांत ही की जा सकती है ।

बकाया भुगतान पर ब्याज देने का प्रश्न ही नहीं है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीपों की खरीद का विवरण

82—श्री सरदार सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री के संज्ञान में है कि विभाग में बिना रेट कान्ट्रैक्ट के एवं टैक्नीकल सलाह के प्रतिकूल महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीप खरीद रहा है ? यदि हां, तो विभाग एवं अधीनस्थ निगमों में अब तक कितनी जिप्सी जीपें खरीदी जा चुकी है और क्यों ? क्या सरकार इन जीपों पर हुए खर्चों का रख-रखाव एवं ईंधन का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखेगी तथा क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रति किलोमीटर खर्च किस पर कम तथा किस पर ज्यादा है ?

श्रीमती दीपा—

विभाग के अधीनस्थ केवल अनुसूचित जाति/जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा बगैर रेट कान्ट्रैक्ट के खरीदी गयी एक जिप्सी जीप को छोड़कर अन्य सभी जिप्सी जीपों का क्रय डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0 के रेट कान्ट्रैक्ट के अनुसार किया गया है और कुल 16 जिप्सी जीपें खरीदी गयी है । यद्यपि जिप्सी जीप पर प्रति किलोमीटर ईंधन का खर्च महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीप की अपेक्षा अधिक आता है तथापि रख-रखाव पर होने वाला व्यय महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीपों की अपेक्षा काफी कम आता है । कुल मिलाकर तुलनात्मक दृष्टि से दोनों प्रकार की जीपों पर व्यय लगभग समान है ।

सा0 नि0 वि0 के कतिपय अधिकारियों के बकाये किराये की वसूली

83—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 101 के संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 623 मुख्य सचिव को दिनांक 9-6-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से किराया वसूल न किये जा सकने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता से आख्या मांगी गयी । प्रश्नगत 35 अधिकारियों की सूची में से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मात्र 5 अधिकारी ऐसे थे, जिनसे किराया वसूल किया जाना था । इन पांच में से तीन अधिकारियों से किराया वसूल किया जा चुका है तथा शेष दो से किराया वसूल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । इन दो अधिकारियों से भी अभी तक किराया वसल न हो सकने के कारण की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़कों का निर्माण तथा जनपदवार धन की उपलब्धि

84—श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल व कुमायूं के किन-किन मण्डलों में हाट मिक्स प्लान्ट से सड़कों को पक्का किया जा रहा है ? कितनी-कितनी धनराशि प्रति जनपद इस कार्य के लिए दी जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

गढ़वाल मण्डल के जनपद देहरादून में तथा कुमायूं मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपदों में हाट मिक्स प्लान्ट से सड़कों को पक्का किया जा रहा है । प्रश्नगत कार्य हेतु इस वर्ष जनपदवार निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई है :—

जनपद	आवंटित धनराशि (लाख रु0)
1—देहरादून	150.85
2—पिथौरागढ़	31.35
3—अल्मोड़ा	62.50
4—नैनीताल	536.00

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से सम्बन्धित संघ के पदाधिकारियों को अधिकारियों द्वारा आतंकित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष—

301 के अन्तर्गत 29 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इसमें से शलाका द्वारा 7 सूचनाएं स्वीकृत हुई हैं। पहली डा0 बंगाली सिंह की, दूसरी श्री राम सागर की, तीसरी श्री निहाला सिंह की, चौथी श्री अशोक बाजपेयी की, पांचवीं श्री शारदा नन्द अंचल की, छठी श्री अवनीश कुमार सिंह की और सातवीं श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की हैं, बाकी सब अस्वीकार की गयीं।

यह सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जायें ?

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

डा0 बंगाली सिंह—

[मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से सम्बन्धित राज्य स्वास्थ्य परिषद् संगठन संघ के कथित पदाधिकारी उप निदेशक एवं अन्य कुछ अधिकारियों के अपरोक्ष एवं आपत्तिजनक समर्थन से सदस्यों (कर्मचारियों) को आतंकित करके कर्मचारियों की भावनाओं को नष्ट कर रहे हैं। समस्त कर्मचारीगण तथा कुछ पदाधिकारी 8-10 वर्षों से संघ के चुनाव कराने तथा कर्मचारियों के धन के दुरुपयोग रोकने की मांग कर रहे हैं परन्तु विभागीय अधिकारी का आतंक के प्रभाव से उनकी मौखिक एवं लिखित आवाजें बन्द की जा रही हैं। 31-7-83 की तरह 28-11-88 को उनके सामूहिक प्रतिवेदनों को भी दबा दिया गया। विभाग भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। संघ मान्यता प्राप्त भी नहीं है न उसका कोई स्वीकृत संविधान है। इस प्रकार कथित संघ के पैड का दुरुपयोग करके कर्मचारियों तथा विभाग के साथ धोखा हो रहा है तथा कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इस कार्यवाही का प्रभाव कर्मचारियों की मानसिकता एवं कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल पड़ा है। जिससे अन्ततः विभाग को हानि हो रही है। संघ केवल कुछ अधिकारियों (उप निदेशक आदि) की चापलूसी द्वारा एवं कर्मचारियों के हितों से मुंह मोड़ कर अपने अपेक्षित मौलिक दायित्वों से विमुख हो गया है। कर्मचारियों तथा विभाग के हितों की रक्षा हेतु कर्मचारियों की मांगों पर शासन द्वारा अविलम्ब कार्यवाही आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी के थानाध्यक्ष द्वारा की गयी उत्पीड़न की कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर—

[मान्यवर, थाना जैदपुर, बाराबंकी के थानाध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र दूबे और उनके चार-पांच सहयोगी पुलिस कर्मी पिछले दिनों मार्डन राइस मिल के पार्टनर श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, वरैया, निवासी श्री राम नरायण, मोलहे-धोबी तथा जैदपर कस्बा के निवासी श्री सब्बीर व असफाक को बेगुनाह मारा-पीटा उनसे पैसा लूटा तथा झूठा मुकदमा बनाकर चालान कर दिया है। इस सभी लोगों ने एस0 पी0 बाराबंकी को अपने प्रार्थना-पत्र भेजे थे तथा स्थानीय

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तमाम सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है । अब पुलिस सच्ची बात कहने वालों के भी पीछे पड़ गयी है, उन्हें भी निपट लेने की धमकी दी है, पुलिस एवं एस0 पी0 बाराबंकी के इस रवैया से थाना क्षेत्र पूरे जनमानस में आक्रोश एवं क्षोभ का वातावरण बन गया है । जनता ने थाना-घेराव की योजना भी बना ली है, किसी भी वक्त नाजुक एवं विस्फोटक स्थिति बन सकती है ।

मैं आपसे घटनाओं के प्रति जिम्मेदार थानाध्यक्ष एवं उनके कर्मियों को थाना से तुरन्त हटाने की कार्यवाही करने तथा क्षेत्र में सामान्य वातावरण बनाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बलिया के रसड़ा ब्लाक के मुड़ेरा ग्राम में स्थित पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निहाला सिंह—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा के ग्राम-मुड़ेरा में पशु चिकित्सालय की (वेटनरी हास्पिटल) की ओर आकृष्ट करता हूं । यह चिकित्सालय कई वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है । इस चिकित्सालय में कोई डाक्टर की पोस्टिंग नहीं की गई और न ही इस चिकित्सालय का कोई भवन बनवाया गया, जिससे कि इस अस्पताल में होने वाले मवेशियों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है और न यहां पशुओं से सम्बन्धित दवाओं का सही तरीके से वितरण हो पाता है जिससे इस पूरे क्षेत्र के जनता में रोष एवं क्षोभ है । इसलिये इस क्षेत्र की जनता ने कई बार धरना एवं प्रदर्शन भी किये लेकिन इससे संबंधित अधिकारियों ने इस अस्पताल पर कोई ध्यान नहीं किया ।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित कर उपरोक्त पशु चिकित्सालय में योग्य डाक्टर की नियुक्ति कर पोस्टिंग की जाय, उचित संख्या में अन्य कर्मचारियों की पोस्टिंग की जाय एवं उक्त पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण कराया जाय जिससे वहां की जनता को इस अस्पताल से लाभ एवं सुविधायें मिल सकें ।]

प्रदेश में धर्म परिवर्तन की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक बाजपेयी—

[मान्यवर, प्रदेश में धर्म परिवर्तन की घटनायें चिन्ता का कारण बनती जा रही हैं । वर्षों से प्रदेश में स्थापित आपसी सद्भाव तथा एक दूसरे के भाई चारा पर प्रश्न-चिन्ह लगता जा रहा है । गत दिनों जनपद मेरठ में ग्राम मवाना में अमृत प्रचार के अवसर पर हरिजनों को अमृत पान कराकर सिख धर्म स्वीकार कराने से सारे जनपद की हिन्दू धर्मावलम्बियों को गहरा आघात पहुंचा है । यद्यपि धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता संविधान में निहित है । परन्तु दबाव, भय अथवा किसी लालच में डालकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, चिन्ता का कारण है । यह भी जानकारी मिली हुयी है कि मेरठ में हरिजनों ने स्वेच्छा से सिख धर्म अंगीकार नहीं किया बल्कि उन पर निरन्तर दबाव डाला गया, तरह-तरह से उन्हें लालच दिये गये तथा सिख धर्म स्वीकार करने के बाद सुनहले सामाजिक भविष्य का स्वप्ना दिखाया गया । इस वर्ष की जनवरी के अन्त से लेकर अब तक धर्म परिवर्तन की बहुत सी घटनायें प्रकाश में आ चुकी हैं परन्तु ग्राम मवाना में बड़े पैमाने पर हरिजन हिन्दुओं द्वारा सिख धर्म स्वीकार

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करना पूरे क्षेत्र में असन्तोष और चिन्ता का कारण बन गया है । इस घटना से पूरे क्षेत्र में असन्तोष की सुगबुगाहट है, किसी भी समय साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है ।

अतः लोक महत्व के इस तात्कालिक एवं सुनिश्चित विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने की अनुज्ञा चाहता हूं कि अनुरोध करता हूं कि सरकार अनुचित धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने की कारगर कदम उठाये ।]

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र के बिलथरा रोड नगर में सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा नंद अंचल—

[मान्यवर, आपके माध्यम से बलिया जनपद के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र सीयर व उसके मुख्य नगर बिलथरा रोड में नगर के मार्गों और जल-निकास हेतु नालियों के अभाव, तथा गन्दगी एवं सड़ान्ध की ओर माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । माल गोदाम डाक बंगला रोड के डाक बंगला गेट से मंडी समिति गेट तक सम्पर्क मार्ग बनवाया जाय । बिलथरा रोड मुख्य मार्ग के देवेन्द्र सदन के बगल से बाजार होते बस स्टेशन तक पक्का मार्ग बनवाया जाये । नगर की गड़हियों और पोखरों का पानी निकास कर गन्दगी और सड़ान्ध समाप्त कर संक्रामक रोगों से नगर को बचाया जाय । नगर से पानी निकास की व्यापक व सुदृढ़ व्यवस्था की जाय तथा सफाई का पूर्ण बन्दोबस्त किया जाय । क्योंकि ऐसा न होने से नागरिकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब समाधान की जनहित में मांग करता हूं ।]

किसान सहकारी चीनी मिल लि0 बदायूं के अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवनीश कुमार सिंह—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 जनपद बदायूं में विगत 7 वर्षों से कार्यरत प्रशिक्षु गन्ना ग्राम सेवक तथा अन्य नियमित स्टाफ को नियमानुसार विनियमित नहीं किया गया है, लम्बे अरसे से कार्यरत अनियमित मिल कर्मचारियों को उनके पदों पर नियुक्त न करने के कारण उनके रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है । 13-8-87 को कि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 बदायूं के तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक ने लगभग 10 कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये थे । परन्तु वर्तमान प्रबन्धक ने उक्त आदेशों का मनमाने तरीके से क्रियान्वयन न किया । जिससे कि मिल कर्मचारियों में बहुत रोष व्याप्त है ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इन 10 पुराने कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित कराने के आदेश पारित करें ।]

जनपद बांदा की सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को अन्य जिलों में बेचे जाने तथा इस कार्य में विभागीय कर्मचारियों की सांठ-गांठ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

[मान्यवर, बांदा जनपद में सस्ते गल्ले की दुकानों का गेहूं पिछले कई महीनों से पूर्ति विभाग की साजिश से इलाहाबाद तथा मिर्जापुर जिलों में थोक के रूप में ब्लैक में बेच

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इने से बांदा जनपद में गेहूं का अभाव पैदा हो गया, गरीब लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं, गेहूं का भाव तीन सौ से चार सौ रुपये प्रति कुन्तल हो गया है, पूरे जनपद में त्राहि-त्राहि मची है । इसी तरह नरैनी तहसील के अतर्रा कस्बे में नरैनी तहसील के पूर्ति विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों के उत्पीड़न से पीड़ित होकर मिट्टी के तेल का लाइसेन्स धारकों का लाइसेन्स का नवीनीकरण न होने के कारण मिट्टी के तेल का गहरा संकट उत्पन्न हो गया है । छात्रों की परीक्षा के लिए अध्ययन के लिए मिट्टी के तेल न मिलने से छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है । इन भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध 3-8-86 को बांदा कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है ।

अतः मांग करता हूं कि बांदा जनपद में गेहूं तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरा शलाका ही नहीं आला है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें क्या किया जाय, शलाका में निकले तभी होगा ।

300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इसमें से पहली सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है, दूसरी श्री सरदार सिंह, श्री कुशल पाल सिंह जी, श्री रिछपाल सिंह बंसल ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, कौन-कौन है ?

श्री उपाध्यक्ष—

पहली श्री सूर्य प्रताप शाही एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, दूसरी है श्री सरदार सिंह, श्री कुशल पाल सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री किशन लाल दिलेर, श्री हाजी मोहम्मद हयात, श्री शफीकुर्रहमार वर्क, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री भगवान दीन कुशवाहा, श्री सखावत हुसैन आदि की है, तीसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की विधान सभा सचिवालय के बारे में है, चौथी सूचना शारदा नन्द अंचल की बेरोजगारी के बारे में है । तो 300 में तो कोई आने वाली नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान ।)

सदन के सेवकों को मिलने वाले मानदेय को निरस्त किये जाने सम्बन्धी औचित्य के प्रश्न की सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

सचिवालय का कोई मामला विधान सभा में नहीं उठाया जा सकता है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इसमें औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं बराता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं बनता है, आप उठा नहीं सकते, आप आ जायं, मैं बता दूंगा ।

माननीय अंचल जी, बेरोजगारी औचित्य में नहीं उठेगी ।

(व्यवधान)

श्री गाता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, पहले विधान सभा के कर्मचारियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन मिलता था और यह कम्पलसरी था कि वे छुट्टी नहीं लेंगे तो वे बेचारे मन लगाकर काम भी करते थे लेकिन पता नहीं किस कारण से उसे निरस्त कर दिया गया है जो कि अनुचित है और इसका कोई औचित्य नहीं है ।

(व्यवधान)

*श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, [XXX] ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अंचल जी, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, संवैधानिक मामला है, रोजगार की समस्या है, इनको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह संवैधानिक है तो रोटी और खाना यह सब संवैधानिक हो जायेगा । आप आसन ग्रहण करें ।

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी कि कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, [XXX]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री विजय सिंह राणा द्वारा तोलने का प्रयास करने पर व्यवधान ।)

नोट :—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

राणा जी, आपके पड़ोस में बैठते हैं, इनको ठीक करिये ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1985 में गठित टी0 एन0 धर आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे बिना ही उसे लागू किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है, वह एक संवैधानिक औचित्य का मामला है । भारतीय संविधान के अध्याय-7 में अनुसूची 2 और 3 में उल्लेख है । उस 2 और 3 की सूची में किसी भी लोकहित के विषय पर जांच करने, उसका अध्ययन करने, उसके सुझाव के लिए सरकार को आयोग बैठाने का अधिकार प्राप्त है, इसके लिए कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट की धारा 2 और धारा 3 में प्राविधान है कि राज्य सरकार इस तरह का कमीशन बैठा सकती है । मान्यवर, जिला स्तरीय प्रशासन आयोग के बारे में मैं चाहूंगा कि इतने गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय को सुनने का कष्ट करें । आपने लाल बत्ती जला दी, जान-बूझ कर इतने गम्भीर मामले पर जो डिस्कशन हो रहा है, उसको हल्का कर रहे हैं । सरकार तो चाहती है कि लोकतांत्रिक अधिकारों को पराजित करे और उनकी मृत्यु हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे तीन मिनट का समय दें और विनम्रतापूर्वक सुनें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कितना समय लेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न में इसको इसलिये उठा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1985 में श्री टी0 एन0 धर आयोग का गठन किया । 4-8-85 को इस आयोग का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत आयोग के आधिकारिकता के अन्तर्गत जिला स्तरीय प्रशासनिक सुधार के बारे में सुझाव देते थे । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री जी0 डी0 शुक्ला की अध्यक्षता में पहले आयोग गठित किया गया था किन्तु उनकी मृत्यु के बाद श्री टी0 एन0 धर अध्यक्ष हुए । उन्होंने 28-8-86 को रिपोर्ट सरकार को दे दी । इस सदन के भीतर 21 फरवरी, 89 को श्री धनराज यादव के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा था कि इस आयोग की संस्तुतियां कितनी लागू की जा रही हैं और कितनों पर विचार हो रहा है । इसी संदर्भ में मान्यवर . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

शाही जी समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इसमें से 246 संस्तुतियों को लागू किया जा रहा है । मान्यवर, इन्क्वायरी कमीशन एक्ट की धारा 3 व उपधारा 4 में उल्लिखित है कि कोई भी सरकार किसी भी कमीशन का गठन करती है और उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो जाती है तो 6 महीने के अन्दर सदन के पटल पर प्रस्तुत करनी होगी । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 86 में आयोग की रिपोर्ट

प्राप्त हो गयी सरकार को और उसके बाद आज 89 में 3 वर्ष हो गये, इस सरकार ने इस सदन ने आयोग की रिपोर्ट छिपाकर रखी और उसको प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि माननीय सदस्यगण उस पर चर्चा कर सकें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि . . . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत निवेदन हो गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, जिला स्तरीय प्रशासन आयोग के खण्ड-3 में जो रिपोर्ट दी गयी, उसमें जिलाधिकारियों के बारे में जो लिखा है, मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसके पैरा 2/4/41 में लिखा है कि . . . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

उससे क्या मतलब है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, वह रिपोर्ट बिना सदन में सुझाव दिये गये लागू की गयी । उस पर सदन में विचार होना चाहिए था । सदन में चर्चा कराते तो उस पर हम भी सुझाव देते । लेकिन सरकार ने बिना आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे, उसको लागू किया गया । इसमें लिखा है कि जिला मैजिस्ट्रेट की प्रभुता इस बात पर निर्भर है कि उन्हें राज्य सरकार के क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में पहचाना जाय, माना जाय तथा स्वीकार किया जाय । यदि किन्हीं कारणों से उनके नेतृत्व की भूमिका मन्द हो गयी हो तो उन कारणों को समाप्त किया जाय । तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो नौकरशाह खड़े हो गये हैं, मनमानी कर रहे हैं, वह ऐसी आयोग की रिपोर्ट को बिना सदन को अवगत कराये लागू किये जाने के कारण यह स्थिति हो रही है । यह नौकरशाह बेलगाम हो गये हैं । मैं चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जैसा कि शाही जी ने कहा, मैं उसकी मैरिट में नहीं जाता । नियम 300 में औचित्य के प्रश्न के रूप में क्यों आता है, इसके बारे में मैं शाही जी की बातों को बिना दोहराये कहना चाहता हूं कि नियम 300 में दो बातें प्रतिबंधित की गयी हैं । पहली ऐसे विषय उठायेंगे जो आपके और सदन के संज्ञान में हों और दूसरी उसमें संविधान और नियमावली की उन धाराओं का सम्बन्ध हो जिनमें सदन का विनिश्चय होता है । जिस बात का संदर्भ शाही जी ने लिया है, वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में उठ चुका है और यह जानकारी मिली कि धर आयोग की रिपोर्ट मिल गयी है । इसमें मैं कमीशन आफ इन्क्वारीज एक्ट की धारा 3/4/4 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें मैण्डेटरी प्राविजन है कि रिपोर्ट आने के 6 माह के भीतर सदन के पटल पर रखी जाय । यह दोनों बातें शाही जी के औचित्य के प्रश्न को पूरा करती हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है, इस दृष्टि से व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शाही जी ने यह जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, कमीशन आफ इन्क्वारी एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट को, जो कमीशन बनाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया जिसमें पहले श्री जी0 डी0 शुक्ला साहब थे । उसके बाद धर साहब हुए । कमीशन आफ डिस्ट्रक्ट लाबल एडमिनिस्ट्रेशन का रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाना था। यह आपने कहा कि इसका नहीं रखा गया इस वजह से औचित्य का प्रश्न है । माननीय, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । माननीय गुप्ता जी ने औचित्य के प्रश्न के बारे में कहा उसके बारे में बाद में कहूंगा । शाही जी से कहूंगा कि वे काफी पढ़े लिखे कर आते हैं, स्वयं ज्ञाता हैं हर चीज के । जो कास्टीट्यूशन स्कीम एण्ड प्रासीजर है इसका उसके पहले पराग्राफ को पढ़ने का कष्ट करें । जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह कमीशन क्यों बन रहा है । यह कमीशन जो है कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट उसके अन्तर्गत नहीं बना है । यह कमीशन उनसे अलग बना है । डिस्ट्रिक्ट लेबिल के प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए यह बनाया गया । अगर यह इन्क्वायरी आफ कमीशन एक्ट के तहत आता तो संविधान की धारा और अनुच्छेदों का और जो नियमावली बता रहे हैं उससे प्रभावित होती । उससे इसका सबंध नहीं है, उससे औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । माननीय सदस्य यादव जी ने प्रश्न उठाया था, उसके ऊपर काफी संस्तुतियां जो भी वह सदन के पटल पर रख दी गयी थीं । यह पब्लिक डाकूमेंट है इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है । जिसके तहत यह कमीशन बनाया गया है, जिन धाराओं के अन्तर्गत बनाया गया है, यह कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्तर्गत नहीं बनाया गया है, जो मेन्डेटरी होता यहां रखने के लिये ।

दि गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश इन दियर नोटीफिकेशन नं0 यू0 ओ0 174/1-4-83—आर-4, डेटेड जून 7, 1983 एपाइन्टेड ए वन मैन कमीशन आफ डिस्ट्रिक्ट लेबिल एडमिन0 (एक्यार 1 इन पार्ट 1) विद दि फालोइंग मेन प्वाइन्ट्स आफ रिफरेन्स ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जो अपना नोटीफिकेशन दिया है, नम्बर दिया है वन मेन कमीशन, जिला प्रशासन को सुधारने के लिये एक कमीशन का गठन किया गया निम्न-लिखित इसको रेफरेंस दिये है—

दि फंकशनल एण्ड स्ट्रक्चरल चेंज मेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एट दि डिस्ट्रिक्ट लेविल ड्यूरिंग दि लास्ट फ्यू डिकेड्स ।

पिछले चन्द सालों में क्या-क्या तब्दीलियां वहां पर जिला प्रशासन में वेरियस मुख्त-लिफ स्टेजेस पर हुई ।

नेसेसरी स्टेप दैट शुड बी टेकेन टू इम्प्रूव दि इफीशियन्सी आफ दि डिस्ट्रिक्ट एड-मिनिस्ट्रेशन ।

जो आवश्यक कदम उठाये जाने है, जिला प्रशासन किस प्रकार से वह सुधार लायें । यह बिन्दु रेफेरेन्स के रखेगये । अगर यह कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्तर्गत लिया गया होता और उसके तहत रिपोर्ट आयी होती और आपके समक्ष रखी नहीं गयी होती तो आपको अधिकार है, उस बारे में औचित्य का प्रश्न उठा सकता है । माननीय गुप्त जी ने कहा कि यह विषय कार्यवाही से सम्बन्धित है, इसलिये औचित्य बनता है । मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं नियमावली के नियम 300 की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं । 300 के बाद उपधारा 2 देखें । औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा । जो मामला आज के सम्बन्ध में आज के एजेन्डे में जो चीज है, उसके आइटम से सम्बन्धित है उसके सम्बन्ध में औचित्य का वश्न उठाया जा सकता है न कि पिछले दिनों क्या हुआ, उसका औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । यदि माननीय सदस्यगण चाहेंगे तो इसकी प्रति हम उपलब्ध करा सकते हैं । हमें इस चीज को छिपाना नहीं है । जो मुनासिब मशविरे हैं उनको हम जानना चाहते हैं । अगर कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत यह हुआ होता तो आपकी बात थी, यह उसमें नहीं हुआ ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सदन में घोषणा हुई संसदीय परम्परा के अनुसार सदन के पटल पर इसे रखा जाना चाहिये, यह कैसे उस जिम्मेदारी से बच सकते हैं । इन्होंने कानून को तोड़-मरोड़ दिया । माननीया इन्दिरा गांधी जी की हत्या के बाद इन्क्वायरी बैठी, वह कमीशन आफ इन्कवायरी एक्ट के तहत बैठी । उसको सदन के पटल पर नहीं रखना चाहते थे, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था । उससे यह अधिकारों से लैस हो गये, कह दिया नहीं रखा जा सकता । अगर आपका संसदीय परम्परा में विश्वास है तो इसे यहां रखा जाना चाहिये ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय पाण्डे जी औचित्य के प्रश्न में यह कह रहे हैं या संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत कह रहे हैं । संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत जो चीज जानना चाहें, उसे हम यहां उपलब्ध कराने के लिये हर समय तैयार हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मुतावातिर तरीके से सरकार की तरफ से यहां बिठाये गये हैं । आप मेरा औचित्य का प्रश्न सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

शाही जी, अब हो गया, अब आप आसन ग्रहण कीजिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, कहा गया था कि रिपोर्ट सदस्यों को वितरित कर दी जायगी, एक अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा था ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सरदार सिंह को बुलाया है, मैं उनको सुनूंगा ।

(श्री शारदा नन्द अंचल के खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अंचल जी, आप बैठिये ।

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह कभी व्यवस्था खत्म नहीं होगी । अगर हर आदमी इसी तरह स्पष्टीकरण मांगता रहेगा, तो सदन नहीं चल सकेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, नियम 301 व 300-झ देख लें । मंत्री जी ने बड़ी विद्वता का परिचय देते हुये उसे व्यवस्था के प्रश्न से लिंक कर दिया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, रिपोर्ट आज तक सदन के पटल पर नहीं आयी है । आज 10 मार्च हो गया है । यह मसला पूरे प्रदेश के प्रशासन तंत्र से जुड़ा हुआ है और प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कमीशन आफ इन्कवायरीज एक्ट के अंतर्गत पेश नहीं हुआ ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि सदन की अनुमति के बिना यदि आफीसियल गजट में प्रकाशित करके इसे कमीशन गठित करती है, तो उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना होगा [×××]

श्री उपाध्यक्ष—

कहां लिखा है, मुझे दिखा दीजिये ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

गुप्ता जी आप बैठिये, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैंने सरदार सिंह को बुला लिया है ।

श्री बसंत लाल, परगनाधिकारी गाठ, मथुरा के खिलाफ माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सरदार सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्नों के माध्यम से कई विशेष समस्यायें सदन में सदस्य उठाते हैं । इसी तरह 21 तारीख को मैंने भ्रष्टाचार के संबंध में एक सूचना दी थी । जिसमें एक परगनाधिकारी छाता श्री एस0 पी0 अंजोर तथा श्री बसंत लाल, एस0 डी0 एम0, गांठ के संबंध में बात थी । सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया गया, वह केवल बसंत लाल के संबंध में था, जिससे सदन में भारी असंतोष हुआ और तब मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि जिलाधिकारी को हम लखनऊ बुलायेंगे और एस0 पी0 अंजोर और बसंत लाल के संबंध में जानकारी करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे । आज 15 दिन हो गये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी । यह दोनों अधिकारी अपने यहां ऐलान कर रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी भी शामिल हैं कि सदन में सवाल उठाकर हमारा क्या बिगाड़ लिया, सदन तो बेकार है, सदन में कोई चीज उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता । मुझको जिलाधिकारी ने बुलाकर कहा कि सदन इसमें कुछ नहीं करेगा और माननीय मुख्य मंत्री तो कहते हैं कि परिवार कल्याण और अल्प बचत में काम करो, विधायक लोग तो आरोप लगाते ही रहते हैं, यह माननीय विधायकों की आदत बन गयी है । मान्यवर, जो आरोप सिद्ध पाये गये और जिनको सरकार ने स्वीकार कर लिया हो, उनके खिलाफ कार्यवाही न करना अत्यन्त शर्म की बात है । एस0 पी0 अंजोर पुराने हिस्ट्रीशीटर हैं और उनके कैरेक्टर रोल में 6-7 प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं ।

मान्यवर, अफसोस इस बात का है इस सदन में प्रदेश का मुखिया एक घोषणा करता है, किन्तु उस घोषणा का पालन नहीं होता है । जिलाधिकारी और एस0 डी0 एम0 हमारा व विधान सभा का मखौल बनाते हैं, यह बड़े खेद की बात है ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, श्री सरदार सिंह जी ने एक बात कही, उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी यह परिपाटी रही है कि यहां जो चीज माननीय सदस्य कहते हैं, उसे सत्य

नोट :—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माना जाता है, जब तक कि वह अन्यथा साबित न हो जाय । माननीय श्री सरदार सिंह जी ने कहा कि कलेक्टर ने उन्हें बुलाकर कहा कि आप बेकार में विधान सभा में प्रश्न करते हैं । एस0 डी0 एम0 घूम-घूम कर कह रहे हैं कि विधान सभा बकवास है । यदि ये बात सही है तो निश्चित रूप से यह विशेषाधिकार और अवमानना का प्रश्न बनता है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मंत्री जी को और माननीय सदस्य श्री सरदार सिंह जी को कक्ष में बुला लें और विस्तृत जानकारी कर लें । यदि बात सही लगती है तो आप इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें ।

(श्री अम्मार रिजवी जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी ठीक ही है, कक्ष में ही बात हो जायेंगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं श्री तिवारी से बिल्कुल सहमत हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी को सारा सदन जानता है, सारा प्रदेश जानता है, सारा भारतवर्ष जानता है कि वह इस प्रकार की कोई असंसदीय व गैर जिम्मेदार बात भूल में भी नहीं कह सकते हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं मुख्य मंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूं । मैं तो जिलाधिकारी के बारे में कह रहा हूं कि उन्होंने माननीय सदस्य को बुलवाकर कहा कि विधान सभा बकवास है और एस0 डी0 एम0 घूम-घूम कर कह रहा है कि विधान सभा में प्रश्न उठाने से कोई फायदा नहीं है, वह बकवास है । यदि ये बातें सही हैं तो निश्चित ही विशेषाधिकार व अवमानना का प्रश्न है । इसलिए मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री जी व माननीय सदस्य आपके कक्ष में बैठकर बात कर लें और सही बात की जानकारी कर लें । यदि आरोप सत्य है तो इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय । यह कोई पक्ष व विपक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है यह तो सदन की मर्यादा का सवाल है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, ठीक है, हम आपके कक्ष में बात कर लेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, इसकी जानकारी करने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसी दिन आदेश दिया था कि इस पर कार्यवाही की जाय । रिकमन्ड होकर पत्रावली माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां भेज दी गई है । जो भी कार्यवाही होगी, उससे सदन को अवगत करा दिया जायेगा । इसके लिए माननीय सदस्य हमें थोड़ा सा समय और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत सभी सूचनायें अस्वीकार की गईं ।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय के खड़े होने पर ।)

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, श्री पाण्डेय जी ने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना आपको दी थी और उसे आपने अस्वीकार कर दिया । आपका निर्णय शिरोधार्य है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मामला विधान सभा के कर्मचारियों का था ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, यह ठीक है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें हमने यह परम्परा बनाई है कि उन पर इस सदन में चर्चा नहीं होगी, परन्तु कभी-कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आती है कि उस पक्ष को भी उस निर्णय से बंधकर ऐसा आचरण करना चाहिए कि उस निर्णय की वजह से किसी को यह न लगे कि हमारे साथ अहित हो रहा है । मेरा अनुरोध है कि आप यहां पर औचित्य का प्रश्न अस्वीकार कर दें लेकिन अपने कक्ष में बुलाकर संबंधित पक्षों को सुन लें ।

भूतपूर्व विधायक श्री कैलाश सिंह के निधन का सदन में शोक प्रस्ताव न आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री गौरी शंकर भइया—

व्यवस्था का प्रश्न है । बलिया जनपद के भूतपूर्व विधायक श्री कैलाश सिंह का 23/24 फरवरी को देहान्त हो गया । कल उनका श्राद्ध था, आज तक सदन में शोक प्रस्ताव नहीं आया । क्या जिला प्रशासन बलिया ने इस सन्दर्भ में कोई सूचना आपके पास भेजी है या नहीं, आज 15 दिन हो गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आज पता लगवा लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, जिलाधिकारी आदेशों के बावजूद भी अवज्ञा करते हैं, यह गलत है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्यों को एक अन्तिम सम्मान हम यहां पर देते हैं, शोक प्रस्ताव करके । जिलाधिकारी की ड्यूटी है कि माननीय सदस्यों का देहान्त होते ही विधान सभा सचिवालय को सूचित करें । सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है, निर्देश दिये गये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र सूचना भेजे । अधिक से अधिक 3-4 दिन के अन्दर सूचना आ जानी चाहिए, नहीं तो सम्बन्धित अधिकारी दोषी ठहराये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह मामला जो गौरी भइया ने उठा दिया, गम्भीर है । ऐसी बहुत सी शिकायतें आयी हैं । आप इसका पता लगा लें । अगर हमारे सचिवालय को सूचना मिल गयी है तो कोई बात नहीं है । जिलाधिकारी, बलिया ने ऐसे दुखद समाचार की जानकारी सदन को नहीं दी है । जिलाधिकारी, बलिया इस आदरणीय सदन की अवमानना करने के भागीदार हैं । अभी सदन के उठने के पहले आपको जानकारी मिल जाय, अगर जिलाधिकारी, बलिया ने सूचना नहीं दी है तो उनके विरुद्ध जरूर-जरूर कार्यवाही की जाय ।

लोकनिर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

इसको सुनिश्चित कर लेंगे कि जानकारी तुरन्त मिल जाया करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर श्री के0 एम0 राय के स्थानान्तरण के संबंध में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को पूर्ति न करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विष्णु देव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पिछली 25 फरवरी, 89 को इसी सत्र में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने मेरे प्रश्न संख्या 117 के उत्तर में दिया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर के0 एम0 राय, जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठें ।

श्री विष्णु देव—

मैंने 7 मार्च को औचित्य का प्रश्न दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री विष्णु देव—

उस भ्रष्ट सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण आज तक नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—

बैठिए, बैठिए ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इस पर कार्यवाही कर रहे हैं, माननीय गुप्ता जी को सूचित कर देंगे ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 1989 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 मार्च, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मार्च, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 1989 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 मार्च, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मार्च, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

जनपद सिद्धार्थ नगर में बढ़नी तथा नौगढ़ के बीच चीनी मिल स्थापित किये जाने विषयक हस्ताक्षरित याचिका†

श्री धनराज यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से जनपद सिद्धार्थ नगर में बढ़नी तथा नौगढ़ के बीच चीनी मिल स्थापित किये जाने विषयक सर्वश्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, जगदीश पाण्डेय, कृष्ण शंकर त्रिपाठी तथा श्याम बिहारी तिवारी, निवासीगण, जनपद सिद्धार्थ नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 10-3-1989 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से निम्नलिखित 10 सूचनाएं चयनित की गयीं :—

1—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय — उत्तर प्रदेश की बिहार सीमा पर बिहार सरकार द्वारा उ0 प्र0 के हास्यनगर मौजे में मिलिट्री पुलिस लगाने और गुण्डों द्वारा उ0 प्र0 की 2601 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल पर अवैध कब्जा करने के प्रयास के फल-स्वरूप जनता में व्याप्त भय एवं आक्रोश के सम्बन्ध में ।

2—श्री विजय सिंह राणा.
श्री रघवर दयाल वर्मा.
श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी — आगरा व मथरा जनपद में कुओं का पानी सख जाने से उत्पन्न पेय जल की समस्या के सम्बन्ध में ।

3—श्री विष्ण देव — थाना मधवन, जनपद मऊ की पुलिस द्वारा ग्राम कटघरा शेंकर के एक मल को गिरफ्तार करके उसे गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में ।

4—श्री राज किशोर सिंह — काशी सहकारी चीनी मिल औराई, वाराणसी की प्रबन्धकीय लापरवाही एवं दुर्व्यवस्था के कारण मिल बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

5—श्री बेनी प्रसाद वर्मा
श्री राम सागर — बाराबंकी जनपद के थाना रामनगर की पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त — बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्याओं के सम्बन्ध में ।

7—श्री कौशिक रमा शंकर
श्री अशोक वाजपेयी
श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी — तालकटोरा, लखनऊ में अबोध बालिकाओं के अपहरण एवं बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

---

†छापी नहीं गयीं ।

8—श्री शारदा प्रताप — लखनऊ जनपद के थाना बन्थरा के ग्राम रतौली के प्रधान व उनके पिता की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में ।

9—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा — बांदा जनपद की घोषित नई तहसील अतर्रा को कार्य रूप में परिणित किये जाने के लिये राजनीतिक दलो द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में ।

10—श्री अनुग्रह नारायण सिंह
श्री गोपाल दास यादव
श्री यदुनाथ सिंह
श्री राकेशधर त्रिपाठी
श्री जवाहर सिंह यादव
श्री चन्द्र सेन — न्याय पालिका के विकेन्द्रीकरण से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता एवं अधिवक्ताओं में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री विक्रमादित्य पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी सूचना में साठ साल के बूढ़े की बात है । बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां तो नियमानुसार ही काम होगा । सभी की सूचना इम्पारटेन्ट है, लेकिन जो नियम में आयेगा वही तो करेंगे ? इसमें हम क्या करें ?

श्री हरेन्द्र सिंह—

मुझे सुन तो लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे मैं नहीं सुनूंगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मैं आपके निर्णय के विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री हरेन्द्र सिंह सदन को त्याग कर चले गये ।)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

आप सुनेंगे क्यों नहीं ? केवल कुछ लोगों को ही स्वीकार करियेगा [×××]

श्री उपाध्यक्ष—

जो नियम में आयेगा, वही तो लेंगे । जो शलाका से आयेगी वही यहां पर सुनी जायेगी ।

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुख पाल पाण्डे—

आप ही हरिजन की बात को नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा ? [XXX] । आपसे मेरा निवेदन है कि आपके प्रस्ताव से कई दर्जन हरिजन छात्रों के लिये आवास पांच-पांच हजार रुपये से बने हुए हैं और वे खाली पड़े हुए हैं । उनमें न तो हरिजन छात्रों को ही रखा गया है और न वहां पर उनके लिये कोई नौकर आदि की व्यवस्था की गयी है और न वहां पर उनका कोई खाना बनाने वाला ही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय पाण्डे जी, आप दुबारा इसे दे दीजियेगा । अगर नियम में आयेगी तब बोलियेगा । नियम से काम होना चाहे हरिजन का मामला हो या गिरिजन का मामला हो, नियम से ही यहां आ पायेगा ।

पाण्डे जी बैठिए, आयेगा नियम से ही चाहे हरिजन का हो या गिरिजन का दुबारा आप लिखकर दे दीजिए . . . . .

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मैं चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इस पर आज चर्चा करावें और इस प्रकार से आप समय न देकर ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को टालने की कोशिश न किया कीजिए . . . . .

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान ।)

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी बैठिए, मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं, मूलचन्द्र जी बैठ जाइए और एक की वकालत दूसरा क्यों करे . . . . कृपया बैठिए ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का पूर्वी छोर बलिया जनपद से सटे हांस नगर मौजे में बिहार सरकार ने पूरी सीमा पर बिहारी मिलेट्री फोर्स लगा रखी है । मान्यवर उत्तर प्रदेश का बलिया का यह हांसनगर मौजा 2601 एकड़ भूमि का है, 1882 के बन्दोबस्त से अब तक इस पर हांसनगर के काश्तकारों का कब्जा रहा है । मान्यवर यह भूमि बहुत पहले डुमराऊ महाराज की थी, जिसे एक समझौते के तहत हांसनगर के काश्तकारों की मानी गयी । 1926 के पूर्व उत्तर बिहार सीमा धूर-धारा के अन्तर्गत तय होती थी । इस धारा के उत्तर की ओर में उत्तर प्रदेश था और दक्षिण साईड में बिहार माना जाता था, परन्तु 1926 में गंगा नदी के कटाव के कारण हांस नगर मौजे का कुछ भाग नेपी जोर मौजे में चला गया उसी समय से यह सीमा विवाद प्रारम्भ हो गया । फिर 1928 में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 1882 की बन्दोवस्त के अनुसार सारी भूमि हांसनगर के काश्तकारों की मानी गयी । 1928 के बाद फिर गंगा नदी में इतना कटान हुआ कि सीमा का चित्र ही बिल्कुल बदल गया और यह सीमा विवाद और उग्र रूप धारण कर लिया । तत्कालीन मान्यवर, बिहार के मुख्य मंत्री श्री बाबू सिंह थे और उत्तर प्रदेश में पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त थे । दोनों प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने सीमा विवाद को पंडित जवाहर लाल नेहरू को जो उस समय देश के प्रधान

नोट :—[X X X] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मंत्री थे पंच के रूप में सौंपा । श्रीमन्, इस सीमा विवाद को हल करने के लिए माननीय श्री चन्द्र लाल त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया जिसने अपना रिपोर्ट सन् 1965 में दी । उस रिपोर्ट में 2601 एकड़ भूमि स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश को मान ली गयी । श्रीमान्, त्रिवेदी आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सीमा पर पत्थर गाड़वा था । कुछ पत्थर गाड़े भी गये लेकिन, हासनगर की सीमा पर बस बिहार के रानी जोर के काश्तकारों ने सीमा पर के पत्थर को उखाड़ फेंका । इस पर मुकदमा चला और यह तय हुआ कि वह सारा जमीन उत्तर प्रदेश के काश्तकारों का है । श्रीमन्, 25 फरवरी को बिहार सरकार ने बोलेरा से सट हास्यनगर की सीमा पर मिलट्री फोर्स लगा रखा है । रानी जोर के गुण्डे फोर्स की सहायता से फसल काट रहे हैं । बी0 एम0 पी0 के लोग रुक-रुक कर फायरिंग करते हैं, वहां की स्थिति विस्फोटक हो गयी है । श्रीमन् मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन के काम को रोक कर इस पर चर्चा करावें । साथ ही साथ मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहां की फसल को हासनगर के किसान काट सकें । मैं अनुरोध करूंगा कि यह स्थिति कहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा विवाद न बन जाये, उत्तर प्रदेश का यह सीमा विवाद कहीं भारत और पाकिस्तान की सीमा विवाद की स्थिति न ले ले, इसलिये मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उच्च अधिकारियों को बुला कर सीमा विवाद को सदैव के लिए सुलझावें ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, पाण्डेय जी ने जो सूचना दी है वह जहां तक जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में सूचना सही है कि इस प्रकार के अवांछनीय तत्व इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वह खड़ी फसल को काट लें और मान्यवर, इस सम्बन्ध में पूरी तत्परता से कार्यवाही की जा रही है 2 बैठके इस सिलसिले में हो चुकी है । एक 2-3-89 को बिहार के बक्सर में, 4-3-89 को दोनों प्रदेश के अधिकारियों की बैठक पटना में हुयी और 14-3-89 को एक उच्च स्तरीय बैठक होना प्रस्तावित है । दोनों ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि असमाजिक तत्व, एन्टी सोशल एलीमेन्ट किसी प्रकार वहां पर अपना काम न कर सकें । बिहार की ओर से मिलेट्री पुलिस लगायी गयी है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से डेढ़ सेक्शन पी0 ए0 सी0 लगायी गयी है और जरूरत पड़ेगी तो और फोर्स भेजी जायेगी वहां पर एक मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगायी गयी है । साथ ही साथ व्यवस्था की गयी है कि किसी तरह से वहां पर खड़ी फसल को वहां के रहने वाले काट सकें उनकी फसल को कोई नुकसान न पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिये दोनों प्रदेश के उच्च अधिकारियों की बैठक होगी तो जो फसल काटने के सम्बन्ध में समस्या है उसका निराकरण हो जायगा ।

मान्यवर, यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं है यह प्रशासनिक समस्या है और इस समस्या को सुलझाने के लिये शासन जागरूकता के साथ काम कर रहा है । इस समस्या को देखते हुये माननीय पाण्डे जी जो और सूचना देंगे, शासन की ओर से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा कि वहां पर किसी तरह की घटना न हो । उन्होंने जो इस विषय में शासन का ध्यान आकृष्ट किया है उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, इस प्रकार की कई बार बैठके हो चुकी हैं लेकिन उनसे कोई हल नहीं निकला है बिहार के लोग मिलेट्री पुलिस लगाये हैं, वहां के लोग हमारी सम्पत्ति को लूट ले जा रहे हैं, जानवर खोल ले जा रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि वहां पर

पुलिस लगायी गयी है लेकिन हमारा पुलिस मूक दर्शक बनी बैठा है, हमारा जानमाल की रक्षा पुलिस नहीं कर पा रही है, हमारे प्रदेश की सीमा रक्षा के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है ?

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, बहुत अच्छा हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये । आगरे में पीने के पानी की समस्या बड़ी गम्भीर हो गयी है, उसका बयान नहीं किया जा सकता है । जमीन के नीचे का वाटर लेबल जो है वह निरन्तर नीचे चला जा रहा है । इस साल उम्मीद थी क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत वर्षा हुयी थी कि जल स्तर मेनटेन होगा लेकिन वह निरन्तर गिरता चला जा रहा है । उसका कारण यह है कि पानी नीचे चले जाने से जिन कुओं में थोड़ा बहुत पानी था भी वहां पर भी पानी नहीं रह गया है । जो हैंडपम्प सरकार द्वारा लगाये गये थे उनमें आधे से ज्यादा कुयें खराब हो गये हैं और में जमीन के नीचे पानी नहीं है । इसलिये माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आगरे की यही समस्या बनी रही जो कि आगे और भी खराब हो रही है तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी । आपके पास पीने के पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं है । हैंडपम्प लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक कि नीचे जल स्तर से पानी नहीं मिलेगा । इसलिये मेरा सुझाव है आगरा और मथुरा जिले की इस पानी की समस्या के लिये जो सुझाव दिया गया था कि वहां पर जो छोटी-छोटी 8-10 नदियां हैं जैसे जमुना, चम्बल, खारी, किवाड़, उड़गन, सिरसा, सेंगर, करवन आदि इन पर 20—20 किलोमीटर पर एक-एक बन्धा बनवा दिया जाय जिससे इन कुओं में पानी का भराव होगा और वाटर लेबिल ऊपर आयेगा । इस तरह से वहां पानी की समस्या का समाधान हो सकता है ।

दूसरी बात यह है कि मध्य गंगा कैनाल जो बिजनौर से निकली है वह मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर होकर अलीगढ़ में हाथरस ब्रांच तक आ रही है । इस कैनाल को जमुना पर एक्वीडक्ट बनाकर आगरा कैनाल से जोड़ दिया जाय । इसी तरह से टेहरी डैम परियोजना में जमुना पर एक्वीडक्ट बनाये जाने का प्रस्ताव है । मेरा निवेदन यह है कि इस एक्वीडक्ट को बनाने वाले कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पहले ही पूरा कर दिया जाय । इससे खरीफ में मध्य गंगा कैनाल का पानी और रबी में हरियाणा होकर आगरा कैनाल में आने वाले पानी को कोसी और छाता के बीच में होकर आगरा कैनाल में जोड़ दिया जाय । इससे हरियाणा द्वारा जो हमारे पानी का शोषण हो रहा है वह समाप्त हो जायेगा । हरियाणा वर्तमान में हमारा 65 प्रतिशत पानी ले रहा है और हमारी इससे दुर्गति हो रही है । इससे इस शोषण का अन्त हो जायेगा ।

मथुरा में गोकुल बैराज का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी अभी करके आये हैं । उसके बन जाने में हमारी कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यह निश्चित है कि गोकुल बैराज के बन जाने से आगरा को मिलने वाले पानी में कमी आ जायेगी । इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार के पास कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता है । केवल एक ही तरीका है कि आगरा में जमुना नदी पर बनने वाले बैराज के कार्य को भी साथ-साथ टेक-ओवर कर लिया जाय । जमुना पर बैराज का प्रस्ताव आगरा के सभी जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने और टैक्निशियन्स ने एक मत से ताजमहल के नीचे महल बादशाही के पास बैराज बनाये जाने का प्रस्ताव किया है । इस पर शासन को तुरन्त निर्णय लेकर उस पर कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ग्राह्यता पर बोलें । सुझाव न दें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आगरा में इन नदियों पर बन्धा बनाये जाने से वहां के खारे पानी को भी समस्या का समाधान हो जायेगा । क्योंकि यह देखा गया है कि खारे पानी के कुओं में तालाबों के किनारे जो कुयें बने हैं उनका पानी माठा होता है क्योंकि खार पानी में बरसात का पानी मिल जाने से पानी का खरापन बदल जाता है । यदि इन नदियों पर बियर बनाये जाते हैं तो उसमें जो बरसात में भराव होगा उस भराव से जमीन के नीचे का खारा पानी बदलेगा और मीठा होकर वह पीने के तथा खेती के उपयुक्त हो सकेगा । इसीलिये प्राथमिकता के आधार पर छोटी-छोटी नदियों पर बैराज बनाये जाने के कार्य को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आगरा फिरोजाबाद, मथुरा में जमुना नदी तथा जो 8 नदियां माननीय राणा जी ने गिनाई है उनके किनारे के गांव शहर जितने हैं उनके कुयें है उनका जल स्तर दस-दस फट नीचे चला गया है । फिरोजाबाद में 25 ऐसे ग्राम है जिनमें बिल्कुल पानी नहीं है । वहां पर लोग परेशान है । मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता । 20 गांव वहां पर ऐसे है जहां पर कुयें सूख गये है और लोग पानी की एक-एक बूंद के लिये तड़प रहे है । फिरोजाबाद की 4 लाख की आबादी है । नलकूप के अलावा पानी का वहां पर कोई स्रोत नहीं है । उसमें 7 नलकूप खराब पड़े हुये है । 12 नलकूप चल रहे है जो पानी नहीं दे पा रहे है । इसीलिये वहां पर पानी का संकट हो गया है । इसीलिये इन नदियों में बन्धे बनाये जांय । गोकुल का बैराज बनाने से आगरे को पानी नहीं मिलेगा और वहां के लोग प्यासे रह जायेंगे । खारे पानी की विकट समस्या है मथुरा से बटेश्वर नाथ तक का पानी नदी के किनारे के ग्रामों का पानी खारा है और दिल्ली के बाद जो पानी आता है वह जमुना का नहीं है गन्दा है ऐसी स्थिति में जो पानी जमुना नदी से मिल जाता है वह मूत्र से भी ज्यादा गन्दा है जो आगरा को मुहैया होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं एक हाई पावर तकनीकी कमेटी आपकी तरफ से जाय जो इन सारे तथ्यों की जानकारी करें और आगरा में जो बैराज महल बादशाहों में बनना है उसको प्राथमिकता दें । क्योंकि इस समय टुंडला का भी जमुना नदी से पानी मिल रहा है जिससे यमुना का पानी निरन्तर घट रहा है और जो आसपास के ग्रामों के लोग है नदियों के किनारे जो रहते है वह लोग भी परेशान है क्योंकि जलस्तर नीचे चला गया है हाई पावर तकनीकी विशेषज्ञ समिति बनायें । इसीलिये इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराई जाय यही मेरी आपसे प्रार्थना है ।

आवास जल सम्पूर्ति राज्य मंत्री (श्री श्रीनाथ सिंह)—

श्रीमन्, माननीय राणा जी ने स्वीकार किया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गोकुल बैराज का शिलान्यास किया है और उसके लिये 3 करोड़ का प्राविधान भी हो गया है, धन आवंटित भी हो गया है । राणा जी, हंसिये नहीं, जो सत्य है उसको सुनिये । आगरा बैराज के सम्बन्ध में भी साइट लोकेशन कमेटी...

श्री विजय सिंह राणा—

मेरी शिकायत यह थी कि आगरा को पानी नहीं मिलेगा इसको वह उल्टा न समझें जो गोकुल में बैराज बन रहा है उससे आगरा की समस्या हल नहीं होगी । मैंने कहा मथुरा में माननीय मंत्री जी ने शिलान्यास किया है मुझे खुशी है उनको समस्या का समाधान होना चाहिए लेकिन उससे आगरा की समस्या और गम्भीर हो जायेगी (व्यवधान) हम चाहते हैं कि मथुरा को भी पानी मिले और आगरा को भी मिले ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको सुन लीजिये जब मौका मिलेगा उसके बाद स्थिति से अवगत करा दें ।

श्री श्रीनाथ सिंह—

आगरा की जल आपूर्ति की समस्या शासन के ध्यान में है इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक पोषित अर्बन डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत इसे लिया गया है जिसमें हैण्ड-पम्प लगा कर जल आपूर्ति का काम किया गया है तथा कीटम झील से भी 100 क्यूसेक पानी दिया जाता है । जब झील में पानी कम हो जाता है तो यह छोड़ा जाता है (व्यवधान) निसन्देह हर जगह पानी का स्ट्रेटा नीचे जा रहा है । आगरा और मथुरा में पानी की समस्या जरूर दुरूह है इसको ध्यान में रखते हुये काफी हैण्ड पम्प वहां लगाये गये । यह कहना कि वह फेल हो रहे हैं ठीक नहीं है । जिस तरह से मांग है माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी उसके लिये रोज मांग करते हैं । तो हैण्ड पम्प योजना बेकार नहीं है समस्या जरूर है । आपके जो सुझाव आये हैं वे निःसन्देह अच्छे हैं । इसके बारे में परीक्षण कराया जा रहा है और शीघ्र इस पर सिंचाई विभाग से परामर्श करके कोई न कोई निर्णय यथा शीघ्र कर लिया जायेगा । (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आगरा बैराज के बारे में क्या किया ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कामरोको प्रस्ताव पर सुन रहा हूं इस समय सुझाव की कोई बात नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा एक निवेदन सुन लें, कल भी यहां पेय जल समस्या का एक सवाल आया था मंत्री जी ने कहा साहूयता के जवाब में उस समय भी कहा था कि संसाधनों का अभाव है तब मैंने प्रश्न किया था माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय यहां पर हैं आप सहमत होंगे कि शुद्ध पेय जल बहुत जरूरी है चाहे समाजवादी समाज में विश्वास रखने वाले हों या लोक कल्याण-कारी सरकार में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है । करीब-करीब 6 हजार गांवों में अभी भी शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं है । तो जहां-जहां पेय जल का संकट पैदा हो गया है उसे दूर करने के लिये चाहे वर्ड बैंक के माध्यम से या केन्द्र सरकार के अनुदान से या अपने बजटरी प्रोवीजन्स से इसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास करेगी । मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, इसलिये चूंकि प्रदेश के हर कोने से पेयजल की समस्या के समाचार आ रहे हैं, इसलिये वह इस पर प्रकाश डाल दें ?

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया । इस प्रस्ताव की एक विशेषता है जो मैंने सामान्यतः अन्य प्रस्तावों में कम देखी है कि इसमें सुझाव दिये गये हैं, इसमें आलोचना नहीं है बल्कि ठोस सुझाव दिये गये हैं कि क्या करना चाहिए जैसे गोकुल बराज और आगरा बैराज का निर्माण किया जाये और गंगा कैनाल के पानी को दूसरी कैनाल में डाला जाय, यह सुझाव है, इस प्रकार के सुझावों से हमको सहायता मिलती है । इसीलिये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी सुझावों पर त्वरित गति से विचार किया जायेगा । मैंने यह भी कहा है कि गोकुल बैराज और आगरा बैराज का जो प्रस्ताव है उसे आठवीं योजना में निर्माण करना ही है इसीलिये शासन ने कई बार घोषणा किया है कि गोकुल और आगरा बैराज का आठवीं योजना में निर्माण कराया जायेगा । सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि गोकुल बैराज की टेक्निकल क्लीयरेन्स सेन्ट्रल से प्राप्त हो गयी है, तो वह कठिनाई भी दूर हो गयी है । मैं सोचता हूं कि जैसा कि सुझाव दिया गया है कि इसमें एक हाई पावर कमेटी बना दी जाये जिसमें हाईड्रालोजी और ग्राउन्ड वाटर इक्सपर्टस हों । इसके अलावा जहां- जहां खारे पानी की शिकायत हो जैसे शहरी या देहाती क्षेत्रों में, या बुन्देलखण्ड, बांदा, इलाहाबाद आदि जहां से शिकायतें हों वहां हाईड्रालोजिकल सर्वे कराकर योजना बनाई जाये और आठवीं योजना में निर्माण कार्य कराये जायं ।

श्री विष्णु देव—

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, जनपद मऊ के थाना मधुबन के ग्राम कठधरा शंकर के पप्पू मल को 2 मार्च की शाम को हृदयपट्टी में मधुवन थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उसी रात को ग्राम गांगेबीर से 400 मीटर पूर्व ले जाकर एक ताड़ के पेड़ में बांधकर गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गयी । यह लड़का हमारे गांव का था जिसके खिलाफ चोरी की शिकायत थी, पुलिस ने इसको कई बार गिरफ्तार किया और पैसा लेकर मामूली मामले में भेज दिया लेकिन इस बार इसे जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसको बहुत तंग किया और उससे लम्बी रकम पुलिस चाहती थी जिसके लिये पप्पू मल तैयार नहीं हुआ, तो पुलिस अपनी धाक, आतंक और भय जमाने के लिये पुलिस ने उसे ताड़ के पेड़ में बांधकर गोली मार दी । इससे उस क्षेत्र में आतंक और भय का वातावरण व्याप्त है ।

मान्यवर, मधुबन थाने का थानाध्यक्ष भ्रष्ट है जिसके खिलाफ भी मैंने मामला उठाया था । ग्राम चक्की मूसा डोली में 300 एकड़ बंजर भूमि को दो जबरदस्त परिवारों ने हड़प लिया है जिसके विरुद्ध जिला अधिकारी और परगना अधिकारी के आदेशों के बावजूद मधुवन थाने की पुलिस और थानाध्यक्ष ने पैसा लेकर कोई कार्यवाही नहीं किया है और सारी भूमि की फसल करीब 1 1/2 लाख रुपये की वहां के गुंडे लोगों ने काट लिया है जिनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये पुलिस के पास समय नहीं है । लेकिन इस तरह पप्पू मल को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर जो निर्मम हत्या की गयी है यह गम्भीर मामला है । इसीलिये निवेदन है कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)—

इसमें सूचना एकत्र कराई जा रही है । प्रयास के बावजूद अभी इसमें सूचना नहीं आ पायं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

हम वक्तव्य एलाउ कर देंगे, आ जाएगा ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

यहां पर गुप्त जी ने जो सवाल उठाया है, उससे मैं सहमत हूं और आप भी इस पक्ष के होंगे कि किसी का भी फर्जी इन्काउन्टर नहीं होना चाहिए और असली इन्काउन्टर आपकी पुलिस कर नहीं पाती है । जैसा इन्होंने कहा कि उस आदमी पर एक चोरी का आरोप था और उसके लिए कानून बना हुआ है आइ0 पी0 सी0 में इसका जेल में जाना चाहिए । इतने गम्भीर मामले में भी यह कहते हैं कि सूचना का आवश्यकता है । सूचना तो माननीय सदस्य ने दे दी है कि उस व्यक्ति को पकड़ कर पेड़ पर लटकाया गया और गोली से मार डाला गया । तो आप इसमें निश्चित आश्वासन दीजिए कि आप उनको दंडित करेंगे । आप इसका आश्वासन स्पष्ट रूप से सदन में दीजिए । माननीय सदस्य की सूचना को सही मानकर आप इसकी गम्भीरता से जांच कराइये ।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, इसमें जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने फरमाया, इस सम्बन्ध में जो कुछ भी है, मैं दिखवा लूंगा और यदि ऐसा हुआ जैसा आपने कहा, जांच से वैसा आया तो जरूर कार्यवाही की जाएगी । जांच से जो जाहिर होगा सूचना आने पर आपको अवगत करा दूंगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

लेकिन किससे जांच कराएंगे ?

श्री सईदुज्जमा—

सूचना आने पर ही मैं कोई निर्णय ले सकता हूं । सूचना आने पर निर्णय ले लिया जाएगा ।

*श्री रामशरण दास—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है । अब यह कहते हैं कि वैसा किया, ऐसा किया, न नाम दे रहे हैं न कुछ । विष्णुदेव जी हमारे बहुत वरिष्ठ, पुराने सोशलिस्ट साथी हैं । हम जितने यहां लोग हैं, उनसे और हमसे भी शायद वह पुराने हैं । यह कोई गलत बात कहने वाले नहीं हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं यह तो बताएं । (व्यवधान) आप क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री रामशरण दास—

आप इनसे क्या बात कहना चाहते हैं, यह तो दीवान जी का काम करते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अभी हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न उठाया, जो बड़ा बुनियादी प्रश्न है । उन्होंने यह ठीक कहा कि इनकाउन्टर किसी सरकार की, किसी शासन की नीति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहा हा सकता ह । म सदन का और उनका आश्वस्त करना चाहता ह कि जिस ढग क इनकाउन्टर का उन्हान बात कहा, यह नात हमारी सरकार का ह। हा नहा सकता ह । मरा क्या किसा भी सरकार का नहा हा सकती ह । इनकाउन्टर ता वह हाता ह वास्तव म जब किसी क्रिमनल का ओर स गाला चल रहा ह और फिर इधर स भी चल और उसम वह अपराधी मारा जाए । किन्तु भल हा काइ तथाकथित क्रिमनल हा उसका फजी चार पर, गाली न चलात हुए मरवा दिया जाए ता यह फजी इनकाउन्टर ह । इस प्रकार क इनकाउन्टर को नीत किसा सरकार की नहा हा सकती ह । मेरे शासन का इसम काइ प्रश्न हा नहा ह और न फजी इनकाउन्टर को प्रात्साहन ही दिया जाए और न यह साचा ही जा सकता ह । जहा तक इस घटना का सम्बन्ध ह । (व्यवधान)

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

जब इनकाउन्टर वाले के साथ में घूमेंगे तो क्या नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सभी ठीक कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं और मैं भी वही कह रहा हूं, आप सुन लीजिए (व्यवधान) जहां तक हमारे सम्मानित सदस्य, जो बहुत समाजवादी विचार-धारा के हैं, ने जो तथ्य कहे हैं, उन तथ्यों की प्राथमिक आधार पर पूरी जांच करा ली जाएगी और इनके पास की सूचना की निष्पक्ष जांच होगी ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जितना कहा मैं उससे सहमत हूं कि सभ्य शासन के अन्दर फर्जी इनकाउन्टर नहीं होने चाहिए मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया है उसमें आपने कहा कि जांच कर लेंगे, तो मेरा इसमें यह अनुरोध है कि सी0 आई0 डी0 या मुख्यालय के अधिकारी से जांच करा लें क्योंकि स्थानीय अधिकारी या इंस्पेक्टर उसको बचाने का प्रयास करते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा ली जाएगी और सूचना आने पर अगर आवश्यक हुआ तो सी0 आई0 डी0 की जांच भी करा ली जायेगी ।

श्री राजकिशोर सिंह—

मान्यवर, वाराणसी जनपद में काशी कोआपरेटिव चीनी मिल औराई स्थित है यह सहकारी चीनी मिल है । यह मिल भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है । मान्यवर 20 फरवरी को ही यह मिल बन्द कर दी गयी और कृषकों को पूरे सीजन में इतना परेशान किया गया कि गन्ने का भुगतान रोक-रोक कर दिया । नतीजा यह हुआ कि किसानों का लगभग तीन लाख कुन्तल गन्ना रह गया और मिल के मैनेजमेन्ट ने उसको नहीं लिया जो वहां प्रधान प्रबन्धक हैं और मिल के सी0 सी0 ओ0 ठाकुर वीरेन्द्र सिंह हैं उनके भ्रष्ट कार्यकलाप के कारण किसानों को दुर्दिन का मुंह देखना पड़ रहा है । लाखों कुन्टल गन्ना पड़ा रह गया और सूख गया सूखने के बाद मिल में लाया गया जिससे नुकसान उठाना पड़ा । सुरक्षित क्षेत्र मान्यवर, मेंड़िया से चीनी मिल को बहुत गन्ना मिलता था वीरेन्द सिंह की मिलीभगत से और मैनेजर की वजह से मेंड़िया का कांटा बन्द हो गया और उस कांटे पर मध्य प्रदेश सरकार का कब्जा हो गया जिससे बहुत नुकसान हुआ । बहुत सी जगहों पर हफ्तों-हफ्तों गन्ना पड़ा रहा

आर मिल ने नहीं उठाया न यह सोचा कि कितना नुकसान उठाना पड़ेगा । माटिनगंज में करीब 30 लाख कुन्टल गन्ना सूखता रहा उसको उन्होंने नहीं उठाया, जब उसको उठाया, और उसकी पेराई हुई तो उसकी रिकवरी बहुत कम आई, जिसकी वजह से मिल को नुकसान हुआ । लोकल ट्रांसपोर्टर और गोरखपुर ट्रांसपोर्टर के मान्यवर, अलग-अलग रेट हैं जिसकी वजह से भारी हेरा-फेरी हुई है । वहां के सी0 सी0 ओ0 साहब और प्रधान प्रबन्धक ने अलग-अलग रेट दिए और उसी हिसाब से बिलों का भुगतान किया गया । इसके अलावा जो काम मिल के अन्दर हो रहा है उससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, मिल के अन्दर रास्ता बना हुआ है उसको बिला वजह उखड़वा दिया और 30 हजार ईंटों को बेच खाया । इस मिल में नाना-प्रकार के गलत काम हो रहे हैं इसका नतीजा यह है कि वह मिल किसी भी दिन बन्द हो सकती है आने वाले सीजन में उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा । जब से यह मिल बनी है घाटे में चल रही है । उसका मुख्य कारण है कि इस मिल का सी0 सी0 ओ0 बहुत भ्रष्ट है उसके भ्रष्टाचार की वजह से मिल को भारी नुकसान पहुंच रहा है शासन इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है इस मिल में किसानों की गाढ़ी कमाई का रुपया लगा हुआ है वह चौपट हो जाएगा, मैं मांग करूंगा कि सदन की कार्यवाही को रोककर आप इस विषय पर चर्चा कराएं ।

गन्ना विकास एवं गृह राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राजकिशोर सिंह जी द्वारा जो काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं बनती है । मैं भी बनारस का रहने वाला हूं और माननीय राजकिशोर सिंह भी बनारस के रहने वाले हैं ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, यह भी बनारस के रहने वाले हैं और वह भी बनारस के रहने वाले हैं । दोनों में आपस में मेल-मिलाप है, दोनों के उम्र भी एक ही है और दोनों का रंग भी एक ही है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह 20 फरवरी को औराई चीनी मिल बन्द हो गयी । यह केवल 93 दिन चली थी । पिछले साल लगभग 100 दिन चली थी । यह बात सही है कि मेंड़या में एक क्रय केन्द्र स्थापित किया गया था जो राजा तालाब सीखर ब्लाक में पड़ता है । मध्य प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया था कि वहां पर एक प्राइवेट क्रेशर लगा है, गन्ना बहुत कम था तो मध्य प्रदेश सरकार ने निवेदन किया कि उसको गन्ना मिर्जापुर से उपलब्ध करवा दिया जाय ।

मिर्जापुर में क्रय केन्द्र गंगा नदी के दाहिने किनारे पर लगना चाहिये था लेकिन वह बायें किनारे पर लग गया । यह जरूर गलती से हुआ, आइंदा इस तरीके की गलती नहीं होगी यह मैं आश्वस्थ करना चाहता हूं । तो केवल मेंड़या क्रय केन्द्र लग जाने से औराई चीनी मिल को बहुत नुकसान हुआ ऐसी बात नहीं है । मुश्किल से एक दिन जितना गन्ना औराई चीनी मिल पेरती है उससे अधिक गन्ना नहीं गया है । साढ़े 12 टी0 सी0 डी0 क्षमता की वह मिल है । वहां गन्ना उपलब्ध नहीं है । 16 फरवरी को पर्याप्त गन्ना इस मिल को नहीं मिला । 16 और 17 तारीख को जो गन्ना इकट्ठा किया गया उससे यह मिल केवल 8 घन्टे चली । 18, 19 फरवरी को यह मिल गन्ना न मिलने के कारण नहीं चल पायी । 20 फरवरी को 5 हजार क्विंटल गन्ना मिला इसलिये इस मिल

को बन्द करना पड़ा । ऐसी स्थिति में यह नहीं है कि यह मिल अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी की वजह से नहीं चली बल्कि वास्तविकता यह है कि गन्ना उपलब्ध न होने के कारण मिल बन्द हुयी । जहां तक किसानों के भुगतान का प्रश्न है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी क्या बजट भाषण कर रहे हैं ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, बजट भाषण नहीं कर रहा हूं मैं तो स्थिति बता रहा हूं । यह प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर गन्ने की पैदावार बढ़े और चीनी मिल ठीक से चले । अभी वहां सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है । ज्ञानपुर लिफ्ट कैनाल अगले साल चल जायगी तो गन्ने की उपलब्धता काफी बढ़ जायेगी । जहां तक किसानों के भुगतान का प्रश्न है भुगतान करा दिया गया है, किसी किसान का गन्ना मूल्य बकाया नहीं है । जो अवशेष धनराशि पहले की है उसका भुगतान हो जायगा । मान्यवर, यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं है ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, यह मामला बहुत ही गम्भीर है । वहां पर भ्रष्टाचार है, कुव्यवस्था है, सब मिल को खा जाने वाले हैं । इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करायें । मान्यवर, मैंने जो कमी बतायी है, उसे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने तो गन्ने की कमी के बारे में बताया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गम्भीर घटना आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं । बदकिस्मती यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी नहीं हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी भी नहीं हैं । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कम से कम शून्य प्रहर में आप निर्देश दे दें कि मुख्य मंत्री जी अगर किसी प्रशासनिक कार्यवश नहीं रहते हैं, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री तो रहा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

गृह मंत्री जी बैठे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वह तो मान्यवर, कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं हैं और न ही वह कैबिनेट मीटिंग में बैठ सकते हैं ।

मान्यवर, 27 फरवरी की रात में दो पुलिसकर्मी, एक सिपाही और एक दरोगा एक सम्भ्रांत परिवार की मुसलमान महिला के घर पर गये, उस महिला का दरवाजा बन्द था, उसका दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस गये और उस महिला को मारा-पीटा और उसे जीप में डालकर थाने उठा ले गये । मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में, खासतौर से बाराबंकी में पुलिस और गुण्डों का राज्य है । पुलिस और गुण्डों की साजिश से कुछ

गुण्डों की दो पुलिसकर्मियों से दोस्ती थी, समाज में जलील करने की नीयत से यह षडयंत्र रचा गया । उसका पति गन्ना विभाग में सचिव है, वह बाहर था और वह महिला घर में अकेली थी । मान्यवर, उसका पति अमीन खां, हमारा दोस्त था, लेकिन आज तक हमने उस महिला की शक्ल नहीं देखी । वह पर्दानशीन महिला थी । वहां पर दो पुलिस कर्मी जाकर, उसका दरवाजा तोड़कर, उसे थाने ले गये, थाने में उसके साथ क्या हुआ, यह मैं प्रचार नहीं करना चाहता हूं, उसकी डाक्टरी करवाई गयी है, एस0 पी0 को दरखास्त दी गयी, लेकिन वहां पर पुलिस और गुण्डों की ताकत मजबूत है, एस0 पी0 ने कोई कार्यवाही नहीं की, गांव के लोगों ने मना किया, जिन लोगों ने मना किया, उनको भी मारा गया, उस औरत को थाने से 2 बजे रात को छोड़ा गया । उस कस्बे में और जेवार में अत्यधिक रोष है । वहां पर स्थानीय लोग थाने का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं और मुझसे अगुवाई करने के लिए कहा गया, हमने उनसे कहा कि हम विधान सभा में इस बात को उठायेंगे, अगर विधान सभा कोई कार्यवाही नहीं करेगा, तो आप जो भी कार्यवाही करेंगे, उसमें हम शामिल होंगे और जरूरत होगी, तो अगुवाई भी करेंगे । इसमें हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इसमें आप स्वयं अपने विवेक से कोई निर्णय लेकर शासन को निर्देश दें । वही हमारी आपसे प्रार्थना है और अगर आप आवश्यक समझें, तो इस पर चर्चा भी करवा दें, इस पर एक घंटे की चर्चा मैं अकेले ही कर सकता हूं । पूरे थाने क्षेत्र में लोग आतंकित हैं और दुःखी हैं । मान्यवर, यही हमें कहना था, इस पर आप कोई सख्त कार्यवाही करें और शासन को निर्देश दें ।

श्री सईदुज्जमा—

इसमें एक एफ0 आई0 आर0 फातिमा बेगम की तरफ से लिखाई गयी थी, जिसमें ये सभी लोग मुलजिम थे । वह एफ0 आई0 आर0 धारा 498-ए/323/506 आई0 पी0 सी0 की थी । उसके बाद मजिस्ट्रेट से 82-83 की कार्यवाही का आदेश लेकर कार्यवाही की गयी और एक महिला कांस्टेबिल वहां पर गयी थी ।

(व्यवधान)

श्री राम सागर—

मान्यवर, कोई भी महिला कांस्टेबिल वहां पर नहीं गयी थी । यह घटना रात की है ।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, उसके बाद उसको थाने में ले गये जब उनको मालूम हुआ कि उसने जमानत करा ली है तो उसको छोड़ दिया गया । इसमें एक अप्लीकेशन दी गयी उसमें जांच हो रही है । तो इसमें यह गम्भीर मसला है, मुझे भी इस बात को सुनकर दुःख हुआ है । इसमें हम आई0 जी0 जोन से जांच करा देंगे अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वे तत्काल इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ कार्यवाही करें और मौके पर जायं और निर्णय लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बड़ी शान्ति से मैंने इसको सुना, मैं तर्क के लिए एक बात कह रहा हूं । अगर थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लिया जाय कि वह मलजिम थी तो यह कौन सा नियम है कि रात्रि में बिना महिला कांस्टेबिल के किसी महिला को थाने में ले जाया जाय । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने महिला कांस्टेबिल की बात कही है मैं चुनौती देकर कहता हूं कि कोई महिला कांस्टेबिल थाने में थी ही नहीं न वह गांव

गयी । यह मंत्री जी का बयान बिल्कुल गैरजिम्मेदाराना है मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी पत्रावली देख लें, इस बात की पुष्टि कर लें, इस बात का पता लगा लें कि महिला कांस्टेबिल थी या नहीं । मान्यवर, इस प्रदेश में महिलाओं की अस्मत और इज्जत खतरे में है । एक सम्भ्रांत परिवार की महिला को रात में थाने में ले जाया जाय और उसको थाने में बन्द रखा जाय और रात में छोड़ा जाय । यह बहुत गम्भीर बात है इसकी गम्भीरता को देखकर इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, यह पहली दफा चुनकर आये हैं । यह मंत्री गलत बयानी करेंगे तो विशेषाधिकार बन जायगा इनके खिलाफ इसलिए इसमें सी0 आई0 डी0 से जांच करवायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, चूंकि मंत्री जी ने कहा है कि उस महिला के ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ था । मान्यवर, उस महिला के ऊपर कोई दूसरा मुकदमा नहीं था उसकी सगी बहू के द्वारा मुकदमा करवाया इसमें उसने एफीडेविट भी लगा दिया गया था और मान्यवर, चूंकि वह बेइज्जत न हो इसलिए उसने अपनी जमानत भी करवा ली थी । ये लोग बिना महिला पुलिस के वहां पर गये और उसको पकड़कर मारा गया और जीप में डालकर थाने ले गये और रात 2 बजे छोड़ा गया सिर्फ अपमानित करके ।

श्री उपाध्यक्ष—

सी0 आई0 डी0 से जांच चाहते हैं ।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, पहले तो मैं अर्ज कर रहा था राम शरण जी, यह भी पहली बार चुनकर आये हैं लेकिन मेरे बुजुर्ग हैं यह जो बात कहते हैं मैं सम्मान करता हूं । मैं अर्ज करता हूं कि मैंने पहली बार आई0 जी0 के लिए कहा था, वह सक्षम हैं, बड़े अधिकारी हैं । सी0 आई0 डी0 की जांच करायेंगे तो उसमें समय लग जायेगा । लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं सी0 आई0 डी0 से जांच करा लूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

दोषी पुलिस कर्मियों को निलम्बित करके ।

श्री सईदुज्जमा—

आपने कहा कि सी0 आई0 डी0 जांच होगी तो पहले कार्रवाई कैसे हो जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है इन्जीनियर्स की चर्चा लगी है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर, आप मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे जितना सुनना था, सुन लिया ।

*श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने एक जानकारी सदन को की है कि लखनऊ में एक ऐसा गिरोह संगठित है जो लखनऊ में 30 अबोध बालिकाओं का अपहरण कर बलात्कार कर उनको मार चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इजाजत नहीं दी है । मैं पांच के ऊपर नहीं सुनूंगा ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मा0 उपाध्यक्ष जी, हम लोगों ने आपको एक सूचना दी है और उसमें पूरे इलाहाबाद जनपद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों और कर्मचारियों का आन्दोलन चल रहा है, भूमिका बन रही है । आन्दोलन की तैयारी हो रही है । आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के लोग इलाहाबाद में एक राजनीतिक साजिश कर रहे हैं । वहां का पेंशन आफिस, ए0 जी0 आफिस और हाई कोर्ट को तोड़ने की साजिश की जा रही है । इलाहाबाद का हाई कोर्ट ऐतिहासिक हाई कोर्ट है जो प्रदेश में ही नहीं देश में मशहूर है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी इजाजत नहीं है और आप बोल रहे हैं ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मान्यवर, सदन में यह मामला नहीं उठेगा तो कहां उठेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर चर्चा करा दें ऐसी स्थिति में जबकि हजारों आदमी राज्य भर से रोज वहां आते हैं और लौट कर चले जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है । लोग किराया खर्च करके आते हैं और चले जाते हैं । उनको न्याय नहीं मिल रहा है, इन तमाम लोगों को परेशान होने के लिए छोड़ देंगे ? मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने जितना सुन लिया है उसके आगे नहीं सुनूंगा ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मान्यवर, ऐसा नहीं हो सकता । आपको फैसला देना होगा । आप इस पर चर्चा करवा दीजिए । एक घंटे की चर्चा करवा दीजिए । उसके बाद फैसला कर दीजिये । मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर चर्चा करवा दीजिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, हम लोगों को भी उस चर्चा से जोड़ दें । मैंने सूचना दी है, लोग न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं । सन् 1975 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ जबसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में निर्णय दिया तबसे मान्यवर, इलाहाबाद हाई कोर्ट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है । आप चाहते हैं जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ पश्चिम में कहीं बनायी जाय । न्यायपालिका पर कुठाराघात किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में सुलभ न्याय के लिए मान्यवर . . .

(व्यवधान)

तहसीलों में मुंसिफ अदालतों के गठन की नीति बनाई गई थी । अभी प्रत्येक तहसील पर इसका गठन नहीं किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और नागरिकों से बदला लेने हेतु चुनावी साजिश की जा रही है । न्यायालय का विकेन्द्रीकरण विनाश है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । अब मेरी बात सुन लीजिये । अनुग्रह नारायण सिंह जी मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं । जो नियम बनाये गये हैं, उसके अनुसार पांच सुन लिये लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको सुनूंगा नहीं क्योंकि समय कम है लेकिन वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लूंगा । आप हल्ला न करें । मैं सुनूंगा नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी—

आप मेरी घटना की गम्भीरता को तो देखें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, आपने जो कहा, सही है । नियम है, गम्भीरता को भी देखा है और यह भी सही है कि गम्भीर घटनाओं के संबंध में वक्तव्य दिलवा देंगे । मेरा अनुरोध है कि जैसी कि अशोक बाजपेयी जी की सूचना है कि चूंकि 30 अबोध बालिकाओं का अपहरण, बलात्कार करके उनको मार दिया गया है, यह लखनऊ का मामला है । यह लखनऊ के लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए सनसनीखेज है ।

यह जघन्य अपराध है, ऐसी घटना पर हर इंसान का मस्तक नत हो जाता है । हरेन्द्र मलिक की जो घटना थी, घायल व्यक्ति के संबंध में, जिसका उपचार नहीं किया और जिसकी मृत्यु हो गयी, जिसकी डेड बाडी पड़ी है, इन दोनों घटनाओं पर आप वक्तव्य दिलवा दें । हाई कोर्ट के विषय में श्री राकेश धर त्रिपाठी ने जो विषय उठाया है, इस पर सदन में अलग-अलग तरह के विचार हैं और इस पर लोग सरकार का रुख भी जानना चाहते हैं, अतः इस पर एक घन्टे की चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, ठीक है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय का जो मसला है, उस पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं और बेनी प्रसाद वर्मा जी का मामला सी0 आई0 डी0 को चला गया । श्री विजय सिंह राणा जी को जो चर्चा लगी है, मथुरा में पेयजल संकट के बारे में, उसमें रघुवर दयाल वर्मा जी का भी आ जायेगा । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो विषय दिया है, बेरोजगार डिप्लोमा इन्जीनियर्स के बारे में, तो ग्रेजुएट इन्जीनियर्स के बारे में चर्चा लगी है, गुप्ता जी का उसी में जोड़ना उचित होगा । श्री रमाशंकर कौशिक श्री हरीश जी और श्री बाजपेयी जी का जो मामला लखनऊ के संबंध में है, उस पर सरकार का स्टेटमेन्ट होगा । श्री शारदा प्रताप शुक्ल ने जो बंथरा थाने के बारे में सूचना दी है, उस पर गवर्नमेन्ट का स्टेटमेन्ट होगा । श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा के मामले पर सरकार का वक्तव्य होगा । श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव तथा श्री यदुनाथ सिंह चर्चा चाहते थे, उनकी चर्चा स्वीकार कर ली गयी है । श्री हरेन्द्र सिंह का स्टेटमेन्ट आयेगा । शेष सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 23—खेल विभाग, अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,21,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव [illegible] हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-64 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,99,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3.81.97.48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,75,21,60,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,57,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,02,29,0,00 रुपये से अनधिके धनराशि स्वीकृत की जाये ।

[शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी) के सदन में आने पर]

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट को आज यहां पेश होना है । शिक्षा से ही देश और प्रदेश के चरित्र का निर्माण होता है परन्तु इस मंत्रि-मण्डल ने इतनी कर्तव्यनिष्ठा भी नहीं समझी कि उसकी मांगों को सही तरह से पेश किया जाय । पहली मांग माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, दूसरी दूसरे मंत्री जी ने और वक्तव्य देने के लिए खड़ी हो गई तीसरी मंत्री । यह सदन का अपमान है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अपमान नहीं है, वह पानी पीने गयी थी ।

*शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं पानी पीने गई थी, बाई गाड पानी पीने गई थी । मैं क्षमा चाहती हूं ।

श्री सुरपाल पाण्डे—

मान्यवर, शिक्षा विभाग का तो ऐसे ही पतन हो रहा है । जो शिक्षा विभाग चला सकता था, उसे माननीय तिवारी जी दे नहीं रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, श्री राणा जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उसे आपने हंसकर टाल दिया । पहले एक मंत्री ने पढ़ना शुरू किया, फिर दूसरे मंत्री ने और फिर तीसरे मंत्री ने । आप उन्हें चेतावनी तो दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल जी ने जो बात कही, मैं भी उससे पूर्ण तरह से सहमत हूं । वसूली तौर पर उन्हें वहां होना चाहिए था, लेकिन ऐसे कारण पेश आ गये, जिसकी वजह से उन्हें यहां से जाना पड़ा । मान्यवर, ऐसे कारण आपके सामने में भी पेश आते हैं और माननीय नेता विरोधी दल के सामने में भी पेश आते हैं । फिर उन्होंने क्षमा भी मांग ली है सदन से । मैं स्वयं भी खेद प्रकट करता हूं । अब मान्यवर, कृपापूर्वक बजट प्रस्तुत करने दिया जाय ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं । बाई गाड मैं सामने महिला विंग में पानी पीने गयी थी ।

मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शिक्षा विभाग की ओर से अगले वर्ष का शिक्षा का बजट आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूं । शिक्षा के विकास में ही निहित है हमारे प्रदेश का विकास । शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा के उन्नयन के लिए जो भी काम करें, कम है । मैं चाहूंगी कि आप इनमें हमें अपने सुझाव दें । मुझे बहुत प्रसन्नता है जो काम 1940 से लेकर आज तक कोई सरकार करने का साहस नहीं कर सकी, वह आज हमारे मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

वर्षों पहले जो काम हो जाना चाहिये था । संविधान की धारा के निदेशानुसार हमने सातवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों की फीस, आज पहली बार 1947 के बाद माफ किया है । मैं समझती हूं कि वह बहुत बड़ा साहसिक कदम है जो तिवारी जी के नेतृत्व में हमने उठाया है ।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को हमेशा पीछे रखा गया । जब तक हम शिक्षा में महिलाओं का योगदान नहीं लेंगे, हम शिक्षा में आगे प्रगति नहीं कर सकते है, वह यह बातों को ध्यान में रखकर हमने एक नीति विषयक क्रान्तिकारी स्टेप उठाया है, वह यह है कि हमने अपने विभाग में महिला निदेशालय खोलने का निर्णय किया है । इसकी कार्यवाही अन्तिम चरण पर पहुंच गयी है और शीघ्र ही हमारे प्रदेश में महिलाओं की और कन्याओं की शिक्षा के उन्नयन हेतु एक महिला निदेशालय की स्थापना हो जायेगी । महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये हमने बी0 टी0 सी0 में जो नयी भर्ती की जायगी, वह भी महिलाओं के लिये सुरक्षित कर दी है । कुल 18 तहसीलें इस समय ऐसी हैं जिनमें कोई महिलाओं का हाईस्कूल नहीं है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे विश्वास

है कि आपको प्रसन्नता होगी कि अगले वर्ष 1989-90 में 18 तहसीलों में जहां कोई भी महिलाओं का हाईस्कूल नहीं है, हाईस्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इन 18 तहसीलों में एक-एक कन्या देंगे। यह भी पर्याप्त नहीं है, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं समझती हूं और आप भी यकीन करेंगे कि हमारी महिलाओं की शिक्षा अपूर्ण होगी जब तक प्रत्येक महिला को हाई स्कूल तक पास न करा दें। इसके लिये अगले चरण में इस बात का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक ब्लाक में एक-एक कन्याओं का हाईस्कूल होना आवश्यक है। इसके लिये कल ही सर्वे करने के लिये अपने विभाग को आदेश दे दिये है कि सर्वे करके बतायें कितने ब्लाक्स है जिनमें कन्याओं के हाईस्कूल नहीं है और अगली पंचवर्षीय योजना में ब्लाक आगे बढ़कर कन्याओं के विद्यालय खोलेंगे।

दूसरी पालिसी है, जिस पर गर्व है, वह है "नेशनल इण्टीग्रेशन" यानी सामुदायिक एकता। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में जहां भी साम्प्रदायिक दंगा हुआ है, कहीं भी स्कूल में दंगा हुआ हो, स्कूल में चिनगारी दिखायी दी हो, या कोई लड़का उसमें इन्वाल्वड हो (इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय पीठासीन हुए), हमारे स्कूल, प्राथमिक पाठशालायें हैं, विद्यालय हैं, कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शिक्षा मंत्री जी, कपया आप जब भी सम्बोधित करें, पीठ को ही सम्बोधित करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं आपका ही ध्यान आकर्षण कर रही हूं कि किसी भी प्राईमरी पाठशाला से लेकर डिग्री कालेज तक या विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज तक कोई भी साम्प्रदायिक दंगा या उसकी चिनगारी नजर नहीं आयी और न आयेगी। अक्सर लोग कहते हैं. . . . .

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध है कि मा0 शिक्षा मंत्री यहां कम से कम सत्य पर आधारित भाषण करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वही तो मैं कह रही हूं कि लगभग दो-ढाई करोड़ स्टूडेण्ट्स हैं, जो बात मैं आपके सामने पेश कर रही हूं इसमें तो आपको गर्व होना चाहिये क्योंकि मान्यवर, वहां पर हमारे विधायकगणों के भी बच्चे पढ़ते हैं और यह हमारे लिये गौरव की बात है। मान्यवर, कहा जाता है कि हमारा जितना पैसा है वह सब वेतन में जा रहा है। हमारे विभाग ने ऐसी-ऐसी कमाल की योजनायें प्रस्तुत की हैं केन्द्र में, माननीय अधिष्ठाता जी, बस पैसा बरसता ही चला जा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा में 1987-88 में 53 करोड़ 53 लाख रुपया आबंटित हुआ। 1988-89 में 28 करोड़ 27 लाख रुपया आबंटित हुआ। आपरेशन ब्लैक बोर्ड में 15 करोड़ रुपये आबंटित हुआ था और 1989-90 के लिये भी इसमें 15 करोड़ रुपये मिलने की निश्चित रूप से सम्भावना है। प्रौढ़ शिक्षा में 1988-89 में 12 करोड़ 78 लाख रुपया केन्द्र से प्राप्त हुआ। 1989-90 के लिये इसमें 17.48 करोड़ रुपया मिलने की सम्भावना है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1988-89 में 8 करोड़ रु0 मिला और 1989-90 में 18 करोड़ रुपया सम्भावित है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी ज़रा रुक जाइये, व्यवस्था का प्रश्न है ।

*श्री भगवानदीन कुशवाहा—

[× × ×]

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । माननीय सदस्य कृपया इस बात का ख्याल रखें यह समय आपके सुझाव देने का है और इस समय में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, कुशवाहा जी ने जो बातें कही हैं, उसको कार्यवाही से निकाले जाने का आप आदेश दें ।

श्री अधिष्ठाता—

वह मैं कह चुका हूं कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, आप कृपया बैठें ।

माननीय मंत्री जी बोल रही हैं, फिर सभी को मौका मिलेगा । अब आप लोग कृपया बैठ जाएं । इस व्यवस्था के प्रश्न का शिक्षा विभाग से कोई संबंध नहीं है, इसमें मैंने कह दिया है और यह भी कह दिया कि जो भी इन्होंने कहा है, वह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा । अब कृपया, आप लोग बैठ जाएं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि जिन्होंने हमेशा स्त्रियों का विरोध किया है और जब यह स्त्रियां नौकरियों में आती थीं तो उन्हें यह निकाल दिया करते थे । मान्यवर, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं रही है सम्मान के वातावरण को असम्मान में यह विरोध के पक्ष के लोग बदल रहे हैं, मान्यवर, ऐसे लोगों को इस सदन से निकलवा दिया जाना चाहिए, इसलिए मेरा एक निवेदन है...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अब मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सार्वभौमीकरण की नीति है, जिसका तात्पर्य यह है कि जहां भी हमारे बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर ही उनकी शिक्षा का प्रबंध करें । मान्यवर, 1947 में हमारी 2048 प्राथमिक पाठशालाएं थीं और 1850 जूनियर हाइ स्कूल्स थे । हमें आपके बीच कहने में प्रसन्नता है कि निरन्तर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आज इस समय हमारे यहां 74,705 प्राथमिक पाठशालाएं हैं और इसी प्रकार से 16,652 जूनियर हाई स्कूल्स हैं और मान्यवर, छात्रों की संख्या 1947 में जरा आप गौर करें तो मालूम होगा कि केवल 14 लाख थी प्राथमिक पाठशालाओं में और 4 लाख जूनियर हाइ स्कूल में और अब मान्यवर, 1988 तक 1 करोड़ 32 लाख के आप सम्मानित पिता हैं और लगभग 41 लाख जूनियर हाई स्कूल के इस प्रकार से आप करीब पौने दो लाख बच्चों के आप सम्मानित पिता बन गये, इससे आपकी ही गरिमा बढ़ी है और मान्यवर, यही नहीं आगे हमारी योजना जो है वह 1 करोड़ 67 लाख प्राथमिक पाठशालाओं में और लगभग 93 लाख जूनियर हाई स्कूल्स में हमारे बच्चे होंगे 1990-91 तक, यह हमारी भावी योजना है, श्रीमन् ।

भवन के बारे में आपकी बड़ी शिकायतें थीं और अन्य माननीय सदस्यों को भी शिकायतें थीं, और होनी भी चाहिए । मुझे प्रसन्नता हो रही है इस बात को कहने में कि इस समय 9,875 भवन व्यवस्था हमारी अपूर्ण है, उनके लिए हमने अपने बजट में 69.61 करोड़ रु0 का प्राविधान किया है और 1989-90 तक यह सारे भवन बनकर तैयार हो जायेंगे सम्भवतः । अब आप यह कहेंगे कि जो भवन जर्जर हालत में हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, इस ओर भी मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे भवनों के पुनर्निर्माण के लिए 3 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है ।

इसी के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी यह योजना कि वर्ष 1990-91 तक कोई ऐसा स्कूल भवन नहीं रह जायेगा, जो भवनहीन हो । साथ ही मान्यवर, इन भवनों के जीर्णोद्धार के लिए बड़ी ही रिमार्केबिल बात कहना चाहती हूं और कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड पर माननीय सदस्यों को काफी एतेराज था, जो मैं समझती हूं कि ठीक ही था । मान्यवर गुणवत्ता के आधार पर यह आपरेशन ब्लैक बोर्ड सेण्टर (केन्द्र) की ओर से चलाये जा रहे हैं, इसका सभी पैसा हमें केन्द्र सरकार से मिल रहा है । इस आपरेशन ब्लैक बोर्ड में वर्ष 1987-88 में 277 ब्लाक्स (व्यवधान) थे और 1990-91 तक और ब्लाक्स स्कूल्स ले रहे हैं हम, और इसके लिये 15 करोड़ रु0 हमें सेन्ट्रल से मिल रहे हैं मान्यवर, 1989-90 में 282 लाख ब्लाक लिये जायेंगे जिसमें से 20 हजार 5 सौ 9 स्कूल खोले जायेंगे । 90 ब्लाक्स का हमारा प्रस्ताव केन्द्र में लम्बित है । तीसरे चरण में 1990-91 में 247 ब्लाक लिये जायेंगे इनके लिये केन्द्र से धन मिलने की पूरी आशा है । आपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब यह नहीं है कि ब्लैक बोर्ड लिये जायेंगे बल्कि इसका मतलब यह है 2 कक्षा वाले भवन बनाये जायेंगे । भवन से लेकर चाक तक जो भी आवश्यकता होगी वह पूरी की जायेंगी । टाट पट्टी से लेकर मेज कुर्सी तक जो भी आवश्यक सामान है वह हमारे इस आपरेशन ब्लैक बोर्ड के पैसे से दिया जायेगा ।

मान्यवर, अनौपचारिक शिक्षा की समस्या है । बहुत सारे बच्चे जो घरों में या खेतों में अपने माता पिता के साथ काम करते हैं उनके लिये हमने अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र खोले हैं । यह सब केन्द्र की सहायता से पैसा मिल रहा है । जैसा मैंने कहा

336 ब्लाक में 34 हजार 3 सौ 20 केन्द्र 1988-89 में खोले गये हैं, तो उधर से यह आबजेक्शन जरूर आयगा कि बालिकाओं के लिये 23 हजार 592 किया है यह केवल बालिकाओं के लिये है । 336 परियोजना है, 1989-90 में 260 ब्लाकों में 26 हजार केन्द्र खोले जायेंगे । इसके लिये 8.8 करोड़ रुपया केन्द्र से मिल चुका है और मिलने की आशा है । मान्यवर, विद्यालयों में विज्ञान के उपकरण आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे हैं । विद्यालयों के विकास के लिये हर विद्यालय को, प्राथमिक विद्यालय को 380 रुपया और जूनियर हाई स्कूल को 450 रुपया दिया जा रहा है । जिससे कि वह 200 रुपये में भवन की मरम्मत करें और शेष पैसे में उपकरण आदि का वह प्रबन्ध कर सकें । मान्यवर, खेल कूद के मामलों में हमारी डिस्ट्रिक्ट रैलीज में बहुत प्रशंसा प्राप्त की है और विशेषकर बालिकाओं ने मान्यवर, मैंने सुल्तानपुर में बहुत ही इन्टीरियर में एक रैली को देखा । मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उस रैली में कन्याओं ने भाला, पीटी, मुगदर पीटी, और बन्दूक पीटी के बड़े सुन्दर दृश्य दिखाये और मान्यवर, एक छठे दर्जे की कन्या ने छठे दर्जे के पहलवान लड़के को धर पटका और उसे हरा दिया । वहां का अनुसरण करके, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शासन ने निर्णय लिया है कि छठी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक जो विद्यालय हैं उन सब में झांसी की रानी ब्रिग्रेड इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि अगली जुलाई से वहां जूड़ो कराटे, तलवार पीटी, भाला पीटी, ये सब सिखाया जायेगा जिससे वह अपनी सुरक्षा कर सकें और समय आने पर अपने देश की सुरक्षा की भागीदार हो सकें ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । . . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपको बोलने का अवसर मिलेगा, तब कह लीजियेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीय मंत्री जी जो कह रही हैं, आप भी गांव के रहने वाले हैं और मैं भी गांव का रहने वाला हूं, क्या जो आंकड़े माननीय मंत्री जी पढ़ रही हैं क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है । माननीय मंत्री जी फर्जी आंकड़ों का जाल दिखा रही हैं । वह यह न करें, जो भाषण दे रही हैं, उसको समाप्त करावें, जिससे हम लोग अपने सुझाव तो दे सकें और चर्चा हो । [x x x]

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता ।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, हमारे यहां जो डिस्ट्रिक्ट रैलीज होंगी उनमें विधायकगण को आमंत्रित किया जायेगा और तब इन बालिकाओं का शौर्य आप देखियेगा । मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा में भी हमने बहुत उन्नति की है । 1947 में जहां हमारे यहां केवल 506 स्कूल थे जिनमें केवल 71 हजार छात्र पढ़ते थे । आज हमारे 5752 माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें 46 लाख छात्र पढ़ रहे हैं । हम सबके बाल-बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं । मान्यवर, हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल 123 खोले और इण्टर कालेज 75 खोले । इसके -अलावा हमने 500 विद्यालयों को मान्यता दी । जो गैर सरकारी थे उनको मान्यता हमने दी है । . . . (व्यवधान) । जैसा कि मैंने निवेदन किया हम 1989-90 में 18 तहसीलों में महिला हाई स्कूल खोलेंगे ।

नोट :— [× × ×] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, आज हमारे यहां व्यावसायिक शिक्षा की बहुत मांग है। हमारे विधायकों के अनुरोध पर, उनके सुझावों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा में हम आगे प्रगति कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार 400 स्कूल हमारे ऐसे हैं जिनमें हम व्यावसायिक शिक्षा चला रहे हैं केन्द्र की सहायता से हमने 1988-89 में 200 स्कूल खोले हैं और 1989-90 में 208 खोलेंगे जिसके लिये हमें 8 करोड़ रुपया मिल चुका है और 18 करोड़ रुपया और मिलने की सम्भावना है।

मान्यवर, पत्राचार शिक्षा हमारे यहां सन् 81 में प्रारम्भ हुई थी जिससे व्यक्तिगत परीक्षार्थी परीक्षा दे सके। मान्यवर, हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षा पूरे विश्व में, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि इतना विशालतम परीक्षा का केन्द्र कहीं नहीं है। मेरे कालेज में मैं जब वहां पर व्यवस्थापिका थी तो वहां पर एक अमेरिकन महिला आयी। उस समय हमारे यहां परीक्षा हो रही थी। उन्होंने कहा कि विश्व में कहीं भी इतनी विशालतम परीक्षा का एक केन्द्र नहीं है जितना यहां पर है। उसकी इस बात से मेरे दिमाग में एक रोशनी सी आ गई। यह लगभग 20 साल पहले की बात है। इतनी विशालतम परीक्षा और इतनी यूनिफारमिटी के साथ यहां पर होती है कि 20 लाख स्टूडेन्ट विश्व में एक साथ कहीं परीक्षा नहीं देते हैं। उसने कहा कि अमेरिका में अलग-अलग इन्स्टीट्यूशन्स हैं और किसी का अच्छा मूल्यांकन है किसी का अच्छा नहीं है। वहीं पर पूरे विश्व में इतना विशालतम परीक्षा का एक ही केन्द्र है। इसमें हम पक्ष और विपक्ष के सभी अभिभावकों का सहयोग चाहते हैं। जो पहली दशम कक्षा की परीक्षा है, जो द्वार है उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिये, उसके सफल संचालन में हमें आप सहयोग दें। इसके अलावा मैं आपको यह सूचना देना चाहूंगी कि इन परीक्षाओं के परीक्षाफल 15 जून से पहले निकालने के लिये हम कटिबद्ध हैं। हमारा बिलकुल मिनट टू मिनट प्रोग्राम चल रहा है घड़ी की तरह।

मैं प्रमाण-पत्रों के बारे में कहना चाहती हूं। मुझे प्रसन्नता है कि जो हमारे परीक्षार्थी सफल हुये हैं सन् 88 तक, उन सबको प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं।

अब मैं नवोदित विद्यालयों के बारे में भी कहना चाहती हूं। मुझे प्रसन्नता है कि नवोदित विद्यालयों के लिये भी हमें सेन्ट्रल से पैसा मिल रहा है। सन् 1986-87 में 10, 1987-88 में 9 तथा 1988-89 में 10 नवोदित विद्यालय खोले हैं। प्रत्येक जिले में सेन्ट्रल हमको एक नवोदित विद्यालय देने के लिये तैयार है।

मान्यवर, इस समय 29 विद्यालय चल रहे हैं (व्यवधान) जब आपको समय मिलेगा तब बोलियेगा। प्रत्येक जिले में एक विद्यालय खोलने की हमारी योजना है और उसमें प्रोग्रेस हो रही है।

विकास के लिये हमने निर्णय लिया है कि जो भी प्रबन्धक समिति एक-एक कक्ष किसी विद्यालय में बना देंगी तो उसको हम 10 हजार का अनुदान देंगे। विज्ञान शिक्षा के लिये 3 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। शिक्षकों के भवन के लिये भी 85 लाख रुपये केन्द्र से मिला है जिसमें 20 कमरे लखनऊ, इलाहाबाद आगरा में शिक्षकों के पर्यटन के लिये बनायेंगे और अयोध्या, बनारस, चित्रकूट, गोरखपुर, अल्मोड़ा आदि में 10-10 कमरों के शिक्षक भवन हम बनाने जा रहे हैं।

नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में पूरे प्रदेश में विद्यालयों में सामूहिक गायन का प्रोग्राम हमारा चल रहा है (व्यवधान) यह कागजों में नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

उनको सुन लीजिये उसके बाद बोलिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

15 हजार बालिकाओं और बालकों ने सामूहिक गान का प्रदर्शन किया है (व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

यह क्या कह रही है समझ में नहीं आ रहा है, हम जरा पढ़े-लिखे कम हैं, जरा ठीक से बतायें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें, उनको सुन लें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आपको बाद में मौका मिलेगा, माननीय विधायकों के जो भी प्रश्न होंगे, उनकी जो कठिनाइयां होंगी उनका उत्तर मैं अवश्य दूंगी । इस समय मेरी बात सुन लें । माननीय विधायकों के जो सुझाव आये हैं उनको ध्यान में रखकर योजनायें बनायी गयी हैं ।

टीचर्स का पेंशन, पर्यटन आदि की सुविधायें दी गयी हैं, आवासीय भत्ते की सुविधा भी दी गयी है और उनके वेतन का पुनरीक्षण भी हो रहा है ।

जहां तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है इस समय हमारे प्रदेश में 23 विश्वविद्यालय हैं इनमें दो पर्वतीय क्षेत्र में हैं । महाविद्यालय 407 जिसमें 53 राजकीय हैं पर्वतीय क्षेत्र में 23 हैं और महिलाओं के 85 हैं ।

थ्री इयर डिग्री कोर्स माननीय विधायकों के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से चालू कर दिया गया है और उसमें नई पोस्टों को क्रियेट करने के लिये पैसे का बजट भी प्राविधान कर दिया है । वर्ष 1988-89 में चार नये राजकीय डिग्री कालेज गाजीपुर, उन्नाव, करवी और खटीमा में खुल गये हैं और चार का माननीय सदस्यों के अनुरोध पर क्लीयरेंस दिलवाया है जिसमें चन्द्रावती तिवारी महिला, महाविद्यालय काशीपुर, ओंकारानन्द सरस्वती महाविद्यालय देव प्रयाग, अकबरपुर महाविद्यालय कानपुर देहात और स्वामी दयनाथ ब्रह्मदेव सलेमपुर, देवरिया है ।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हमें टीचर्स को यू0 जी0 सी0 ग्रेड्स के लिये कोई सहायता नहीं मिली है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी की कृपा से उनको यू0 जी0 सी0 ग्रेड्स दे दिये गये हैं । हमने टीचर्स का मन जीत लिया है । पूर्वांचल में नयी यूनिवर्सिटी का कार्य प्रगति पर है ।

हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छात्रावास के जीर्णोद्धार के लिये 20 लाख रु0 दिया है और पुस्तकालय के लिये 5 लाख रु0 दिया है, लखनऊ विश्वविद्यालय को जीर्णोद्धार के लिये 50 लाख रुपये दिया है और इलाहाबाद और लखनऊ में एक-एक महिला छात्रावास का निर्माण हो रहा है । यू0 जी0 सी0 की सहायता से गोरखपुर, आगरा और मेरठ विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ में एक-एक महिला छात्रावास प्रस्तावित है और गोरखपुर, रुहेलखण्ड, अवध में एक-एक छात्रावास निर्माणाधीन है मान्यवर, महा विद्यालयों के विकास

के लिये 12 लाख रुपये प्रस्तावित हैं एवं यू0 जी0 सी0 ग्रान्टस के अंशदार के रूप में 5 लाख गवर्नमेंट डिग्री कालेज को, 20 लाख रुपये सहायताप्राप्त महाविद्यालयों के लिये बजट में प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है बताने में कि छात्रों के विकास के लिये और जो मेधावी एवं निर्धन छात्रों की सहायता के लिये एक बड़ा कोष हमारे यहां बना है जो 10 करोड़ रुपये का है जिसमें जो मेधावी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है । इसका काम शुरु हो गया है और उत्तर प्रदेश में इसका प्रचार कर दिया गया है एवं सारे फार्म्स आ गये हैं और पैसा बंटना शुरु हो गया है । मैं मा0 सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि अगले वर्ष के लिये अपने-अपने क्षेत्रों में जो मेधावी छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं उनको पैसा दिलाने के लिये उनको फार्म्स दिलवायें एवं उनकी सहायता करें ।

मान्यवर, हमारे विश्वविद्यालयों में एन0 एस0 एस0 का भी प्राविधान है और इस के लिये 1,22,62,000 रुपये का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश को साक्षर बनाने के लिये जो योजनायें हैं—एक तो प्राथमिक शिक्षा है, दूसरी अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी प्रौढ़ शिक्षा—त्रिकोड़ रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि प्रदेश से निरक्षरता के अंधकार को हम साफ कर सकें और हर कोठरी, चौराहे ज्ञान के दीप से जगमगाने लगें । मान्यवर, इसके लिये हमको केन्द्र से करोड़ों रुपये मिल रहा है । इन सारी योजनाओं का पैसा हमको केवल केन्द्र से ही मिल रहा है ।

मान्यवर, इस समय प्रौढ़ शिक्षा की 93 परियोजनायें हैं, प्रत्येक में 300 केन्द्र हैं, 63 केन्द्रीय सहायता से और 30 उत्तर प्रदेश शासन की सहायता से चला रहे हैं एवं 7 अन्य परियोजनायें शीघ्र ही चालू होने वाली है । इसमें विश्वविद्यालय, नेहरु युवक केन्द्र एवं अन्य स्वैक्षिक संस्थाओं का सहयोग हमें प्राप्त है, इसको जन आंदोलन के रूप में हमें प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और मा0 सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि वे इसमें हमें सहयोग प्रदान करें और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आंदोलन के रूप में बनाने में एक स्वच्छ वातावरण पैदा करने में सहयोग दें ।

मान्यवर, प्रदेश में 277 विकास खंड हैं, परियोजनायें 93 हैं और कुल केन्द्र 27,900 हैं । वर्ष 1985 से 1989 तक 37.72 लाख छात्रों को शिक्षित कर चुके हैं । वर्ष 1989-90 में 11.92 लाख का लक्ष्य है । मुझे बताने में खुशी है कि प्रौढ़ शिक्षा में अध्ययनरत व्यक्तियों में 87 प्रतिशत महिलायें हैं और इन महिलाओं के बारे में एक क्रान्तिकारी स्टेप उठाया है और वह यह है कि 87 लाख, 87 प्रतिशत महिलायें जो हैं उनके लिये । जब से सभ्यता का उदय हुआ, तब से हमारी शिक्षा पुरुषों के हाथ में रही, तो उसका यह हाल हुआ कि पुरुष भी निरक्षर रहे और हम भी निरक्षर रहे, और अब हमने महिलाओं को उसमें शामिल किया है, यह काम उनके हाथ में दिया है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

[XXX] (व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता—

पाण्डेय जी, ने जो कहा है वह कार्यवाही में न लिखा जाये ।

नोट :—[XXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हम इन महिलाओं को एक शिक्षा देते हैं, जिसे वह घर में लेकर जायेगी और अब वह शिक्षित हो जायेगी, तो वह पुरुष और बालकों को शिक्षित करेगी । महात्मा गांधी के अनुसार एक महिला को शिक्षित करना पूरे परिवार को सुशिक्षित करना है । महिलाओं के हाथ में आप शिक्षा दीजिये, फिर उसका चमत्कार देखियेगा । 5/10 हजार वर्षों से तो पुरुषों के हाथ में शिक्षा थी । उसमें 73 प्रतिशत तो आप और 96 प्रतिशत हम निरक्षर रहे थे । अब आप देखिये क्या होता है । महिलाओं ने शिक्षा हाथ में ली नहीं कि आपको जरा बुरा लग गया । 1988-89 में 63 विकास खण्डों में 623 नीलियम की स्थापना की गयी । यह नीलियम क्या है मैं बताती हूं । 8/10 जो हमारे केन्द्र हैं साक्षरता के उनको मिला कर लगभग एक न्याय पंचायत के अन्तर्गत जो योजनायें हैं, उनके ऊपर एक नीलियम है । इस केन्द्र में जो प्रतिभागी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, वह इसमें प्रगति के लिये आगे आवेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । एक दिन की चर्चा शिक्षा अनुदान पर होती है, और एक दिन का मतलब है चार घंटा । इस महत्वपूर्ण बजट पर प्रायः हम सब बोलना चाहते हैं, अपने-अपने सुझाव देना चाहते हैं । किन्तु सारा का सारा समय तो यही लिये ले रही हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

(व्यवधान) हम लोग उर्दू के लिये पूरा प्रयास कर रहे हैं, और संस्कृत के लिये संस्कृत अकादमी है और उर्दू के लिये उर्दू अकादमी है ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, यह आपका अधिकार है कि आप बजट भाषण में जितनी देर चाहें, अपनी बातें रखें, लेकिन सुविधा के लिये बता दें कि अभी कितना समय आप और लेंगी, क्योंकि इधर बस्ती जनपद के बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उनको भी बोलना है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दो मिनट । व्यवधान न हुआ होता तो 10 मिनट में समाप्त कर देती, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । मान्यवर, उर्दू अकादमी में लेखकों को, नये प्रतिभाशाली लेखकों को पुरस्कार दिया जाता है । उनकी पुस्तकें छपवाने का भी प्राविधान है जो नौकरियां हैं उनमें 5 हजार नौकरियां क्रियेट हुई उसमें उनको एबजार्ब किया जा रहा है । खेलकूद में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 16.50 करोड़ रुपया जो निर्धारित हुआ था वह 30 करोड़ रुपया हो गया है । (व्यवधान) 1989-90 में 6.86 करोड़ का निर्धारित लक्ष्य है .....

(व्यवधान)

यह योजना का लक्ष्य था कि प्रत्येक जिले में एक-एक स्टेडियम, एक-एक तरनताल अवश्य खुलेंगे, क्रीड़ांगन 33 है और निर्माणाधीन तीन हैं, बहुउद्देश्यीय भवन तीन है और 6 निर्माणाधीन हैं । 15 तरनताल निर्माणाधीन हैं और एक तो है ही, जब यह बन जायेंगे तो हम सब तैरना सीखेंगे । एस्ट्रोटर्फ एक बन चुका है एक वाराणसी में निर्माणाधीन है.... (व्यवधान) आप व्यवधान डालते हैं आप देखिये तो सही हमारे बालकों ने क्या किया है । हमारे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने जो प्रतियोगितायें जीती हैं उनको देखें, स्वर्ण पदक 66, रजत पदक 39, कांस्य पदक 47, तो इस तरह 152 पदक नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में ला चुके हैं । मुझे यह बजट प्रस्तुत करते हुये बहुत प्रसन्नता है मुझे आश है कि आप बहुमूल्य सुझाव देंगे ।

(व्यवधान)

श्री रामशरण दास—

दीदी आपको कौन सा पदक मिला है जरा इसको भी बता दें ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से...

श्री अधिष्ठाता—

यादव जी, आप कितना समय लेंगे यह बता दें ।

श्री गोपाल दास यादव—

जितना माननीय मंत्री जी बोली हैं उससे ज्यादा समय लूंगा ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-23 खेल विभाग को सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-66 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-66 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-67 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-68 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बजट है खेलकूद का और जिसे अनुदान संख्या—23 के रूप में पेश किया तो मंत्री जी को उस पर सबसे पहले बोलना चाहिये था लेकिन यह इस विभाग की बदकिस्मती की बात है कि आज खेलकूद को शिक्षा के साथ जोड़ कर या अन्य विभागों के साथ जोड़ कर पेश किया जाता है । खेलकूद विभाग एक ऐसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महत्वपूर्ण विभाग है जिसके द्वारा हम युवकों को प्रशिक्षण देकर राष्ट्र को सबल बना सकते हैं पर माननीय मंत्री जी ने खेलकूद पर केवल दो शब्द कह कर अपनी संतुष्टि कर ली । यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जो अभी राष्ट्रीय खेल हुये उसमें 25 वें स्थान पर आया है । यह कितने शर्म की बात है । आपने खेलकूद के नाम पर केवल जूडो कराटे लड़ीकयों के करवाये और यह प्रतियोगितायें एसे गांवों में करायी गयीं जहां बच्चों का पहुंचना और वहां पर सुरक्षित रहना मुश्किल था । तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस तरह से खेलकूद की उपेक्षा मत करें । इसको तिरस्कार की भावना से मत देखें और खेलकूद विभाग को महत्वपूर्ण विभाग समझ कर इसमें ठोस कार्यवाही करने की कृपा करें ।

चूंकि माननीय मंत्री जी ने शिक्षा विभाग से शुरू किया है तो मैं भी शिक्षा विभाग से शुरू करना चाहूंगा । आप इसमें देखें कि प्राइमरी शिक्षा में 53 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में 38 प्रतिशत है । अनुदान संख्या-68 जिसके अन्तर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आती है उसके लिये 3 प्रतिशत अनुदान रखा गया है । इससे आप शिक्षा में क्या अनुसंधान करेंगी । इसके लिये आपने एक विभाग अलग रख दिया है और इस विभाग के लिये केवल 3 प्रतिशत बजट रखा है जो अपर्याप्त है । इसी तरह से प्रौढ़ शिक्षा के लिये 1.3 प्रतिशत इसमें आप योगदान करेंगी तो मेरे कहने का मतलब है कि इधर आप ध्यान दें और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायें यह नहीं कि पैसा आता रहे और हमारे अधिकारी मौज उड़ाते रहें । प्रौढ़ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के नाम पर पैसों की बर्बादी को बन्द करें । मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षा को इतना हास्यास्पद बना दिया गया है कि कोई शिक्षा नीति रह ही नहीं गयी है । मैं आपको लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है उसको बताना चाहता हूं कि किस तरह से पैसों का दुरुपयोग होता है । आज जो बजट पेश किया है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं पेश किये गये हैं । अनुमानित लागत से 2 करोड़ रुपये ज्यादा आयोजनेतर बजट में खर्च किये गये हैं । महालेखाकार की जो रिपोर्ट है उसमें अनेक मदें ऐसी दिखायी गयी हैं जिनमें पैसों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है । छलपूर्ण आहरण, निष्फल व्यय, अमान्य भुगतान, फालतू कर्मचारियों पर परिहार व्यय आदि कुछ ऐसी मदें हैं जिनमें पैसों का दुरुपयोग किया गया है । गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं तथा निकायों को विशेष प्रयोजनों हेतु अनुदान 77051.66 लाख रुपये दिये गये हैं और ऋण के रूप में 545.59 लाख रुपये दिये गये । यह मामले 10 साल से पड़े हैं ।

मान्यवर, इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद किया जाता है । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि संयुक्त वेतन खाते में कम शल्क का जमा होना यह एक नयी नौटंकी मैनेजमेंट की हो गयी है । मान्यवर, डी0 आई0 ओ0 एस0 की सांठगांठ से करोड़ों रुपया निकाल लिया गया । यहां पर आज तक इनको कोई बचाने वाला नहीं है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो संयुक्त वेतन खाता है कम से कम 10 विद्यालयों की जांच करवायें तब जाकर मालूम होगा कि पैसे का दुरुपयोग किस तरह से होता है आप देख लें घटा अनुदान अधिक भुगतान जो लिटरेसी हाउस में जाता है उसमें एक इत्यद नहीं होता है जब इसको महालेखाकार ने पकड़ा 52 हजार का, एक लाख का तो इस तरह से 10 लाख रुपया लाद्कर पड़ा है तो यह कहां चला गया किसकी जेब में चला गया, यह प्रबंधक के यहां चला गया, किसके यहां चला गया तो इसका मंत्री जी को ध्यान नहीं है मंत्री जी को जो आंकड़े मिल गये वह पढ़ दिया ।

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अनुदानों का विशाखन, राज्य का ऋण छात्रों को मिलता है चाहे वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या और कोई हो आपके भवन के नाम पर कहीं विज्ञान भवन के नाम पर, बिल्डिंग निर्माण पर, कहीं साज-सज्जा के नाम पर करोड़ों रुपये, यह पी0 ए0 सी0 में जाता है तब मालूम पड़ता है कि हमारे यहां क्या हो रहा है । यह जो अनुमानित आंकड़े मंत्री जी ने पेश किये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के हित में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप यह देखें शिक्षा के क्षेत्र में आजादी से पहले किस तरह से जब मूवमेंट चला लेकिन अंग्रेजों की बदकिस्मती हमारे मुल्क में थी । मैकाले ऐसे भ्रष्ट लोगों ने अपनी शरमायें दारी रखने के लिये एक काली शिक्षा नीति यहां पर पेश की थी केवल यहां पर जो देशी दलाली के काली चमड़ी के लोग थे, या जो प्रशासनिक क्षमता के लोग थे, जो हमारे दलाल थे उन्होंने कहा जनसामान्य को शिक्षित करना असंभव है मगर अंग्रेजी के माध्यम से एक ऐसा विशिष्ठ जन समुदाय तैयार करना संभव है जो खून और रंगत से तो हिन्दुस्तानी हो, पर पसन्द आचार विचार से पूरा अंग्रेज हो । शिक्षा ऐसे लोगों से रिसकर जनता तक पहुंचेगी ।

मान्यवर, सार्वभौमिक शिक्षा की बात कहते हैं । मैं कहता हूं कि अनुच्छेद 28-29-30 देखें । मान्यवर, धर्म निरपेक्ष राज्य में धर्म के आधार पर जाति के आधार पर हम शिक्षा को मान्यता नहीं देंगे यह उसमें है तो मान्यवर, जब अनुच्छेद 45 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है । मान्यवर, हम चाहते हैं 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा निशुल्क मुहैया करें तो मंत्री जी वाहवाही करती हुई यह कहेंगी कि 14 साल तक, अभी मंत्री जी ने कहा कि 92 तक होगी, 90 में तो मौका मिलेगा नहीं 92 की बात करती हैं । तो जब यह अनुच्छेद 45 में स्पष्ट अंकित है कि भारतीय संविधान के तहत 14 साल तक आपको निःशल्क शिक्षा देनी है तो यह जवाब देंगी जनसंख्या बढ़ी है । एक तरफ तो मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में जनसंख्या का बहाना लिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में परिवार नियोजन के नाम पर आंकड़े आ रहे हैं कि जनसंख्या रुक गई तो या तो आपके आंकड़े गलत हैं या स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े गलत हैं तो यह इनको देखना पड़ेगा । मान्यवर, परिवार नियोजन के नाम पर अरबों रुपया खर्च होता है और उसका नतीजा कुछ भी नहीं है तो मान्यवर, या तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े सच्चे है और इनके झूठे है और या तो इनके सच्चे हैं और स्वास्थ्य विभाग के झूठे हैं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यह प्राइमरी शिक्षा की बात करती है आज प्राइमरी शिक्षा के अंदर जो शिक्षा नीति है, मैं कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसके अंदर यह स्पष्ट था और पार्लियामेन्ट के अंदर यह संकल्प आया कि हमारा एक निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिये लेकिन हमारी जो शिक्षा नीति है चाहे माध्यमिक शिक्षा की नीति हो, चाहे डाक्टर मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट हो, उच्च शिक्षा की रिपोर्ट हो या राधाकृष्णन की रिपोर्ट हो सभी लोकतांत्रिक है । मंत्री जी ने कहीं भी राष्ट्रीय भाषा का नाम नहीं लिया । हमने यह संकल्प लिया था कि राष्ट्र भाषा का विकास करेंगे । नियम 351 के तहत भारतीय भाषा का विकास होना चाहिये । लेकिन मंत्री जी को राष्ट्र भाषा का नाम लेते हुए शर्म आती है । इनमें मान्यवर, हिम्मत नहीं है । ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री दक्षिण में जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो गड़बड़ हो जाये ।

मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाषा के विकास के लिये उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, अगर आप चाहती हैं कि प्राइमरी शिक्षा का विकास हो तो हमारे बच्चों के अंदर एकरूपता आनी चाहिये । लोकतन्त्र में उनकी शिक्षा के अन्दर समान अधिकार नहीं होगा, शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि समान शिक्षा मुहैया करेंगे, लेकिन मैं

कहना चाहता हूं कि आज आपके देश के अंदर कौन सी समान शिक्षा चल रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि ढाई परसेंट लोगों को केवल जो बड़े लोग हैं, समपन्न लोग हैं, मध्यम क्लास के लोग हैं, वे लोग लाभान्वित होते हैं और उसके बाद 60-70 हजार लोग जो उच्च शिक्षा पाते हैं, वे लाभान्वित होते हैं । क्या इसी प्रकार से समान शिक्षा दी जायेगी । जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी शिक्षा के लिये कोई प्राविधान किया है । आप चाहती हैं कि लोकतंत्र के अन्दर समान शिक्षा हो तो समान शिक्षा आपको इस देश में लागू करनी पड़ेगी । लेकिन आप में दम नहीं है । समान शिक्षा कैसे लागू होंगी क्योंकि समान शिक्षा के लिये समान पाठ्यक्रम बनाना पड़गा । लेकिन पाठ्यक्रम से आपको क्या मतलब है । इसलिये कहना चाहता हूं कि समान शिक्षा के लिये सबसे पहले यह लक्ष्य प्राप्त करें । मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आप देखें कि समान शिक्षा देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उठाने के लिये बहुत जरूरी है । लेकिन शिक्षा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी बता रहीं थीं साक्षरता के बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि सन् 2 हजार तक हिन्दुस्तान सारे मुल्कों में सबसे अग्वाई करेगा निरक्षरों की, यानी आपके देश में सबसे ज्यादा निरक्षर, बिना पढ़े लिखे लोग पाये जायेंगे । आप गलतफहमी में हैं कि पूरे देश में साक्षरता अभियान के बाद निरक्षर नहीं पायेंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि 2 हजार तक इस देश के अन्दर निरक्षर बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश उसमें भी सबसे आगे रहेगा । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि....

श्री प्रदीप माथुर—

क्या बता रहे हैं ?

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, हमारे प्रदेश में साक्षरता 41 प्रतिशत है, जबकि मान्यवर, केरल में 70 प्रतिशत और मणिपुर में 41 प्रतिशत है। नागालैण्ड में 35 प्रतिशत है और आपके उत्तर प्रदेश में 27.16 प्रतिशत है । इसी से आप अंदाजा लगा लें और अभी हमारी मंत्री जी कह रही थीं कि महिलाओं के लिये हाई स्कूल खोल देंगी, मैं कहना चाहता हूं कि...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यादव जी कृपया बैठ जायं ।

श्री अमिताभ लवानियां—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य यादव जी शिक्षा पर बोल रहे हैं या पशुपालन पर ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यव्जर, अक्ल बड़ी है या भैंस, यह मैं आपसे जानकारी चाहता हूं ?

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें । माननीय यादव जी बोलें ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैं स्त्री शिक्षा पर बोल रहा था, क्या स्थिति है हमारे प्रदेश की और दूसरे प्रदेशों की । हमारे यहां प्रतिशत है 0.24, केरल में 65.73 प्रतिशत, मणिपुर में 42.57, नागालैण्ड में 29.6 प्रतिशत है । मान्यवर अब तक शिक्षा के क्षेत्र में मनमाने ढंग से यहां पर काम हुआ है । शिक्षा को अगर आप चाहती हैं कि एक सार्वभौमिक बने, घर-घर पर पहुंचे, तो एक नयी नीति के तहत इसे करें । माननीया मंत्री जी को आज पता नहीं क्या हो गया नयी शिक्षा नीति के बारे में नहीं बताया । [×××]

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री प्रदीप माथुर—

जो इन्होंने विश्वविद्यालय और कालेज वाली बात कही, उसे कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यादव जी जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उसके बारे में न कहें । यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । आप लोग बैठ जाइये ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

अगर प्रधानमंत्री ने कोई विश्वविद्यालय देखा है, उसमें पढ़ा है तो उसका नाम बतायें ।

श्री अधिष्ठाता—

जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में जिक्र न करें । आप लोग बैठें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, एजूकेशन इज नो गारंटी फार विजडम ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, शिक्षा आयोग ने यह स्पष्ट कहा था कि हमें हर लेवल पर शिक्षा को वर्क एक्सपीरियेंस के साथ जोडना चाहिये । कार्य अनुभव के साथ जोड़ना चाहते हैं । शिक्षा आयोग ने यह भी कहा था कि हम शिक्षा को भी व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं । सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि कृषि अनुसंधान और विज्ञान के क्षेत्र में हमको अधिक ध्यान देना होगा । इसी के साथ-साथ शिक्षा आयोग ने यह भी संस्तुति की थी कि हम नैतिकता और धर्म को भी स्थान देंगे जिससे हम नैतिकता का विकास कर सकें । विद्यार्थी जीवन में जो संक्रमणकाल आता है, जिम्मेदारी है संक्रमणकाल में, उसे दूर करेंगे । शिक्षा आयोग की भावनाओं को तोड मरोडकर, नयी शिक्षा लाने के लिये जिस तरह से इस देश के प्रधान मंत्री ने नाटक किया है. . . .

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यादव जी जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में न कहें ।

श्री गोपाल दास यादव—

जो हमारे शिक्षक हैं, हमें शिक्षक के पद, वेतन और शिक्षा का ध्यान देना होगा, भाषा के विकास के लिये ध्यान देना है । साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, उच्च शिक्षा, उर्दू की शिक्षा और खेलकूद इस पर हमें ध्यान देना है । लेकिन जो हमारा कार्य-अनुभव है, यह नयी शिक्षा में जोड़ने की कोशिश की गयी है कि शिक्षा की जो डिग्री है, वह रोजगार से कोई सम्बन्धित नहीं रहेगी । इस तरह से यह कहने की कोशिश की गयी है कि डिग्री की कोई मान्यता नहीं है । रोजगार और डिग्री में कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । जब वह रोजगार सम्बन्धित नहीं रहेगी तब मूल्यांकन किस बात का । केवल परीक्षा के लिये मूल्यांकन नहीं होता, यह होता है कि बच्चे ने, कितना सीखा है । प्राइमरी पाठशाला में कितनी हैबिट्स एटीट्यूड्स-कितना डेवलप किया है । आप ब्लैक बोर्ड आपरेशन के माध्यम से भवन के माध्यम से कुछ कर दें, लेकिन जब तक हम अपने प्रशासन से, अपने अध्यापकों से जो देश के कर्णधार हैं, यह आपका प्रशासन वर्ग, अध्यापक वर्ग है दोनों मिलकर जब तक बच्चों की रुचि के मुताबिक शिक्षा नहीं देंगे तब तक चाहे कितना ब्लैक बोर्ड आपरेशन करा लें, कितने भवन बना लें, शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होगा ।

अध्यापक वर्ग है उसका जो वेतन है, शिक्षा है, पद है, उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुये काम करना होगा जब अध्यापक को आप सम्मान देंगे, तब ही आपको सम्मान मिलेगा । यह जो माध्यमिक शिक्षा है, यह शिक्षा की मेरुदंड है । आप माध्यमिक शिक्षा को बिल्कुल व्यवसाय से जोड़ने की बात करते हैं । लेकिन जो इसका कौशल है, आदत है, उसके अन्तर्गत विकास नहीं करेंगे ? दोनों चीजों को मिलाकर नहीं करेंगे ज्ञान और कौशल, इसका विकास करना है । ज्ञान का विकास शिक्षक कर सकता है । शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर बच्चों में ज्ञान पैदा होगा । कौशल की बात आती है, कौशल के नाम पर स्किल डेवलेपमेन्ट करने की बात है । यह नयी शिक्षा में इन्होंने कहा कि व्यवसाय से जोड़ेंगे । लेकिन, जब तक प्रयोगशाला के माध्यम से विज्ञान को महत्व नहीं देंगे, वाणिज्य को महत्व देंगे, यदि वाणिज्य के साथ-साथ, विज्ञान के अन्दर प्रयोग होता है, प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं करायेंगे, केवल एक डीम्लटान ले लेने से, उससे मूल्यांकन नहीं होगा । इसलिये प्रयोगात्मक परीक्षा के लिये टीचर के ऊपर विश्वास करना चाहिये ।

प्रेमचन्द्र की पुस्तक पंच परमेश्वर में कहा गया है, न्याय और निर्णय के लिये शिक्षक के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा । उसको मूल्यांकन करने का मौका नहीं देंगे, केवल एक बार परीक्षा ले लेने से बच्चे का विकास होना संभव नहीं है । बच्चों में ज्ञान से, स्किल पैदा करने के लिये, अच्छे टीचरों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना पड़ेगा । जो परीक्षा पद्धति है, बिल्कुल अर्थहीन है । सतत्क प्रणाली आपने देखी बिल्कुल फेल्योर रही शासन को इस सतत्क प्रणाली को वापस लेना पड़ गया । परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनायें मूल्यांकन के द्वारा । जैसे कान्वेन्ट स्कूलों में होता है मूल्यांकन अध्यापक करता है । यह मूल्यांकन और टीचर का मूल्यांकन दोनों पर जब तक ध्यान नहीं देंगे, तब तक सुधार नहीं होगा । जब ध्यान देंगे, तब ही इसका सुधार होगा । इसी के साथ-साथ माननीय मैं आपको बताना चाहता था कि जो आपकी ऐच्छिक शिक्षा है और जो औपचारिक तथा अनौपचारिक

शिक्षा है, उसमें तमाम ड्राप आउट होते हैं । यह ड्राप आउट खुशी से नहीं होते । मान्यवर, जो आंकड़े पेश किये गये हैं, वह आप देख लें कि दर्जा एक से दर्जा 5 तक 60 प्रतिशत ड्राप आउट होते हैं । उसके बाद दर्जा 8 तक मजबूरी में 80 प्रतिशत छात्र छोड़ देते हैं । इन ड्राप आउट के पीछे क्या कारण है, इसका पता करवाया जाना चाहिये । मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि औपचारिक शिक्षा शुरू कर देंगे, इनफारमल शिक्षा शुरू कर देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि नई-नई तकनीकें शुरू कर देने से कोई फायदा नहीं है । गांवों के अन्दर ऐसे कौन से कारण हैं, जो बच्चों की शिक्षा छोड़ देने पर बाध्य करते हैं, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है ?

इसी तरह से मान्यवर, मैं उच्च शिक्षा के बारे में भी कहना चाहता हूं । जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, वह स्वायत्त बाडी नहीं रह गयी है । आज उन पर पूरी तरह से शासन का अंकुश हो गया है । आज एक वाइस चांसलर राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस व तीन लोग होते हैं, के द्वारा चुना जाता है । मान्यवर, चाहे सन् 42 का आन्दोलन रहा हो, कभी भी वाइस चांसलर की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस प्रवेश नहीं करती थी । आज यह हो गया है कि बिना पुलिस के आज की शिक्षा प्रणाली में कोई भी परीक्षा नहीं हो सकती ।

श्री अधिष्ठाता—

यादव जी, अपनी बात समाप्त करें, आपको काफी समय हो गया है ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज को स्वायत्त बाडी नहीं बनाया जायगा और वहां का वाइस चांसलर वहीं के लोगों अथवा एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा नहीं चुना जायेगा, तब तक विश्वविद्यालयों में शिक्षा का सही रूप से चल पाना सम्भव नहीं है । इसकी वजह से आज एक उच्चीकृत कालेज का अध्यापक भी इतना राजनैतिक प्रेशर रखता है, कि वह भी कहेगा कि हमको भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया जाय । मान्यवर, जब तक वाइस चांसलर की नियुक्ति स्वायत्त रूप से नहीं होगी, तब तक उच्च शिक्षा (हाई एजूकेशन) का कोई अर्थ नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अंशकालीन शिक्षक हैं, जिन्हें आप स्वयंसेवी कहते हैं, आज उनको आप शिक्षक मानने को तैयार नहीं हैं । मान्यवर, यह अंशकालीन शिक्षक बड़ी मेहनत के साथ माध्यमिक विद्यालयों में और महाविद्यालयों में पढ़ाते हैं, लेकिन जो आपका शिक्षा आयोग है, उसके द्वारा पिछले 5-6 साल से महाविद्यालयों में कोई नियुक्ति नहीं हुई । आज अंशकालीन अध्यापक मजदूर की तरह स्कूलों में पड़ा रहे हैं, लेकिन आज उनकी नौकरी खतरे में है और वह लोग अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

यादव जी, अब समाप्त करें । बाकी लोगों को भी बोलना है ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, जो तदर्थ नियुक्तियां हो गयी हैं, उनको तो वेतनमान मिलता है, लेकिन जो हमारे अंशकालीन शिक्षक हैं, उन्हें 8 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये प्रति घंटा मिलता है, इस वजह से प्रधानाचार्य इन लोगों का शोषण करता है और कहता है कि 18 पीरियड पढ़ाओगे तो इस पीरियड का इतना भुगतान करेंगे । उनको चपरासी देखता है कि वह पढ़ा

रहे हैं या नहीं । मान्यवर, यह शिक्षक इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उनको भी रेगुलर किया जाय क्यों कि वह भी इसी देश की संतान है, इस देश के ही लोग जो निःस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं । मान्यवर, इन लोगों को भी रोजगार की गारन्टी मिलनी चाहिये । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज महाविद्यालय के अन्दर जितनी भी घटनायें हो रही हैं । माननीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिये, परन्तु राजनैतिक ज्ञान उतना ही सीमित होना चाहिये, ऐसा न हो कि वह विद्या मंदिर राजनीति का अखाड़ा बन जाय । राजनीति भी एक ज्ञान है, लेकिन आज विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में जो अनुशासनहीनता हो रही है, उसे रोकना भी हमारा कर्तव्य है ।

मान्यवर, खेलकूद के बारे में कहना चाहता हूं कि आज स्कूलों में बिल्कुल खेल नहीं हो रहा है और जो आपके फिजिकल डाइरेक्टर हैं वे निजी कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं । 60 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं और जहां मैदान हैं भी तो वहां खेल नहीं होते हैं । निदेशालय बना देने से, लखनऊ में 2-4 स्टेडियम खोल देने से कुछ होने वाला नहीं है । पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है । कोई अभ्यास नहीं होता है । आपका यह नैतिक कर्तव्य है कि आप अकस्मात निरीक्षण करें । आज बी0 एस0 एस0 भी नहीं चाहता कि खेलकूद हो । विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व स्कूलों में अगर खेलकूद होगा तो उत्तर प्रदेश का सर ऊंचा होगा । 4 करोड़ रुपये आपने दिया है । 2 करोड़ रुपये का तो एस्ट्रो टर्फ लग जायेगा । 16 रुपये प्रति व्यक्ति आप देते हैं । आप कैसे आशा करते हैं कि 16 रुपये में आप राष्ट्रीय स्तर व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगी दे देंगे । आपको इस ओर ध्यान देना चाहिये । यही आपके यहां नौकरियों में हाल है । फायदा उठा लेते हैं, रेलवे वाले, इण्डियन एयर लाइन्स वाले व पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ वाले । आज आपके यहां एक स्पोर्टसमैन को कन्डक्टर की नौकरी नहीं मिल पा रही है । मेरा सुझाव है कि आपको ऐसे लोगों को कारपोरेशन में नौकरी देनी चाहिये । आज रूस व अमेरिका खेलकूद, विज्ञान व उदयोग में हमसे आगे हैं । आज देश में ही कर्नाटक व महाराष्ट्रा हमसे खेलकूद व शिक्षा में आगे हैं, विज्ञान व उदयोग में आगे हैं ।

(श्री सत्यपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यादव जी, अब आप समाप्त करें, दूसरों को मौका दें । आपको फिर मौका मिल जायगा । आपके 35 मिनट हो गये हैं ।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री से । माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेंगे और आप उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे । मैं चाहता हूं कि जब उत्तर देने के लिए खड़े हों कृपया दो-तीन बातों का जवाब भी दे दें ।

वर्ष 1988-89 के मुकाबले वर्ष 1989-90 के बजट में शिक्षा में कितने प्रतिशत की कटौती की गयी है ? कटौती करके जो शिक्षा जगत में क्रान्तिकारी आंदोलन लाने का वायदा किया है, उसे कैसे पूरा करेंगे ?

अंशकालीन शिक्षक, जो दो महीने से विधान सभा के बाहर धरना दे रहे हैं, जिनकी मांग है कि 1980 में जैसे उन्हें समायोजित कर लिया गया था, वैसे ही समायोजित कर लिया जाय, अब 4000 के लगभग जो हैं, जिनको कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग

में जायं, क्या इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बिना लोक सेवा आयोग के उनको समायोजित कर लेंगे ?

उत्तर प्रदेश में 1981 से मान्यता प्राप्त विद्यालय, जिनको 1984 से अनुदान सूची में नहीं लाया गया है, आपने बजट भाषण में कहीं नहीं कहा है कि इनको अनुदान सूची में लायेंगे, क्या आप और आपकी सरकार विचार कर रही है कि इनको अनुदान सूची पर लायें ? यदि हां, तो स्पष्ट कर दें ।

अन्तिम बात यह है कि जनता पार्टी के जमाने में प्रति वर्ष तीन-चार हजार प्राइमरी विद्यालय और तीन सौ-चार सौ जूनियर हाई स्कूल प्रति वर्ष खोले गये । इस वर्ष आपने शिक्षा पर बल दिया है, बजट भाषण म कहीं पर जिक्र नहीं किया है कि कोई भी प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल खोलने जा रहे हैं । अगर खोलने जा रहे हैं तो बतायें ?

(श्री गोपाल दास यादव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आपको फिर मौका मिल जायेगा ।

श्री गोपाल दास यादव—

5 मिनट खेल-कूद पर बोल लूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

इनको बोलने दें मान्यवर, इनका तो अधिकार पूरा है ।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट में बात समाप्त कर लें जिससे दूसरों को भी मौका मिल जायगा ।

श्री गोपाल दास यादव—

मैं खेल-कूद विभाग के बारे में कह रहा था । यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । "आल वर्क एण्ड नो प्ले, मेक्स ए ब्वाय डल एण्ड ह" अगर आप कार्य करने में सक्षम हैं और खेल-कूद को नहीं जानते हैं तो मन्द बुद्धि के बालक हैं । शिक्षा की बात तो हो गयी लेकिन उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स निदेशालय खुला हुआ है, यह एक सरकारी धर्मशाला है । जो भी खेल-कूद होता है सीमित लोगों के माध्यम से खेल-कूद की योजना बनायी जाती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके यहां 1975 में एक स्पोर्ट्स वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया था जिसके माध्यम से कहा गया था कि हम उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो कि मेधावी और प्रतिभावान होंगे, उनको हम पैसा देंगे और खाना मुहैय्या करायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स निदेशालय ने किस आधार पर डाईट की योजना बच्चों को दी है । उन लोगों को जो कि न राष्ट्रीय स्तर के और न प्रदेशीय स्तर के खिलाड़ी थे, ऐसे लोगों को यह दिया गया है जो कि उसके उपयुक्त नहीं थे ।

स्पोर्ट्स निदेशालय के अन्दर एडहाक नियक्तियां की गयी हैं और वहां केवल एक गेम की ओर ही उनका कंसन्ट्रेशन होता है । हमने कहा था इलाहाबाद के लिए कि वहां पर एक क्रिकेट का हास्टल खोला जाय क्योंकि इलाहाबाद के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, अगर यहां स्पोर्ट्स में 40 बच्चे लिए जाते हैं तो उनमें से 20 बच्चे केवल इलाहाबाद के ही होते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इलाहाबाद में स्पोर्ट्स का क्रिकेट हास्टल खोला

जायेगा, लेकिन यहां के निदेशक ने मंत्रियों के दरवाजे पर जा-जा कर, उनकी चमचागीरी करके इलाहाबाद में क्रिकेट का हास्टल नहीं खुलने दिया । इलाहाबाद में तरुण ताल की बात हुई थी, वह भी आज तक नहीं बन पाया है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में एक तरुण ताल तथा एक क्रिकेट का हास्टल आज खोले जाने की बहुत आवश्यकता है । इसके साथ ही साथ वार्षिक समारोह होना चाहिये जिसमें प्रतियोगितायें आयोजित की जानी चाहिये । अन्य प्रदेशों में ऐसा होता है किन्तु हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है । उत्तर प्रदेश में तो मिनी ओलम्पिक हो जाता है, इसके नाम पर यहां 8 लाख रुपया दिया जाता है । सारी व्यवस्था निदेशालय के कर्मचारी करते हैं लेकिन प्राइवेट मैनेजमेन्ट मिनी ओलम्पिक के नाम पर 8 लाख रुपया खा जाता है । इसीलिये आपके प्रदेश का स्तर स्पोर्ट में 25वें स्थान पर आता है ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि समय की अवधि को देखते हुए वे अपने कटौती के प्रस्ताव को थोड़ा सीमित कर दें ।

श्री गोपाल दास यादव—

मैं कह रहा था कि आपके प्रदेश के लड़के राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर जब प्रतियोगिताओं में जाते हैं, हमारी सरकार न तो उन्हें नकद धनराशि देती है और न ही आवासीय व्यवस्था देती है और इसी प्रदेश के लड़के जब दूसरी जगह जाकर जैसे रेलवे में, एयर लाइन्स में जाते हैं तो लाखों रुपया पाते हैं । आप यहां के नरेन्द्र होरवाली को ही ले लीजिये, यहां किसी ने उसको नहीं पूंछा और जब वह मध्य प्रदेश की तरफ से खेला तो वहां की सरकार ने उसे एक आवास दिया और 25 हजार रुपया दिया । उसके बाद हमारे यहां की सरकार ने उसे केवल 5 हजार रु0 दिया ।

इसी तरह से पुलिस विभाग के अन्दर जो खिलाड़ी हैं, अगर वे अर्जुन एवार्ड पाते हैं तो पुलिस विभाग को चाहिये कि वह भी उनको सम्मान दे । आवासीय व्यवस्था करें यह प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि खिलाड़ियों को पर्याप्त सम्मान दे । मान्यवर, लक्ष्मण पुरस्कार जो उस खिलाड़ी को दिया गया, जो बहुत ही मान्यवर, टूटा-फूटा था, जिन्होंने देखकर उसे वापस कर दिया । इसलिये मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यदि आप यह चाहती हैं कि खेल-कूद में विकास हो तो आपको हर चीज की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो खेल की क्वालिटी भी अपने आप बढ़ेगी. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यादव जी अब आप कृपया बैठिये,

श्री फ्रांसिस डब्लू0 मोरे—

मान्यवर, आज आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर 4 साल से मैं इस हाउस में बराबर बोलता चला आ रहा हूं और मुझसे पहले मिस्टर ए0 सी0 ग्राईस ने भी इसके बारे में चर्चा की है कि आंग्ल भारतीय और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की देख-रेख के लिये एक अलग निरीक्षक होना चाहिये, इसकी व्यवस्था यथाशीघ्र की जानी चाहिये क्योंकि यह बहुत जरूरी है, लेकिन आज कल डी0 आई0 ओ0 एस0 लखनऊ दो आंग्ल-भारतीय और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के निरीक्षक भी हैं जो अच्छे ढंग से सभी स्कूलों की देख-रेख नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कार्य

बहुत है इसलिये मेरा अनुरोध है कि एक अलग निरीक्षक इन स्कूलों के लिये होना जरूरी है ।

माननीय, आर० आई० एस० सी०/आई० सी० ई० इग्जाम्स इन यू० पी० लीगल है या नहीं ? अभी हाल ही में 8 फरवरी के पायनीयर में छपा है, जिसमें यह लिखा है कि हमारे शिक्षा विभाग वालों को यह भी मालूम नहीं कि यह इग्जाम लीगल है या नहीं । माननीय इस मामले में मैं आपको दिखाऊंगा कि इण्टरमीडिएट एक्ट और यू० पी० शिक्षा कोड में आया है कि यह इम्तहान यू० पी० में लीगल है और यह हाई स्कूल बोर्ड और इण्टरमीडिएट के बराबर माने गये हैं और शासन के शिक्षा अनुभाग-7 ने भी यह मान लिया है, जिसका गजट भी 28 अगस्त, 1980 को हो चुका है कि यह इग्जाम्स लीगल है, इसलिये माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो स्कूल्स हैं हमारे लिये और हमारे प्रदेश के भविष्य के लिये बहुत ही जरूरी हैं, लेकिन आज यह आई० एस० सी० व आई० सी० एस० ई० के कई स्थानों पर नये-नये स्कूल्स खुल गये हैं जो आंग्ल भारतीय स्कूल्स नहीं हैं, लेकिन अफसोस है कि ऐसे स्कूलों को भी मान्यता दे दी गयी है और एन० ओ० सी० (नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स) दे दी गयी हैं, ये स्कूल सी० बी० एस० ई० और आई० सी० एस० ई० स्कूल्स के इम्तिहान भी करा रहे हैं और इन स्कूलों का एफीलिएशन भी हो गया है, इसके बावजूद ऐसे स्कूल्स में जब हमारे शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी जाते हैं, निदेशक जाते हैं, तो वह स्कूल वाले इनसे बात-चीत भी नहीं करते हैं । इसीलिये इस ओर यह बहुत जरूरी है कि कड़े कानून बनाये जायें और ऐसे स्कूलों को मान्यता प्रदान न की जाए और इन पर सख्त कंट्रोल रखा जाए और अगस्त, 1980 में जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार भी कार्यवाही होनी चाहिये, इस बारे में मैंने शिक्षा विभाग से कई बार कहा, लेकिन आज तक बात सुनी नहीं जा सकी है ।

साथ ही माननीय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ज्वेलीकोट में एक एल० टी० कालेज खोले जाने की मांग की गयी है, जिसको मान्यता के लिये कई बार लिखा गया है, लेकिन उसे अभी तक मान्यता नहीं दी गयी है, जबकि वह पर्वतीय क्षेत्र में है, और यह लोग विभाग से पैसा भी नहीं मांग रहे हैं और इससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा भी पहुंचेगा । जबकि अभी हाल में लखनऊ में ही एक एल० टी० कालेज खोला गया है ।

माननीय, यह जो आई० एस० सी० और आई० सी० एस० ई० स्कूल्स हैं 1-पार्लियामेंट एक्ट के अनुसार 30 साल पहले स्थापित हुए हैं और अब जो नये-नये स्कूल्स जो इनके बन रहे हैं और जिनको एन० ओ० सी० शिक्षा विभाग वाले दे रहे हैं, जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि यह मान्यता किनको दी जा रही है, ये स्कूल सही हैं या नहीं ? यह बड़े ही शर्म की बात है, इसके लिये एक ही ढंग के कानून होने चाहिये लेकिन नहीं हैं और उनका सख्ती से पालन होना भी चाहिये और इस प्रकार के सभी स्कूलों पर शर्तें भी एक होना चाहिये । इसलिये माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी देते हुए यह कहना चाहता हूं कि ऐसे स्कूलों पर सख्ती से कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में अच्छे रूप में इन्हें कंट्रोल किया जा सके, धन्यवाद ।

श्री शिवादित्य पाण्डेय—

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस पर मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और शिक्षा मंत्री द्वारा रखे गये बजट का विरोध

करता हूं । माननीय मंत्री जी जब बोल रही थीं, तो उन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के जगत में बहुत आगे है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति देश और प्रदेश में बड़ी सोचनीय है । उत्तर प्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत 27.16 है, जबकि केरल में 70.42 महाराष्ट्र में 47.12, गुजरात में 43.70 और तमिलनाडु में 46.76 है । माननीय मंत्री जी बोल रही थीं, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत में बहुत काम किये जा रहे हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 1987 में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 16वें नम्बर पर था और केरल जैसे छोटे प्रदेश का नाम पहले नम्बर पर था । तो मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी दयनीय है । मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा का कुल बजट 12 अरब 87 करोड़ रुपये का है गत वर्ष का बजट 10 अरब 36 करोड़ रुपये का था, यानी 2 अरब 51 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है । शिक्षा का बजट कुल बजट का 18 प्रतिशत है, परन्तु गत वर्ष 14 प्रतिशत था, और माननीय मंत्री जी कहती हैं कि हम शिक्षा को अधिक साधन मुहैया कर रही हैं । इस वर्ष कुल राजस्व के बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि शिक्षा के बजट में केवल 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । ये तथ्य द्योतक हैं कि इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विभागों से कम धन दिया गया । हमारे सामने आज भी शिक्षा के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक तो नई शिक्षा नीति के पहले का रूप और दूसरा बाद का रूप । लार्ड मैकाले ने जिस शिक्षा प्रणाली को अपने हित में लागू किया वही प्रणाली आज भी चल रही है, हमने आजादी के बाद देश हित में शिक्षा को बनाने का प्रयास नहीं किया । पुरानी शिक्षा नीति का ही परिणाम है कि आज हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं । आज शिक्षा में दो प्रकार के नागरिक तैयार किये जाते हैं, एक तो वह जो सूटेड-बूटेड होते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं, अपने को सामान्य से ऊपर मानते हैं और दूसरी ओर धूरहू और चिखुरी हैं जो हीन भावना से ग्रसित हैं । यह शिक्षा नीति का ही परिणाम है कि हमारी शिक्षा महंगी हो गयी है और गरीब उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है । माननीय मंत्री जी ने बहुत सी घोषणायें की हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बता पायी है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षाओं में बच्चे और अध्यापक में क्या अनुपात है ? पहले 40 छात्र पर एक अध्यापक था जो आज बढ़कर 80 और एक सौ बच्चों पर एक अध्यापक है । बच्चों और अध्यापक के बीच का अनुपात बढ़ गया है । श्रीमन् अनुपात अधिक होने पर बच्चों पर अध्यापक का प्रभाव सही रूप से नहीं पड़ रहा है । बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं । श्रीमन्, शिक्षा नीति के कारण शिक्षा महंगी हो गयी है । त्रिभाषा सूत्र जिसका उद्देश्य देश की एकता को मजबूत करना था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया है । यह सरकार बहुत सी घोषणाएं करती है, और यह सरकार 8 रुपया और 12 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अध्यापकों को नियुक्त कर रही है, श्रीमन्, आप ही बतावें कि 8 रुपया का मजदूर शिक्षा का विकास किस प्रकार से करेगा । मैं कहना चाहता हूं कि जो अंशकालिक अध्यापक हैं और योग्य हैं, उनको पूर्णकालिक करने की घोषणा करें । विद्यालयों में विज्ञान को अनिवार्य करके लैब की व्यवस्था की जानी चाहिये । असहायक विद्यालय जिनकी संख्या काफी है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका सहयोग लेना चाहिये । उनको अनुदान सूची पर न लाकर हतोत्साहित किया जा रहा है ।

मान्यवर, बलिया की बात आपके सामने रखना चाहता हूं । बलिया में सतीश चन्द्र महाविद्यालय और टाउन डिग्री कालेज हैं, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था, उनका 4 साल से कई विषयों का रिजल्ट नहीं निकला है । एक कालेज में साइंस और दूसरे कालेज में कृषि साइंस की पढ़ाई होती है, इसमें सीटें बहुत कम हैं, इनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये । उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत 14

है । परीक्षा प्रणाली जो है, वह दोषपूर्ण है । ग्रामीण क्षेत्रों में नई तरह की शिक्षा नीति की व्यवस्था करें । श्रीमन्, अन्त में केवल यही कहना चाहूंगा कि बलिया में माननीया भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि वहां पर हम एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलेंगे । लेकिन मुझे दुख है कि आज यह कांग्रेस सरकार जो इंदिरा गांधी के नाम पर जीती है उनकी ही बात नहीं मानती है । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन वहां की जनता के लिये दिया था कि वहां पर एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोला जायेगा और साथ ही साथ बलिया जैसे जो पिछड़े जनपद हैं जहां पर साधनों की कमी है, अगर आप कमी समझते हैं तो उसके लिये आप बजट में व्यवस्था करें । यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के इस महत्वपूर्ण बजट पर जो आपने हमें अपने विचार रखने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, सतत् स्वजन की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में नित्य निरन्तर चलती रहती है और शिक्षा उसमें एक मुख्य माध्यम है । मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो इस वर्ष यह निर्णय लिया है कि इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक विद्यालय जो भवनहीन है वह भवनयुक्त हो जायेगा । मान्यवर, दूसरी जो एक प्रमुख बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कही कि विकास खण्ड स्तर पर एक कन्या हाई स्कूल की स्थापना का जो आयोजनागत प्रस्ताव रखा गया है यह भी एक अभिनन्दनीय प्रयास है । इसके अतिरिक्त हमारे प्रधान मंत्री जी ने सम्पूर्ण भारत में और विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना रखी है जिसमें हर गांव में हर विद्यालय में टाट-पट्टी से लेकर हर आवश्यक वस्तु की व्यवस्था की जायेगी । यह भी विकास के दौर की एक मजबूत कड़ी है । लेकिन मान्यवर, इन सारी चीजों के साथ ही साथ जो एक मुख्य मुद्दा है उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी आप स्वयं शिक्षिका रही हैं लेकिन जो आपके कार्यालय से पत्रों का जवाब प्राप्त होता है तो उसे देखकर निराशा होती है । भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने 12 जनवरी, 1987 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय पर जन सभा में घोषणा की थी कि वहां पर एक महा विद्यालय की स्थापना की जायेगी । इस पर आपके विभाग से जवाब मिलता है कि हैदरगढ़ में कोई इण्टर कालेज नहीं है । मान्यवर, आपके विभाग में श्री राज कुमार कोहली और के0 एन0 जोशी संयुक्त सचिव हैं उन्होंने लिखा कि वहां पर 16 किलोमीटर की परिधि में कोई भी इण्टर कालेज नहीं है । मैं वहां का जन प्रतिनिधि हूं और मैं जानता हूं । आपके पास सारी एजेन्सीज हैं आप जानकारी करा सकते हैं । हैदरगढ़ में दो इण्टर कालेज हैं । एक सार्वजनिक इण्टर कालेज है और एक राजकीय इण्टर कालेज है । आपके अधिकारियों ने कह दिया कि चूंकि वहां पर कोई इण्टर कालेज नहीं है इसलिये महा-विद्यालय खोलना सम्भव नहीं है । इस तरह से आपका विभाग उत्तर देता है । इस तरह से आपका विभाग कार्य कर रहा है ।

दूसरी चीज माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूं । आपने बहुत सारी बातें अभी कहीं । प्रबन्धकों को भी अनुदान देने की बात कही लेकिन आप यह बात भूल गये कि लखनऊ जो राजधानी का केन्द्र है, यहां पर ऐसे भी विद्यालय चल रहे हैं, जैसे महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज है, यहां पर शिक्षकों को 20

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मई को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है और जुलाई में उन्हें फिर से रख लिया जाता है । सादे कागज पर दस्तखत करा लिये जाते हैं और उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है । इस तरह से शिक्षकों का शोषण हो रहा है । इस पर आप किस तरह से अकुश लगायेंगे ? इस पर भी आप विचार करने की कृपा करें । इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं और आपको व्यक्तिगत रूप से साधुवाद देता हूं आपने कल ही आदेश कर दिये हैं लेकिन पता नहीं कैसे बाराबंकी के डी0 आई0 ओ0 एस0 ने वहां के एक नेवलेट के प्रधानाचार्य के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा परिषद की नीति का उल्लंघन करके सुरेश चन्द्र सक्सेना को जो वहीं शिक्षक हैं केन्द्र निदेशक नियुक्त कर दिया । मैं आपको साधुवाद देता हूं आपने इस संबंध में आदेश कर दिये और आशा करता हूं कि उनका अनुपालन होगा । लेकिन इस तरह से अधिकारी गलत आदेश क्यों करते हैं, किस तरह से वह अपनी मनमानी करते हैं इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी—

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । शिक्षा विभाग में शिक्षकों के उन्नयन के लिये बहुत सारी योजनायें रखी हैं लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जिला परिषद् के जो अध्यापक हैं उनकी बात बताना चाहता हूं हमारे यहां जिला परिषद् के एक अध्यापक जो 30 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं उनको पेंशन नहीं दी जो रही है । उमादत्त तिवारी जिला परिषद् में जो सन् 1949 से अध्यापक थे उनको इस्तीफा दिलवा दिया और रिटायर कर दिया लेकिन अभी तक उनको पेंशन नहीं दी गयी है । शिक्षक आप स्वयं रही हैं और जानती हैं कि शिक्षक समाज की सबसे पहली पूंजी होती है । उसके कल्याण के लिए यह बजट रखा गया है । मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे इन सुझावों पर विचार करते हुए समस्याओं का निदान करेंगी । इन शब्दों के साथ, माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को जो उन्होंने बजट प्रस्ताव रखे हैं उनके लिये मैं बधाई देता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—

एक सूचना देनी है ।

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 10 मार्च, 1989 की अपनी बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1. दिनांक 11 मार्च, 1989 को सदन का उपवेशन न हो ।

2. दिनांक 17 मार्च, 1989 को पूर्व निर्धारित अनुदान की मांगों के पश्चात् अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग की मांग पर विचार एवं मतदान हो ।

3. दिनांक 29 मार्च, 1989 को पूर्व निर्धारित अनुदान की मांगों से पहले अनुदान संख्या 43—परिवहन विभाग के अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान हो ।

4. दिनांक 5 अप्रैल, 1989 को असरकारी कार्य के अन्तर्गत दिनांक 4 अप्रैल, 1989 के अनिस्तीर्ण असरकारी संकल्प लिये जायं, और तत्पश्चात् नियम 103 के अन्तर्गत ग्राह्य प्रस्ताव लिये जायं ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी घोषणा अधिष्ठाता महोदय ने अभी की है उससे सदन सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में रखा है से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 23—खेल विभाग, अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

(क्रमागत)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मेरा भी नाम है, मुझे भी सुनेंगे या नहीं ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत करते हुए बड़ी ही दायित्वपूर्ण घोषणायें सदन के सम्मुख रखीं । मैं व्यक्तिगत रूप से उनके आंकड़ों पर कोई शक नहीं करता क्योंकि जब भी मंत्री जी मिलती है तो कहती है कि हम उनके सबसे बड़े आलोचक है । मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको बजट कम दिया गया है । माननीय वित्त मंत्री जो मुख्य मंत्री है उन्होंने जो बजट का एलाटमेन्ट किया है उसमें आपके विभाग को अधिक धन देना चाहिये था लेकिन वह कम हो गया है पिछले वर्षों की तुलना में क्योंकि जो कार्यक्रम और संख्या बढ़ी है उसके हिसाब से भी यह बजट कम है इसके लिए आपको सोचना चाहिए । मान्यवर, 1985-86 का जो हमारा टोटल परिव्यय था सम्पूर्ण बजट का उसका 19 प्रतिशत शिक्षा विभाग पर खर्च हुआ था । माननीय मंत्री जी ने जब वह भाषण कर रही थी तो कहा कि महिला शिक्षा मंत्री होने के नाते महिलाओं की शिक्षा पर निरन्तर बृद्धि हो रही है, उनका विकास हो रहा है । तो जब आपसे पहले शिक्षा मंत्री माननीय सिब्ते रजी थे उस वक्त बजट का 19 परसेन्ट शिक्षा पर था लेकिन अब वह 12 प्रतिशत हो गया है । तो इस तरह से बजट सिमट गया है तो इससे कौन सी व्यवस्था करेंगी शिक्षा में सुधार के लिये ।

दूसरी बात जो आंकड़े दिये गये है वह केन्द्र और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मुकाबले हमारी शिक्षा व्यवस्था पिछड़ी हुई है । उसका भी कारण है और आप अन्य प्रदेश के आंकड़ों को देखें तो 1985-86 के रेवेन्यू रेकार्ड के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में पर कैपिटा बजट इक्सपेंडीचर (रुपये में) 101.12 रुपये, आसाम में 99.68 रुपये, बिहार में 6426, हिमांचल प्रदेश का 180.61, कर्नाटक का 109.26, केरला का 148.37 नागालैंड 309.49 और आपका उ0 प्र0 का 64.30 रुपये बजट एलोकेशन है । यह बिहार से 4 पैसा ज्यादा है लेकिन अन्य प्रदेशों से बजट एलोकेशन कम है । तो जब बजट कम देंगे

तो शिक्षा का कैसे विकास कर पायेंगे ? स्कूल खोलने के लिये कई लाख रुपये होने चाहिए वह भी कम है । इसका मूल कारण है शिक्षा के मद में धन की कमी होना और शिक्षा में टोटल बजट का इस वर्ष के लिये 12 प्रतिशत रखा है । इसलिये इस साल कोई शिक्षा में क्रान्तिकारी सुधार आप नहीं ला पायेंगे ।

मान्यवर, शिक्षा का स्तर इससे देखना चाहिये कि आपके छात्र यू0 जी0 सी0 से कितना अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाते हैं । पहले राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा छात्रवृत्ति पाते थे लेकिन अब हमारा इसका प्रतिशत घटा है, इसलिये आप अंदाजा लगायें कि शिक्षा का स्तर ऊंचा या नीचा हो रहा है ?

मान्यवर, जो शिक्षा के संबंध में पुस्तिका दी गयी है उसमें लक्ष्य निर्धारित किया है कि कितना बढ़ायेंगे ? वर्ष 1987-88 में आपका लक्ष्य निर्धारित था 1,30,02,000 बालक और बालिकाओं का शिक्षित करेंगे लेकिन पूर्ति लक्ष्य की हुई 1,22,73,000 इस प्रकार लगभग 8 लाख की कमी हुई । दो लाख इस वर्ष बढ़ाया जा कुल जनसख्या के हिसाब से क्या दो लाख ही बढ़े ? वर्ष 1988-89 का लक्ष्य 1,32,86,000 था लेकिन पूर्ति हुई 1,26,00,000 की । तो इसमें भी गिरावट आ रही है तो आप सुधार कैसे करेंगे ? इसलिये आपको इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहिये । हमारा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आप कोई दूसरा विकल्प नहीं दे पा रहे हैं और न हम ही । इसलिए इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी बनाना चाहिये और शोध कराना चाहिए कि वर्तमान व्यवस्था में शिक्षा का विकल्प क्या हो कि शिक्षा को कैसे रोजगारपरक बनायें ? इस संबंध में आपने कुछ नहीं कहा है ।

मान्यवर, अन्त में मैं दो-तीन सुझाव और देना चाहता हूं चूंकि समय कम है । पहला सुझाव है कि दोहरी शिक्षा प्रणाली को आप समाप्त करें चूंकि कान्वेन्ट और प्राइमरी शिक्षा का परिणाम है कि प्राइमरी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसलिये आप अनिवार्य रूप से घोषणा करें कि सरकारी सेवाओं में उनको लेंगे जो प्राइमरी पाठशालाओं से कक्षा 5 पास करके आयेंगे, तब तो क्रान्तिकारी परिवर्तन हो सकता है अन्यथा हमारे लड़के, पटरी, बोरा लेकर प्राइमरी स्कूलों में जायेंगे और कलेक्टर साहब का बच्चा लैरेटो कान्वेंट में जायेगा ।

मान्यवर, दूसरा सुझाव है कि तदर्थ शिक्षकों को जो 40 हजार हैं आप नियमित करें और जो सहायताप्राप्त विद्यालय हैं उनको अनुदान सूची में लायें ।

तीसरा सुझाव है कि अध्यापकों का समायोजन करें । बहुत से ऐसे स्कूल हैं, मेरे क्षेत्र में, जिनके बारे में सन् 80 से मैं कह रहा हूं कि इनमें समायोजन किया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । हमारे यहां के दो विद्यालयों में समायोजन करने की बड़ी आवश्यकता है । इसका आप समायोजन करिये और इस पर हर जगह आप ध्यान दीजिए । हमारा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय हो गया है, अब बैठिये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

हमारे यहां क्षेत्र की तीन तहसीलों में एक भी विज्ञान की पढ़ाई का इन्टर कालेज नहीं है । जिसमें विज्ञान की पढ़ाई हो रही हो । वहां पर आप अपनी तरफ से विज्ञान की शिक्षा का प्रबंध करिये और त्रिभाषा फार्मूला में संस्कृत भाषा को शामिल कीजिये ।

शिक्षा एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)—

अधिष्ठाता जी, मैं खड़ा हुआ हूं . . . (व्यवधान) खड़ा होकर ज्ञान को देख रहा हूं और उस ज्ञान को प्रगति प्रदान करने के लिए मैं बोलने की ख्वाहिश कर बैठा । मैं प्रथम अपनी मंत्री जी का आभारी हूं, जिन्होंने शिक्षा की विभिन्न अनुदानों को मांगों के रूप में यहां पेश किया है उनका मैं अनुमोदन करता हूं और उधर से यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका विरोध करता हूं । मुख्य मंत्री जी ने अनेकों बार, अनेकों चीजों को प्राथमिकता दी है—कभी बिजली को दी, कभी फूड को दी, किन्तु इस बार के बजट में शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए जो 100 करोड़ रुपये का शिक्षा का अनुदान दिया कि जो भवनहीन स्कूल है, उनका भवन निर्माण कराया जाए । उसके लिए मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । यह उनका कार्य है, यह उनकी क्षमता है, जो इतना अच्छा यह कार्य उन्होंने कर डाला है । टीचर को जो गुरू बनाने का उनका उद्देश्य है, जिस लड़के को योग्य नागरिक बनाना है, उस दृष्टि से शासन को भी अपना सारा कार्य करना है । इसलिए उन्होंने भवन बनवाने का प्रारम्भिक कार्य किया है, जिससे बच्चों को बैठने के लिए समुचित स्थान प्राप्त हो । इसलिए मैं उनकी स्तुति करता हूं ।

मैं अपने ज्यादातर विचार खेलकूद के संबंध में प्रकट करना चाहता था, क्योंकि यादव जी ने अपनी अज्ञानता के आधार पर जो खेलकूद की आलोचना की है, वह उसका सही रूप नहीं था और मंत्री जी ने दो चार शब्द ही उसके बारे में कहा होता तो अच्छा होता । मैं वह चीज कहना चाहता हूं । मैं उस मैदान में आपको लिए जा रहा हूं, जहां उल्लास मिलता है, जिससे ऐसा वायुमंडल पैदा होता है, जो द्वेषभाव को तोड़ता है यों, इस बुराई को मिटाता है और प्राणी मात्र को परस्पर प्रेम भाव में जोड़ता है हम और आप भी जुड़ें और शिक्षा को देखें, मैं उसी चीज को पेश करना चाहती हूं । इसमें प्यार पैदा होना चाहिए । प्यार में ही वह रास्ता है जो इस प्रदेश की प्रगति का रास्ता खोलेगा । आप हर वक्त हमारे आलोचक बनेंगे, तो उससे कोई चीज नहीं बनेगी । मैं स्पोर्ट्स और गेम्स के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं मान्यवर, आपके सामने । यह कौन नहीं जानता कि इस प्रदेश में एक खेल-कूद निदेशालय है । भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में ऐसा निदेशालय नहीं है । यह एक बड़ी उपलब्धि है, जो आपके इस प्रदेश में इस सरकार से प्राप्त की है । खेलकूद ही हमारा ऐसा हथियार होगा, जो बालक-बालिकाओं के जीवन को उन्नत करता रहेगा । जिसका मकसद उनमें जिस्मानी ताकत देना है, जिनको नेशनल और इण्टरनेशनल लेबल की प्रतिस्पर्द्धाओं में अपना दम-खम दिखाने का कार्य करना है । उसके लिए हमारा खेलकूद निदेशालय काम कर रहा है ।

इस बार सरकार ने 1989-90 में 16.50 करोड़ रु0 पहले रखा था लेकिन आप देखें कि तकनीकी विकास और आधुनिक सुविधाएं जो देनी हैं उनकी जरूरत ज्यादा है, तो मैं प्रसन्नता महसूस करता हूं कि तीस करोड़ इसको कर रहे हैं । मैं आगे चलकर आपको बताता हूं मान्यवर, जो मुख्य योजना है क्रीडांगन का निर्माण कराना तथा प्रतियोगिता का आयोजन कराना, क्रीड़ा उपकरण लेना, वर्तमान तथा भूतपर्व खिलाड़ियों को सहायता करना यह बहुत अच्छी चीज है । इन चीजों को लेकर जो चल पड़े हैं तो शासन ने इसमें हर जिले में एक स्टेडियम बनवाने का फैसला लिया है । मेरी राय तो यह है कि आप भी खेला करें जब तक खेलेंगे नहीं अनुशासन नहीं आ पाएगा । तो मान्यवर, एक स्टेडियम, एक तरन-ताल और एक बहुउद्देशीय हाल का निर्माण हर जिले में चाल हो रहा है । (व्यवधान)

इस समय 22 स्टेडियम, 23 बहुउद्देशीय हाल और 15 तरन-ताल निर्माणाधीन हैं और 33 स्टेडियम, 6 बहुउद्देशीय हाल और एक तरन-ताल बन चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, यह तो बड़ी तेजी से भाग रहे हैं गोपाल जी तो रजत ट्राफी खेले हुए यह कौन सा खेल खेले हैं इन्डोर या आउट डोर कौन सा खेल खेले हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह सब खेल खेले हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह बैडमिन्टन में मेरे साथ मुकाबला करें ऐसा शाट मारूंगी कि देखते रह जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

जो माननीय सदस्य ने कहा है नहीं लिखा जाएगा । आप सेठी जी अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इण्डिया जो भारतवर्ष की ओर से देश भर में प्रतियोगिता आदि कराती है उसके द्वारा महिलाओं के लिए एक लाख 78 हजार रुपया प्रतियोगिता के लिए मिला है जिसमें ब्लाक स्तर से लेकर प्रदेश तक महिलाओं की प्रतियोगिताएं होंगी (व्यवधान) बालकों तथा अध्यापकों के लिए 7 लाख 18 हजार रुपया मिला है जिसमें ब्लाक स्तर और प्रदेश स्तर पर प्रतियोगितायें होंगी और हम राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ियों को भेजेंगे । (व्यवधान) विभाग की मुख्य योजनायें जो हैं उसमें क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण प्रशिक्षण शिविर तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन क्रीड़ा उपकरणों का क्रय, वर्तमान तथा भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग, स्पोर्ट्स कालेजों का संचालन है । हमारे यहां लखनऊ में स्पोर्ट्स कालेज चल रहा है । गोरखपुर का स्पोर्ट्स कालेज निर्माणाधीन है । कुछ कोचिंग भी इसके है . . (व्यवधान) एथलेटिक, हाकी, कुश्ती, फुटबाल, वालीबाल, क्रिकेट आदि खिलाये जाते है । बालिकाओं के लिए एथलेटिक और हाकी की कोचिंग है । खेल-कूद निदेशालय ने प्रदश भर में इतना सुन्दर वायुमण्डल बनाया है जिसमें अखिल भारतीय के0 डी0 बाबू स्टेडियम की प्रतियोगिता अखिल भारतीय महिला प्रतियोगिता (व्यवधान) अखिल भारतीय फुटबाल प्रतियोगिता श्रीमती इन्दिरा गांधी स्मारक, अन्तर्राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिवस पर इलाहाबाद में मैराथन रेस का आयोजन होगा, जिसमें 51 हजार, 25 हजार और 10 हजार रुपये के इनाम दिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

स्वर्गीय सैय्यद मोदी जो बैडमिन्टन के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे उनके स्मारक में प्रतियोगिता होगी जिसमें एक लाख का इनाम होगा इस तरह से पूरे प्रदेश में खेलकूद का वायुमण्डल बन गया है ।

(व्यवधान)

अन्त में कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में पांच अरब के लगभग मानस की संख्या बताई गई है दो नैन, दो हाथ, दो पांव और मुंह परन्तु ज्ञान के लिहाज से मानों तो इस धरती में स्वर्ग होना चाहिए परन्तु हम देखते हैं कि क्रोधवान व्यक्ति मानव को बोलने नहीं देना चाहते हैं तब हम उनको किस श्रेणी में गिनें ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी का जो आचरण यहां रहा है, जिस तरह का आचरण सरदार जी ने किया है उसकी मान्यवर, मैं उम्मीद नहीं करता था । माननीय मंत्री जी ने सदन के समय का दुरुपयोग किया है । यह ठीक नहीं है । उनकी बात किसी की समझ में नहीं आयी । टाइम भी 4 बज रहा है, हर चीज का एक समय होता है । 4 बजे उनकी अक्ल खराब हो गयी । वह बोल क्या रहे थे, यह मेरे पल्ले नहीं पड़ा । मैं उन्हीं के संबंध में कह रहा हूं और वह जा रहे हैं । मान्यवर, कभी-कभी आदमियों को बुलाया करें, यह आदमी तो है नहीं । इन्हें पता नहीं कि क्या बोलना है और क्या नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का मौका प्रदान किया जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । शिक्षा के बारे में माननीय मंत्री जी रो जो बातें कहीं हैं मैं उसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह छात्र और छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था कर रही हैं । मेरी निश्चित जानकारी है कि अभी तक माननीय मंत्री जी एक समान शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं कर पायी हैं, एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था नहीं कर पायी हैं । मेरे जनपद में सैकड़ों एसे गांव हैं जहां प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं । प्रत्येक न्याय पंचायत में एक जूनियर हाई स्कूल बालिकाओं के लिये नहीं खोल पायी हैं और प्रत्येक ब्लाक में इण्टरमीडियेट कालेज नहीं खोल पायी हैं तो जब स्कूल ही नहीं है तो शिक्षा क्या देंगी । माता प्रसाद जी ने शिक्षा के स्तर की बात कही है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है । मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा स्तर विहीन हो चकी है, न विभाग का कोई स्तर रह गया है और न शिक्षा का कोई स्तर रह गया है । मैं शिक्षा विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी 3-3 साल तक किसी विद्यालयों की शिक्षा बगैर अनुमति के अटेंड करते हैं और विभाग का काम भी करते हैं । इस तरह से अनियमित कार्य किये जा रहे हैं । खेल विभाग के बारे में अभी सेठी जी बड़े जोर-शोर से कह रहे थे । मैं उनके पड़ोस के जिले का हूं । मेरे जिले में खेल प्रतिभायें सबसे ज्यादा हैं । मेरे जनपद ने चार ओलंपियन दिये हैं । हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है लेकिन खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर नहीं दिया जाता है । मैं मंत्री जी

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश स्पोर्ट वेलफेयर ट्रस्ट 1975 में गठित किया गया था, इसकी क्या भूमिका हो रही है, यह देखने की बात है । क्या इस ट्रस्ट को जिमन लाल शर्मा की बपौती में दे दिया गया है । आपने जो खिलाड़ियों को डाइट देने की बात कहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के कितने खिलाड़ी इससे लाभान्वित हुए ? प्रदेश और देश से 15 वर्षों तक खेलने वाले वालीबाल के खिलाड़ी जो राज्य के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, जो डाइट दी गयी ? नहीं । इसका कौन जिम्मेदार है ? प्रदेश में जब भी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है, प्रदेश की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों को छोड़कर बाहर दूसरी संस्थाओं में कार्यरत खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है, जिससे उन्हें दोहरा लाभ प्राप्त होता है और दूसरी ओर प्रदेश के खिलाड़ी रह जाते हैं ।

मैं जिस जनपद से चुनकर आया हूं, मुझे गौरव है कि मेरे जनपद ने 4 ओलम्पियन खिलाड़ी दिये हैं, जिनमें सुधा चौधरी, जगमेंदर सिंह तथा रणवीर सिंह सम्मिलित हैं । इनमें रणवीर सिंह जो प्रदेश पुलिस में इन्सपेक्टर है और प्रदेश की ओर से लगातार 15 वर्ष तक खेलता रहा, तीन वर्ष तक राष्ट्रीय टीम का कप्तान रहा, उसे प्रदेश सरकार ने विभाग में प्रोन्नति भी नहीं दी, जबकि मेरे गांव के बराबर का जगमेंदर सिंह दिल्ली पुलिस में तरक्की भी पा गया, पुरस्कार भी पा गया और प्रदेश से एक लाख रुपया भी पा गया । यह असमानता क्यों है ? प्रदेश सरकार ने मो0 सईद जो रेलवे से खेलता है, को आवास सुविधा दी और 4 लड़कियां जो पर्वतारोही थीं, को 2-2 लाख रुपये के परस्कार दे दिये । मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश की ओर से खेलने वाले चाहे आर0 पी0 सिंह हाकी के हों या रणवीर सिंह रहे हों, उन्हें प्रदेश सरकार ने सुविधा नहीं दी । नरेन्द्र हिरवाणी चूंकि क्रिकेट खेलता था, उसे पुरस्कृत किया गया और उसी जनपद के आर0 पी0 सिंह को नहीं । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह खेल निदेशक झुंगनलाल शर्मा को बपौती और ऐसो-आराम का साधन क्या बना दिया गया है ? यहां खिलाड़ियों का शोषण किया जाता है, लाखों रुपये डकारे जाते हैं, परन्तु चमचागीरी के बल पर ये अधिकारी वहां जमा हुआ है । मुझे दुःख हुआ जब एक बार एक प्रतियोगिता में सम्मिलित होने आया, अपने जनपद के छात्रों के साथ वहां जाने का मौका मिला, वहां स्पष्ट रूप से भाई-भतीजाबाद, क्षेत्रवाद दिखाई पड़ा । जब झुंगनलाल शर्मा से मिला, तो उसका व्यवहार निन्दनीय था ।

हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों की कोचिंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, बल्कि उनको कोचिंग के नाम पर झुंगन लाल शर्मा तथा इसका सहयोगी पैसा बटोर रहे हैं । इसका परिणाम स्पष्ट है । हमारा स्तर गिरा है । 87 में त्रिवेन्द्रम में हुए खेलों में उत्तर प्रदेश का स्थान 16वां रहा, जबकि दूसरे प्रदेशों का जहां 12 महीने खेल सम्भव नहीं होता, वे इससे आगे रहे । मेरा सुझाव है कि खेल निदेशालय को झुंगन लाल शर्मा की बपौती न बनाकर खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाय तथा प्रथम आने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाय, प्रोत्साहित किया जाय और यदि वे कहीं कार्यरत हैं, तो उन्हें उन्नति दी जाय । अभी हाल में जनपद मेरठ का, हमारे प्रदेश का गौरव श्री सुभाष जो श्रद्धेय चौधरी साहब के क्षेत्र छपरौली का निवासी है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ है । मेरा अनुरोध है कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री उस बहादुर नवजवान को एक आयोजन कर सम्मानित करें । इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और यदि केवल चमचागीरी के आधार पर निर्णय लिये जायेंगे, तो हमारा यह विभाग चौपट हो जायगा और हमारा स्तर गिरेगा ।

मेरे जनपद मुजफ्फरनगर, जहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाय । अन्त में मैं शिक्षा विभाग के संबंध में माननीय मंत्री जी से, जो खुद महिला हैं, अनुरोध करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम भोरावली में जहां दूर-दूर तक बालिकाओं का इण्टर कालेज नहीं है, एक इण्टर कालेज खोलने की कृपा करें । इसमें हम ग्रामीण भी अपना सहयोग देने को वचनबद्ध हैं । इसी प्रकार से मौरों व काजीखेड़ा स्कूल, को ग्रांट इन एड पर लाने की मैं मांग करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री बद्री सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, हमारे प्रदेश में कक्षा 6 तक के बालकों और कक्षा 12 तक की बालिकाओं की नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था से पहले से ही है । अब कक्षा 7 से कक्षा 8 तक के बालकों की शिक्षा नि:शुल्क किये जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है । इससे 20 हजार विद्यालयों के 13 लाख 77 हजार छात्रों के परिवार लाभान्वित होंगे । इसके लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारे प्रधान मंत्री बधाई के पात्र हैं । वास्तव में मैं उनकी प्रशंसा करता हूं । 89-90 में एक-एक बालिका हाई स्कूल प्रदेश की 18 तहसीलों में खोलने का प्रस्ताव है, जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है । इसके लिए हमारी सरकार प्रशंसा की पात्र है । 12 हजार 500 भवनों के निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जाने के पश्चात् कोई प्राथमिक विद्यालय भवनविहीन नहीं रह जायेगा । यह प्रशंसनीय है । प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए उनको साक्षर बनाने के लिए साक्षरता मिशन का गठन किया गया है । नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत राज्य में 29 नवोदय विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है और सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि उनमें शिक्षा पा रहे छात्रों में से एक-चौथाई अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं । मान्यवर, संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कृत विद्यालयों की मान्यता पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया गया है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है । नवोदय विद्यालयों को तीसरी भाषा के रूप में उर्दू के पठन-पाठन की व्यवस्था भी विद्यमान है । शासन से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शैक्षिक वर्ष 1989-90 में शिक्षण भ्रमण के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं, यह भी प्रसन्नता की बात है ।

मान्यवर, मैं जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र से आता हूं । हमारा क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और दस्यु प्रभावित क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में मात्र एक कालपी डिग्री कालेज, कालपी ही है इसमें एम0 ए0 की क्लासेज नहीं है । इससे छात्र और छात्रायें बी0 ए0 के बाद शिक्षा अध्ययन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं । मान्यवर, हमारे यहां पूर्व शिक्षा मंत्री गये थे, उन्होंने इस कालेज में एम0 ए0 क्लासेज खोलने की घोषणा की थी मगर वह नहीं खुली तो मेरी मांग है कि इस कालपी डिग्री कालेज में एक एम0 ए0 की क्लासेज शीघ्र खुलवाई जाय ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र कदौरा में राजकीय इंटर कालेज है, उसमें भवन की कमी के कारण हजारों क्षेत्रीय विद्यार्थी एडमीशन लेने से वंचित हो जाते हैं और बाहर नहीं जा पाते हैं, इसलिये ईस-कदौरा विद्यालय में और भवन का निर्माण कराया जाय । मान्यवर, मेरे विस्तृत क्षेत्र कालपी में दूर तक कोई कालेज नहीं है इसलिए ग्राम बसरेही, नियमतपुर, परासन, पाली, इटौरा, मेड़ीखुर्द में नये हाई स्कूल खोले जायं तथा मेरे क्षेत्र के कई गांवों में प्राइमरी पाठशाला नहीं है । जैसे अतराखुर्द, भभुवा, बसरेही, पथरेहटा, रन्धीर आदि में प्राइमरी पाठशाला खोली जाय । मेरे जनपद में एक नवोदय विद्यालय खुलना है, वह नवोदय विद्यालय कालपी क्षेत्र में ही खोला जावे और इसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और सभी जरूरी मान्यताएं पूरी की जा सकती हैं । हमारे क्षेत्र में सरसई ग्राम में एक इण्टर कालेज है इसमें यहां के प्रबन्धक भारी अनियमिततायें करते हैं, पैसा लेकर नकल कराते हैं, इसकी जांच की जाय और यहां पर केन्द्र न कायम करके प्रबन्धक के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय । इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि पूरे सत्र में पहली मर्तबा खड़े होने पर बोलने की आपने इजाजत दी । सिर्फ आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मैं दो निवेदन करना चाहती हूं । मान्यवर, जामिया उर्दू अलीगढ़ में इम्तिहान मुअल्लम में उर्दू का इम्तिहान जो है वह ट्रेनिंग टाइप का है, जैसे बी0 टी0 सी0 वगैरा का है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, सवाल की शक्ल में कहना चाहता हूं कि जब वह उर्दू में ट्रेन्ड है तो उनको उर्दू में पढ़ाने की, क्लास लेने में ट्रेन्ड टीचर को लेने में क्या कठिनाई है । जब बी0 टी0 सी0 टाइप की ट्रेनिंग ले लेते है तो उसी तरह से उनको लेना चाहिए, भर्ती करनी चाहिए । दूसरा हमारा निवेदन है कि जो अरबी परसियन बोर्ड है (व्यवधान) मार्च सन् 88 से पहले बहुत से अरबी मदारिश के लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये और 8 साल हो गये तो कितने साल के बाद विचार करने के बाद उनको रखेंगे, उसको रिकन्साइल करना है तो कीजिये, नहीं तो खारिज कर दीजिए । मान्यवर, तीसरा निवेदन है कि अरबी और परसियन इक्जामिनेशन बोर्ड के जो मदरसे हैं, उनके टीचर्स को अनुदान देते हैं, वह आधा देते हैं उसमें बड़ा घपला होता है या तो आप पूरा दीजिये या तो बिल्कुल अनुदान न दीजिये अगर पूरा अनुदान देंगे तो ऐसा है कि वहां से पकड़ने में आसानी होगी कि स्कूल वाले ठीक से वितरण कर रहे हैं या नहीं । आपके जो डिप्टी डाइरेक्टर है वह इन स्कूलों को बताते ही नहीं है कि कितने टीचर्स को ग्रान्ट इन मदरसों को दी जा रही है और कितने उनको स्टाफ की ग्रान्ट दी जा रही है । तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आज कोई मजबूरी है, संसाधन नहीं है, पुराने तरीके से दे सकते हैं तो यह तो बता दें कि यह अनुदान टीचर्स की तनख्वाह का है और यह अनुदान डेवलपमेंट का है । जैसा कि मैंने निवेदन किया था, यही मेरे सुझाव हैं ।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

श्री बसन्त सिंह गहलौत—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, हमने स्कूल का अनुवाद विद्यालय किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमने विद्यालय के अर्थ का अनर्थ कर दिया और विद्यालय के अर्थ को बिल्कुल नाकारा कर दिया । विद्या सा या विमुक्तये, विद्या ददाति विनयं, विद्यात-याति पात्रत्पाद न धनमाप्नोति, धनाद धर्मः ततः सुरखमं । विद्या मनो ग्रन्थियों से मक्त करती है, अज्ञान से मुक्त करती है, रूढ़ियों से मुक्त करती है, विद्या पात्रता देती है, धन पैदा करने की क्षमता पात्रताम् देती है । रोजगार देती है, समाज को सुखी करती है । हमने समाज के सुख के लिये विद्या द्वारा व्यक्ति का विकास किया जाता है । आज हम विकास कर रहे हैं, लेकिन अगर मनुष्य विकसित नहीं हो रहा है, उसके गुणों का विकास नहीं किया गया तो इतिहास साक्षी है कि ऐसे राष्ट्र, जिन्होंने मौलिकता का विकास किया और नेस्तनाबूद हो गये । यह आज दिन-रात हम देखते हैं कि हिंसा बढ़ रही है, जातीयता बढ़ रही है, साम्प्रदायिकता बढ़ रही है, विद्वेष बढ़ रहा है, कामचोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । ये सब किसी भी समाज को नष्ट करने के लिये पर्याप्त है । इस पर भी हम गर्व करते हैं कि विकास कर रहे हैं । अगर मनुष्य का विकास नहीं हो रहा है, उसके गुणों का विकास नहीं हो रहा है तो यह विकास घोर विनाश में परिणति हो जायगी । मैं इस माननीय सदन के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि समाज का और मनुष्य का विकास केवल शिक्षा के माध्यम से हो सकता है । हमने शिक्षा के अर्थ को नहीं समझा । संसार की सभी भाषाओं में एजूकेशन, शिक्षा का यही अर्थ है कि मनुष्य की भातरी सशुप्त शक्तियों,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गुणों को जाग्रत करना । किसी भी मनुष्य की सारी शक्तियां जाग्रत नहीं होती । उन्हें शिक्षा द्वारा जाग्रत किया जाता है । हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता जाग्रत हो, शारीरिक और मानसिक क्षमता विकसित हो, यह शिक्षा का उद्देश्य होता है ।

हमारे शिक्षाविद् शिक्षा के इसी उद्देश्य को सफल बनाने में लगे है, लेकिन आपमें साहस नहीं है । काम करने की इच्छा नहीं है । फलत: हमारा यहां तक पतन हो गया है कि हमारा यह सिद्धान्त बन गया है कि बिना बेइमानी के रोटी नहीं नसीब हो सकती । डिस्आनेस्टी इज दी वेस्ट पालिसी, हमारा धर्म बन गया है । आनेस्टी इज दी बेस्ट पालिसी से आस्था हट गयी है । आज पढ़ा-लिखा आदमी कहता है कि बेइमानी के बिना रोटी नहीं मिल सकती । मेरे लिए दो मिनट शेष रह गये हैं, इसलिये मैं संक्षेप रूप में इशारा करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री एक आयोग गठित करें और विचार-शील लोगों की बैठक बुलावें, अगर आपके पास फुरसत हो तो मैं यह विचार कर एक महीने में ऐसी रिपोर्ट दे सकता हूं जिसको आप कार्यान्वित करें तो शिक्षा का स्वरूप बदला जा सकता है और शिक्षा सार्थक बन सकती है । मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है । हर साल 3 प्रतिशत आबादी बढ़ रही है । उत्तर प्रदेश में छत्तीस लाख बच्चे प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, परन्तु इस अनुपात में स्कूल नहीं बढ़ रहे हैं । चार साल से एक भी स्कूल मेरे क्षेत्र में नहीं बढ़ा । प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तो दी जा रही है परन्तु प्राइमरी शिक्षा नहीं पढ़ाई जा रही है । आजादी के 41 साल बाद भी प्रौढ़ शिक्षा देने की क्यों जरूरत पड़ी । यदि प्राइमरी शिक्षा देते तो प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती । हमें सोचने विचारने की फुरसत नहीं है, मंत्री जी को दो मिनट जन-प्रतिनिधियों से बात करने की फुरसत नहीं है । इसलिए उन तक जनता का विचार नहीं आ पाता । अत: नीति-निर्माण में जन-प्रतिनिधियों का योगदान नहीं हो पाता । मंत्री अधिकारियों पर निर्भर करते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि 8वीं तक सरकार ने मुफ्त शिक्षा कर दी, उसे अनिवार्य भी कर दिया जाय । विज्ञान और नैतिकता की शिक्षा दी जाय तो साम्प्रदायिकता, रूढ़ि-वादिता, जातीयता समाप्त हो जायेगी, मनष्य का हृदय विकसित बनेगा, बच्चों का विकास होगा । सरकार हाईस्कूल खोल नहीं रही है, न मैनेजरों को खोलने दे रही है । रिकोगनीशन के लिये कोई ग्रान्ट है तो उसे हजारों चक्कर लगाने पड़ते हैं हजारों रुपये जब तक भेंट नहीं चढ़ा देते, तब तक मान्यता नहीं मिलती । जब पत्राचार पाठ्यक्रम डाक द्वारा शिक्षा दी जा सकती है तो विद्यालयों को रिकोगनीशन देने के नियम सरल होने चाहिये ताकि लोग स्कूल खोल सकें और बच्चे पढ़ सकें । मैं 8 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा समिति—गणित समिति, भौतिक समिति में रहा, उनके माध्यम से 8 वर्षों तक माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्ण प्रदेश में संचालन करता रहा । हमने ऐसे स्कूलों को मान्यता देने की व्यवस्था की थी जो गाढ़े की दीवार और छप्पर की छत डाल सकते थे जिससे कि शिक्षा का प्रसार हो सके । मैं भी कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश में अन्य संस्थाओं का निर्वाचन कर सकते हैं तो फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद् का निर्वाचन क्यों नहीं करा सकते हैं । माध्यमिक शिक्षा परिषद् का सरकार निर्वाचन करायें । पहले सरकार ने 5वीं तक इम्तिहान लेना छोड़ा था, अब 8वीं तक इम्तिहान लेना छोड़ दिया । जब 8वीं तक के लिये परीक्षा नहीं ली जायेगी तो कोई क्यों पढ़ेगा । बिना परीक्षा के कोई पढ़ता नहीं । शिक्षा में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात नहीं होनी चाहिए । इससे अलगाव पैदा होता है । सबके लिए समान शिक्षा रहेगी एक तरह की शिक्षा रहेगी, दोहरी शिक्षा नहीं रहेगी । दोहरी शिक्षा समाप्त की जाय इससे वर्ग भेद पैदा होता है । मान्यवर, आपने दुबारा लाल बत्ती जला दी । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आज आप इस महत्वपूर्ण विभाग का संचालन कर रही हैं जो इंसान का निर्माण करता है। मान्यवर, शिक्षा के माध्यम से जो स्थिति इंसान के निर्माण की हो गयी है मान्यवर वह इतनी शोचनीय है अगर इस गति को नहीं रोका गया तो निकट भविष्य में इस राष्ट्र का क्या भविष्य होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने अपनी कुछ उपलब्धियों की चर्चा की। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्गी नीति के तहत हम आंखें बंद कर लेंगे दुनिया नहीं देखेगी इससे कुछ होने वाला है। मैं दूर की बात नहीं करता माननीया लेंगे दुनिया नहीं देखेगी इससे कुछ होने वाला है। मैं दूर की बात नहीं करता माननीया ब्लाक में लखनऊ में चली जाइये वहां के प्राइमरी स्कूल में चली जाइये एक नमूना देख लीजिये कैसा संचालन शिक्षा का इन प्रदेश के अंदर है। प्राथमिक स्कूलों की स्थिति कितनी शोचनीय हो गयी है। करोड़ों रु0 आप प्राथमिक शिक्षा के नाम पर खर्च करती हैं वह बिल्कुल बेमाने हो गया है अगर देहातों में शहरों में यह मांटेसरी स्कूलों के नाम पर जो संस्थायें पढ़ा रही है, उनका संचालन बन्द कर दिया जाय तो छोटे बच्चों का पढ़ना बिल्कुल असम्भव हो जायेगा। प्राइमरी स्कूल जो आपके चल रहे हैं उसमें मजदूरी करने वाला मजदूर भी अपने बच्चे को पढ़ाने नहीं भेजना चाहता है।

वहां टाट पट्टी में बैठने की व्यवस्था नहीं है और हर आदमी जानता है कि आपके प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ने जायगा, वह कोई अच्छा आदमी नहीं बन सकता है, बल्कि वह टाट-पट्टी या बोरा ही ढोयेगा। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा आप से अनुरोध है कि आप प्राइमरी स्कूलों को, प्राइमरी शिक्षा को ठीक कर दें, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

मान्यवर, हमारे जनपद में बांबिया के अन्दर जो कालेज चल रहा है, उसमें भवन नहीं है। इसी तरह बबेरू में जो कालेज है, वहां भी भवन नहीं है। इसी तरह मान्यवर, बांदा में जो महिला डिग्री कालेज है, उसमें भी भवन नहीं है। इसी तरह चरखारी में स्कूल का भवन नहीं है, खेरा व झठायी में स्कूल नहीं है और मान्यवर, अभी भी हमारे जनपद में ऐसे तमाम जगह हैं, जहां प्राइमरी स्कूल नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि बुन्देलखंड में जहां-जहां भी, जिन-जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं, वहां पर प्राइमरी स्कूल खुलवाने का काम किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे सुझावों पर अमल करने की कृपा करें।

श्री महरम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं जो आपने मुझे समय दिया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तत किया गया है, उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। क्योंकि आज उन्होंने जो शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है, इतना बढ़िया बजट इससे पूर्व कभी भी पेश नहीं हो सका।

श्री गौरी शंकर भइया—

तो मान्यवर, वह सारे मंत्री पहले के [XXX] थे, जिन्होंने इससे पहले बजट पेश किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :—[XXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

आपका यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता ।

श्री महरम सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती का इसलिये विरोध करता हूं कि कटौती में कुछ होना नहीं है । इन्हें तो इसे बढ़ाने की बात करनी चाहिये थी और हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन शिक्षा जैसे मामले में भी कटौती की बात करते हैं । आलोचना करना तो इनका काम ही है । मैं एक बार पुनः शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और दो-चार सुझाव भी देना चाहूंगा । पहला मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि प्राइमरी शिक्षा जो है, उसे जिला परिषदों को दे दिया जाना चाहिये । दूसरा मेरा अनुरोध है कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों को बड़े पैमाने पर, जिन ग्राम सभाओं में यह नहीं है, वहां खोला जाना चाहिये । मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में रौतामई, सदरियापुर, हाथीपुर आदि अनेक ग्राम सभायें ऐसी हैं, जहां इसकी आवश्यकता है । तीसरी बात मेरी यह है कि फतेहगढ़ में जो डी0 एन0 डिग्री कालेज है उस डिग्री कालेज में बी0 एस-सी0 कक्षाओं को खोला जाय ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के कुछ बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया अपनी बात समाप्त करें, आपने भूमिका में बहुत समय ले लिया । मैंने राकेश धर त्रिपाठी को बुलाया है । अब आप बैठें ।

श्री महरम सिंह—

मान्यवर, मेरा यह भी अनुरोध है कि हर जनपद में एक गुरूकुल भी खोला जाना चाहिये जिसमें भारतीय पोषाक में छात्र अध्यापक रहें ।

(पुनः कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, 4 मंत्रियों ने मिलकर शिक्षा का बजट यहां पर रखा । शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट को ठोक ढंग से यहां पर नहीं रखा गया । अफसोस उस समय और होता है कि जिस समय माननीय मंत्री जी ने अपने आंकड़े बताने का काम किया, शायद उन्होंने इस प्रदेश से बाहर निकल कर देखने का काम नहीं किया । चाहे आज बंगाल हो, केरल हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो या आन्ध्र प्रदेश हो, वहां पर जो शिक्षा नीति है, उसे देखने का काम माननीय शिक्षा मंत्री जी ने नहीं किया । आपको आश्चर्य होगा कि ग्यारह प्वाइंट कुछ आप प्रदेश की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं परन्तु अन्य प्रदेशों में 12 तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और 8वीं तक भोजन, कपड़ा दिया जाता है ।

इससे भी ज्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश सरकार ने एक भी, मैं इलाहाबाद जनपद की बात कर रहा हूं, एक भी नये प्राइमरी स्कूल जिला योजना के अन्तर्गत दिये हों तो मैं सारी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं । हमारे प्रदेश में एक लाख अस्सी हजार करीब गांव है । घोषणा में अगर यह कहा जाता कि पचास रुपये या एक हजार पर हम एक जूनियर हाई स्कूल लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए दे रहे हैं

तो तब यह कहा जाता कि माननीय मंत्री जी शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही हैं। मान्यवर, पिछले कई सालों से नई शिक्षा नीति की चर्चा की जा रही है। परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस नई शिक्षा नीति को बनाने के लिये इस प्रदेश के किसी भी प्रोफेसर, किसी भी कुलपति व पढ़े-लिखे विद्वान को नहीं रखा गया है, नई शिक्षा नीति को बनाने वाले हैं कल-कारखानों के मैनेजर लोग। हफ्ता या 10 दिन तक शिक्षा विभाग के जो अध्यापक ट्रेनिंग पर चाहे हरिद्वार जाते हों या इलाहाबाद डाईरेक्ट्रेट जाते हों, जब वे वापस आते हैं तो उन्हें यह मालूम नहीं हो पाता है कि उन्होंने नई शिक्षा नीति में कौन सी नई शिक्षा ली।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि नय भवन बनाये जायेंगे स्कूलों के। पिछले सत्र में जो घोषणा की गई थी, शायद उसका स्मरण होगा कुछ कन्या विद्यालय खुलवायेंगे। हंडिया में आपने एक हाई स्कूल कन्याओं के लिए खोला, जमीन मिल गई, किन्तु भवन बनाने की स्थिति में आप नहीं हैं। इसी से आपके शिक्षा विभाग की क्षमता का पता चलता है। मान्यवर, यही नहीं जिस जमाने में पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा था और यहां पर यह गुहार की जा रही थी कि फीस माफ कर दी जाय तो इस प्रदेश की हुकूमत ने 2 रुपया विकास शुल्क लगा दिया था। जब यह कहा जाता है कि नई शिक्षा नीति में सपुस्तक प्रणाली का काम शुरू कर दिया है तो फिर आपको चलकर वहीं वापस आना पड़ा। इससे पता चलता है कि आपका यह शिक्षा विभाग कितना बुद्धिहीन हो गया है। मैं इस सपुस्तक प्रणाली के औचित्य को बिल्कुल नहीं मानता हूं। यह उदाहरण तो मैंने आपके दिमाग के दिवालियेपन का दिया।

दूसरा, प्रमाण और देना चाहता हूं कि आज जब हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के इम्तहान हो रहे हैं तो तमाम ऐसे परीक्षा केन्द्र बना दिये गये हैं जहां रुपये लेकर नकल करवाई जा रही है, जिसमें आपके अध्यापक व अधिकारी शामिल हैं। आपने पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा में तीन साल का कोर्स लागू कर दिया और आपने ब्रिज कोर्स लागू कर दिया। किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं चल रहा है। अफसोस होता है कि जिनको उच्च शिक्षा दी जायगी, उनको पत्रावली देखने का मौका नहीं मिलेगा, जिनको बेसिक शिक्षा दी जायगी उनको टाट-पट्टी नहीं दे पायेंगे। शर्म की बात है कि 17-18 विश्वविद्यालय इस प्रदेश में हैं, उसको देखने के लिये ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने हाई स्कूल तक भी शिक्षा नहीं पायी है।

ग्रामीण अंचलों में नवयुवक मंगल दल के माध्यम से कार्य करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, माननीय गोपाल दास यादव जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा, वह खिलाड़ी रहे हैं, उच्च स्तरों तक खेले हैं, उनको जानकारी है। नवयुवक मंगल दल बनाया जाता है खेलकूद विभाग की तरफ से संचालन होता है। उनको आप एक वर्ष में एक हजार रु0 देने का काम करते हैं। एक तरफ लाखों रुपये का पिच बनवाते हैं, दूसरी तरफ इस संस्था को एक वर्ष में मात्र एक हजार रु0 देते हैं। पिछले साल की घोषणा थी ग्रामीण अंचलों में स्टेडियम बनाये जायें, नहीं बनाये गये। एक अहम् समस्या है जौनपुर में पूर्वांचल विश्व-विद्यालय बन रहा है, उसमें जो जिले लिये जायेंगे, उनकी घोषणा कर दी गयी है। मैं दो-तीन बार हण्डिया डिग्री कालेज के लिये शिक्षा सचिव और विशेष शिक्षा सचिव से मिला और अनुरोध किया किन्तु डेढ़ साल हो गया कार्यवाही नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

फाइल चल रही है । जब मा0 शिक्षा मन्त्री को यही ज्ञात नहीं है, कल मेरी बात हुई, कि स्टेयूट्स कैसे बनते हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो बन रहा है उसमें संशोधन होगा तो हाउस में आयेगा या नहीं, तो क्या कार्य होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

अंत में श्री गोपाल दास यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । इस प्रस्ताव पर पुनः बल देते हुए कहना चाहता हूं कि सम्मानित साथी गोपाल दास यादव ने जब कटौती का प्रस्ताव रखा, मैंने बड़े गौर से सुना, तकलीफ हुई कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा । कोई महत्वपूर्ण सुझाव हमारे सम्मानित साथी यादव जी ने नहीं दिया । खेलकूद पर सुझाव दिया लेकिन वह तो शिक्षा विभाग का एक छोटा सा हिस्सा है । शिक्षा पर उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया । उन्होंने कहा कि सन् 2000 के बाद विश्व में सबसे ज्यादा निरक्षर लोग देश में और प्रदेश में हो जायेंगे । सम्मानित साथी यादव जी और दूसरे साथी जो उधर बैठे हुए हैं, अगर सहयोग नहीं देंगे तो ऐसा हो सकता है हालांकि हमारा प्रयास है कि ऐसा न हो । यही वजह है कि हमारी सरकार ने प्राइमरी शिक्षा में अपने लक्ष्य का 95 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है । 95 प्रतिशत स्थानों पर प्राइमरी पाठशालायें हो गयी हैं । अफसोस है कि सम्मानित साथी प्राइमरी पाठशालायें और जूनियर हाई स्कूलों की मांग कर रहे हैं । सबको ज्ञात होना चाहिये कि डिसेण्ट्रलाइजेशन है नियोजन का जो विकेन्द्रीकरण है, जो प्राइमरी शिक्षा है महत्वपूर्ण निर्णय जिला स्तर पर लिये जाते हैं । जितनी चाहिये प्राइमरी पाठशालाओं का निर्माण कराइए, आवश्यकतानुसार खुलवाइए ।

जूनियर हाई स्कूल आप खुलवायें और उनका निर्माण करायें । अभी उधर से हमारे एक साथी मा0 त्रिपाठी जी ने कहा कि जो पहले घोषणा की गयी थी भवन बनाने के लिये, तो वे भवनहीन विद्यालयों के भवन नहीं बना पायेंगे । मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि सन् 1990 तक सभी भवनहीन विद्यालयों के भवनों का हम निर्माण करा लेंगे । श्रीमन्, इस संबंध में हमारे सामने दिक्कत कभी-कभी यह आ जाती है कि गांवों में जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो एक पक्ष कहता है कि उस कोने में निर्माण कराया जाय और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, दूसरे कोने में इसका निर्माण कराया जाय, यही सब बातें देरी का कारण बन जाती हैं ।

हम प्रदेश में शिक्षा का प्रसार न केवल प्राइमरी शिक्षा के माध्यम से, न केवल बेसिक शिक्षा के माध्यम से बल्कि प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं । इससे प्रदेश में अधिक से अधिक हम शिक्षितों की संख्या को बढ़ायेंगे । मा0 गोपाल दास जी ने कहा ड्रा पार्ट्स के बारे में । तो यह ड्रा बैक तभी होता है जब कि आप लड़कों को खेतों में, खलिहानों में भेज देते हैं और लड़कियों को चूल्हे और चौके में लगा देते हैं । इससे आपका भी सहयोग अपेक्षित है ।

आपरेशन ब्लेक बोर्ड की योजना बहुत अच्छी योजना है, इसे तीन चरणों में पूरा करने का प्रावधान है और इसके लिये 15 करोड़ रु0 रखा गया है । इसमें कुल 806 विद्यालय लिये जायेंग । पहले चरण में 277 विद्यालय, दूसरे चरण में 282 विद्यालय और तीसरे चरण में 247 विद्यालय लिय जायेंगे । इस तरह से आपरेशन ब्लक बाड में पूरा प्रदश आ जायगा । हम प्राथमिक शिक्षा का 57 प्रतिशत जिला योजना में भेज देते हैं । हमारे सम्मानित साथियों को इस संबंध में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये ।

दूसरा महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान आकष्ट करना चाहता हूं कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर पहले कोई मिनी खेलकूद का प्रतियोगिता नहीं होती थीं । अब जिला स्तर पर, रीजनल लेवल पर, प्रदेशीय स्तर पर मिनी खलकूद आयोजित किये जाते हैं और किये जा रहे हैं । मिनी खेलकूद प्रतियोगिता अभी प्रदशीय स्तर पर कलकत्ता में आयोजित हुई थी वहां उत्तर प्रदेश की टीम को बेस्ट डिसिपिलन का एवार्ड मिला । हमारे बच्चे प्रदेश में राष्ट्रीय खेलकूद में बेस्ट एवार्ड पा रहे हैं । मान्यवर, हमारा यह प्रयास होगा कि नगर क्षेत्र में भी विद्यालयों का निर्माण हो । नगर क्षेत्र की जो प्राइमरी पाठसालायें हैं उनकी हालत बहुत खराब है । ग्रामीण क्षेत्रों की ही भांति नगरीय क्षेत्र के लिए भी भवन निर्माण के विषय में प्राविधान किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नियमित रूप से हमारे स्कूलों के सत्र चल रहे हैं और समय से परीक्षाफल घोषित हो रहे हैं । इस समय भी कायदे से परीक्षायें चल रही हैं । जहां तक माननीया मंत्री जी से मुलाकात करने की बात है, हमारी शिक्षा मंत्री जी जिनको आप लोग सब प्यार से "बख्शी दीदी" कहते हैं, बहुत ही उदार हैं और बहुत ही दयालु हैं और सबसे बड़ी खुशी के साथ मिलती हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अशोक बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता जी, धरयवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया । मान्यवर, दुख का विषय है कि शिक्षा जैसे विषय पर यह सरकार निरन्तर उदासीनता बरतती रही है । हमारे प्रदेश में शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, प्रदेश में बजट का केवल 12 प्रतिशत से भी कम धन इस क्षेत्र में व्यय होता है । इससे शिक्षा का उन्नयन कैसे हो सकता है ?

अब मैं बेसिक शिक्षा की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा ही शिक्षा की धुरी है लेकिन बेसिक शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता चला जा रहा है । अभी माननीय मंत्री जी ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड का जिक्र किया जबकि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है और इसके द्वारा शिक्षा का सार्वभौमीकरण होना है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो साढ़े 13 हजार प्राइमरी स्कूलों के भवन के निर्माण की घोषणा 1990 तक की है और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह योजना इस समय तक पूरी हो जायेगी क्योंकि इस योजना के क्रियान्वयन के लिये कोई वृहत योजना इन्होंने नहीं बनायी है और न ही प्रदेश की तकनीकी विभाग ने ही इतने बड़े पैमाने पर स्कूलों के भवनों को निर्माण करने में सक्षम है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह घोषणा केवल आंकड़ों तक ही सीमित न रह जाए बल्कि इसके क्रियान्वयन के लिए कोई कारगर कदम उठायें ।

वर्ष 1975-76 में से बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित हजारों नवयुवक प्रदेश में आज बेकार पड़ा हुआ है । मान्यवर, 12-12 और 13-13 वर्षों से प्रशिक्षारत इन नवजवानों को आज तक कोई काम नहीं दिया जा सकता है और प्रदेश के आज हजारों प्राइमरी स्कूलों में

काफी अध्यापकों की संख्या रिक्त है और काफी मात्रा में दूसरी तरफ अध्यापक बेरोजगार हैं, परन्तु उसके बाद भी यह सरकार इन अध्यापकों को सेवा का अवसर नहीं दे रही है। मेरा अनुरोध है कि सरकार आज तक प्रशिक्षित सभी अध्यापकों का तत्काल संविलयन कर और भले ही भविष्य में अध्यापकों के प्रशिक्षण की संख्या में कमी कर दें केवल उतने ही अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाय, जितनी उनकी संख्या प्रदेश में प्रति वर्ष रिक्त होती है।

बेसिक शिक्षा के ढांचे में आज अमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि बेसिक शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता ही जा रहा है। बेसिक शिक्षा इन्सपेक्टोरियल स्टाफ (एस0 डी0 आई0 आर0) प्रत्येक अध्यापक से 15-15 और 20-20 रु0 बांधकर उनको स्वच्छाचारिता की छूट दे देते हैं कि चाहे जब अध्यापक स्कूल जाय या न जाय। इसलिए आज आवश्यकता है कि बेसिक शिक्षा के प्रशासन में शासन कड़ाई से कार्यवाही करे।

विडम्बना है प्रदेश में कि यह सरकार नये प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना नहीं कर रही है। चार वर्षों में नाममात्र के ही प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल खोले गये हैं, जबकि जनता सरकार ने लक्ष्य बनाया था कि हर गांव सभा में और न्याय पंचायत में इन स्कूलों की स्थापना करेगी और उसने इन स्थानों पर इन स्कूलों की स्थापना की भी, परन्तु आज छोटे-छोटे बच्चों को स्कूलों के अभाव में 3-3 और 4-4 कि0 मी0 पैदल जाना पड़ता है और दूसरी तरफ सरकार यह कह रही है कि शिक्षा की सार्वभौमिकरण की योजना बना रहे हैं। इसलिए मान्यवर मेरी मांग है कि हर गांव सभा में प्राइमरी स्कूल तथा न्याय पंचायत में जूनियर हाई स्कूल खोलने की घोषणा आज ही करें इस आदरणीय सदन में।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा कि आज सरकार इस ओर खिलवाड़ कर रही है और नित्य नये प्रयोग कर रही है। 10+2 प्लस वोकेशनलाईजेशन की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कक्षा 10 पास विद्यार्थी कौन सी रोजगार परख शिक्षा प्राप्त कर लेगा और उससे क्या वह हासिल कर लेगा। यही नहीं मान्यवर, आज हजारों इन्जीनियर डिप्लोमा और इन्जीनियरिंग डिग्री लिए हुए नवयुवक बेकार घूम रहे हैं तो यह 10 प्लस वोकेशनलाईजेशन के लड़के कौन सा रोजगार का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, बल्कि आवश्यकता आज इस बात की है कि शेष शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करके पूरे तौर से यदि विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती और उन्हें रोजगार मुहैया करने के लिए नये-नये उद्योग लगाने के लिए अवसर उपलब्ध कराये जाते, परन्तु इस शिक्षा से न तो वह स्वावलम्बी बन सकेंगे और न ही शिक्षित। इसी प्रकार सपुस्तक की शिक्षा प्रणाली प्रारम्भ करके और उसकी असफलताओं को देखकर उसे बंद किया गया यह आपने कोई सोच समझ कर कदम नहीं उठाया, जो शिक्षा के लिए बहुत ही घातक होगी और परीक्षा केन्द्रों के चयन में भी इस ओर बड़ी धांधली की जा रही है जिला स्तर पर इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इन शिक्षकों का चयन जिले की गवर्निंग बाडी द्वारा किया जाए, जिससे नकल को किसी हद तक रोका जा सके।

उच्च शिक्षा के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि शासन ने बिना सोचे समझे, थ्री इयर डिग्री कोर्स की घोषणा कर दी। इस थ्री इयर डिग्री कोर्स के संचालन के लिए न तो विश्वविद्यालयों में और न महाविद्यालयों में नये व्याख्यान मण्डप बनाये गये और न ही नये पाठ्यक्रम ही तैयार किये गये और न ही इन थ्री इयर कोर्स के लिए समुचित अध्यापकों की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार से आपकी सारी योजना आधी-अधूरी है, इस तरह से आपके इस थ्री इयर डिग्री कोर्स का क्या लाभ है?

दूसरे मान्यवर, उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को अक्षुण रखने का दायित्व शासन का होता है, परन्तु अभी स्वेच्छाचारिता से लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति

का नियम विरुद्ध अधिकारों को समाप्त किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 में तथा लखनऊ विश्वविद्यालय स्टेच्यूट-2 में स्पष्ट प्राविधान है कि कुलपति भी उपकुलपति के अधिकारों को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं रखता । यदि कुलपति इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उप कुलपति कोई गड़बड़ कार्य कर रहा है तो उसकी जांच करा सकता है तथा उनकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है, परंतु अधिकारों की कटौती नहीं कर सकता है । यह प्रश्न किसी व्यक्तिगत कुलपति या उपकुलपति का नहीं है, बल्कि एक संस्था का प्रश्न है, यदि उपकुलपति जैसी संस्था की गरिमा गिरेगी तो विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर प्रभावित होगा । अब मैं एक बात अनौपचारिक शिक्षा के विषय में कहना चाहता हूं, आज अनौपचारिक शिक्षा केवल मजाक बन कर रह गयी है । कोई भी अनौपचारिक संस्थायें नहीं चल रही हैं और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश जो 13 करोड़ की आबादी वाली सूबा है, 1974 में इसी विधान सभा में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक बिल आया था और वह कानून भी बन गया था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको पिछली बार वापस लेने का प्रस्ताव किया । उत्तर प्रदेश जो किसी देश से बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, उसमें आपको शिक्षा के विकास के लिये ठोस कार्य करने चाहिए, ठोस कार्यक्रम चलाने होंगे, लेकिन जो आपने उस बिल को वापस ले लिया, यह कोई अच्छा काम नहीं किया । इससे शिक्षा में गिरावट ही आयेगी, उसमें कोई सुधार नहीं होगा । तो मेरा निवेदन है कि आप उसको कार्यान्वित करें और आप आश्वासन दें कि उसको फिर से लाया जायेगा ।

आज प्रदेश की उच्च शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की घोषणा करें । माननीय मंत्री जी ने जो बातें अपने बजट में कही हैं, वह उतनी ही लाभकारी नहीं है, जितनी होनी चाहिए, इसलिये मैं उनके बजट का समर्थन न करके, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रदेश में तीन और राज्य मंत्री हैं—माननीय अजीत सिंह, सेठी जी, चौहान साहेब और श्री जगदम्बिका पाल, तो जो दो पश्चिमी क्षेत्र के मंत्री हैं, उनको तो बुलाया गया है, लेकिन माननीय पाल साहेब पूर्वी क्षेत्र से मंत्री हैं, उनको नहीं बुलाया गया है । तो पूर्वी अंचल की उपेक्षा क्यों की गयी है, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अमिताभ अनिल दुबे—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया . . . . .

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय कर्नल केशरी सिंह ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया । माननीय मंत्री जी ने दो राज्य मंत्रियों को आमंत्रित किया है और एक मंत्री को नहीं बुलाया है । शिक्षा मंत्री ने छोटे मंत्री को कोई अधिकार नहीं दिया है और जिस मंत्री की बात वह कर रहे हैं, उनको केवल स्काउट दिया गया है और सारे अधिकार अपने रख लिये हैं । इसीलिये जगदम्बिका पाल को नहीं बुलाया गया है । वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के इकलौते मंत्री हैं और उप मंत्री की उपेक्षा इसीलिये की जाती है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

*श्री अमिताभ अनिल दुबे—

इसी तरह से आज उत्तर प्रदेश के अन्दर 451 विद्यालय असहायक्तप्राप्त है जिनके बारे में सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनको ग्रान्ट-इन-एड पर लेंगे । लेकिन तीन वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है, किसी भी विद्यालय को ग्रान्ट-इन-एड पर नहीं लिया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर वित्तीय साधनों की कमी भी हो तो उनको कुछ न कुछ विद्यालयों को हर साल लेते रहें जिससे यह संकट दूर हो जायेगा । नयी शिक्षा नीति के तहत आपने कहा कि वित्त विहीन मान्यता देंगे लेकिन वह आश्वासन पूरा होना चाहिये । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश के अन्दर हाई स्कूल और इन्टर के सेन्टर्स चल रहे हैं, उनकी तरफ मैं शिक्षा मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

पिछले वर्ष जो ब्लैक लिस्टेड विद्यालय थे, जो नकल करवाते थे, जो पैसा लेकर नकल करवाते थे उन्हीं विद्यालयों को सेन्टर दिया गया है । मुझे इस बात का दुख है कि गाजीपुर जनपद में उन्हीं विद्यालयों को जो ब्लैक लिस्टेड थे, उन्हीं को सेन्टर इस वर्ष दिया गया है और पैसा लेकर उनसे वहां पर नकल की व्यवस्था करवाई गयी है । यह एक शोचनीय बात है । इसलिये इस तरफ आप ध्यान दें । इसी तरह से आज हमारे गाजीपुर शहर में जो कन्या जूनियर हाई स्कूल है वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कब्जे में है और शहर के अन्दर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय खुला है उसको आप खाली करवायें । इसके बारे में हमने लिखकर दिया है । इसी तरह से गाजीपुर में एक राजकीय महिला डिग्री कालेज है जिसको 1.65 एकड़ जमीन होस्टल के लिये वर्षों से उपलब्ध है किन्तु अभी वह नहीं बनाया गया है । इसलिये वहां पर आप एक महिला छात्रावास की व्यवस्था करें ।

आज सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के साथ जो खेलकूद का आपका विभाग है उसमें काफी गिरावट आयी है । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक खेल-कूद को शिक्षा के साथ जोड़कर उसे आप अनिवार्य विषय नहीं बनायेंगे तब तक देश के मानचित्र में और विदेश के मानचित्र में अच्छे खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते हैं । इसी तरह से हमारे यहां जो वाइस चांसलर नियुक्त किये जाते हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उनकी उपेक्षा करके अन्य लोगों को मौका दिया जाता है । अयोग्य व्यक्ति ऐसे पदों पर नियुक्त किये जाते हैं जिससे उस स्तर में गिरावट आ रही है । मैं आपको इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि आपने शिक्षा के सत्र को नियमित किया है । बोर्ड की इतनी बड़ी परीक्षा हुई जिसके बारे में आपने आश्वासन दिया कि हम रिजल्ट समय से देंगे । इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, आभारी हूं . . .

श्री काशी सिंह ऐरी—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । . . . (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बुनियाद हुसेन अंसारी—

मान्यवर, जो प्रस्तुत बजट आया है उसमें प्रदेश के अन्दर जो 76 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं उनके लिये व्यवस्था की गई है । मैं एक प्रश्न इस सरकार से करना चाहता हूं :—

"गाली तो गांव के हर बच्चे को जुबां तक पहुंची,
यह बताइये कि तालीम कहां तक पहुंची ।"

मान्यवर, यह यहां की शिक्षा की नीति है .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है किन्तु आपने जो भाषण लिखकर भेजा है उसे मैंने कार्यवाही में सम्मिलित करने के निर्देश दे दिये हैं ।

*श्री बुनियाद हुसेन अंसारी—

मान्यवर, शिक्षा विभाग बजट में निम्न सुझाव जोड़ दिये जावें—

1—जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र लहरपुर में चयनित प्राथमिक पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल जो नये खुलने तय हैं, खोलें ।

2—माननीय मुख्य मंत्री जी ने सीतापुर में आगमन पर घोषणा की थी की लहरपुर में कन्या हाई स्कूल खोला जावेगा । यह घोषणा श्री वीर बहादुर सिंह जी द्वारा की जा चुकी है ।

3—बी0 टी0 सी0 ट्रेंड कन्डीडेटों की नियुक्ति जो अन्य जिलों के रहने वालों की जा रही है उस पर रोक लगाई जावे ।

4—जनपद सीतापुर लहरपुर में प्राथमिक पाठशाला भवन जो जर्जर है उसकी विशेष मरम्मत कराई जावे ।

5—जो फर्जी सर्वे शिक्षा विभाग ने किया है उस पर रोक लगाई जावे और पुनः ठीक से करावें ।

6—नये भवन जनपद के एक विशेष ब्लाक में न बनवाकर प्रत्येक में बनवाये जावें ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यहां पर बैठे सदस्यों ने आपको लिखकर दिया है कि हमको भी बजट पर बोलने का मौका दें किन्तु आप मौका नहीं दे रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपको अवसर मिलेगा । जरूरत पड़ी तो समय बढ़ा दिया जायेगा । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं आपकी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

पर्वतीय अंचल की कुछ विषम परिस्थितियां हैं । आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया है इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री काशी सिंह ऐरी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, शिक्षा के बजट को सुनकर ऐसा लगा जैसे हमारे शिक्षा मंत्री गण आसमान में उड़ रहे हों और जो हमारे राज्य शिक्षा मंत्री अभी बोले उसको सुनकर बड़ा अफसोस हुआ । बेसिक शिक्षा जो हमारी शिक्षा के विकास की जड़ है उसे मजबूत करने और उसमें सुधार करने के बजाय वह इस प्रकार बोल रहे थे जैसे वह लन्दन से आये हों और उनको नीचे का कोई ज्ञान ही न हो । आज जरूरत है कि बेसिक शिक्षा जो गांवों में दी जाती है उसमें सुधार करने की । आज भी मथुरा जिले में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 5 हजार से अधिक है लेकिन वहां प्राइमरी स्कूल नहीं है मैं अपने क्षेत्र मांट की बात करता हूं वहां बीसियों गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं है और वहां के बच्चे दूर-दूर तक पढ़ने जाते है । कुछ प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां अध्यापक हैं लेकिन छात्र नहीं है और जहां छात्र हैं वहां अध्यापक नहीं हैं या एक अध्यापक कभी बैठा हुआ मिलता है तो कभी ताला लगा हुआ मिलता है । आज हमारे बहुत से बी0 टी0 सी0 बेरोजगार अध्यापक बेकार घूम रहे हैं उनको रोजगार दिया जाय तो हमारे स्कूलों की जो दुर्व्यवस्था अध्यापकों की कमी के कारण हो रही है वह दूर हो जायेगी ।

इसी तरह से प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का काम चल रहा है माननीय सदस्य जानते हैं कि वह काम कहां चल रहा है उसके कोई कार्यालय नहीं खुले हैं जितना धन इसमें खर्च हो रहा है वह सब बेकार जा रहा है । इस धन को बेसिक शिक्षा में लगाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

केवल सुझाव दीजिये ।

श्री कुशल पाल सिंह—

इसी तरह से हाई स्कूल और इण्टर की जो परीक्षायें हो रही हैं उसमें भी रुपया देकर नकल हो रही है परीक्षा केन्द्र खोलने में धांधली हो रही है जो निदेशक को 25 हजार से 50 हजार तक रुपया दे देता है वहां तुरन्त सेन्टर खुल जाता है और गरीब बच्चे जो पैसा नहीं दे पाते हैं उन स्कूलों में सेन्टर नहीं होते हैं । इस तरह से नकल करते हैं इस तरह की दुर्व्यवस्था आज चल रही है । इसी तरह से प्राइवेट स्कूल जहां पर हैं उनको मान्यता दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री कुशल पाल सिंह—

देहातों में अगर प्रत्येक गांव में स्कूल नहीं दे पाते हैं तो कम से कम एक न्याय पंचायत में एक जूनियर हाई स्कूल जरूर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

(डाक्टर रजनी कांत दत्त से) जरा संक्षेप में कहिये ।

*डाक्टर रजनी कान्त दत्त—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने का अवसर दिया । मैं कुछ बिन्दुओं पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये सुझाव देना चाहता हूं । हमारे यहां एक जय नारायण इंटर कालेज है यह 1814 में स्थापित हुआ और यह वहां का प्राचीनतम स्कूल है । 1976 में एक षडयंत्र रचा गया इसे विवादास्पद प्रबंध समिति द्वारा मायनोरिटी स्टेटस दिलवाया गया । इसके अल्पसंख्यक स्वरूप से मुझे कोई विरोध नहीं है लेकिन उसके माध्यम से वहां की विवादास्पद प्रबन्ध समिति द्वारा स्कूल के भवन और भूमि को बेचने का प्रयास हो रहा है । हम लोगों के सामने जब हम विकास प्राधिकरण के सदस्य हुये तो थामसन नगर का नक्शा आया जिसे विकास प्राधिकरण पास कर चुका था । इस पर मैंने आब्जेक्शन उठाया और कहा कि क्या इसका नक्शा पास करने के पहले इस जमीन का लैण्ड यूज चेन्ज किया गया है । तो पता चला कि लैण्ड एजुकेशनल यूज से कामर्शियल में चेन्ज नहीं हुई है लेकिन नक्शा पास हो गया है तब वह नक्शा क्लैश हुआ । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कितने प्रभावशाली लोग हैं । इसकी 13 बीघा जमीन जो शहर के मध्य में है जिस स्कूल में माननीय पं0 कमलापति त्रिपाठी पढ़ चुके हैं, माननीय फैज अहमद फैज पढ़ चुके हैं और सुमित्रा नन्दन पंत पढ़ चुके हैं उसे माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन के बहाने से बेचा जा रहा है । उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वहां की विवादास्पद प्रबंध समिति ने मुकदमा दायर कर रखा है उसमें स्टे है । इस की प्रबन्ध समिति फर्जी तथ्य देकर इसे प्राप्त करना चाहती है । मैं इस सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके जिला अधिकारियों की भी आख्या लग चुकी है जिससे तथ्यों की पुष्टि होती है कि इस परिप्रेक्ष्य में माइनारिटी इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग हो रहा है उसको तत्काल निरस्त करें । मैं चाहूंगा कि हमारे यहां के जो बेसिक शिक्षा विभाग नगरपालिकाओं के स्कूलों को चला रहा है उनको फिर से नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं को वापस कर दिया जाये ।

मान्यवर, बनारस जो छात्रों से उद्वेलित रहता है चाहे संस्कृत विश्वविद्यालय हो या काशी विद्यापीठ हो, सारे सत्र जो है वह नियमित हो चुके है और कोई भी छात्र आन्दोलन पिछले दिनों वाराणसी में नहीं हुआ है । इसलिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से वह आयी हैं तब से बनारस में एक नया वर्क कल्चर डेवलपमेंट हुआ है । इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान फैजाबाद के अयोध्या जैसी पवित्र नगरी की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि यह पवित्र नगरी, जो संस्कृत भाषा विद्या का खजाना रही है, इसके पहले मैंने मांग की थी कि अयोध्या में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाये जिससे संस्कृत प्रेमियों को शिक्षा मिल सके । लेकिन सरकार जान-बूझ कर ऐसा नहीं करना चाहता है । वहां के सारे संस्कृत के अध्यापकों और कर्मचारियों ने मांग की है कि वहां संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

माननीय, पूरे उत्तर प्रदेश में दोहरी शिक्षा प्रणाली चलाई जा रही है । एक प्राइमरी शिक्षा और दूसरी कान्वेन्ट शिक्षा दी जा रही है जिससे प्रदेश की जनता और छात्रों पर कुप्रभाव पड़ रहा है । प्रदेश में असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय वर्षों से अनुदान सूची में नहीं लाये गये हैं और कहते हैं कि नये विद्यालय खोलेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि जिन विद्यालयों को स्थायी मान्यता दे दिया है उन्हें यदि अनुदान सूची में अवश्य लायें यदि नहीं तो उनकी शिक्षा-दीक्षा कैसे चलेगी ? चूंकि जब एक अध्यापक इन विद्यालयों का 100 रुपये प्रतिमाह पाता है तो वह अच्छी शिक्षा कैसे दे पायेगा ? इससे सारी शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित है । अध्यापक अनशन कर रहे हैं लेकिन मंत्री जी को कोई परवाह नहीं है । शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और किसी देश और प्रदेश के लिये अच्छी शिक्षा होना विकास का द्योतक है ।

माननीय, प्रदेश में जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें पार्ट टाइम बाईयों को रखा गया है जिनको 20 रुपये प्रतिमाह आप देते हैं जो कि बढ़ाया जाना चाहिये । उनकी तनख्वाह 600 रुपया प्रतिमाह बढ़ा देनी चाहिये । इसी सदन में पिछली बार तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री ने सूचित किया था कि हमारी सरकार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक की निशुल्क शिक्षा करेगी, लेकिन आज तक आप इसे नहीं कर पाये हैं और इस बजट में भी शिक्षा के सम्बन्ध में मात्र चुनावी घोषणा की है । यह चुनावी बजट है । इससे हमारे प्रदेश का और हमारे बच्चों का कोई लाभ होने वाला नहीं है । प्रदेश के जिन सरकारी अथवा गैर-सरकारी विद्यालयों के प्रबंध समिति में परस्पर विवाद चल रहा है, उसको भी दूर किया जाये, क्योंकि उसके चलते छात्रों की शिक्षा-दीक्षा सब चौपट हो रही है । हमारे यहां टाण्डा में बापू स्मारक कालेज है, वहां पर प्रिंसिपल को हटा दिया गया और जूनियर को प्रिंसिपल बना दिया गया । सीनियर की अवहेलना कर दी गई । जिसके कारण से विद्यालय में एक अव्यवस्था फैल गयी है । इसी तरह हमारे यहां आर्य कन्या विद्यालय है, उसमें भी इसी तरह की अव्यवस्था फैली हुई है । जहां-जहां पर भी प्रबन्ध समिति की ओर से अव्यवस्था फैली हुई है, उस पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा ।

शिक्षा मंत्री जी का बयान एक बिन्दु की तरफ और ले जाना चाहता हूं । जब सन् 88 में टांडा में उप चुनाव चल रहे थे, तो यह मंत्री जी वहां गई थीं, मुझे याद नहीं है कि उस समय शिक्षा मंत्री यह थी या नहीं यह वहां पर चुनावी माहौल में जनता को बहकाने के लिये कह आई थीं कि टांडा में एक कन्या डिग्री कालेज खोलेंगे और आर्य कन्या इण्टर कालेज को दो लाख रुपया दिलायेंगे, लेकिन इन दोनों में से इन्होंने कुछ भी नहीं किया । सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिये और माननीय, इन शब्दों के साथ मैं यादव जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा जैसे महत्व पूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । हमें खुशी है इस बात की कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी मांग की जाती है, हमारे जनपद टेहरी गढ़वाल में केवल 41 बेसिक विद्यालय रह गये हैं जिसकी पूर्ति के बाद मांग समाप्त हो जायेगी । आज के जमाने में शिक्षा की नौकरी से सीधा और महत्वपूर्ण रिश्ता है । हमारे समाज की मानसिकता भी कुछ ऐसी है । यदि हम शिक्षित होंगे तो नौकरी मिलेगी वरना नहीं । हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में 80 प्रतिशत लोग पशु पालन और खेती का काम करते हैं ।

मान्यवर, इसके लिये हमारा आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव है कि वहां पर कृषि विषय पढ़ाने की व्यवस्था की जाये और प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में इस ओर ध्यान दिया जाये । साथ ही इसके लिये मानक भी बदला जाये, जो मैदानी क्षेत्र के लिये निर्धारित है । इस मानक को शिथिल किया जाय । हमारे देश में विद्या को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है । हम लोग चुन कर आते हैं, लेकिन हमें यहां बोलने के लिये बहुत कम समय दिया जाता है । हमें यदि यहां पर सामान्य रूप से खुल कर बोलने का पूरा समय मिले तो हम सारे सुझाव दे सकते हैं । मैं भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने नवोदित विद्यालय हमारे जिले में खोला है और अन्य जिलों में भी खुल रहे हैं । यह समाजवादी व्यवस्था की ओर बहुत बड़ा कदम है । क्योंकि आज पैसे के बल पर लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करते थे और गरीबों, साधनहीनों के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने बढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिलता था । इस बात को देखकर बड़ा दुख होता है कि हमारे यहां नोबुल पुरस्कार विजेता केवल एक दो हस्ती ही हुई है । एक रवीन्द्र टैगोर थे, जिन्हें नोबुल पुरस्कार मिला और दूसरे कोई साइन्टिस्ट थे, जिन्हें यह पुरस्कार मिला था । लेकिन जनसंख्या करोड़ों की तादाद में होते हुये भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि धन की इसमें बहुत बड़ी रुकावट है । आज यह अवसर हमको मिला है कि रुकावट हटी । जो आपरेशन ब्लैक बोर्ड है, उसको भी मैं सराहना करता हूं । उससे भी हमारा शिक्षा में समाज आगे बढ़ेगा । शिक्षा का प्रतिशत हमारे प्रदेश और देश में बहुत कम है । यह बढ़ना चाहिये, संस्कृत के बारे में एक विपक्षी माननीय सदस्य ने बोला है कि इसको बढ़ावा मिले । संस्कृत भाषा में कहा गया है :—

"न चोर हार्यम्, न च राज्य हार्यम्,
न च भ्रात भ्राज्यम, न च भार कारि ।
व्यये कृते वर्धते एव नित्यम्,
विद्याधनं सर्वधन प्रधानम् ।।"

तो इस प्रधान धन को बढ़ाने के लिये, जोड़ने के लिये हमारे शिक्षा मंत्रालय को प्रयास के साथ संकल्प करना चाहिये । धन्यवाद ।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

श्री अधिष्ठाता—

पाण्डे जी आप अपनी बात संक्षेप में कह दें ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, आपने शिक्षा के बजट पर मुझे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर दिया है जिसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । माननीय मंत्री जी शिक्षा की विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है ऐसा आंकडों का जाल प्रस्तुत किया है जो सत्य से बिल्कुल परे है । मैं कहना चाहता हूं कि यह जो मंत्री जी हैं इनके माध्यम से शिक्षा का विकास होना संभव नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि मैं उस जिले से चुनकर आया हूं जहां दो हजार दो सौ प्राइमरी स्कूल हैं । 560 जूनियर हाई स्कूल हैं । 160 इण्टरमीडिएट और माध्यमिक विद्यालय हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं भवन विहीन विद्यार्थी माननीय मंत्री जी को क्या दुआ दे रहे हैं ? माननीय मंत्री जी तो ऐसी चनौती दे रही हैं कि सन् 1947 से माननीय सम्पूर्णानन्द जी या अन्य शिक्षा मंत्री ने कोई कार्य नहीं किया

है आज प्रदेश में दो शिक्षा नीति इनकी चल रही है एक गांव के प्राइमरी स्कूल में लड़के घर से बोरा लेकर जाते हैं दूसरे बड़े पैसों वाले के स्कूल हैं जो लम्बी-लम्बी फीस लेकर स्कूल चलाते हैं उसमें माननीय मंत्री जी ने कुछ कहना नहीं चाहा है क्योंकि इसमें माननीय मंत्री जी का भी योगदान है । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं इन्होंने चार सालों में ढिंढोरा तो बहुत पीटा कि हम छात्रों के लिये यह करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं लेकिन किया कुछ नहीं ।

आज जो स्थिति है उसको रोकने के लिये माननीय मंत्री जी असमर्थ हैं । यह जिस विभाग में रही हैं इन्होंने उस विभाग को चौपट कर दिया है, चौपट किये बगैर उसको छोड़ती नहीं हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दो लघु मंत्री में एक को तो कुछ दिया भी है लेकिन हमारे जिले के मंत्री को कुछ नहीं दिया है, स्काउट दिया है जो उनके नोटीफिकेशन में नहीं है । माननीय मंत्री जी को मिश्रा जी के संकेत पर काम करना पड़ता है । मान्यवर, परीक्षा केन्द्रों के बारे में कहना चाहूंगा जहां बहुत भ्रष्टाचार है यह उन्हीं केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र बना रहे हैं । यह बड़ी प्रसन्न हो रही हैं आपने नकल कराकर डिग्री कालेजों में लोगों को पास किया होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा । हमारे यहां जो स्कूल हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा । राम राज्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जहां दो-दो प्रधानाचार्यों को भुगतान किया गया ।

(रिपोर्टर्स टेबिल के माइक में आवाज नहीं आ रही थी)

जिला निरीक्षक से पैसा लेकर गलत भुगतान किया गया । अध्यापकों की जो तदर्थ नियुक्ति की गयी है उनको स्थायी करना चाहिये । व्यक्ति विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं लेकिन विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने की कोशिश नहीं किया है । मुझे खुशी है कि कल्याण निगम की स्थापना की है । कल्याण निगम के माध्यम से छात्रों को सहायता दी है, लेकिन अब ऐसा न करियेगा जैसे 1 लाख 25 हजार रुपया हरिजन कल्याण विभाग में बांट दिया है । इस तरह से पैसे का दुरुपयोग न करें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का एक लाख पच्चीस हजार रुपया मा0 मंत्री जी ने अपने मन से लोगों में बांट दिया । इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हरिजन कल्याण विभाग की छात्र कल्याण निधि का पैसा लखनऊ में ही बांटने की कोशिश न करें । अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा निरीक्षिकाओं का जो टी0 ए0 का पैसा कई वर्षों से बकाया पड़ा है उस करोड़ों रुपयों को सरकार देने में असमर्थ है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको दिलाया जाये । इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हरदेव—

माननीय, जो बजट माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है . . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरदेव जी स्थान ग्रहण करें । मैंने कर्नल केशरी सिंह जी का नाम लिया है । आप स्थान ग्रहण करें ।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर अपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया दूसरे माइक पर चले जायं ।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, समाज की प्रगति और विकास का आधार शिक्षा है । उसके स्वरूप का आंकलन होता है । पिछले 20 वर्षों के अन्दर इस प्रदेश में छात्रों की संख्या में साठ गुनी वृद्धि हुई है । इसका सामना करने के लिये हमारे प्रदेश में लगभग 75 हजार प्राथमिक विद्यालयों से प्रयास किया जा रहा है जो अपर्याप्त है । छोटे-छोटे बच्चों को 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके क्लास में जाना पड़ता है जो कि बहुत ही असंतोषजनक है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की जो घोषणा की है तथा जो 12,500 भवन बनवाकर भवनहीन विद्यालयों को भवनयुक्त बनाने की घोषणा की है या अगली पंचवर्षीय योजना में हर विकास खण्ड पर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का जो निर्णय लिया है, सराहनीय है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 14 वर्ष तक के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न है, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या अनिवार्य शिक्षा देने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर घोषणा की जायेगी । जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अपने स्थान से अनुपस्थित रहने की बराबर रिपोर्ट आती है, इसका क्या कारण है ? इनकी जगह हजारों प्रशिक्षित नवयुवक बेकार घूम रहे हैं, तो फिर शिक्षकों की कमी क्यों है ? इस पर गम्भीरता से विचार करें । जिला शिक्षा सलाहकार समितियों में जो सलाह दी जाती है उन पर क्या कार्यवाही होती है ? शिक्षा समितियां निष्क्रिय क्यों हैं ?, इन पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यदि भ्रष्टाचार से हमको जूझना है, चरित्र निर्माण करना है और देशभक्ति की भावना भरनी है तो शिक्षा जैसे मूलभूत आधार पर गम्भीरता से विचार करना होगा । अनुशासनहीनता को दूर करने के लिये इस प्रदेश में एन0 सी0 टी0 को अनिवार्य करना चाहिये, हर विद्यालय में ड्रिल मास्टर्स की नियुक्ति करनी चाहिये और ड्रिल को अनिवार्य करना चाहिये । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ड्रिल मास्टर के पद पर प्रशिक्षित भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जानी चाहिये । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश में एक ही सैनिक स्कूल है जो अपर्याप्त है । एक सैनिक स्कूल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोले जाने की जरूरत है । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के लिये 2-3

अनुरोध करूंगा—(1) हमारे विधान सभा क्षेत्र में विज्ञान की शिक्षा का कोई पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है । इसलिये हमारे यहां सलटौवा में "आदर्श इण्टर कालेज" में विज्ञान का इण्टर की कक्षा को मान्यता देने की कृपा करें । इसी प्रकार विकास खण्ड रामनगर में असनहरा विद्यालय में इण्टर की कक्षा को मान्यता देने की कृपा करें । अन्त में कहना चाहूंगा कि बस्ती से फैजाबाद तक 70 किलोमीटर दूरी में कोई भी महाविद्यालय नहीं है । इसलिये अनुरोध करूंगा कि सैनिक ग्राम पचवस जो सैनिकों का ग्राम है, वहां पर भूमि उपलब्ध है, शिक्षा मंत्री जी वहां पर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें । इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में भू0 पू0 सैनिकों का आरक्षण पूरा नहीं है । सेना में बहुत सारे प्रशिक्षित भू0 पू0 सैनिक शिक्षक उपलब्ध हैं उनसे शिक्षा विभाग में सैनिकों का आरक्षण पूरा किया जाय क्योंकि वहां पर आरक्षण 0.0001 परसेंट भी पूरा नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े हर्ष की बात है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का मौका मिला । मान्यवर, प्रत्येक जन-मानस के लिये शिक्षा एक प्रकाश का काम करती है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं, जैसे कि आप एक बहुत ही संवेदनशील और समझदार प्रतिमूर्ति के रूप में चर्चित हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि आपको शिक्षा के बजट में विशेषतौर से क्या योगदान है । इसमें उदासीनता रही है । मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं । मेरा क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है । आजादी के बाद मान्यवर, जनपद बलिया में एक बालिका इण्टर कालेज और एक बालक इण्टर कालेज जिला मुख्यालय पर है । उसके बाद, उस जनपद में किसी तहसील मुख्यालय पर न बालिका और न बालक इण्टर कालेज है मेरा यह सुझाव है कि बांसडीह तहसील मुख्यालय पर एक बालिका इण्टर कालेज की की स्थापना करें । वहां मान्यवर, बालिका जूनियर हाई स्कूल चलता है, लेकिन आप देखेंगे कि वह एकदम निरीह हालत में है । उसकी छत टूटी हुई है । अगली बरसात में कोई भी बालिका पढ़ नहीं पायेगी और प्रधानाचार्यों को छुट्टी देनी पड़ेगी । वह विद्यालय बड़ी दयनीय हालत में है । मैं इस पर विशेष बल देती हूं कि वहां पर बालिका इण्टर कालेज को विकसित किया जाय, वहां पर जमीन भी पर्याप्त है ।

हमारा माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि जैसा कि उन्होंने नये साल में अखबारों में घोषणा निकाली थी कि हमारे मंत्री जी हर न्याय पंचायत में एक-एक जूनियर हाई स्कूल का प्रावधान कर रही हैं, उस घोषणा को सुन कर और पढ़कर बड़ी खुशी हुई, लेकिन इस बजट में उसकी कोई भी व्याख्या नहीं है । एक और भी हमारा सुझाव होगा कि जो भी विद्यालय अनुदान से रहित हैं और इन 4-5 सालों में अनुदान सूची पर नहीं लिये गये हैं, कृपा करके उन स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया जाय, ताकि शिक्षा के माध्यम से बालक और बालिकाओं को सुविधा मिल सके । हमारे विधान सभा क्षेत्र में आदर्श विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठैचली है, उसे अनुदान की सूची पर लाने की कृपा करें ।

मान्यवर, महिलाओं के शिक्षित होने में आपका योगदान तभी रहेगा, जबकि हर ग्राम सभाओं में एक-एक प्राइमरी पाठशाला हो जाय, जबकि हर गांव में यह देखने को मिलेगा कि मांटेसरी स्कूलों की बाढ़ आ गयी है, उससे हमारे ग्रामीण अंचलों के बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है । मान्यवर, एक अनुरोध और है कि टी0 टी0 सी0 के प्रशिक्षित

महिला और पुरुष जो हैं, जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी है, उनकी नियुक्ति की जाय, ताकि जिन स्कूलों में प्रति बच्चे 40 के हिसाब से एक अध्यापक होना चाहिये । तो अध्यापक की जो कमी है, उसकी पूर्ति हो जाय और शिक्षा के प्रसार में मदद मिले । मैं अन्त में एक बात यह कहना चाहती हूं कि आपकी नई शिक्षा नीति में संस्कृत का कुछ भी उल्लेख नहीं है, जबकि सुनने में आता है कि अंग्रेजों ने संस्कृत की मान्यता निभाई है । हिन्दुस्तान में यह एक ऐसी भाषा है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर रख सकती है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

[XXX]

श्री अधिष्ठाता—

यह अब नहीं लिखा जायगा ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे हुये बजट का विरोध करती हूं ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । अभी हमारे माननीय सम्मानित सदस्य गोपाल राम जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा । मान्यवर, बहुत ध्यान से उसको सुन रहा था वह हर बार हर सेकेण्ड के बाद एक बात कहते थे कि मैं कहना चाहता हूं लेकिन यहां पूरा सदन यह नहीं समझ पाया कि वह क्या कहना चाहते हैं । मान्यवर, उन्होंने कोई महत्वपूर्ण सुझाव नहीं दिये शिक्षा जैसे बजट पर । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणायें सदन के माध्यम से यहां पर रखीं । आज सरकार पूरे प्रान्त में जिन जनपदों में शिक्षा नहीं दे पा रही है उन जनपदों में वित्त विहीन मान्यता देकर कालेज खोलने जा रही है । मान्यवर, जिन प्राइमरी स्कूलों के पास भवन नहीं है वहां मंत्री जी ने घोषणा की है कि उन तमाम विद्यालयों के भवन इसी वर्ष बना दिये जायेंगे ।

मान्यवर, जहां तक बहुत से साथियों ने समान शिक्षा देने की बात कही है, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने आज पूरे देश में, सभी प्रान्त में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रान्त में हर जिले में एक-एक नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की है । आज शिक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण घोषणायें हमारी सरकार कर रही है । मान्यवर, मंत्री जी ने छात्रवृत्ति पिछले वर्ष की अपेक्षा आज दुगनी बढ़ायी है । जहां शिक्षा की बात हम करते हैं, यह बात सही है कि आज तक शिक्षा को हम एक बहुत अच्छा रूप नहीं दे सके हैं, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में बजट रखते हुये कहा था कि हम इन्टर तक की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं ।

नोट :—[XXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, यह बात सही है कि जब तक हमारी बहनों का हमारी छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा नहीं मिलगी तब तक उनका जीवन स्तर, प्रदेश का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता है । अब मैं यह कहना चाहूंगा कि गाजियाबाद जनपद बने हुये करीब 10 साल हो चुके हैं लेकिन आज तक गाजियाबाद में एक भी महाविद्यालय और एक भी विद्यालय नहीं दिया गया है । मैं मांग करता हूं कि गाजियाबाद में राजकीय बालिका विद्यालय इसी वर्ष खोला जाय । पूर्व मुख्य मंत्री वीर बहादुर जी ने वहां गवर्नमेन्ट इण्टर कालेज खोलने की घोषणा की थी लेकिन आज तक वह लागू नहीं हुआ है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तत्काल बालिका इण्टर कालेज का निर्माण किया जाय और उसको इसी सत्र में खोला जाय । मान्यवर, मैं दूसरी मांग करता हूं कि एक महाविद्यालय की भी गाजियाबाद में आवश्यकता है । इसी तरह से खेल के क्षेत्र में भी कुछ चर्चा करना चाहता हूं गाजियाबाद जैसा जनपद जो दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है और यहां पर कोई स्टेडियम नहीं है । मान्यवर, इसी प्रदेश में हाकी के मैदान में क्रिकेट के मैदान में बहुत सी प्रतिभायें निकल आयी हैं । जैसे ध्यान चन्द्र जी, बाबू के0 डी0 सिंह जी इसी प्रान्त के थे ।

मान्यवर, प्रत्येक जनपद में एक स्टेडियम खोलने की आवश्यकता है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है वास्तव में उसका स्वागत करता हूं कि सरकार खेल जगत में उन सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाहती है । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने भाई गोपाल दास यादव के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती का समर्थन करता हूं । मान्यवर, किसी भी लोकतांत्रिक देश में शिक्षा उस देश की आत्मा होती है । हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जो स्थिति है उससे हम सब लोग अवगत हैं । सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 27.16 प्रतिशत साक्षरता का औसत है और लगभग 73 प्रतिशत लोग हमारे इस प्रदेश में अशिक्षित हैं । उनके लिये काला अक्षर भैंस बराबर है मान्यवर, दो मिनट में शिक्षा जैसे गूढ़ विषय पर क्या विचार व्यक्त किया जाय । उनको अक्षर ज्ञान कुछ नहीं है । उनको केवल जो ज्ञान मिलता है रूढ़ियों और अन्ध विश्वास के जरिये इससे हमारे इस देश और प्रदेश की जो प्रगति है, हम किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं । बड़े ही क्रान्तिकारी व डपोरशंखी तरीके से नई शिक्षा नीति के बारे में घोषणा की गयी । हमारे नौजवान प्रधानमंत्री जिनका शिक्षा ज्ञान बहुत ही सीमित है हालांकि उनके पास सुविधा बहुत थी, परन्तु वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके ।

(इस समय 5 बजकर 43 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुन: पीठासीन हुये)

आज शिक्षा व्यावसायिक बनती जा रही है । उसे आपने और उद्योगपरक व व्यवसायिक परक इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से कर दिया गया है । नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत नये विद्यालयों को अनुदान नहीं दिया जा रहा है । मान्यता दी जा रही है । इन विद्यालयों में 80 से 160 रुपये फीस लेने की छूट है । इससे शिक्षा उद्योग होकर रह गयी है और इसने उन गरीब लोगों का शिक्षा लेना दूभर कर दिया है, जो बेचारे वैसे ही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे थे । शिक्षक श्रम कानून के घेरे में है । मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति को जिसे व्यवसाय-परक बना दिया गया है, उसे तुरन्त वापस ले लिया जाय और साथ ही अनिवार्य, नि:शुल्क व एक समान शिक्षा दी जाय । राष्ट्र भाषा का विशेष ध्यान दिया जाय, जब तक विदेशी भाषा

की प्रयोग किया जायगा, तब तक विदेशी मानसिकता पनपती रहेगी और उससे पूंजीवादी व उपनिवेशवादी भावना बढ़ती जायगी । इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय श्री गोपाल दास यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । इसके साथ ही माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हरिजन विभाग से, जिला परिषद आदि विभागों से जो आप शिक्षा का काम ले रहे हैं, इन सबसे शिक्षा का काम न लेकर सिर्फ एक विभाग शिक्षा विभाग से शिक्षा का काम चलाया जाय, जो अनिवार्य हो, निःशुल्क हो और एक समान हो ।

श्री अर्जुन सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सुन्दर बजट रखा है । शिक्षा के महत्व को बताते हुये कहा कि—माता पिता बैरी भया जिन्होंने न पढ़ाया बाल, हंस समाज गये कहो बक के कौन हवाल । मान्यवर, तिंदवारी में कोई गवर्नमेंट इंटर कालेज नहीं है, इसलिये मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जसपुरा व तिन्दवारी में एक-एक इण्टर कालेज लड़के व लड़कियों के लिये खोला जाय । मेरे क्षेत्र में एक आदर्श हनुमत हायर सैकेण्डरी स्कूल है, उसे मान्यता दी जाय तथा साथ ही उसे एड भी दी जाय । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में ऐसी तमाम गांव सभायें हैं, जहां प्राइमरी स्कूल नहीं है । माचाहार, पटना तथा गड़रिया गांव सभा के मंजरों में प्राइमरी स्कूल नहीं है, जबकि इनकी आबादी लगभग एक हजार से ज्यादा है, इस लिये माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वहां पर एक-एक प्राइमरी स्कूल खोल दिये जाये ताकि छोटे बच्चे पढ़ सकें । मेरे क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल खुलवा दिये जायें । तिन्दवारी में एक डिग्री कालेज खोल दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, विकास के लिये ज्ञान सर्वोपरि चीज है और ज्ञान प्राप्त करने के लिये शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है । मान्यवर, उस शिक्षा की दुर्व्यवस्था की तरफ मैं आपका ध्यान आकृर्षित करना चाहता हूं । गोरखपुर विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति जिनके भ्रष्ट आचरण से वहां आज तक रिजल्ट नहीं निकला और इसी वजह से शिक्षा सत्र जीरो होने जा रहा है । उन्होंने कुलाधिपति की आज्ञाओं का उल्लंघन करके तमाम भ्रष्ट तरीके से नियुक्तियां की जो शिक्षा जगत में कलंक है । उनके कार्यकाल में की गयी नियुक्तियों की जांच करायें जहां पर भ्रष्ट तरीके से नियुक्तियां की गई हैं तथा विश्वविद्यालय का अहित किया गया है उसके लिये जांच करा के उन्हें आप दंडित करें । आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी आचार्य नरेन्द्र देव की मूर्ति का अनावरण करने वहां जाने वाले थे परन्तु नहीं जा सके । वहां के कुलपति डा0 कीर्ति सिंह ने, जब वे नहीं जा सके, तो उनके नाम का पत्थर हटाकर, अपने नाम का पत्थर उस मूर्ति के पास स्थापित किया । इसकी मैं आपसे जांच की मांग कर रहा हूं उनके क्रियाकलापों की जांच करायें । जो यह असंवैधानिक काम उन्होंने किया है उसके लिये उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दें । हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक नेशनल इण्टर कालेज है उसका स्पेशल आडिट करायें वहां के निवर्तमान प्रधानाचार्य ने 2 लाख रु0 हड़प लिये लड़कों की फीस के, उसकी आप जांच करा लें जो तथ्य सामने आये उसके आधार पर उन्हें दंडित करें । जो आपकी मंशा है कि बालिका विद्यालयों की स्थापना की जायेगी मेरे गोला तहसील में राजकीय बालिका विद्यालय नहीं है । बड़हलगंज में जो बालिका विद्यालय है उसको राजकीय बालिका विद्यालय की मान्यता दें ताकि जो शासन की मंशा है वह पूरी हो सके । माननीय

मंत्री जी से आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनका क्रियान्वयन करायेंगी । इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय गोपाल दास यादव जी के कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन करता हूं ।

श्री प्रेमपाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो माननीया शिक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । 21वीं शताब्दी के लिये शिक्षा जगत में युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने नयी शिक्षा नीति के तहत हर प्रदेश में हर जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलकर, सूर्य की किरणों का शिक्षा जगत में उजाला किया है । सूरज की तरह प्रकाश का काम किया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह घोषणा की है कि 1990 तक सारे प्रदेश के भवनहीन प्राइमरी विद्यालयों के भवन बना दिये जायेंगे यह एक प्रशंसनीय कदम है । आशा है कि जूनियर हाईस्कूल आदि के भी जो भवन रह गये हैं उनको भी पूरा कर लिया जायेगा ।

अन्त में अपने क्षेत्र की बात कहकर भाषण समाप्त करता हूं । मान्यवर, जनपद एटा के मेरे विधान सभा जलेसर में 1980 में राजकीय डिग्री कालेज स्वीकृत हुआ था वह किराये की बिल्डिंग में चल रहा है उस भवन के लिये धन आवंटित किया जाय ताकि भवन उस विद्यालय के लिये हो जाये । अलीगढ़ टाउन एरिया में शासन द्वारा राजकीय कन्या इन्टर कालेज स्वीकृत हुआ था, जब मैं विभाग में गया तो बताया गया कि इसके लिये पैसा अभी नहीं है । मैं चाहूंगा कि कृपा पूर्वक उस कन्या इन्टर कालेज को जो स्वीकृत है भवन बना दिया जाय उसके लिये पैसा दिया जाय ताकि जो शासन की मंशा है वह भी पूरी हो सके । मेरे क्षेत्र जलेसर में एक दर्जन ऐसे प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाईस्कूल हैं जो भवनहीन हैं । बच्चे वृक्षों के नीचे पढ़ते हैं । मैं चाहूंगा कि जलेसर और अवागढ़ ब्लाक में ऐसे जो दर्जनों भवनहीन स्कूल हैं उनका सर्वे किया जाय उनके भवन बना दिये जायं । जलेसर में राजकीय कन्या इन्टर कालेज शासन द्वारा जूनियर हाईस्कूल की बिल्डिंग में चलाया जा रहा है उसके लिये भवन बनवाया जाय । जलेसर क्षेत्र एटा में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसको ब्लेक बोर्ड स्कीम में लिया जाय । अन्त में प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । जयहिन्द, जयभारत ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बजट है, इस पर एक घंटा बढ़ा दीजिये, हम लोग अभी बोल नहीं पाये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कोई समय नहीं बढ़ाया जायगा । चार घन्टे हो चुके हैं ।

श्री शफीकुर रहमान बर्क—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके संबंध में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उर्दू जुबान के सिलसिले में कोई जिक्र नहीं किया गया । उर्दू जबान इसी दशा की जुबान है और उन 14 जुबानों में से एक है जिनको संविधान में माना गया है । जब जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी गयी थी, इसी उर्दू ने यहां के देश के रहने वालों के अन्दर आजादी की रूह फूंकी थी, इस सम्बन्ध में मैं एक

मेरे कहना चाहता हूं—

"सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है ज़ोर कितना बाजुये कातिल में है ।"

इसी उर्दू जुबान ने देश की आजादी में बहुत बड़ा सहयोग दिया, जिससे जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी गयी । मुझे अफसोस है कि इस बजट के अन्दर इस उर्दू जुबान को प्रदेश की दूसरी सरकारी जुबान बनाने के लिये कोई बात नहीं कही गयी । जबकि इसी विधान सभा के अन्दर भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री वी0 पी0 सिंह ने एलान किया था कि उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाया जायगा ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र संभल में महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज है, वहां काफी समय से उर्दू और हिन्दी में एम0 ए0 क्लासेज खोलने के लिये इजाजत की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक उसकी इजाजत नहीं दी जा रही है । मैं माननीया मंत्री जी से और इस सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि इसी सेशन में उर्दू और हिन्दी में एम0 ए0 क्लासेज खोलने के लिये महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज संभल में खोलने की इजाजत दी जाय, वरना मैं समझूंगा कि उर्दू के साथ अन्याय होगा और मेरे साथ अन्याय होगा तथा आज भी उर्दू जुबान के साथ नाइन्साफी की जा रही है । मान्यवर, आज भी गरीबों की शिक्षा अलाहिदा और अमीरों की शिक्षा अलाहिदा है ।

(कई सदस्यों द्वारा चर्चा का समय बढ़ाये जाने की मांग पर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

4 घन्टे हो गये हैं, अब समय नहीं बढ़ाया जायगा । आप लोग जो कहना चाहते हों, वह लिखकर भेज दीजियेगा । श्री बर्क जी अब समाप्त करें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, अब आप समाप्त करने को कह रहे हैं, मुझे बहुत कम समय मिला है । अन्त में मैं श्री गोपाल दास यादव जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री हरदेव जी के बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

हरदेव जी, आप बैठिये, आपको जो कुछ कहना हो, वह आप लिखकर भेज दीजिये । मैंने गोपाल दास यादव को बुला लिया है ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, 21वीं सदी की दहलीज में जो हमारी शिक्षा है, वह कोई समय काटने या विलासिता की चीज नहीं है, बल्कि यह देश के लिये एक अमूल्य आवश्यकता है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी देश के सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक विकास के लिये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग है । लेकिन हमने यहां पर देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ आंकड़े ही हैं । मान्यवर, शिक्षा की जो हकीकत है, वह यह है कि आज आजादी के 40 साल बाद भी रोज नये-नये परिवर्तन, नई-नई नीतियां ली जा रही हैं, लेकिन इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता कि क्या कारण है कि जिससे

†शिक्षा बजट पर माननीय सदस्यों के सुझावों के लिए देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 163 पर ।

प्रदेश में शिक्षा का जो लक्ष्य हम सभी लोग चाहते हैं और यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भी जैसा कहा हमारे यहां बालिका विद्यालय नहीं हैं, प्रशिक्षण की कमी है, हमारे यहां प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था हो रही है । माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा हूं, कहना चाहता हूं कि जो प्रशिक्षण केन्द्र हैं, डाइट की जो स्थापना कर दी गयी है, टीचर की प्रशिक्षण में जो कमी रह गयी है, डाइट की योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं । माध्यमिक शिक्षा के तहत भी माध्यमिक शिक्षा की स्थापना हो गयी है लेकिन इस देश में माध्यमिक शिक्षा का जो प्रशिक्षण केन्द्र हैं उसके लिये कम से कम सुनिश्चित करेंगे, कालेज आफ टीचर्स एसोसियेशन का संगठित कर दें । महाविद्यालय में एल0 टी0 कालेजेज हैं, 5 एल0 टी0 कालेज उत्तर प्रदेश में हैं । महाविद्यालय और प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों को पेन्शन मिलती है लेकिन एल0 टी0 कालेज के अध्यापकों को 50 रु0 की भी पेन्शन नहीं मिलती है । माननीया मंत्री जी को तो अजीब लग रहा होगा क्योंकि उनको तो सरकारी आंकड़े मिल गये और उन्होंने पढ़ दिये, लेकिन 4 साल हो गये आज तक एल0 टी0 कालेज के टीचर्स को और कर्मचारियों को पेन्शन नहीं मिल रही है । इस पर ध्यान दें ।

शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुल्तानपुर में कमला नेहरू साइंस और टैक्नालाजी इन्स्टीट्यूट खुला है, उसको मान्यता विश्वविद्यालय से मिलनी चाहिये लेकिन वह मान्यता न लेकर फर्जी संस्था चल रही है । वहां पर के0 एन0 का मतलब दूसरा है । एक प्रभावशाली व्यक्ति ने 150 एकड़ भूमि को 35 रु0 के भाव से अपने नाम करा लिया । उसने 15 साल बाद अवध विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कर ली है । मैं कहना चाहता हूं कि उस विश्वविद्यालय में जो मेडिकल इन्स्टीट्यूट है उसका सरकार अधिग्रहण करे और जो भ्रष्टाचार का अड्डा है समाप्त हो । अभी मा0 मंत्री जी जिनको शिक्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने कहा कि खेलकूद बहुत छोटा विभाग है । मैं कहना चाहता हूं कि निर्णय लेने की क्षमता, ब्रदरहुड, खेलकूद के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं । जहां खेलकूद नहीं है, वहां पर टीम स्प्रिट नहीं होगी । एक जिले का दूसरे जिले से सम्बन्ध, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से संबंध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संबंध खेलकूद के जरिये से ही डेवलप होता है । मंत्री जी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम भी हैं, शिक्षा और खेलकूद दोनों बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है । आप स्वयं अपने सीने पर हाथ रखकर बतायें कि प्रौढ़ शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और सेकेण्डरी शिक्षा में आप कितने सफल रहे हैं ? आप सच्चाई से कहिए कि आपने कितना शिक्षा पर ध्यान दिया है ? आप अगर इस देश के सच्चे नागरिक हैं, प्रदेश को उठाना चाहते हैं तो शिक्षा को ईमानदारी से लागू करें तब हमारे आपके मकसद में कामयाबी होगी । इसी के साथ, मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपना बजट वापस लेकर, हमारे कटौती के प्रस्ताव को मान कर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करें ।

शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं पक्ष के माननीय सदस्य महोदय एवं विपक्ष के माननीय सदस्य महोदय, आप सबका हार्दिक धन्यवाद देती हूं और हृदय से, मन से, अपनी भावना से कृतज्ञ हूं कि आप सबने वन टू आल शिक्षा के सम्बन्ध में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और दिल से दिये हैं और इस भावना से दिये हैं कि इससे शिक्षा का सुधार हो सके ।

हो सकता है कि दृष्टिकोण में अन्तर हो, लेकिन भावना में कोई अन्तर नहीं है । यह मैं जानती हूं क्योंकि आप लोग लगभग दो करोड़, ढ़ाई करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावक ही नहीं बल्कि पिता के समान हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के बालक और बालिकायें इस रूप में आप लोगों को देख रहे हैं इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है । मुझे

बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय गोपाल दास यादव जी ने जिन्होंने कि कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उन्होंने शिक्षा के साथ ही खेलकूद में उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखायी है । उन्होंने मेरे मन की बात रख दी क्योंकि किसी समय में, मैं भी बड़ी खिलाड़ी थी । मुझे आज अपनी बचपन याद आ गयी, मैं बडामन्टन खलती थी और व कट मारती थी कि खेलने वाला भी चित्त और देखने वाला भी ।

मान्यवर, मैं तो चाहूंगी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सदस्यों का एक टूर्नामेन्ट हो जाय और माननीय लोकपति त्रिपाठी जी जो कि हमारे सिंचाई मंत्री हैं, इस सुझाव के बारे में गम्भीरता से विचार करें । मैं अपने आपको इसके लिये आफर करती हूं । खेलकूद के सम्बन्ध में जो सुझाव आये हैं कि हर जिले में एक स्टेडियम होना चाहिये, इसे मैं स्वीकार करती हूं । इस समय कुल 30 स्टेडियम हैं और 22 और बन रहे हैं । प्रत्येक जिले में स्टेडियम खुलवाने के लिये मेरा दृढ़ संकल्प है, तरण ताल हो जाय तो फिर आनन्द ही आनन्द है ।

इसके साथ ही मैं बतलाना चाहती हूं कि श्री रणजीत सिंह जो कि बालीबाल का खिलाड़ी है, उसकी प्रतिभा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे पुरस्कार से सम्मानित किया है और इस सम्बन्ध में उसे 20 हजार रु0 की धनराशि दी गयी है । हमारे जो 13 छात्रावास हैं, वहां बच्चे खेलकूद का प्रशिक्षण ले रहे हैं । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत सम्मान प्राप्त किया है और उनके लिये समुचित व्यवस्था हमने छात्रावासों में की है ।

इलाहाबाद के लिये माननीय यादव जी ने कहा कि 50 मील के तरण ताल को बनाने की योजना है । मैं उनको बतलाना चाहती हूं कि भूमि के विषय में कुछ कठिनाई आ गयी है । मैं आशा करूंगी आप इसमें थोड़ा सहयोग दें, भूमि मिलने पर हम वहां तरण-ताल का निर्माण करायेंगे ।

कुश्ती के सम्बन्ध में आपकी चिन्ता है, इसको मुझे बेहद खुशी है । भारतवर्ष में दो खेल बड़े जबरदस्त रहे हैं जिसमें इसने पूरे विश्व को हिला दिया है एक तो हाकी और दूसरा कुश्ती । आज मुझे याद आ रही है श्री ध्यान चन्द जी को जिन्हें लोग हीरो की तरह देखते थे । दूसरे मान्यवर मुझे याद है जब मैं लाहौर में थी तो वहां पर गांव-गांव में हर जगह कुश्ती हुआ करती थी, इसलिए मैं इस कुश्ती और हाकी के पूरे तौर पर फेवर में हूं कि इसको बढ़ाना चाहिए और यही नहीं मैं तो यहां तक कह रही हूं कि 50 हजार रु0 का पुरस्कार कुश्ती जीतने वाले श्री जगविन्दर सिंह को दिया गया है, इसके लिए जितने भी कार्य किए जाएं वह सब कम हैं । साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय यादव जी ने बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिए हैं । वहीं पर इन्होंने यह बात भी कही कि आज मैकाले शिक्षा पद्धति चल रही है । यह सही है कि मैकाले शिक्षा पद्धति यहां पर पहले शुरू की गयी थी, परन्तु अब इस प्रणाली में आजादी के बाद से अब तक काफी कुछ अन्तर हो गया है और मझे आज अपनी शिक्षा पर गर्व है न केवल अपने प्रदेश के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए । हमारे ही इन स्कूलों से चाहे वह डाक्टर्स हों, चाहे वह इन्जीनियर्स हों टैक्नीशियंस हों, वैज्ञानिक हों तथा दार्शनिक हों, विश्वभर में किसी से कम नहीं हैं जो हमारे इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, इन्हीं विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं । हमारे आई0 टी0 आई0 भाभा इन्स्टीट्यूट से कम नहीं हैं, हमारे इन्हीं विद्यालयों के पढ़े हुए रमेश शर्मा, जो आंतरिक्ष में उड़े और हमारे इन्हीं विद्यालयों में पढ़ी हुयी पी0 टी0 ऊषा, जो जमीन पर उड़ने लगी, इसलिए मुझे अपनी शिक्षा प्रणाली पर काफी

गर्व है, इसी हमारी शिक्षा ने हमें अपने देश का प्रधान मंत्री दिया और लाल बहादुर जैसा लाल दिया, इसलिए उस शिक्षा प्रणाली में तब से आज बहुत अधिक अन्तर हो गया है और नित्य नये कृषि विश्वविद्यालय व आई0 टी0 आई0 खुल रहे हैं, इस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में रोजगार परक बनाने के प्रयास भी हमारे चल रहे हैं, इसलिए यह कहना कि हमारी शिक्षा रोजगार परक नहीं है, उचित नहीं है ।

दूसरे हमारी शिक्षा आज बहुत ही व्यावसायिक भी हो गयी है, इस पर भी हमें गर्व करना चाहिए और हमारी लड़कियों के लिए भी शिक्षा दिन प्रति दिन रोजगार परक और व्यवसायिक बनती जा रही है और यह लड़कियां हमारी टेलरिंग का इतना अच्छा काम करने लगी हैं कि टेलर मास्टरों की दुकानें आज बन्द होने लगी हैं और यही नहीं हमारी लड़कियां जो व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त हैं, वह समोसा बनाने में, रसगुल्ला बनाने में बहुत ही माहिर हो गयी हैं कि आज हर जगह की दुकानें समोसे की और रसगुल्लों की बन्द होने लगी हैं क्योंकि वह घरों पर आज आये दिन ऐसे मिष्ठान्न बना रही हैं और घर वालों को खिला रही हैं, इसीलिए हमारी शिक्षा आज खूब व्यावसायिक बन रही है । हमारे नेता विरोधी दल, जिनका मैं बड़ा सम्मान करती हूं और आदर करती हूं और बड़े सम्मान के साथ निवेदन करना चाहती हूं कि जो यह कहा गया है कि बजट कम है, तो मैं कहना चाहती हूं कि वर्ष 1988-89 में 1935.88 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था । प्लान में 161.47 करोड़ और नान प्लान में 974.41 करोड़ निर्धारित किया गया । अब सुनिये, वर्ष 1989-90 में टोटल 1287.33 करोड़ का था और प्लान का 165.75 करोड़ नान प्लान में 1158 करोड़ रुपये का है । मैं यह कहना चाहती हूं कि यह भावना की बात है, दृष्टिकोण की बात है, पैसा जितना भी हो सीमित साधन होते हुये भी जो कदम हम शिक्षा के क्षेत्र में उठा रही हैं, वह प्रशंसनीय है ।

मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूं कि 7वीं और 8वीं कक्षा तक, माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से, फीस माफ कर दी है । दूसरी बात यह है कि प्राइमरी स्कूलों की मांग की जा रही है, तो आप उनको जिला योजना में पास करावें, हम उन सभी को सैंकशन कर देंगी ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मैं जब यहां से गया था तो मैंने चार बातों का स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उनको गम्भीरता से नहीं लिया और केवल यह कह दिया कि पिछले साल से ज्यादा बजट का प्राविधान इस साल किया गया है । मैं आपको बता दूं कि पिछले साल का बजट 86 अरब रुपये था और जो इस साल बढ़कर 115 अरब हो गया है । वर्ष 1988-89 में शिक्षा के अन्तर्गत 12.20 प्रतिशत शिक्षा के लिये एलाट किया गया था और इस साल केवल 12 प्रतिशत ही एलाट किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बता दिया कि हिन्दुस्तान के जितने अच्छे खिलाड़ी हैं, उतने अच्छे खिलाड़ी और कहीं दुनिया में नहीं है । आप शिक्षा के प्रतिशत को देख लीजिये वह 27 प्रतिशत है और जो सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश बिहार है वहां पर शिक्षा का प्रतिशत 26 प्रतिशत है तो इसका क्या कारण है, मंत्री जी ने नहीं बताया । आपके द्वारा इस साल के बजट में शिक्षा के बजट को 12 प्रतिशत रखने का क्या कारण है, उसका क्या औचित्य है इनके अतिरिक्त 3 और स्पष्टीकरण चाहे थे. मेरा दूसरा स्पष्टीकरण यह था कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं हैं, उनको आप मान्यता क्यों नहीं देती हैं । 1984 से आज तक आपने किसी विद्यालय को मान्यता नहीं दी है । उनको अनुदान सूची में नहीं रखा गया है,

तीसरा स्पष्टीकरण यह था कि जो अंशकालीन अध्यापक हैं, जिनको आपने काम पर लगाया था, आपने उनके लिये क्या व्यवस्था की है ? जो हजारों अध्यापक हड़ताल कर रहे हैं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है, मेरा चौथा स्पष्टीकरण यह था कि प्राइमरी स्कूल ग्राप जो कह रही है कि पोलिटेक्निक खोल दिया है, बेरोजगार के साधन मुहैया कर दिये हैं, जिनको जनता शासन में 3 हजार स्कूल प्रतिवर्ष खोले गये, लेकिन आपकी सरकार नहीं खोल रही है, तो इसका क्या औचित्य है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो प्राइमरी स्कूलों की बात कही गयी है तो मैं बताना चाहती हूं कि वर्ष 1988 में 223 स्कूल खोले गये हैं और 1989-90 में 305 स्कूल खोलने का प्रस्ताव है । यह जो प्राइमरी पाठशालायें हैं, इनके खोलने का प्रस्ताव जिला योजना समिति द्वारा आता है जिसके आप सभी लोग सदस्य हैं और प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं । वे तय करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में कितने विद्यालय वहां खोले जायं एटा में सबसे ज्यादा लगभग 10 प्रतिशत योजना का वहां पर विद्यालय हैं और झांसी में केवल 3 प्रतिशत है । यह तो डिपेन्ड करता है कि वहां के लोग . . . (व्यवधान) मेरे पास लिखा हुआ है । एटा में 10.8 प्रतिशत बढ़ा योजना का, रामपुर में 9.2 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में 8.9 प्रतिशत । मैं यह बता रही हूं कि जो वहां के एम0 एल0 ए0 हैं वे जितनी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं उतनी ही हम सैंक्शन कर रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि मान्यताप्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के सम्बन्ध में जरूर है कि उन्हें 84 के बाद नहीं लिया गया है परन्तु उसकी जो प्रक्रिया है वह शासन के विचाराधीन है । अभी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं । जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे हम उनके ऊपर अवश्य कार्यवाही करेंगे । अंशकालिक शिक्षकों के बारे में हम देख रहे हैं कि उनके लिये हम क्या कर सकते हैं ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इससे पहले कि आप माननीय मूलचन्द्र जी को बुलायें, मेरा आपसे निवेदन है कि कि माननीया शिक्षा मंत्री का चुनौती भरा भाषण सुनने के बाद अब माननीय यादव जी के कटौती के प्रस्ताव की गुंजाइश नहीं रह गई है । इसलिये शायद वे अपना भाषण वापस ले लें और अब आप इस पर वोटिंग करा दें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या आप स्पष्टीकरण भी नहीं पूछने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मूलचन्द्र जी के बाद आपको पुछवा देंगे ।

श्री मूलचन्द्र—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल भदोही में जो बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र था उसके परिवर्तन के लिये स्वयं मैंने आपसे निवेदन किया कि वह परीक्षा केन्द्र न बदला जाय और आपने कहा कि नहीं बदला जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण कर रहे हैं या स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं ।

श्री मूलचन्द्र—

लेकिन वह परीक्षा केन्द्र बदल दिया गया । (व्यवधान) आपके कहने पर भी वह परीक्षा केन्द्र बदल दिया गया । इस सम्बन्ध में आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मूलचन्द्र—

मंत्री जी से आप जवाब दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मंत्री जी के कक्ष में चले जायं । (व्यवधान) वे जवाब दे देंगे ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इससे पूर्व के मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने मेरे जनपद सीतापुर में लहरपुर में एक कन्या हाई स्कूल खोलने की घोषणा की थी कि वहां पर खोला जायेगा किन्तु अभी तक नहीं खोला गया । यह बता दें । दूसरी बात यह है कि अंशकालीन शिक्षकों के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है । यह बता दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आप मेरे कक्ष में आ जायं, बता दूंगी ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

यह उत्तर है आपका ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनके पास सूचना नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं लखनऊ जनपद के बारे में पूछना चाहता हूं कि यहां पर जो सीनियर बेसिक विद्यालय और जूनियर बेसिक विद्यालय हैं उनके बारे में एक सर्वे हुआ था और उसने रिपोर्ट दी थी कि ये विद्यालय रेचुरेट हो गये हैं, संत्रप्त हो गये हैं । मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा कि उस सर्वे रिपोर्ट को समाप्त किया जाय तो क्या उस रिपोर्ट को समाप्त कर दुबारा सर्वे करायेंगी और प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल खोलेंगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय आप उस जिला योजना समिति के बड़े पावरफुल सदस्य हैं, कठोर और दृढ़ सदस्य हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं । शेष मेरे कक्ष में (व्यवधान) चले आइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर काफी बात हो चुकी है (व्यवधान) आप उनके कक्ष में चले जाईये । शुक्ल जी अब आप बैठें ।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर, विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा नीति होती है उसे वहां की टैक्निकल काउंसिल तय करती है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी के समझ के बाहर है, यहां पर 10 कैबिनेट मंत्री बैठे हैं और अधिकारी बैठे हैं जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें उत्तर प्रदेश के बच्चे पीछे रह जाते हैं और दिल्ली के बच्चे आगे आ जाते हैं (व्यवधान) क्योंकि उसका सिलेबस दिल्ली विश्वविद्यालय अपने हिसाब से रखता है तो उस सिलेबस को बदलने के लिए कोई योजना बनायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान) कोई जबाब नहीं आ रहा है आप कक्ष में जाकर बात कर लीजिये । माननीय हरिशंकर तिवारी जी आप भी बैठें काफी हो चुका है । स्पष्टीकरण का कोई जबाब नहीं आ रहा है । (व्यवधान) आपको जो जानकारी करनी हो मंत्री जी के कक्ष में जाकर कर लीजिये ।

माननीय गोपाल दास जी आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री गोपाल दास यादव—

नहीं मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, अब बैठें ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—खेल विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,21,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक

धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,99,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,81,97,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (प्राथमिकता शिक्षा) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,75,21,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,57,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,02,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 के अनुसमर्थन का संकल्प

न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (घ) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है ।"

श्रीमन्, यह छोटा सा विधेयक है । इसमें संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) (घ) के अन्तर्गत में ऐसा परिवर्तन इसमें प्रस्तावित किया गया है जिसकी भावना न केवल समस्त राजनीतिक दलों के लोगों की ही थी बल्कि देश के और इस प्रदेश के नवजवानों की भावना थी, जनता की भी भावना थी कि ऐसे लोगों को मतदान का अधिकार मिले जो उसके बारे में अपनी स्माझ रखते हैं । यही कारण है कि इस संविधान के संशोधन द्वारा उम्र लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचन के लिये 21 से घटाकर 18 वर्ष की जा रही है और इसको सम्मानित सदन पारित करेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय भारत के संविधान का बासठवां संशोधन जिसका अनुसमर्थन का प्रस्ताव न्याय मंत्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन इस मौके पर कुछ और भी बातों पर विचार करने की जरूरत है । आज सत्तारूढ़ दल द्वारा पूरे देश में बड़ा ढोल पीटा जा रहा है कि नवजवानों को शासन में भागीदारी कर दिया लेकिन इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि यह बहुत दिनों से चिर-प्रतीक्षित हो गया था । मैं आपके माध्यम से इस सरकार के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी, जो देश के प्रमुख राजनेताओं में हैं, उन्होंने आज से बहुत साल पहले 1969 में ही लोक सभा में यह बात पहली बार रखी थी कि हर सामान्य निर्वाचन के बाद हाउस आफ कामंस की तरफ से हमारे देश में भी स्पीकर्स कांफ्रेन्स होनी चाहिए । वह स्पीकर्स कान्फ्रेंश जो आज होती है, उस तरह से नहीं । उसमें सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को बुलाया जाए, सत्तारूढ़ दल के नेताओं को बुलाया जाए और शासन के प्रतिनिधि बुलाए जाएं, और

सामान्य चुनाव में जो खामियां देखने को मिलती हैं, उसके आधार पर चुनाव में सुधार, रिफार्म की चर्चा की जाए । उस समय श्री गोविन्द मेनन जी थे, उन्होंने इसे स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था कि हर सामान्य निर्वाचन के बाद वैसी स्पीकर्स कान्फ्रेंस हुआ करेगी । लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने आज तक इसे नहीं किया है । इसके बाद देश के प्रतिपक्षी दलों से पूरे देश में एक आवाज उठाई और कहा कि हमारे नौजवानों का शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए । इस पर सन् 1972 में सरकार ने एक सेलेक्ट कमेटी बनाई और उस कमेटी में सर्वसम्मति से कुछ मुद्दे दिए । किन्तु आज 16 साल हो गये, उस पर आज तक कुछ नहीं किया गया, परन्तु आज यह केवल किया गया ।

इमरजेन्सी के पहले सन् 1975 में श्री जयप्रकाश नारायण जी की प्रेरणा पर एक सारकुण्ड कमेटी बनाई गई थी, उसे भी इसकी सिफारिश की थी । जिस समय प्रदेश में वह सरकार बनी, जिसमें हम सब इधर बैठने वाले सत्ता में भागीदार थे, उस समय हमने इस फैसले को करके दिखा दिया कि स्थानीय चुनावों में अधिकतम आयु 18 वर्ष कर दी जाए और उसी आधार पर आज यह चुनाव स्थानीय निकायों के हुए हैं । उसमें और भी बातें थीं, सुझाव आए थे, मैं उनकी और भी आपके माध्यम से सदन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस समय इसके साथ पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में भी उसके अनुसार उपयोगी संशोधन किया जाता तो बहुत अच्छा होता और बात भी समझ में आती । आपने यह फैसला किया था कि जो सिंगल मेम्बर इलेक्शन कमीशन है, इसको बहु-सदस्यीय बना दिया जाएगा । उस संसदीय समिति ने भी यह फैसला किया था, लेकिन आज 18 वर्ष बाद कहा जाता है कि यह कोई नई बात नहीं है । आज संसार में 40 ऐसे डेमोक्रेटिक देश हैं, जिन्होंने ऐसी प्रक्रिया अपने यहां अपनाई है । भारत, साईप्रस और आमान ऐसे देश हैं जहां यह प्रथा नहीं है । जापान ने अपने यहां 10 साल किया है और ब्राजील और निकारागुआ ने 18 से 16 साल में कर रखा है ।

लेकिन असल बात यह है कि आज हमारे देश में चुनाव में जो मनी-पावर है, इसका शिकंजा सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है । इस पर हम चिंतित हैं और आपको भी चिंतित होना चाहिए और इस पर मिलकर गम्भीरता से विचार होना चाहिए । इस बारे में, इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कहा था, मैं अंग्रेजी में पढ़े दे रहा हूं, बाद में हिन्दी अनुवाद कर दूंगा—आई रिगार्ड दिस एज ए वार्निंग, ए वार्निंग टू दि होल नेशन ए वार्निंग टू दि गवर्नमेन्ट ए वार्निंग टू आल पोलीटिकल पार्टीज दैट "पोलीटिकल करप्शन वुड कान्टीन्यू टू ग्रो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अनलेस डेकीसिनयम स्टेप्स आर टेकेन टू इलिमीनिएट चान्सेज आफ इनडिसक्रीमिनेट स्पेन्डिंग आफ हग एमाउन्टस आन इलेक्शन एण्ड दस रिमूव डिपेन्डेन्स आन मनी पावर"

अर्थात्, मैं इसे चुनौती, चेतावनी समझता हूं । यह मेरे लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए है । उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि इसके चलते हमारी पूरी डेमोक्रेटिक प्रथा नष्ट-भ्रष्ट होकर समाप्त हो जाएगी । आज कालेधन के आधार पर लोग चुनाव में जीतकर आते हैं और वह फिर काला धन अर्जित करते हैं और फिर उससे वह पुन: चुनाव में खर्च करके जीत कर आते हैं । इस तरह यह प्रोसेस ऐसा हो गया है कि कालाधन बड़ी भारी भूमिका चुनाव में अदा कर रहा है । स्वीडेन, इटली और जापान आदि कई ऐसे देश हैं, जिन्होंने सरकारी खर्च पर चुनाव कराने की प्रक्रिया अपने यहां अपनाई है । यह व्यवस्था भी यदि हम इसके साथ स्वीकार कर लेते तो देश में एक ऐसी व्यवस्था पैदा होती कि काले धन का प्रभाव चुनाव पर खत्म होता । इस पर विचार नहीं किया गया । अभी यह विधेयक

जब चर्चा के लिए आ रहा था तो मुझसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको आप चर्चा में लायेंगे तो इसका असर चुनाव पर क्या होगा ? तो मैंने कहा कि इसका फल आपको भुगतना

(व्यवधान)

पड़ेगा । यह 62वां संशोधन हो गया 18 साल की मतदाता सूची बनाने की घोषणा हो गई लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिलाधिकारियों की ओर से एक सूचना मिली कि 28 फरवरी तक दरवाजे-दरवाजे जाकर अमीन, लेखपाल आदि मतदाता सूची तैयार करेंगे । लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ (व्यवधान) आपका कोई कर्मचारी संशोधन करने के लिए नहीं गया । कर्मचारियों की हड़ताल हो रही थी इसलिये इस समय का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव कमीशन को लिखना चाहिए कि इसकी तिथि बढ़ाई जाए (व्यवधान) सिर्फ खाना-पूर्ति करने यह काम पूरा नहीं होगा । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

माननीय, आज बहुत गौरवशाली क्षण है कि आज उत्तर प्रदेश विधान सभा में, इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है । यह वह चिर-प्रतीक्षित क्षण है ऐतिहासिक क्षण है, जब हम इस विधेयक का अनुसमर्थन करने जा रहे हैं । जिसके आने से आने वाली पीढ़ी का नौजवान उदीयमान हो जाएगा । आज हम भारत के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं, जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेकर, नौजवानों को, जिनको कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं बर-गलाना चाहते हैं, उनको सत्ता में भाग लेने का अधिकार दिया है । उसके लिए मैं निश्चित रूप से भारत के प्रधान मंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं । विश्व का इतिहास साक्षी है जब किसी राष्ट्र निर्माण में क्रान्ति की जरूरत पड़ती है बलिदान की जरूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से राष्ट्र का नौजवान अपना लहू, अपना खून बहाता है, तब राष्ट्र का निर्माण होता है । हमारा भारत देश प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसका कारण है युवा शक्ति । मान्यवर, सन् 1947 में देश आजाद हुआ था उसके बाद जो आबादी आई है बहुमत नौजवानों का है उसमें बहुसंख्या-18 से 20 वर्ष है । जिनका इस पर विश्वास नहीं है उनका भारत के नौजवानों पर विश्वास नहीं है । कांग्रेस दल जो कहता है वह करता भी है । यह वह क्षण है जब दल से ऊपर उठकर अच्छे सुझाव देने चाहिए । राष्ट्र के इतिहास को देख लें, जंगे-आजादी के इतिहास को देख लें, नव-निर्माण का इतिहास देख लें, नौजवानों ने क्या भूमिका निभाई है, आज का नौजवान हर भूमिका निभा सकता है, राष्ट्र का संचालन कर सकता है । आज राष्ट्र को नौजवानों की जरूरत है ।

आज निश्चित रूप से कांग्रेस ने वह कार्य करके दिखाया है, भारत के प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने वह कार्य करके दिखाया है जो गांधी जी का सपना था, जवाहर लाल जी का सपना था और इंदिरा गांधी जी का सपना था । मैं उनको बारम्बार बधाई देता हूं भारत का नौजवान जिम्मेदारी उठाने को पूरी तरह सक्षम है, जो भारत को ऊपर उठाने में पूरी तरह से सक्षम है इससे उसमें इस सदन में एक ऐसी शक्ति आयेगी जिससे भारत के कदम जो प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं उसमें तेजी आयेगी । लेकिन इससे उन्हें जरूर निराशा पहुंचेगी जो युवकों का उपयोग तोड़फोड़ के लिये, विनाश के लिये किया करते थे । जब युवक महसूस करेंगे कि राष्ट्र में जो सरकार है उसमें उनकी भागीदारी है तो निश्चित रूप से उनके कदम जिम्मेदारी की ओर पूरी तरह से बढ़ेंगे, विश्वासपूर्वक बढ़ेंगे । मान्यवर, मैं अपनी बात

श्री प्रमोद कुमार—(क्रमशः/

समाप्त करते हुये प्रदेश सरकार को, इस सम्पूर्ण सदन को बधाई देता हूं कि आज हम एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहे हैं । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने इसका विरोध करने का प्रयास किया लेकिन वह विरोध नहीं कर सके और समर्थन किया । हरीश जी भी इसका समर्थन अवश्य करेंगे राजीव गांधी का, क्योंकि उनकी मजबूरी है, इसके पीछे चलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है । धन्यवाद । जयहिन्द ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मैं भारत के संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 का समर्थन करता हूं और इस संकल्प का स्वागत करता हूं । मुझे बहुत हर्ष है कि 18 वर्ष मतदान की आयु भारत के जवानों को प्राप्त हो गयी है परन्तु खेद इस बात का है कि किसी भी सरकार को अच्छा काम करने में इतना विलम्ब नहीं करना चाहिये । यह जो सदन है वह इस सवाल पर कभी विभाजित नहीं होगा । मैं यह भी इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आज से 26 वर्ष पहले भारत की लोक सभा में एक युवक ने इस बात को उठाया था । वह 1963 का वर्ष था जब इंग्लैंड की पार्लियामेन्ट ने अपने जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन किया था और 21 वर्ष मतदान की आयु घटाकर 18 साल किया था । सबसे पहले यह बात श्रीमन्, अटल बिहारी बाजपेयी जी ने भारत की लोक सभा में उठायी थी और यह कहा था कि भारत के संविधान में भी इसी प्रकार का परिवर्तन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जानी चाहिये । मान्यवर, 18 साल की आयु सभी सर्विसेज के लिये निर्धारित है । सम्पत्ति का स्वामी 18 साल का युवक बन सकता है तो क्या कारण था कि जो सरकार उस समय थी उसने इसका पालन मतदान की आयु निर्धारित करने में नहीं किया । सन् 63 में श्रीमान् अटल बिहारी बाजपेयी के कह देने के बाद भी 26 साल का समय बीत गया और यह कार्य नहीं किया गया । अभी यहां यह कहा जायगा कि जनता पार्टी भी शासन में आयी थी । सच है उसने अपने घोषणा-पत्र में इस बात को छापा था, क्यों नहीं किया । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी अवधि बहुत थोड़ी थी । लेकिन जो सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमांचल प्रदेश में हरियाणा और बिहार में थी उसने स्थानीय निकायों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था, जनता पार्टी की सरकार ने यह किया था । जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार में यह विषय विचाराधीन था । यह एक अच्छा काम था लेकिन उसको करने का जनता पार्टी को समय नहीं मिला । लेकिन उसके बाद सन् 1980 से आपको आये 8 वर्ष हो गये तो आपने इसको क्यों नहीं किया । कोई भी सरकार हो उसे अच्छे कामों में विलम्ब नहीं करना चाहिये । सरकारों की अवधि सीमित होती है इसलिये अच्छे कामों को जल्दी करना चाहिये । मुझे हर्ष है कि आज 18 वर्ष मतदान की आयु हो गयी है । मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि अच्छे काम को करने में विलम्ब नहीं करना चाहिये । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने मतदान के लिये मतदाता सूचियां बनाने की बात कही है, मैं भी कहना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट सही नहीं बन रही है । कोई कर्मचारी घर पर नहीं जा रहा है । पुरानी वोटर लिस्ट में मनमाने तरीके से नाम बढ़ाये जा रहे हैं । इस कार्य के लिए 28 फरवरी 1989 अंतिम तिथि थी । मत तिथि बढ़ाई जानी चाहिए ।

मान्यवर, मैं आपको सुझाव दूंगा कि फिर से आप इसकी व्यवस्था करें । समय आगे बढ़ाया जाय और मतदान सूची फिर से तैयार की जाय, ताकि जो 18 वर्ष के लोग हैं, उनको यह सुविधा मिल सके और वे इसका लाभ उठा सकें ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

जो संकल्प आया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह समझता हूं कि संसार के इतिहास में कभी कोई ऐसा समय नहीं रहा जो अकेले नवयुवकों का हो या अकेले अध खड़े बुजुर्गों का हो, ऐसा कोई समय नहीं रहा जो अकेले महिलाओं का रहा हो या पुरुषों का रहा हो । यह नवयुवक, बुजुर्ग, अधखड़े सबको मिल कर चलना चाहिए और आपस में समन्वय होना चाहिए । जहां नवयुवकों में जो जोश-खरोश है, वहां पर अधखड़े और बुजुर्गों में तजुर्बा है, विचार है । वास्तव में दोनों को मिल कर चलने से ही प्रगति हो सकती है । दुनियां में बहुत से ऐसे मुल्क हैं, जिनमें 18 साल की आयु के नवयुवकों को मतदान का अधिकार है, जो व्यवहार रूप में अब आया है, उसका हम सब स्वागत करते हैं । उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से दो बातें मैं कहना चाहता हूं । माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया गया । इस भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सबसे बड़ा फासिस्ट संगठन है । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भारतवर्ष की शान्ति-व्यवस्था को ही नहीं खतरा है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-व्यवस्था को भी खतरा है । जिस तरह से युवकों का रेजीमेन्टेशन किया जाता है, और गुमराह किया जाता है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम लोग देखते हैं कि सिपाही मार्चिंग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, परन्तु किसी विद्वान ने सही कहा है कि "मार्चिंग किल्स थाट", आदमी बिलकुल रेजीमेन्टेड हो जाता है । जिस संगठन में इस तरह की मिलिटेंसी रहेगी, वह संगठन-संगठन नहीं है, वह आर्गेनिज्म है । अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस समय चर्चा जो हो रही है, यह 62वें संविधान संशोधन पर हो रही है या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों पर हो रही है ? अगर इस पर हो रही है, तो माननीय लाल प्रताप सिंह को आलोचना करने का पूरा-पूरा मौका है । इसलिए मैं समझता हूं कि जो संगत विषय पर बहस हो रही है 62वें संविधान संशोधन पर, जिसका हमने स्वागत किया है और स्वागत करते हुए यह पीड़ा प्रकट की कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इनको विषयांतर नहीं होना चाहिए । गुप्ता जी, आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह आर्गूमेन्ट है, यह आर्गूमेन्ट अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की चर्चा का विषय है, तो मैं चुनौती देता हूं कि मुझे भी इस बात का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए । इसलिये मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में अप्रासांगिक जो चर्चा यहां पर की गयी है, उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसे दिखवा लूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं आपका ध्यान और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि इस तरह के संगठन पर पाबन्दी लगाने की जरूरत है ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय लाल प्रताप सिंह ने क्या कोई संशोधन का प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के ऊपर रखा है ?

(व्यवधान)

श्री हृदय नरायण दीक्षित—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय लाल प्रताप सिंह ने 62वें संविधान संशोधन के प्रस्ताव का मूल रूप में समर्थन न करके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने का संशोधन शामिल किया है ? यदि हां, तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, क्योंकि विद्वान सदस्य लाल प्रताप सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग भी की है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में आलोचना की गयी है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

पाण्डे जी, आपका ही है, इस पर क्या बोलेंगे ।

श्री हृदय नरायण दीक्षित—

मान्यवर, यह प्रस्ताव केन्द्र से आया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न तो है नहीं कोई अप्रासांगिक शब्द आया होगा तो उसको दिखवा लेंगे । आप लोग बैठें ।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, आपने एक नौजवान सदस्य को बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, हमारे देश की लोकप्रिय सरकार ने सम्पूर्ण भारत के नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए भारत के नौजवान प्रधान मंत्री ने जो यह निर्णय लिया है कि इस देश के तमाम करोड़ों नौजवान इस देश के विकास में और इस देश के भविष्य के निर्माण में जो अपना योगदान करने के लिए यह संविधान संशोधित किया है उसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं और जैसा अभी हरीश जी ने कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, यह नौजवानों की भावनाओं के खिलाफ है और आप नौजवानों की भावनाओं का दबा रहे हैं । (व्यवधान) अभी हरीश जी ने जो कहा है तो मान्यवर, यह इसको क्या संशोधित करते यह तो अपने पद और कुर्सी की लड़ाई में ही लगे रहे इन्होंने अपना मौका इसी में खो दिया और पद की लड़ाई में इस देश की भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं समझा और न उसके अनुरूप काम करने का मौका दिया इसी के कारण देश की जनता ने इनका अपदस्थ किया । मान्यवर, मुझे बहुत थोड़ा मौका मिला । इन शब्दों के साथ मैं आपकी भावनाओं का देखते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, अभी इस संकल्प का समर्थन करते हुए माननीय गुप्त जी ने कुछ बिन्दुओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया । इसमें प्रमुख बिन्दु था कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहले इस प्रस्ताव का प्रपोजल राजनीतिक रूप में रखा । हो सकता है कि यह इस सदन में बहस का कोई मुद्दा नहीं है लेकिन यह बात आई तो मैं इतिहास थोड़ा सा बताना चाहता हूं, 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस में जब संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए पंडित मोती लाल नेहरू की एक कमेटी बनायी गयी जिसने पहली बार संविधान का जो प्रारूप तैयार किया उसमें फंडामेन्टल राइट्स के ऊपर लिखा । मैं तो इस सदन के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि वह पहला संविधान तैयार किया गया था उसका प्रारूप जिस पर फंडामेन्टल राइट्स के ऊपर दुनिया में कहीं पर भी किसी संविधान का कोई इक्जाम्पल, उदाहरण मौजूद नहीं था जो पंडित मोती लाल नेहरू की रिपोर्ट में आया, न जापान में, न कनाडा में, न स्विटजरलैण्ड में, न अमेरिका में, न आस्ट्रिया में और न आस्ट्रेलिया में था तो सबसे पहले उन्होंने फंडामेन्टल राइट्स रखा । यहां फंडामेन्टल राइट्स का विषय नहीं है । यहां मद्दा का जो विषय है उसकी भूमिका तेज बहादुर सप्रू और पंडित मोती लाल नेहरू की भी उन्होंने जो यहां रखा था उसमें 18 वर्ष की आयु का रिकमेन्डेशन किया था ।

लेकिन साठ के दशक में जैसा कि हाउज आफ कामन्स का उदाहरण दिया, उसके बाद इसी प्रदेश की जिला कमेटी, रूल कमेटी के सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा कि हमारी मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जाय । माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी का जो नाम आया, मैं विस्तार में न जाकर छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जब वे विदेश मंत्री थे तो उस समय साप्ताहिक हिन्दुस्तान के हिमांशु जोशी ने उनसे एक इन्टरव्यू में प्रश्न किया कि जब आप सत्ता में नहीं थे तो इजराइल को मान्यता देने की बात करते थे, अब कब मान्यता देने जा रहे हैं । उन्होंने उत्तर दिया कि तब मैं विपक्ष में था । कहने का आशय यह है कि विपक्ष में बहुत सारी बातें यूं ही करते थे, जो कि शासन में आने पर पूरी नहीं करनी चाहिये ।

श्रीमन्, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि फ्रांस के राइटर रोमां रोलां ने समाजवाद की बात करते हुए कहा कि टीनएजर्स पर समाज में फैली हुई आर्थिक विषमता के कारण बड़ा प्रभाव पड़ता है । उनका कहना है कि टीनएजर्स पर अगर समाज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रभाव न पड़े तो यह बड़ी हृदयहीनता है और उनके हृदय की बड़ी संवेदनशून्यता है । इसीलिये एस० एस० यू० आई० द्वारा वर्षों से जो मांग की जा रही थी कि नवयुवकों को मताधिकार का अवसर दिया जाय, इसको देखते हुए राजीव गांधी जी ने यह निर्णय लिया । यही कारण है कि इसके जरिये उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ा गया

और यही कारण है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया । इसमें अभी दो बिन्दु सामने आए और काला धन और निर्वाचन आयोग के सम्बन्ध में रिपोर्ट पढ़ी गयी तो जिस प्रकार से राज्य सभा और लोक सभा में यह प्रस्ताव पास किया गया है उसी को हमको पास करना है । हमें संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के हिसाब से उसी रूप में पारित करना है क्योंकि इसका आधी से ज़्यादा विधान सभाओं में पारित होना जरूरी है । इसीलिये बस्ताव करूंगा कि इस संकल्प को जिसमें आप सबने सहमति प्रकट की है, उसको सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना सुन लें । नियम 51 के अन्तर्गत आज 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार हुई और श्री शारदा प्रताप शुक्ला और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की समितियों के सदस्यों के नाम निर्देशन कराने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1989-90 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं नियन्त्र सयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये, जिनके निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा इस माननीय सदन को दी गयी है, सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1989-90 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथा समय सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिये भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के नाम निर्देशन कराने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचन, जिसके कार्यक्रम की सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा इस माननीय सदन को दी गयी है, के स्थान पर, सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन माननीय अध्यक्ष को उक्त निकायों में अपेक्षित संख्या में विधान सभा सदस्यों को नाम-निर्देशन करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशन सदस्य उक्त निकायों में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ ।

उन्नाव में औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्धारित शक्ति से अधिक पावर के इस्तेमाल से विद्युत परिषद् को करोड़ों की क्षति किसानों को विद्युत सामग्री के अभाव में कनेक्शन न मिलने तथा फिरोजाबाद विद्युत वितरण खण्ड द्वारा निजी नलकूप वाले काश्तकारों को समय से विद्युत कनेक्शन आदि न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

मद सं0 13 सदस्यों के अनुरोध पर स्थगित की जाती है । अब हम सोमवार को 11·00 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

10 मार्च, 1989 ई0 ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पृष्ठ 16 पर)

संलग्नक—1

प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-9-1987 के पत्र में दो मांग थी जिस पर की गयी कार्यवाही निम्नलिखित है :—

(क) प्रथम मांग तिवारीपुर नन्सा बाजार मार्ग पर मिझौरा ग्राम के पास मड़हा (तमसा) नदी पर पक्का पुल के सम्बन्ध में थी । इस पुल के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1891 ई0 23-सा0 नि0 अनु0-11-74 ई/88, दिनांक 30 मार्च, 1988 द्वारा दी जा चुकी है ।

(ख) द्वितीय मांग बिकवा जोतपुर नारायणपुर महरुआ बाजार के सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है । इस मार्ग की कुल लम्बाई 18 किलोमीटर है । जिसमें से 11 किलोमीटर का भाग खड़ंजा स्तर तक निर्मित है शेष 7 किलोमीटर पर खड़ंजा स्तर तक निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

संलग्नक—2

प्रश्नकर्ता का दिनांक 14-1-88 के पत्र में दो मांग थी जिस पर की गयी कार्यवाही निम्नलिखित है :—

(क) प्रथम मांग महरुआ भौटी मार्ग का लेपन स्तर तक निर्मित कराने के सम्बन्ध में है । इस मार्ग की कुल लम्बाई 13.25 किमी0 में से 4 किमी0 लेपित है । शेष 9.25 किमी0 खड़ंजा स्तर तक निर्मित है । इस 9.25 किमी0 में से 6.26 किमी0 भाग को खड़ंजा से लेपन स्तर तक बनाने की स्वीकृति जिला योजना 1988-89 के अन्तर्गत प्रदान की जा चुकी है ।

(ख) द्वितीय मांग तिवारीपुर नन्सा बाजार मार्ग पर मिझौड़ा ग्राम के पास मड़हा (तमसा) नदी पर पक्का पुल निर्माण के सम्बन्ध में थी जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या 1891 ई/23-सा0 नि0 अनु0-11-74 ई/88, दिनांक 30 मार्च, 1988 द्वारा दी जा चुकी है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

विकास खण्ड—खोराबार वर्ष 1986-87 के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की सूची :

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम/पिता का नाम	पता
1	2	3
1	श्री राज कुमार कनौजिया पुत्र श्री काशीराम	ग्रा0 रायगंज बाजार, गोरखपुर
2	श्री विधिचन्द्र पुत्र श्री बासू	ग्रा0 बेलवार, पो0 रायगंज ।
3	श्री राधेश्याम पुत्र श्री सन्तबली	ग्रा0 बिशुनपुर बुजुर्ग, गोरखपुर ।
4	श्री राम नगीना पुत्र श्री राम रतन	ग्रा0 विशुनपुर बुजुर्ग, गोरखपुर ।
5	श्री विश्वनाथ पुत्र अयोध्या	ग्रा0 रायगंज डेलीढोला, गोरखपुर
6	श्री रामजी यादव पुत्र श्री अवध राम	ग्रा0 मोती अड्डा पो0 भँसहा ।
7	श्री पारस नाथ यादव पुत्र श्री बाबूलाल यादव	ग्रा0 कजाकपुर, गोरखपुर ।
8	श्री विजय शंकर पुत्र श्री गरजू प्रसाद	खोराबार—गोरखपुर ।
9	श्री गिरधारी यादव	ग्रा0 खोराबार-गोरखपुर ।
10	श्री रामानन्द पाण्डे पुत्र श्री रमरतन पाण्डेय	ग्रा0 मुझरियां बिस्टौल, गोरखपुर ।
	विकास खण्ड—चरगांवा	
1	श्री गुलाब चन्द गुप्ता पुत्र श्री सागर लाल	ग्रा0 सिंहावल पो0 पिपराइच ।
2	श्री राम सूरत सिंह पुत्र श्री बटेश्वर सिंह	ग्रा0 लुहसी, पो0 पिपराइच ।
3	श्री जमालुद्दीन शेख पुत्र श्री सलामत	ग्रा0 माधोपुर, पो0 कुस्मही ।
4	श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामनयन	ग्रा0 पिपराइच ।
5	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री प्यारे लाल	ग्रा0 पिपराइच ।
6	श्री रामदीन प्रसाद पुत्र श्री उजागर	ग्रा0 गोविन्दपुर, पो0 पिपराइच ।
7	श्री जयसिंह पाण्डेय पुत्र श्री रामनरेश पाण्डेय	पिपराइच, गोरखपुर ।
8	श्री दयानन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामसरन	पिपराइच, गोरखपुर ।
9	श्री गोपाल शर्मा पुत्र श्री मुरलीधर शर्मा	पिपराइच, गोरखपुर ।
10	श्री व्यास मुनिगिरि पुत्र श्री कल्पराजगिरि	बर्डपुर, गोरखपुर ।
11	श्री बहाब खां पुत्र श्री अनवर खां	करमौल, गोरखपुर ।
	विकास खण्ड—सरदार नगर	
1	श्री परवेज आलम पुत्र श्री अल्ताफ अहमद	चौरी चौरा, गोरखपुर ।
2	श्री जियाउद्दीन खां पुत्र श्री रहमत हुसैन	चौरी चौरा, गोरखपुर ।
3	श्री योगेश कुमार दुबे पुत्र श्री काशीनाथ	ग्रा0 बनसौडिया, गोरखपुर ।

1	2	3
4	श्री रमेश चन्द्र आचार्य पुत्र श्री रामबक्श	मुण्डेरा बाजार, गोरखपुर ।
5	श्री तवारक खां पुत्र श्री साकिर खां	नई बाजार जं0 रामकोट-2 ।
6	श्री विजय कुमार खेतान पुत्र श्री मुन्सी लाल	मुण्डेरा बाजार, गोरखपुर ।
7	श्री चन्द्र मौलि दुबे पुत्र श्री पारसनाथ	सौंरां कालोनी, गोरखपुर ।
8	श्री राम निवास साहनी	ग्रा0 रामपुर बुजुर्ग, पो0 डुमरीखास ।

विकास खण्ड—भटहट

1	श्री जलालुद्दीन पुत्र श्री मो0 अंसारी	ग्रा0 समदार खुर्द, भटहट, गोरखपुर ।

विकास खण्ड—चरगांवा

1	श्री दयाराम शर्मा पुत्र श्री विक्रम	ग्रा0 बरगदवा, गोरखपुर
2	श्री मखन चन्द्र पुत्र श्री राजबली	ग्रा0 सियारामपुर, गोरखपुर ।
3	श्री गनेश प्रसाद पुत्र श्री राम लाल	ग्रा0 बेलवारामपुर, गोरखपुर ।
4	श्री खैरूल हुदा पुत्र श्री अकबर हुसैन	ग्रा0 गुलरिया, गोरखपुर ।
5	श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री मुनिसिंह	ग्रा0 सिक्टौर, गोरखपुर ।
6	श्री उदय सिंह पुत्र श्री नोखे सिंह	ग्रा0 रामपुर, गोपालपुर, शिवपुर ।
7	श्री बीरेन्द्र कुमार पाण्डे पुत्र श्री दयानन्द	ग्रा0 बालाचार, गोरखपुर ।
8	श्री लाल जी प्रसाद पुत्र श्री तमेश्वर	ग्रा0 रामपुर गोपालपुर शिवपुर ।
9.	श्री अरविन्द कुमार गौतम द्वारा श्याम सुन्दर एडवोकेट	बशारतपुर, गोरखपुर ।
10	श्री चित्रकूट सिंह पुत्र श्री दुखहरन सिंह	जंगल औराही चरगांवा, गोरखपुर ।
11	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हरिश्चन्द्र	सुड़ियांदुआं बशारतपुर ।
12	श्री आरस्टीन जान पुत्र श्री बिलियम पैट्रिक	ईस्टर्नपुर, गोरखपुर ।
13	श्री महेन्द्र नाथ मिश्र पुत्र श्री उपेन्द्र नाथ	खैराबार, गोरखपुर ।
14	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रामधनी	लालपुर टीकर, गोरखपुर ।

वर्ष 1987-88 के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की सूची ।

विकास खण्ड—खोराबार

1	श्री शिव कुमार शुक्ल पुत्र श्री बृजराज शुक्ल	महुई सुधरपुर, गोरखपुर ।

विकास खण्ड—पिपराइच

1	श्री बिरेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री सागर लाल	ग्रा0 सिंवाक्ल, पिपराइच ।

1	2	3
विकास खण्ड—सरदार नगर		
1	श्री साधूशरण पुत्र श्री शम्भू प्रसाद	ग्रा0 पोखरीभण्डा, गोरखपुर ।
2	श्री शैलेन्द्र कमार सिंह पुत्र श्री गंगा प्रसाद सिंह	चौरी चौरा, गोरखपुर ।
विकास खण्ड—भटहट		
1	श्री राम सूरत पुत्र श्री चौथी प्रसाद	आराजी चिलबीलिया, गोरखपुर ।
2	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री रामधारी	भलुई, गोरखपुर ।
विकास खण्ड—चरगांवा		
1	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जिउत	ग्राम बनगाई, गोरखपुर ।
2	श्री राजाराम पुत्र श्री मन्ता प्रसाद	ग्रा0 मानवेला, गोरखपुर ।
3	श्री मो0 असलम पुत्र श्री मो0 अयूब	हैदरगंज, गोरखपुर ।
4	श्री राम चन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ	ग्रा0 गुलरिया, गोरखपुर ।
5	श्री जितेन्द्र नाथ चौधरी	ग्राम हरसेवकपुर, गोरखपुर ।
6	श्री छोटे लाल पुत्र श्री बद्री	जरना टोला, कूड़ाघाट ।
7	श्री राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मोती लाल	ग्रा0 रामपुर, गोपालपुर शिवपुर ।
8	श्री अच्छे लाल जायसवाल पुत्र श्री मुसई प्रसाद	रघुनाथपुर, गोरखपुर ।
9	श्री अनवर हुसैन पुत्र श्री सत्तार अली	हरसेवकपुर न0 2, गोरखपुर ।
10	श्री राम जी पुत्र श्री राम बिलास	उत्तरासोत, गोरखपुर ।

नत्थी 'ग'

(शिक्षा बजट पर लिखित सुझाव के लिये देखिये पीछे पृष्ठ संख्या 142 पर ।)

1—श्री राम सिंह एडवोकेट—

मान्यवर,

शिक्षा मंत्री द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुये कटौती के रखे गये प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र तथा जिला से शिक्षा संबंधित निम्नवत् मांग करता हूं :

1—मैंने विधान सभा क्षेत्र किशनी में आज देश को स्वतन्त्र हुये लगभग 41 वर्ष हो गये कोई भी बालिकाओं के लिये हाई स्कूल अथवा इन्टर कालेज नहीं है । मैं मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनी में बालिकाओं का हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज देने की कृपा करें ।

2—मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत टाउन एरिया, कसमरा में भी कोई बालिकाओं का स्कूल नहीं है । यहां के लिये भी मैं बालिका विद्यालय की मांग करता हूं ।

3—मैनपुरी में कोई बी0 एस-सी0 की कक्षायें नहीं हैं । इसमें मेरा प्रस्ताव है कि मैनपुरी जनपद के राजकीय इण्टर कालेज, मैनपुरी को उच्चीकृत करके बी0 एस-सी0 की कक्षायें खोलने की कृपा करें ।

4—मैनपुरी जनपद में किशनी में नवोदय विद्यालय का प्रस्ताव लम्बित है । कृपया उसको किशनी में शीघ्र बनाने के आदेश दें ।

5—मैनपुरी जनपद के राजकीय दीक्षा विद्यालय (पुरुष) चल रहा है इसकी इमारत भोगांव में खाली पड़ी है । इस दीक्षा विद्यालय को भोगांव में स्थानान्तरित करने के आदेश दें तथा राजकीय कन्या इन्टर कालेज मैनपुरी में चल रहे राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय को मौजूदा चल रहे राजकीय दीक्षा विद्यालय (पुरुष) में स्थानान्तरित करने के आदेश दें । ताकि बालिकाओं के स्कूल में स्थान की कमी को दूर किया जा सके ।

2—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर,

प्रस्ताव—

1—गोण्डा जनपद जिला मुख्यालय पर एक महिला डिग्री कालेज स्थापित किया जाय ।

2—वजीरगंज बाजार विकास खण्ड, वजीरगंज में एक महिला हाईस्कूल खोला जाय ।

जनहित में दोनों प्रस्ताव आवश्यक हैं ।

पी0 एस0 यू0 पी0—15 वि0 सभा—दिनांक 26-7-89—813 प्रतियां (लाइनो) ।